लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
Dated 14-10-92
Parliament Library

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. S.I.(U)...
Date 9 . X . 9

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 37 सोमवार, 16 अप्रैल, 1979/26 चैत्र 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 724, 726, 727, 731, 734, 735 और 740 से 742	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 723, 728, से 730, 732, 733 और 736 से 739	24—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7001 से 7037 और 7039 से 7200	33—213
जमशेदपुर में विद्यमान स्थिति के बारे में	214—215
कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील और न्यायाधीश की कतिपय टिप्पणियों के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विनिर्णय	216—220
सभा पटल पर रखे गये पत्र	221—223
प्राक्कलन समिति की रक्षा सम्बन्धी उप-समिति के प्रतिवेदनों के बारे में घोषणा	224
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	225—239
नेशनल हैरल्ड प्रकाशन समूह में निरन्तर तालाबन्दी का समाचार	
श्री हरिकेश बहादुर	
श्री रविन्द्र वर्मा	
श्री रामधन	
श्री चित्त बसु	
सरकारी उद्यमों संबंधी समिति 37वीं प्रतिवेदन	240
कार्य मंत्रणा समिति 32वां प्रतिवेदन	241—243

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र के गोहाटी हवाई अड्डे तथा अन्य हवाई अड्डों पर अवतरण सुविधाएं — 244

श्री पूर्णनारायण सिन्हा

(दो) हैदराबाद हवाई अड्डे के एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने की आवश्यकता — 244—245

श्री पी० राजगोपाल नायडू

(तीन) फिल्म रीलों की कमी के कारण फोटोग्राफरों और फोटोग्राफी-सामग्री क्रेताओं द्वारा दिल्ली में भूख हड़ताल का समाचार — 245

डा० वसन्त कुमार पंडित

(चार) आगरा में बैंकों द्वारा छोटे करेन्सी नोट स्वीकार करने से इन्कार — 246

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी

(पांच) संसद सदस्यों के होस्टल वैस्टर्न कोर्ट को गिराने की कथित योजना — 246

श्री हरिविष्णु कामत

अनुदानों की मांगे 1979-80

कृषि और सिंचाई मंत्रालय — 247—284

श्री अनन्त राम जायसवाल

श्री राम किशन

चौधरी रामगोपाल सिंह

श्री सुरजीत सिंह बरनाला

अनुदानों की मांगे, 1979-80

ऊर्जा मंत्रालय — 285—340

श्री एम० एस० संजीवी राव

श्री रामदास सिंह

श्री डी० डी० देसाई

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया

श्री विजय मोदक

डा० रामजी सिंह

श्री के० ए० राजन

श्री नटवर लाल बी० परमार

श्री ए० के० राय

श्री के० राममूर्ति

श्री वयालार रवि

श्री पी० राजगोपाल नायडू

श्री जनेश्वर मिश्र

लोक सभा

सोमवार, 16 अप्रैल, 1979/26 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको नाम पुकारना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रो० भावलंकर से प्रश्न सं० 723 पूछने के लिए कह रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रो० भावलंकर की ओर से मैं प्रश्न सं० 723 पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 724

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बान सागर योजना पर कार्य

* 724. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बान सागर योजना पर काम शुरू नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि बांध के स्थान में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) काम शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं और उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) से ग : बाणसागर बांध परियोजना पर कार्य चल रहा है। बांध के स्थल में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्र द्वारा गठित परामर्शदाताओं के बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार केवल बांध के संरेखण (एलाइनमेंट) में कुछ फेर-बदल किए गए हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 322.3 करोड़ रुपये है जिसमें मध्य प्रदेश में बनने वाले बांध और नहर प्रणाली की लागत शामिल है परन्तु इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा बाणसागर के पानी के अपने हिस्से के उपयोग के

नि

लिए निर्मित की जाने वाली नहर प्रणालियों की लागत शामिल नहीं है। मार्च, 1979 तक लगभग 8.5 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे। इस बांध के कार्य के 6 वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : यह बांध न केवल मध्य प्रदेश के लिए अपितु उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने रखा है उससे पता नहीं चलता है कि वास्तव में बांध का कार्य कुछ चल रहा है। जो टेंडर काल किए गए थे वे भी जहां तक मुझे मालूम है अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुए हैं। जिस प्रकार से कार्य चलना चाहिये नहीं चल रहा है। क्या यह सही है कि केवल प्रारम्भिक भवन वर्कशाप जैसे कुछ कार्य ही चल रहा है? जो टेंडर काल किए गए थे वे क्या स्वीकृत किए जा चुके हैं ताकि इस बांध के कार्य की गति मिल सके और बांध का कार्य तेज़ी से चल सके ? यदि नहीं तो क्या यह सही नहीं है कि केवल प्रारम्भिक कार्य ही चल रहा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसका फाउंडेशन स्टोन 14 मई 78 को प्रधान मंत्री ने रखा था। उसके बाद काफी काम उस पर शुरू हुआ है। काम ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हो कि एक दम से डैम बनना शुरू हो जाता है। इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। उसके लिए वहां पर एक्सैस रोड्ज़ बन रही है, कालोनी बिल्डिंग बन रही हैं, इलैक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का प्राविज़न हो रहा है, वर्कशाप तैयार हो रही है। डाइवर्शन के लिए काम शुरू हुआ है। फाउंडेशन का काम भी थोड़े समय में शुरू हो जाएगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : टेंडर्ज़ काल किए थे वे क्या फाइनलाइज़ हो गए हैं यह नहीं बताया गया है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : टेंडर हम काल नहीं करते हैं। वहां काम करने वाला जो चीफ इजीनियर है वह करता है। अगर माननीय सदस्य वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूंगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : अभी बताया गया है कि एलाइनमेंट में सामान्य परिवर्तन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना परिवर्तन हुआ है और क्या उस परिवर्तन के कारण यह सारा कार्य रुका हुआ है ? यदि हां तो क्या उसको आप जल्दी से जल्दी तय करेंगे ताकि कार्य प्रारम्भ हो सके ? इससे दो-तीन राज्यों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ये राज्य बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहें हैं कि यह कार्य जल्दी से जल्दी सम्पन्न हो। इस विलम्ब को बचाने के लिए क्या आप जल्दी कार्य को प्रारम्भ करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : एलाइनमेंट में बहुत मामूली फर्क है। उसकी बजह से कोई काम नहीं रुका हुआ है। जैसे मैंने अर्ज किया है, काम तो शुरू है। साढ़े आठ करोड़ खर्च भी हो चुके हैं। अगले साल दस करोड़ खर्च होने जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तेजी से काम शुरू हो जाए।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : इससे मध्य प्रदेश यू० पी० और बिहार इन तीन प्रान्तों को सिचाई की सुविधाएं मिलने वाली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने-कितने हैक्टर अलग-अलग प्रान्तों में सिंचाई का अनुमान लगाया गया है और कितने मैगावाट बिजली तैयार होगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मध्य प्रदेश में तकरीबन 2 लाख 49 हजार हैक्टर रकबा सिंचाई में आएगा, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1.6 लाख हैक्टर और बिहार में भी तकरीबन 1 लाख के ऊपर रकबा सिंचाई में आएगा। एश्योर्ड इरिगेशन उनको मिलेगी ऐसा अनुमान है। प्रोडक्शन पहले 244 मैगावाट का होगा। जब पूरा इरिगेशन शुरू हो जाएगा तो यह कुछ थोड़ा कम हो जाएगा, 147 मैगावाट प्रोडक्शन बिजली का हो जाएगा।

श्री विनायक प्रसाद यादव : मंत्री महोदय ने बताया है कि अब तक आठ करोड़ खर्च हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष में दस करोड़ खर्च होने जा रहा है। जब तीन-तीन राज्यों के किसान इससे लाभान्वित होंगे तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो खर्च हुआ है वह किस पर हुआ है, एक्चुअली बांध पर कितना खर्च हुआ है और स्टाफ आदि पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बांध बनना कुछ देर के बाद शुरू होता है। पहले इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। साढ़े आठ करोड़ की डिटेल्ज़ मैं दे देता हूं। वहां बांध के नीचे महज़ जो ज़मीन आएगी उस पर दस लाख रुपया खर्च हुआ है, वहां जो कालोनी बन रही है उस में 35.6 लाख———

अध्यक्ष महोदय : क्या यह लम्बी सूची है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह काफी लम्बी सूची है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

गेहूं के भन्डारण की सुविधायें

* 726, **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी मानसून के दौरान खाद्यान्नों को होने वाली हानि से बचाने के लिये सरकार के पास इस समय गेहूं के भण्डारण की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम की अपनी और किराये की कुल भण्डारण सुविधाएं निगम के पास जितना स्टाक पड़ा है इसके लिए पर्याप्त है। तथापि, वसूली, संचलन और

नि संचयन स्थलों से कुछेक क्षेत्रों में कुछ अन्तर दिखाई देते हैं। इस स्थिति को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

(ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हालांकि भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का भण्डारण करने के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध है, लेकिन खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए क्षमता पर भार की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पग उठाए गए है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

(क) विश्व बैंक की सहायता से 35.75 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा कार्यान्वित करने हेतु एक परियोजना शुरू की गई है। इस पर पहले ही काम शुरू किया जा चुका है और आशा है कि यह 1981-82 तक पूरी हो जाएगी।

(ख) आशा है कि विश्व बैंक की परियोजना के अधीन पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों में वर्तमान वर्ष के दौरान एक लाख मी० टन की क्षमता पूरी की जाएगी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने गैर-सरकारी पार्टियों से 40.4 लाख मी० टन की क्षमता प्राप्त की है ; यह क्षमता खाद्य निगम की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अपनी भूमि पर गोदामों का निर्माण कर भारतीय खाद्य निगम को 3-5 वर्षों की अवधि के लिए गारंटीबद्ध अधिकारिता के आधार पर देने के लिए गैर सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहित करने से संबंधित कृषि पुनर्वित्त विकास निगम की सहायता प्राप्त योजना के अधीन प्राप्त की गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के राज्यों में भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने से सम्बन्धित इस कार्यक्रम के अगले चरण, कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(घ) स्टैकों की ऊंचाई को बढ़ाकर वर्तमान भण्डारण क्षमता का अनुकूलतम इस्तेमाल करने की दिशा में सभी प्रयत्न किए जा रहे है।

(ङ) व्यस्ततम वसूली अवधि के दौरान कवर प्लिथ किस्म के भण्डारों का इस्तेमाल करना।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों के अनुभव के आधार पर मान-सून प्रारम्भ हो जाता है तब तक परचैंजिंग सैन्टर्स पर और रेलवे यार्डों पर लाखों टन गल्ला पड़ा सड़ता रहता है। उसके बारे में कोई व्यवस्थित ढंग से सरकार ने ठीक से योजना तैयार की है कि नहीं ? क्योंकि इस बार बम्पर क्रौप पूरे उत्तर भारत में जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, हुई हैं, और इस समय स्थिति कुछ इस प्रकार की बन चुकी है कि जितना अनाज खरीदा जायगा वह सब सरकार के माध्यम से ही खरीदा जायगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए समय पर सारे अनाज को उठाने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जो भी अनाज आयेगा उसको खरीदने की व्यवस्था की जा चुकी है। परन्तु एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जब पीक पीरियड होता है खरीदारी का उस समय कैंप स्टोरेज करना जरूरी है, लाजिमी है, उसके लिये कोई आल्टरनेटिव नहीं है। वह टैम्पोरेरी पीरियड के लिये होता है। हमारे जितने भी हिसाब लगाये जाते हैं उसमें यह बात मानी गई है कि टैम्पोरेरी पीरियड के लिये कैंप स्टौरेज होगा। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर भारत में जहां साइक्लोन इत्यादि नहीं आते हैं वहां कैंप स्टोर में लासेज़ बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। वैसे ही होते हैं जितने कवर्ड रूफ़ के अन्दर होते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं पिछले दिनों सदन में इस बात को कहा कि आज बफ़र स्टाक करने की अत्यन्त आवश्यकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के कई भागों में आज भी गेहूं उपलब्ध नहीं हैं, और यदि उपलब्ध है तो बहुत महंगे भाव पर मिलता है जैसे असम और उससे मिले जुले क्षेत्र में। इसके लिये मंत्री जी क्या भविष्य में कोई व्यवस्था करेंगे ? बफ़र स्टाक्स केवल उत्तर भारत में ही रखे जायेंगे या देश के सभी भागों में रखने की व्यवस्था है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हम तो सभी भागों में रखने की कोशिश करते हैं परन्तु ट्रांसपोर्ट की कठिनाई के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसी इस समय माननीय सदस्य ने असम में बतायी है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि ट्रांसपोर्ट की कठिनाई के कारण हमें काफ़ी दिक्कत होती है आज भी देश में हजारों मंडियां इस प्रकार की हैं जहां यातायात की काफी कमी होने के कारण अनाज गोदामों में न रखने के कारण, समय पर बौरे न मिलने के कारग बड़ी मात्रा में अनाज पानी में भीग कर खराब हो जाता है। आपने कहा है कि हम काफ़ी गोदाम बनाना चाहते हैं तो क्या आप व्यवस्था करेंगे कि जो गोदाम बनाने जा रहे हैं ताकि अनाज सुरक्षित रहे,ऐसी कोई भी मंडी खाली न रहे देश में जहां गोदाम न न हों, इस ढंग का प्रयास करेंगे जो छोटी मंडियां हैं उनको भी इसका लाभ मिले इस बात की आप व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो इस समय जो गोदाम बनाने के लिये दिये जा रहे हैं क्या इसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को भी गोदाम बनाने की अनुमति दी जायगी ? जो गोदाम बन रहे हैं अक्सर यह देखा गया है कि कृषि मंत्रालय के बाबुओं के रिश्तेदारों द्वारा ही उनको बनाया जाता है, क्या यह बात भी सही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : गोदाम नये और भी बनाये जा रहे हैं, गोदाम मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रख कर बनाये जा रहे हैं कि वहां अधिक सरप्लस खाद्यान्न मिलेंगे। इस हिसाब से नहीं कि सारे देश में बराबर फैला दिये जायें। जहां उनकी अधिक आवश्यकता है वहीं बनवाये जा रहे हैं।

डा० रामजी सिंह : कृषि मंत्री जी को क्या यह मालूम है कि खाद्यान्न में जो यह सरप्लस की ग़ज है वह धीरे धीरे खत्म हो रही है और 1981 में शायद एक बड़े सूखे का सामना

करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में भंडारन की समस्या और गहरी हो रही है। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस आपात की संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिक से अधिक भंडारन करने के लिये कौन सी योजना बनायी है ? और अभी जो भंडारण में लीकेज हो रही है, वह कितने परसैंट हो रही है और अगले दो वर्षों में आप उस लीकेज को कितना कम कर सकेंगे, इसके विषय में बतायें ?

श्री भानु प्रताप सिंह : गोदाम तो बनवाये जा रहे हैं, परन्तु मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं कि सन् 1981 में अकाल पड़ने वाला है। इसका कोई प्रमाण नहीं है और न कोई आधार है। फोरकास्ट गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसको आधार नहीं माना जा सकता है।

महानगरों में प्रदूषण

*727. **श्री के० प्रधानी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सहित किन महानगरों में जल तथा वायु के प्रदूषण से ज्यादा से ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) क्या कैंसर के 90 प्रतिशत मामलों के लिए पर्यावरण संबंधी कारण उत्तरदायी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार का विचार इसे रोकने के लिए क्या उपाय करने का है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री राम किंकर : (क) (ख) (ग) :— एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

संख्या 227 के विवरण

(क) महा नगरों में अलग अलग मात्रा, में जल और वायु प्रदूषण के बढ़ने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

(ख) परीक्षणों से यह पता चला है कि कैंसर का अधिकांश अनुपात व्यक्ति विशेष के वैयक्तिक पर्यावरण तथा कार्य और अवकाश के दौरान उसके ईर्द-गिर्द के पर्यावरण से संबंधित है देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिशतता 50 से 80 तक भिन्न-भिन्न होगी।

(ग) पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम की ओर प्रथम कार्रवाई के रूप में, जल प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण), अधिनियम, 1974 बनाया गया था। जल-प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए इस अधिनियम के अधीन देश के विभिन्न राज्यों में जल-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने वायु प्रदूषण (निवारण और

नियंत्रण) विधेयक, 1978 भी संसद में पेश कर दिया है और इस विधेयक पर इस समय दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जहाँ तक पर्यावरणीय तत्वों द्वारा कैंसर उत्पन्न करने का संबंध है देश के विभिन्न भागों में मरक—विज्ञान संबंधी विभिन्न परीक्षण आरंभ किए गए हैं । विभिन्न पदार्थों के प्रयोग के खतरों के बारे में संबंधित प्राधिकरणों को सूचित कर दिया गया है ताकि कैंसर के प्राथमिक निवारण के लिए उपयुक्त उपाय किये जा सकें ।

श्री के० प्रधानी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सहित सभी राज्यों ने जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन किया है और यदि हां, तो जल प्रदूषण रोकने के लिए उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जिन कारणों से जल दूषित होता है, वे औद्योगिक मल निस्राव और घरेलू मल है । वे व्यवहारत: प्रत्येक राज्य में होते हैं । जो कार्यवाही हमने की है, वह यह है कि हमने वर्ष 1974 के दौरान जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया है, और दिसम्बर 1977 के दौरान, हमने उप-कर अधिनियम भी पारित किया है जिससे उन बोर्डों को पर्याप्त धन प्राप्त हो सके, जो इन समस्याओं को देख रहें हैं । अभी हाल में वायु प्रदूषण के बारे में भी, एक नया विधेयक पुन:स्थापित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या सभी राज्यों ने बोर्डों का गठन किया है ?

श्री सिकन्दर बख्त : अधिकांश राज्यों ने बोर्डों का गठन कर लिया है ।

बाकी राज्यों से भी ऐसा अधिनियम पारित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है । केवल तीन ही राज्य बाकी रहते हैं और अन्य राज्यों की तरह उनसे भी कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पूछा था कि क्या उड़ीसा ने बोर्ड का गठन किया है ।

श्री सिकन्दर बख्त : जी, नहीं । उड़ीसा ने अभी तक बोर्ड का गठन नहीं किया है ।

श्री के० प्रधानी : अपने उत्तर में, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि :

"विभिन्न पदार्थों के प्रयोग के खतरों के बारे में संबंधित प्राधिकरणों को सूचित कर दिया गया है ताकि कैंसर के प्राथमिक निवारण के लिए उपयुक्त उपाय किये जा सकें ।"
वे खतरनाक पदार्थ कौन से हैं और जल प्रदूषण विधेयक पारित करने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह समझा जाता है कि सूक्ष्य और दीर्घ पर्यावरण कारणों की वजह से कैंसर होता है । सूक्ष्य पर्यावरण कारण वे होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के शरीर के अन्दर हैं । इसके लिए जो कारण उत्तरदायी हैं, वे इस प्रकार हैं :—

कशमीर में काँगड़ी के उपयोग से जिससे पेट की चमड़ी में कैंसर हो जाता हैं। तम्बाकू और पान की तम्बाकू के चबाने से बहुत से मामलों में मुंह का कैंसर हो जाता है।

ऐसे खाद्य तेलों का उपयोग करने वाली खाद्य आदतें, जिनके परिष्करण के दौरान खतरनाक अपमिश्रकों जैसे विलायक अपशेष या आर्गीमोन जैसे दुर्घटनाजन्य अपमिश्रक मिला दिए जाते हैं।

अलकोहल युक्त पेयों का अत्यधिक उपयोग, सिगरेट द्वारा धूम्रपान और धूप में बहुत रहने से चमड़ी का कैंसर हो सकता हैं।

अन्य बहुत सी बातें हैं जैसे..................

अध्यक्ष महोदय : पर्यावरण सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : तकनीकी भाषा में, मैंने यह कहा : "सूक्ष्म और दीर्घ पर्यावरण कारण" दीर्घ पर्यावरण के कारण वे हैं, जिनका आपने उल्लेख किया है। जबकि वायु प्रदूषण उद्योगों से निकालने वाले गैसीय और भिन्नकण संघटित पदार्थों के विसर्जन और मोटर वाहनों से धूएं के निकलने के कारण होता है, जल प्रदूषण औद्योगिक मल निस्राव और घरेलू सीवर के कारण होता है।

श्री आर० के० महात्यागी : मैं मन्त्री महोदय से देश के विभिन्न भागों में उन केन्द्रों के बारे में जानना चाहता हूं कि जहाँ महामारी-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन इस समय किया जा रहा है ?

श्री सिकन्दर बख्त : इसे श्रेणी बद्ध किया गया है।

वर्ष 1977-78 के दौरान राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर शाखा द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे नगरों में सल्फर आफ आक्साइड का सर्वाधिक स्तर है। इसके अलाका भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने यह जानकारी दी है कि कैंसर का बहुत बड़ा अनुपात सूक्ष्य और दीर्घ पर्यावरण कारणों से सम्बन्धित है। अब यह बहुत ही सामान्य किस्म की बात है। परन्तु तथ्य यह है कि कैंसर के बहुत बड़ी संख्या में अल्प प्रभाव के परिणामों के बारे में बहुत कम जानकारी है जैसा कि पर्यावरण प्रदूषण से सम्बद्ध कैंसर के खतरे से पता चलता है। फिर एक पदार्थ है, जिसे पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट (पी0 ए0 एन0) कहा जाता है और कुछ बैंजीन योगिकों को अगर भारी मात्रा में सूंघ लिया जाए, तो उनसे कैंसर हो सकता है। बैंज पाइरीन को अब एक ऐसा संकेतक रसायन समझा जाता है कि जिसकी एक निर्धारित सघनता के ऊपर की वायु में उपस्थिति कैंसर का खतरा माना जाता है। बैंज पाइरीन की सघनता की प्रक्रियाबद्ध नहीं की जा सकती ....

अध्यक्ष महोदय : सभी परिकल्पनात्मक प्रश्न.....................

श्री आर० के० महात्यागी : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री सिकन्दर बख्त : राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने केवल सल्फर डाइ-आक्साइड के स्तरों का अध्ययन किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्रीमान्, हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा और दामोदर—दो नदियां बहती है और इन दोनों नदियों के दोनों किनारों पर औद्योगिक बस्तियां हैं। इसलिए इन दोनों नदियों का जल दूषित हो जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल की इन दोनों नदियों के जल को प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : श्रीमान्, इन दोनों नदियों में जल प्रदूषण के कार्य की राज्य बोर्ड स्वयं देखभाल कर रहा है।

गोदामों की कमी के कारण मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों की वसूली में कमी

***731 श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में गोदामों की कमी के कारण धान तथा खाद्यान्नों की वसूली कम कर दी है।

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को कितना घाटा हो रहा है; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :—(क) :— उत्पादकों द्वारा लाए गए और निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाए गए धान के समूचे स्टाक को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। लेवी के रूप में मिल मालकों से मिलने वाले चावल की पूरी मात्रा भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई जा रही है। इसके अलावा, चावल मिल मालकों द्वारा स्वेच्छा से अपनी देय लेवी की मात्रा से अधिक मात्रा की, की गई पेशकश को भी स्वीकार किया जा रहा है बशर्ते कि उसके लिए गोदाम उपलब्ध हों। 11 अप्रैल 1979 को राज्य में धान की कुल वसूली 8, 160 मीटरीक टन हुई थी जबकि पिछले खरीफ विपणन मौसम 1977-78 की तदनुरूपी अवधि में केवल मात्र 431 मीटरीक टन वसूली हुई थी। इस वर्ष 2, 44, 694 मीटरीक टन चावल की वसूली की गई जबकि पिछले विपणन मौसम की तदनुरूपी अवधि में 1,59,379 मीटरीक टन की वसूली हुई थी।

(ख) और (ग) :—प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया हैं, उससे संतोष तो है। पंजाब, हरियाणा और यू० पी० में किसानों से धान लिया जाता है और मिल-मालकों से

चावल के रूप में लेवी ली जाती है। मध्य प्रदेश में मिल वाले—चावल बेचने वाले लोग किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं देते हैं। वहां गोडाउन्ज की कमी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर भारतीय खाद्य निगम ने कितना धान खरीदा है। चावल की तुलना में धान की खरीद कम है। इसलिए किसानों की तरफ से बार बार चिल्लाहट मची रहती है। मेरे जिले में धान 60, 65 या 66 रुपये प्रति-क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाता है और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मंडी में रहने के बावजूद सपोर्ट प्राइस नहीं दिला पाते है।

श्री भानु प्रताप सिंह : धान कितना खरीदा गया है यह तो मेरे उत्तर में है। रहा यह कि अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो जिस समय खरीदारी का मौसम हो उस समय अगर माननीय सदस्य बताएंगे तो उस का उचित प्रबन्ध किया जाएगा।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : जिस समय यह धान खरीदा जा रहा था, उस समय भी मैंने आप के मंत्रालय को लिखकर के इस की याद दिलाई थी, उस के बाद भी मेरे किसान सारे लूट गए। अब एक साल के लिए और लम्बी पेशी माननीय मंत्री जी ने मांग ली है। मैंने उनको यांद दिलाई है और उनको चिट्ठी लिखी है। अगर वह कहें तो उनके कार्यालय में वह पहुंचा दूं; मेरे किसानों को लाभ नहीं पहुंचा है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने चिट्ठी प्राप्त होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार से जाँच की थी। उन्होंने कहा कि जो सपोर्ट प्राइस पैडी की है उससे ज्यादा किसानों को मिल रहा है इसलिए वह क्रय-केंद्रों पर आ नहीं रहें हैं।

चौधरी बलबीर सिंह : क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि जिन किसानों के पास से धान लेना है और स्टोरेज की कमी की वजह से सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो उन किसानों के ही घर में वह चीज रखी जाय और जितने महीने वह वहां रहे उसका किराया किसान को दिया जाय, इससे एक तरफ तो आपके स्टोरेज की समस्या हल हो जाएगी और दूसरी तरफ धान या अनाज जो भी है वह महफूज रहेगा, क्या सरकार इस किस्म की स्कीम बनाएगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : स्टोरेज की कमी से खरीदारी रोकी नहीं जाती है परन्तु फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री पीयूष टिर्की : हमारे देश में खाद्यान्न की बहुतायत है और सरकार को उसे गोदाम में रखने में सब जगह असुविधा महसूस हो रही है, तो क्या सरकार के सामने ऐसा प्रोपोजल है कि जो लैंडलेस लेबर और गरीब लोग है उनको क्रेडिट पर यह अनाज बेचा जाय, कोई ऐसा प्रोपोजल सरकार के पास है कि जिसके द्वारा वे क्रेडिट पर अनाज ले लें और उनसे काम करा कर उसे अदा करा लिया जाय............

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। यह भण्डारण सुविधाओं के बारे में है, आप बिक्री के बारे में बात कर रहें हैं ।

श्री पीयूष टिर्की : अध्यक्ष महोदय, अपने यहाँ अनाज की बहुतायत है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वह क्रेडिट पर यदि दे दिया जाय..... ....(व्यवधान)............

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, लेकिन यह सप्लीमेंट्री इससे नहीं उठता।

श्री राघव जी : माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है । प्रश्न धान और खाद्यान्न दोनों के बारे में है लेकिन उन्होंने उत्तर सिर्फ धान के बारे में दिया है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गेहूं मंडियों में मार्च महीने से आना प्रारम्भ हो चुका है। मार्च से लेकर अभी तक फूड कारपोरेशन आफ इंडिया या सरकारी एजेंसी कोई भी, मंडियों में पहुंची नहीं हैं बहुत सा गेहूं 110 रुपये से भी कम भाव में बिक रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि मार्च और अप्रेल में सरकार की कौन सी एजेंसी मंडियों में जाती है ? यदि नहीं जाती है तो क्यों नहीं जाती है और जिनका माल 115 रुपये से कम में बिक रहा है क्या उनको शेष पैसा सरकार देने का कष्ट करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हमारी जानकारी यह है कि चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे पहले और बहुत अच्छे किस्म का गेहूं पैदा होता है इसलिए उसकी कीमत सपोर्ट प्राइस से ज्यादा मिलती है ....(व्यवधान).........................

श्री राघव जी : 115 रुपये से कम में बिका है ....

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी जानकारी पर निर्भर करता है, आपकी जानकारी पर नहीं।

श्री भानु प्रताप सिंह : अभी तक अगर कहीं 115 रुपये से कम भाव हो तो उसकी सूचना आप दें, मैं उनसे इंतजाम कराऊंगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं यह मान लूं कि मध्य प्रदेश में सारा फालतू अनाज भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना यह है कि इसकी खरीद नहीं की गई है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं यह मान लूं कि मध्य प्रदेश में सारा फालतू अनाज भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद लिया गया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जितना भी बिकने को बाजार में आया, वह सब खरीद लिया गया है।

राजस्थान के लिए ग्रामीण जल सप्लाई योजना

*734. **श्री दौलत राम सारण** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं किस आधार पर बनाई जाती हैं;

(ख) पेय जल की कमी से प्रभावित गांवों में पानी की व्यवस्था करने के लिए जल सप्लाई योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या फार्मूला अपनाती है, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किस अनुपात में राशि लगाई जाती है और इस प्रयोजन के लिए इस वर्ष राजस्थान सरकार को कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या पेय जल की कमी से प्रभावित गांवों में पेयजल मनुष्यों तथा जानवरों दोनों के उपयोग के लिए जरूरी है परन्तु ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधाएं केवल मनुष्यों के लिए दी जाती हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार बनाई गई योजनाओं से गांवों की पेय जल की आवश्यकता पूरी तरह पूरी नहीं हो पाती हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) (क) से (घ) तक :- एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

734 के विवरण

(क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित डिजाइन के मानकों के अनुसार 1972 के सर्वेक्षण में चुने गये "समस्या-ग्रस्त ग्रामों" को स्वच्छ पेय जल सप्लाई करने के लिए योजनाएं बनायें ।

(ख) जलपूर्ति राज्य का विषय है । भारत सरकार द्वारा राज्यों को जलपूर्ति योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, प्रत्येक राज्य के समस्या ग्रस्त ग्रामों में अभी लागू किए जाने पर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी योजना से किये गये प्रावधानों और योजनाओं आदि के कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों की क्षमता पर आधारित है । त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य प्लानों के नियतनों में बढ़ौतरी करने के लिए 1972 के सर्वेक्षण में चयन किये गये समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शतप्रतिशत अनुदान दिया जाता है । 1979-80 के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दिए जाने वाले नियतन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) राज्यों के साधनों को बढ़ाने और समस्याग्रस्त ग्रामों की जनसंख्या के लिए पेय जलपूर्ति योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिये जाते हैं । यह सिफारिश की गई है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं 10-15 वर्ष की अवधि के अन्त तक प्रत्याशित भावी जनसंख्या के लिए बनाई जानी चाहिए लेकिन वृद्धि किसी हालत में भी मौजूदा जनसंख्या के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(घ) आशा है कि केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं में 25 से 40 लिटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेयजल सप्लाई की सिफारिश की गई थी जिससे पीने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जल की पर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी ।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सदन की मेज पर जो उत्तर रखा है उसमें, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, उनका कोई उत्तर नहीं है मैंने पहले पूछा है कि योजनायें किस आधार पर बनाई जाती हैं लेकिन कोई आधार नहीं बताया गया है, केवल यह कह दिया गया है कि 1972 में जो समस्याग्रस्त गांव चुने गए थे उनके सम्बन्ध में राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा बताए गए मानकों के अनुसार योजनायें बनायें। मैंने मानक ही तो पूछे थे लेकिन वह आपने नहीं बताए।

दूसरी बात यह है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और दूसरी बातें जो हैं जलपूर्ति के लिए वह आपने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। मैंने यह जानना चाहा था कि भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर किस प्रकार योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं लेकिन उसका भी मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, केवल त्वरित जलपूर्ति के लिए आपने शत्प्रतिशत अनुदान देने की बात कही है। इस प्रकार से पूरा उत्तर नहीं दिया गया हैं। इसी प्रकार से जलपूर्ति के सम्बन्ध में मैंने पानी के अभाव की शिकायत की थी, पशुओं और मनुष्यों, दोनों को ध्यान में रखकर जलपूर्ति की योजनायें नहीं बनाई जाती, उसका भी उत्तर नहीं दिया गया है। केवल यह कह दिया है कि 10-15 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर 30 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का अनुमान न किया जाये लेकिन इसमें मनुष्यों को काउन्ट किया जाता है, पशुओं को काउन्ट नहीं किया जाता है जब एक आदमी के पीछे 2-4 पशु होते हैं और 5-10 भेड़ें होती हैं। वहां पर पानी की भयंकर समस्या हैं, पशु और मनुष्य प्यासे मर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी योजनाओं के मानक क्या हैं जिनके आधार पर योजनायें बनाई जाती है। यदि उसी के आधार पर आपकी योजनायें बनाई गई हैं तो फिर गांवों में पर्याप्त मात्रा में जल-पूर्ति क्यों नहीं होती है? क्या सरकार को जानकारी है कि गांवों में आज भी पानी की भयंकर समस्या है? लाखों रुपए खर्च हो चुकने के बाद भी मनुष्य और पशु मर रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : आखरी सवाल का जवाब मैं पहले पेश करना चाहता हूं। "सी" में कहा गया है कि जो पीने के पानी की योजनायें बनाई गई हैं वह केवल ह्यूमन पापुलेशन के लिए है। इससे साफ जाहिर है कि पशुओं के लिए नहीं बनाई गई है। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां यह कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेन्टस और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के दर्म्यान क्या वास्ता है, जो सौ फीसदी मदद का जिक्र है वह सिर्फ एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई के मातहत है जो सेन्ट्रल सेक्टर में है। मिनिमम नीड्स के मातहत जो रुपया दिया जाता है वह स्टेट्स बराहरास्त, पाती है। सेन्ट्रल सेक्टर में भी मंजूरी स्टेट्स की स्कीम्स सबमिट करने पर मिलती है।

जहां तक मानक की बात है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि केवल ह्यूमन पापुलेशन के लिए पानी देते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर पापुलेशत का भी जिक्र कर दिया गया है, मानक उन्होंने पूछा था तो 10-15 साल सामने रखते हुए मौजुदा आबादी से 30 फीसदी से ज्यादा न हो, इसको सामने रखकर दिया जाता है। चौथी बात यह है कि मैक्सिमम तौर पर

इंडिवीजुअल के लिए 40 लिटर पर-डे का टार्गेट है । इसके अलावा स्टैण्ड-पोस्ट पर हम पानी पहुंचाते हैं, इंडिवीजुअल गांवों में नहीं पहुंचाते हैं । पानी की समस्या है इसमें कोई शक नहीं है । हमारे देश में 1 लाख 13 हजार गांव ऐसे हैं जिनको प्राब्लम विलेज माना है जहां पर पानी एक मील की हद में पीने के लिए इन्सानों को नहीं मिलता । **(व्यवधान)** 1 लाख 53 हजार कुल तादाद थी जिनमें से 1977 में 1 लाख 13 हजार रह गए थे । पिछले साल 1977-78 में करीब 12 हजार गांव कवर कर दिए गए हैं और जो अभी साल खत्म हुआ है, 1978-79 उसमें भी अन्दाजा है 18 हजार गांव कवर हुए होंगे लेकिन अभी स्टेट्स से फीगर्स नहीं आई है । पशुओं की समस्या तो अलाहदा है, इन्सानों तक को पानी नहीं मिल रहा है । हमारी कोशिश है कि जो प्राब्लम विलेजेज् हैं उनको जल्दी से जल्दी पानी मिले । जो गवर्नमेन्ट ने एलोकेशन किया है वह भी मैं बताना चाहता हूं । 1975-76 में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के मातहत 60 करोड़ का एलोकेशन था और 1976-77 में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के मातहत 61.5 करोड़ का एलोकेशन था ।

लेकिन 1977-78 में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और एक्सीलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम-दोनों को मिलाकर 118 करोड़ हो गया, जो साल अभी खत्म हुआ है उस में दोनों को मिलाकर 166 करोड़ हो गया और चालू वर्ष के लिए 220 करोड़ रखा गया है । इस लिये हम समस्या से बाखबर हैं ।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर फिर भी गायब है । मेरी शिकायत यह है कि जो योजनायें राजस्थान में जल-पूर्ति के लिये बनाई गई हैं उन योजनाओं द्वारा पर्याप्त पानी ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं है और ग्रामीणों में केवल गांव में रहने वाला आदमी ही नहीं होता है, बल्कि उनके साथ उनका पशुधन भी होता है । वहां गांव के दस-दस मील तक पीने का पानी नहीं है । वहां पर जो पानी उपलब्ध भी है, वह ज़हरीला है, जिसको पीते ही पशु मर जाते हैं । आप की इन जल योजनाओं में पशुओं के पीने के पानी का ध्यान नहीं रखा गया है, इस समय वहां गांव-गांव में त्राहि-त्राहि मची हुई है, आपके लाखों रुपये खर्च हो गये, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इन पशुओं और आदमियों के पीने के पानी के लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने पहली दफा बड़ी सफाई के साथ अर्ज किया था कि जो योजनाएं हम ने हाथ में ली हैं, इन योजनाओं से केवल इन्सानों के लिये पानी मुहैया करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री बेगाराम चौहान : अध्यक्ष जी, राजस्थान में राजस्थान-कैनाल के नाम से वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर गांव-गांव में डिग्गियां बना रहे हैं, जब कि उस गांव के चारों तरफ पानी है, लेकिन जहां पानी नहीं है, वहां पानी पहुंचाने के लिये कुछ नहीं हो रहा है । अरबों रुपया लग रहा है, फिर भी अरबों प्राणी प्यास से मर रहे हैं । इसलिये जहां कैनाल बनी है, वहां वाटर-वर्क्स न बना कर उन गांवों में बनाया जाय जहां पर लोग प्यास से मर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : राजस्थान नहर उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आती । इसलिए, इस का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उग्र सेन : मन्त्री जी ने अपने उत्तर में अभी बतलाया कि राज्यों को मानक नहीं दिये गये हैं, उन को अभी उद्देश्य और कार्यक्रम नहीं बताये गये हैं । देश के उत्तर और दक्षिण-दोनों तरफ़ बाढ़ें आती हैं, जिन के कारण चार-पांच महीने तक बहुत बड़े भूखण्ड में बाढ़ का पानी भरा रहता है और लोगों को गन्दा पानी मिलता है । क्या मन्त्री जी अपने मानक में एक शर्त यह भी जोड़ देंगे कि जब पेय-जल की योजना चालू हो तो उस में बाढ़-क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री सिकन्दर बख्त : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मूल-सवाल में से पैदा नहीं होता है, लेकिन इसकी जो भूमिका है मैं उस के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने यह दुरुस्त नहीं फरमाया है कि स्टेट्स को मानक नहीं दिये गये हैं । मैंने कहा है कि मानक दे दिये गये हैं और 1977-78 की खबर भी उनसे आ गई है । 1978-79 में क्या काम हुआ है इसके बारे में इन्फर्मेशन क्लैक्ट की जा रही है ।

श्री उग्र सेन : हमने सवाल यह किया था कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे या नहीं ? यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव कार्यवाही के लिए है ।

श्री सिकन्दर बख्त : हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और सभी 1,13,000 गांवों को इस लक्ष्य के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा ।

भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को राजसहायता

*735. **श्री सूरज भान** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बुक ट्रस्ट केवल अंग्रेजी की पुस्तकों के लिए राज-सहायता देता है राष्ट्र भाषा हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के लिए नहीं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से चल रहा है और अंग्रेजी की पुस्तकों के लिए सहायता अथवा राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) राजसहायता के लिए हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को शामिल करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द) : (क) जी हां ।

(ख) "अंग्रेजी को विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सहायता प्राप्त प्रकाशन" की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों के

लिए अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 1970 से सहायता प्रदान करता आ रहा है। विभिन्न विषयों क्षेत्रों की पुस्तकों को सहायता पर फरवरी, 1979 के अन्त तक 67,62,824.51 रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ग) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, अपने राज्य में अपने देश की किसी भाषा को और राष्ट्रभाषा को एक नया पैसा भी नहीं दिया गया। तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़ीया, इन को एक नया पैसा भी नहीं दिया गया और एक विदेशी भाषा को लगभग 68 लाख रुपये अनुदान दिया गया। यह स्कीम 1970 में शुरू हुई जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री थी, उनके जमाने में भी क्वीन विक्टोरिया को, अंग्रेजी को, इम्पोर्टेन्स दी गई और खुद श्रीमती इन्दिरा गांधी को कोई इम्पोर्टेन्स नहीं दी गई। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि यह "अन्डर कंसिड्रेशन" है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह 1970 से "अन्डर कंसिड्रेशन" है या मेरे सवाल पहुंचने के बाद इसको कंसिडर किया गया है और तब से यह "अन्डर कंसिड्रेशन" है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्रीमान्, हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, एक पृथक केन्द्रीय योजना है और राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड और हिन्दी ग्रन्थ अकादमियां केन्द्रीय योजना को क्रियान्वित कर रही हैं। जिसके अधीन हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। लगभग 4800 पुस्तकों का पहले ही प्रकाशन किया जा चुका है, जिनमें से 825 अनुवाद है और बाकी मूल पुस्तकें हैं : अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करने का उद्देश्य अंग्रेजी के भारतीय लेखकों और भारतीय प्रकाशकों को संरक्षण प्रदान करना है। इसलिए यह पृथक योजना है और हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिए पृथक योजना है। इसके बावजूद राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अपनी वर्तमान योजना में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, जिससे हिन्दी प्रकाशनों को भी सहायता दी जा सके।

श्री सूरज भान : मेरा सवाल केवल नई किताबें छापने वालों के बारे में था और ट्रान्स-लेशन के बारे में मन्त्री महोदय ने ठीक जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं। उन्होंने जवाब में यह लिखा है कि यूनिवर्सिटी लेविल पर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनके लिए ग्रान्ट्स दी जा रही हैं। पहला मेरा एतराज यह है कि यह अंग्रेजी में ही क्यों ? दूसरा मेरा एतराज यह है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लेविल की बुक्स पर ही क्यों यह अनुदान दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी लेविल पर तो अमीर आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं या दरमियाना तब्के के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन गरीब आदमी के बच्चे तो हाई स्कूल तक भी नहीं पहुंचते और प्राइमरी स्कूलों से ही पीछे हट जाते हैं। क्या गरीब आदमी के बच्चों के लिए भी प्राइमरी और हाई स्कूलों की किताबों के लिए इस किस्म का अनुदान मंत्री जी देगें, देसी भाषाओं में और रीजनल लैंगुएजेज में सभी भाषाओं की किताबों के लिए यह अनुदान देगें, इसका जवाब में मंत्री जी से चाहता हूं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्रीमान्, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों पर सामान्यतः राज्य सरकारों का नियन्त्रण रहता है। उनकी अपनी पाठ्य पुस्तकें तैयार होती हैं और उस स्तर की शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय स्तर की इन योजनाओं के बारे में विचार किया जा रहा है। परन्तु अब डिप्लोमा स्तर की शिक्षा की पुस्तकों को भी योजना के अधीन लाने का प्रस्ताव है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : यह जो मंत्री जी ने कहा है कि हिन्दी में, पंजाबी में और तमिल में ट्रान्सलेशन करने के लिए एक-एक करोड़ रुपया रखा गया था, उस का सब्सीडाइज्ड स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है। यह जो सब्सीडाइज्ड स्कीम हैं, जिसके अन्दर गवर्नमेंट टैक्स्ट बुक्स के लिए सब्सीडाइज़ करती है, जिस तरह से यह सिर्फ इंगलिश में किया जा रहा है, और किसी रीजनल लेंगुएज में नहीं किया गया। इसका नतीजा यह है कि कुछ रीजनल लैंगुएजेज जिन को मीडियम आफ़ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी में इन्होंने बना रखा है, उन में टैक्स्ट बुक्स छप नहीं सकती और वे बहुत मंहगी होती हैं और काफी दिक्कत उसमें आती है। आपने कहा कि यह "अन्डर कंसिड्रेशन" है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस को गवर्नमेंट कब तक इम्पलीमेंट करा देगी और क्या जो नेक्स्ट सेशन है, उसमें यह शुरू हो जाएगा और जो रीजनल लैंगुएजेज हैं, उनके अन्दर भी टैक्स्टबुक्स सब्सीडाइज कर दी जाएंगीं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्रीमान्, एक करोड़ रुपये की यह योजना, जिसका माननीय मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया, केवल अनुवाद तक ही सीमित नहीं है। यह विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी है। मैं वह आंकड़े पहले ही दे चूका हूं। इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित 4800 पुस्तकों में से, केवल 885 अनुवाद हैं और बाकी पुस्तकें मूल हैं।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या ये राज-सहायता प्राप्त हैं ?

डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह राजसहायता प्राप्त नहीं हैं। इस प्रयोजन के लिए सारा धन केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध किया जाता है। अब अंग्रेजी पुस्तकों की इस योजना के लिए इसलिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य देशों से सस्ती अंग्रेजी पुस्तकें इस देश में आयात की जाती थीं और अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें लिखने वाले भारतीय लेखकों को हानि होती थी। श्रीमान् इस चुनौती का सामना करने के लिए यह योजना लागू की गई थी। यह किस प्रकार की गई थी, इसके मैं एक या दो उदाहरण दे सकता हूं। श्री एस० कामेश्वरम द्वारा लिखित "ई० एन० टी० डिजीज़ेज इन ट्रापिकल इनवाइसमेन्ट" की मूल कीमत 60 रुपये है और रियायती मूल्य 16 रु० है। इसलिए इस प्रकार हम भारतीय लेखकों और छात्रों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : भारतीय प्रादेशिक भाषाओं के बारे में आपका क्या उत्तर है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हम इस पर विचार कर रहे हैं और इस राष्ट्रीय पुस्तक न्यास योजना का हम प्रादेशिक भाषाओं तक भी विस्तार करने का प्रयास करेंगे ।

श्री वयालार रवि : श्रीमान्, अंग्रेजी और भारतीय प्रादेशिक भाषाओं-दोनों के प्रकार की पुस्तकों के अनुवाद के लिए राजसहायता उपयुक्त स्तर की नहीं है, क्योंकि हमें यह पता चला हैं कि हिन्दी भाषा और अन्य किसी प्रादेशिक भाषा की पुस्तकें उपलब्ध ही नहीं हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों के अनुवाद के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और क्या इस प्रयोजन के लिए धनराशि में वृद्धि करने का आपका विचार है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं इस सदन को पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की राजसहायता का सम्बन्ध है, इसका विस्तार अभी तक प्रादेशिक भाषाओं तक नहीं किया गया है । हम इस पर विचार कर रहे हैं और इसके बारे में अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद, मैं यह बता सकने की स्थिति में होऊंगा कि अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध होगी ।

चावल का निर्यात

***740. श्री सुरेंद्र झा 'सुमन'** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मांग से अधिक मात्रा में एकत्रित हुए चावल का अपने भण्डार से निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख):— सार्वजनिक एजेंसियों के पास अनाज की विशेषकर चावल की सुगम स्टाक स्थिति की दृष्टि में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को खतरा पहुंचाए बिना सुगमता से सुलभ की जा सकने वाली चावल की सीमित मात्रा को निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है । ऐसे निर्यात से जितनी विदेशी मुद्रा कमाए जाने की संभावना है यह, वास्तव में निर्यात की गई मात्रा और चल रहे मूल्यों पर निर्भर करेगी और इसका अभी अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन' : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर के 'क' और 'ख' खण्ड के उत्तर में यह कहा है कि 'सार्वजनिक एजेंसियों के पास अनाज की विशेषकर चावल की सुगम स्टाक स्थिति की दृष्टि में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्कताओं को खतरा पहुंचाए बिना सुगमता से सुलभ की जा सकने वाली चावल की सीमित मात्रा को निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है, मैं जानना चाहूंगा कि चावल खाने वालों की संख्या देश में 70 प्रतिशत है और पंजाब, असम, केरल, आन्ध्रप्रदेश, उत्तर बिहार आदि बहुत से

प्रदेश ऐसे हैं जो चावलभोजी हैं, उनकी संख्या को देखते हुए क्या चावल एजेंसियों के पास इतना चावल है जिससे कि वे सुगमता से सीमित मात्रा में विदेशों को चावल भेजने के लिए प्रस्तुत हो सकें ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमान् चावल का भण्डार इस समय लगभग 9 मीलियन टन है और यह स्टाक इतना बड़ा कभी नहीं था। यह हमारे अनुमान के अनुसार है। अब तक जितना पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम का आफ टेक रहा है उस को देखते हुए तीन वर्ष तक के लिए चावल काफी है फूड फार वर्क के काम में भी जो राज्य सरकार चाहें वे पूरा का पूरा फुड ग्रेन चावल की शक्ल में काम में ला सकती हैं।

श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन' : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि सीमित मात्रा में चावल का निर्यात होगा। मैं जानना चाहूंगा कि वह सीमित मात्रा क्या है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि किन-किन देशों को कितनी मात्रा में आप चावल भेजना चाहते हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : अभी तो एक बड़ा सौदा हुआ है जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ है कि तेल के बदले में दो लाख टन चावल भेजा जाएगा। कुछ चावल हमने मारिशस को दिया है। परन्तु राज्य सरकारों को भी यह अनुमति दे दी है कि यदि वे चाहें और ऐसा प्रबंध कर सकें तो तीस हजार टन तक वे निर्यात कर सकती हैं।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : श्रीमान्, क्या मंत्री महोदय सदन को यह जानकारी देंगे कि निर्यात के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है, उसमें से किन किन विशिष्ट किस्मों के चावल का निर्यात किया जाएगा। मैं चावल के समर्थन मूल्य के बारे में चिंतित हूं, जिसे फिर से निर्धारित किया जा रहा है, जिसकी वजह से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए चावल के निर्यात के प्रश्न पर विचार किए जाने से पहले, चावल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। विदेशी आयातकर्ताओं के मन में इस बारे में काफी अनिश्चितता है।

चावल की किन विशिष्ट किस्मों का निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है और समर्थन मूल्य कब निर्धारित किया जाएगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह : चावल की किस्म के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, किसी भी ऐसे संगठन द्वारा, जिसे चावल का निर्यात करने की अनुमति दी गई है, किसी भी किस्म के चावल का निर्यात किया जा सकता है।

प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्यात इस देश के समर्थन मूल्यों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि उसका निर्धारण चावल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों द्वारा किया जाता है।

वह मूल्य देश में वर्तमान मूल्य से निश्चित रूप से अधिक है।

श्री एस० एस० सोमानी : चूंकि आपके पास बहुत अधिक चावल का भण्डार है इसलिए आप कहते हैं कि आप चावल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप देश में उचित मूल्य पर चावल उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे ? आज सुपर बाजार में साढ़े पांच और पौने छः रुपये किलो चावल मिल रहा है और बहुत अच्छी किस्म का भी नहीं है और बाहर तो साढ़े छः और सात रुपये किलो तक मिलता है। क्या आपने प्रयास किया है कि हमारे देश में भी लोगों को चावल ठीक रेट पर मिले ? हमारे देश में लोगों को जिस रेट पर मिलता है उसका अनुपात और बाहर जो आप भेज रहे हैं उस रेट का अनुपात क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम साधारण व्यक्तियों के लिये है इस वास्ते उसके द्वारा बहुत उच्च कोटि का चावल वितरित नहीं होता है। हमारी जो खरीददारी है और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से चावल वितरित होता है वह साधारण किस्म का और साधारण व्यक्तियों के लिये होता है। कोई बहुत अच्छा चावल खाना चाहता है तो उसको वह खुले बाजार से ही लेना पड़ेगा।

श्री एस० एस० सोमानी : एक्सपोर्ट किस भाव पर कर रहे हैं, किस कीमत पर कर रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : कोई कीमत नहीं है। जो अच्छी से अच्छी मिलेगी उस पर किया जाएगा।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि अपनी विभिन्न एजेंसियों—प्राइवेट और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न देशों को आन्ध्रप्रदेश से पर्याप्त मात्रा में चावल का निर्यात करने के लिए उन्हें अनुमति दी जाए और यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्हें कितनी मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी गई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हमने आंध्र-प्रदेश राज्य सरकार को 30,000 टन चावल का निर्यात करने की अनुमति दी है।

हिमाचल प्रदेश में हिमपात के कारण मरे व्यक्ति

*741. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) हिमाचल प्रदेश की लाहौल-स्पीति घाटी में हाल के हिमपात और हिमखण्डों के गिरने के कारण अलग-अलग कितने लोग मरे व जख्मी हुए ;

(ख) नष्ट हुई सम्पत्ति का मूल्य सहित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रभावित हुए व्यक्तियों को 15 मार्च, 1979 के मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद कितनी राशि की राहत दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : **(क) से (ग)** : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना से पता चलता है कि लाहौल-स्पीति घाटी में दबे हुए सूचित 280 व्यक्तियों में से 181 मृत व्यक्ति हैं, 23 व्यक्ति अभी भी लापता हैं और 76 घायलावस्था में बचाये गए हैं—जिनमें से 11 गम्भीर रूप से घायल हैं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार क्षति का अनुमान अभी भी लगाया जा रहा है, क्योंकि सड़क और परिवहन व्यवस्था के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने और इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर मोटी बर्फ की चादर होने के कारण इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार ने शुरू से विभिन्न राहत मदों पर 10.90 लाख रुपयों की कुल राशि व्यय की है, जो कि इस प्रकार है :—

(i) औषधियों की लागत :	2.00 लाख रुपये
(ii) प्रभावित व्यक्तियों को अंतरिम नकद सहायता :	6.35 लाख रुपये
(iii) राहत सामग्री की लागत :	2.55 लाख रुपये
कुल :	10.90 लाख रुपये

राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को, जिसका कोई सदस्य आपदा में मरा हो, 1,000/- रुपये की नकद राहत दी है । जिला और राज्य मुख्यालय में विनाश की सूचना पहुंचते ही राज्य और जिला स्तरों पर प्रशासन को तुरन्त कार्य पर लगा दिया गया । लाहौल, स्पीति में पिन घाटी और चम्बा जिले की भारमौड़ और पांगी घाटी के 30 विभिन्न स्थलों पर राहत सामग्री को हवाई जहाजों द्वारा गिराया गया । राज्य सरकार ने 1,985 किलोग्राम आटा, 1,770 किलोग्राम चावल, 605 किलोग्राम चीनी, 230 किलोग्राम दुग्ध चूर्ण, 148 दर्जन माचिस की डिब्बियों, 185 कम्बलों, 370 कोट, 370 पुलओवर, 20 जर्सियां, 600 बच्चों के कपड़े, 331 जोड़े पजामें 220 मीटर गर्म कपड़ा, 537 शिकारी जूते, कुल्हाड़ियों/बिलचों और बर्तनों, इत्यादि के अतिरिक्त, पर्याप्त मात्रा में औषधियों को प्राप्त करके उन्हें हवाई जहाज द्वारा गिराने का प्रबन्ध भी किया ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने स्टेटमेंट में कहा है कि करीब 484 आदमियों की डैथ हुई है और 76 बचे हैं और 11 घायल हुए हैं । प्रापर्टी के बारे में आपने कहा है कि जांच नहीं हो सकती है । और मरने वालों की जांच हो सकती है तो मेरे ख्याल से प्रापर्टी की भी हो सकती

है । ऐसा नहीं है तो मरने वालों की संख्या भी बहुत कम बताई गई होगी । वास्तव में स्थिति इससे भी भयानक है । बहुत ज्यादा लोग मरे होंगे और प्रापर्टी का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है । स्टेट गर्वनमेंट ने 10 लाख 90 हजार रुपया खर्च किया है । इसके अलावा थोड़ा सा केन्द्र ने किया है । यह एक तरह से मकारी है मेरे ख्याल से । इतना बड़ा डिवास्टेशन है, यह अनपैरेलल्ड डिवास्टेशन है और राज्य सरकार केवल 11 लाख खर्च करती है और बहुत ही थोड़ा केन्द्रीय सरकार करती है । राज्य सरकार ने आपको पत्र लिखा होगा इस सम्बन्ध में और बताया होगा कि वह आपसे क्या क्या मदद चाहती है । मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या क्या मदद उसको दी विशेषतः फाइनेंसिस के बारे में तथा दूसरी चीजों के बारे में, जो चिट्ठी लिखी उसके कंटेंट्स क्या हैं और आपने क्या मदद उसको दी ?

जो लोग मरे हैं आप कहते हैं कि पर फैमिली एक हजार रुपया दिया गया है । क्या आप समझते हैं कि यह काफी है और यदि नहीं तो क्या आप इसको बढ़ाएंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो 400 से कुछ अधिक आपने कहा है कि मरे हैं ऐसी रिर्पोट तो नहीं है । जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कि कुल जो आदमी बरफ के नीचे दब गये थे उनकी तादाद 280 बतायी गयी है । उनमें से 181 मरे बताये गये हैं और 23 का अभी भी पता नहीं लग रहा है । 76 आदमी उनमें से निकाल लिये गये जिनमें से 11 को बहुत ज्यादा चोटें हैं और उनका इलाज हो रहा है । यह सारा जवाब में बताया गया है । जो आपने कहा कि अभी तक 10 लाख रु0 ही खर्च हुआ है, वह एरिया काफी बड़ा है लेकिन पौपुलेशन स्कैटर्ड होने की वजह से थोड़े लोग अफेक्टेड हैं । जहां जहां पहुंच सके हैं, अभी तक कम्युनिकेशन्स सारे चालू नहीं हुए हैं, कुछ जगह पहुंच हो चुकी है, लेकिन पांगी वैली में अभी तक पहुंच नहीं हो सकी है । चार गांवों में से दो में हैलीकौप्टर के जरिये पहुंचने की कोशिश की गई है और दो गांवों में अभी नहीं पहुंच सके हैं । फिर भी स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जहां जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वह पहुंचायी जाय हैली-कौप्टर और दूसरे तरीकें से, और काफी सामान पहुंचाया भी है । हमने उनसे पूछा है कि आपको किस किस चीज की जरूरत है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं ? स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि सारा अंदाजा लगा कर जिस जिस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे । लेकिन अभी तक किसी लैटर में स्टेट गवर्नमेंट ने हमसे रिलीफ नहीं मांगी है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी मंत्री जी ने कहा कि अभी तक भी इतने दिन बीतने के बाद यह पूरा कंटेक्ट नहीं कर पाए हैं, कुछ हिस्सों में अभी तक मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ है । यह बड़ा गम्भीर मामला है । मेरे सवाल के दो हिस्से हैं ? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो केसेज इमरजेंसी में होते हैं उसके लिये क्या आपके पास कोई फौरमूला बना हुआ है ? आदमी मरते हैं, प्रोपर्टी का नुकसान होता है तो उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा मदद देने का क्या फौरमूला है और उसके अनुसार आपने कितनी मदद उनको दी है ?

दूसरे में यह जानना चाहता हूं कि यह जो कांड हुआ, क्या मीटियोरिलाजिकल विभाग इसके बारे में कुछ फोरकास्ट कर सकता था, इसकी आपने जांच की ? और अगर कर सकता

था तो उसने फोरकास्ट किया या नहीं किया ? आपने पूछा कि नहीं पूछा ? और अगर उसने किया तो फिर यह कोताही क्यों हुई, या उनका इसके बारे में क्या कहना है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : छठे फाइनेंस कमीशन के मुताबिक मार्जिन मनी प्रोवाइड किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट को जब कभी कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो सबसे पहले मार्जिन मनी में से खर्च किया जाता है। तो 3 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। लेकिन अब सातवें फाइनेंस कमीशन के बाद जो कि 1 अप्रैल, 1979 से शुरू हो गया है उसके नीचे 51 लाख रुपये मार्जिन मनी प्रोवाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश को अभी उन्होंने खर्च किया है 11 लाख रुपये से भी कम है।

दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि मीटियोरीलाजिकल विभाग द्वारा पूर्व सूचना की जा सकती थी कि नहीं, हालांकि इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी पहले एक सवाल के जवाब में मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि उन्होंने वारनिंग दी थी और यह कहा था कि फलां फलां जगह पर बारिश भी होगी, बरफ भी पड़ेगी। ऐसी वारनिंग्स आती रही हैं, उन्होंने लोकेशन्स भी बतायीं कि फलां फलां एरियाज़ में बरफ पड़ेगी। यह सारी वारनिंग वह देते रहे हैं।

सिन्धी शरणार्थियों को पुनः बसाना

*742. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति** और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में फैले सिन्धी शरणार्थियों को पुनः बसाने के लिए सभी प्रबन्ध कर दिए गए हैं; यदि हां, तो किन स्थानों में कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सतना के रिसाला शिविर में बसे सिन्धी शरणार्थियों को अब तक प्लाट आबंटित नहीं किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कार्य कब पूरा किया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित योजनाओं के अनुसार, 1971 से पूर्व भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों सहित उन सिन्धी शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य, जो विभाजन से तत्काल बाद सिन्ध से आए थे, बहुत समय पहले पूरा किया जा चुका है।

(ख) सतना के रिसाला शिविर में बसाए गए शरणार्थियों को प्लाट पहले ही आँबटित किए जा चुके हैं किन्तु पट्टे अभी तक नहीं दिए गए हैं।

(ग) यथाशीघ्र स्थायी पट्टे जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : देश में सभी स्थानों पर जहां-जहां भी हमारे विस्थापित बन्धु आये हैं, सब को बसाने की व्यवस्था हो गई है किन्तु यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सतना एक ऐसा स्थान है जहां कि आज 30 साल के बाद भी वहां जो हमारे विस्थापित भाई बसे हैं, उनको प्लाट नहीं दिए गए हैं और पट्टा देने का तो सवाल ही नहीं है, रोज उनके खिलाफ नूजन विभाग के द्वारा कार्यावाही होती है कि यहां से हटना होगा। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह यह तय करें उनको जमीन देनी है या नहीं, अगर नहीं देनी है तो कहें कि नहीं देनी है ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह बिल्कुल दुरुस्त है और काफी अफसोसनाक है कि वह सन् 1948-49 से इन बैरक्स में जाकर रहें और उसके बाद इन्हें वहां 4 आने महीने पर रखा गया। इन लोगों को सैटिलमेंट करने के जो मुकामात थे, वहां ये नहीं जा सके। लेकिन यह दुरुस्त है कि यहाँ इनके पुनर्वास का सिलसिला पक्का करना चाहिए था। इन्होंने इन बैरक्स के आगे और पीछे 1600 स्क्वेयर फुट से लेकर 2000 स्क्वेयर फुट तक की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वह एलाट कर दी गई हैं। पट्टे इसलिए नहीं दिए गए हैं कि राज्य सरकार यह चाहती थी कि मामूली पैसा जरूर लिया जाए। उस मसले को जल्दी हल किया जाना चाहिए था, मौजूदा सरकार उसको हल करने की कोशिश कर रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी भारत-अमरीकी उप-आयोग का पुनर्गठन

*723. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और** संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मई, 1977 में पुनर्गठित शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी भारत अमरीकी उप-आयोग अब भी कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो कैसे और कहां तथा किन क्षेत्रों में;

(ग) उपरोक्त उप-आयोग के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी बैठकें कितने-कितने समय के बाद और किस स्थान पर होती हैं;

(घ) यदि उपरोक्त उप-आयोग समाप्त हो गया है तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) यदि उपरोक्त उप-आयोग सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार उपरोक्त उप-आयोग को पुनः सक्रिय बनाने और इसके सदस्यों में परिवर्तन करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी उप-आयोग एक सतत् रूप से चलने वाला निकाय है, परन्तु प्रत्येक बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के गठन का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है । नई दिल्ली में 19-20 मार्च, 1979 को हुई पिछली संयुक्त बैठक के भारतीय-अमेरीकी प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों की सूचियां (सूची-1 व II) संलग्न हैं । उप-आयोग जहां कहीं भी जरूरी हो, संग्रहालयों, फिल्मों, दूर-दर्शन, प्रसारण, शिक्षा तथा निष्पादन कलाओं जैसे क्षेत्रों में संयुक्त समितियों के माध्यम से कार्य करता है और प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी बैठकें होती हैं ।

(घ), (ङ) और (च) : उक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

अनुबंध—1

शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी

भारत-अमेरीकी उप-आयोग

भारतीय सदस्य

1. डा० एम० एस० गोरे
2. प्रो० ए० के० घोष
3. प्रो० वेंकटरमाणी
4. डा० सी० एस० झा
5. श्री सोली सोराबजी
6. श्री आर० एन० मिर्धा
7. श्री पी० सबानायगम
8. श्री पी० पी० डोसूजा
9. श्री जे० एन० दीक्षित
10. श्री जे० के० भट्टाचार्य
11. डा० (श्रीमती) कपिला बाह्यायन
12. डा० डी० एन० मिश्र
13. श्री ईनाम रहमान

14. श्री एन० वी० के० मूर्ति
15. श्री पी० सी० चेटर्जी
16. डा० एस० के० मित्र
17. श्री आर० के० छाबड़ा
18. श्री वी० के० थापर
19. डा० एन० आर० बेनर्जी
20. डा० ए० के० जलालु-उ-दीन
21. श्रीमती ऊषा मलिक

अमेरीकी सदस्य

1. डा० फ्रेंकलिन लांग
2. श्री एडवर्ड बूहर
3. श्री एडवर्ड सी० डिमार्क
4. श्री हेनरी जे० चौयन
5. श्री आर० टी० कुर्रान
6. डा० डेनियल ब्राटिन
7. डा० चार्लस बल्टिजुर
8. श्री फिलिप्स तलबांट
9. श्री रोबर्ट लोस्तमा
10. डा० फ्रेड हैरिंगटन
11. श्री टेड तनेन
12. श्री पेट्रिस सुसीलो

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों/फ्लैटों के आवंटन के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता दिया जाना

*728. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या प्लाटों अथवा मध्य । आय वर्ग और निम्न आय वर्ग आदि में तैयार मकानों के आवंटन के बारे में 45 से 50 वर्ष तक की आयु के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि सेवा निवृति के बाद वे शांतिपूर्वक रह सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी क्षेत्र में अच्छी नस्ल की गायों और सूअरों के बारे में प्राथमिकता

*729. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार सहकारी क्षेत्र में अच्छी नस्ल की गायों और सूअरों को प्राथमिकता देने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में डेरी विकास की एक व्यापक परियोजना, अर्थात् आपरेशन फ्लड-2, को पहले ही स्वीकृत कर लिया है, जिसमें संकर प्रजनन के माध्यम से अच्छी नस्ल की गायों की उत्पत्ति पर पर्याप्त बल दिया जाता है । इस परियोजना में तिहरे सहकारी संगठन की व्यवस्था की गई है जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्रारम्भिक समितियां, जिला स्तर पर समितियों की यूनियन तथा राज्य स्तर पर यूनियनों का संघ शामिल है । ये सहकारी समितियां कृषिकों को न केवल आदानों तथा सेवाओं की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देंगी, बल्कि अधिशेष दूध के विपणन की ओर भी ध्यान देगी । आपरेशन फ्लड-2 के बाहर के क्षेत्र में भी, जहां समेवित पशु विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, कृषकों को सहकारिता समितियों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । संकर प्रजनित गायों की संख्या बढ़ाने के लिए छोटे/सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए पशु-पालन का एक विशेष कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है । 4 से 28 महीने की आयु के संकर ओसरों को चारा देने के लिए लाभानुभोगियों को किफायती दरों पर पशु चारा दिया जाता है तथा लाभानुभोगियों को सहकारी समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

सूअर-पालन विकास के लिए भी, 3 सूअरियों अथवा दूध छुड़ाये 10 सुअर शावकों वाली सूअर पालन यूनिटों की पूंजीगत लागत के लिए छोटे कृषकों, सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को राज सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें सहकारी समितियों का गठन करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है ।

दिल्ली के विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई के लिए सुविधाएं

*730. श्री के० **लकप्पा** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत दिल्ली के विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक विज्ञान की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) क्या विज्ञान शिक्षा में बढ़ती हुई गतिविधियों के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए विद्यालयों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, वर्कशापों, चर्चा और व्याख्यान कक्ष, अध्यापन उपकरण कक्ष और प्रयोगशालाओं में गैसों की सप्लाई के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली के विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं.?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई पत्तन पर इन्दिरा गोदी में उर्वरक संचालन संयंत्र

*732. **श्री एस0 आर0 दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बम्बई पत्तन के इन्दिरा गोदी में 2 करोड़ रुपए की लागत के उर्वरक संचालन संयंत्र का गत दो वर्ष से उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयंत्र को चालू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जुलाई, 1977 से इन्दिरा गोदी में अधिष्ठापित उर्वरक संचालन संयंत्र को अभी चालू नहीं किया गया है । इस परियोजना की स्वीकृत लागत 1.11 करोड़ रुपए है ।

(ख) इसका मुख्य कारण मजदूरों को काम पर लगाने और मशीनीकरण से होने वाले लाभों में हिस्सा बांटने के बारे में शर्तों पर समझौता न होना है ।

(ग) कृषि-खाद्य और जहाजरानी मंत्रालयों के 3 सचिवों की एक समिति पहले ही श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत में लगी हुई है । जैसे ही कोई समझौता होगा । इस संयंत्र को चालू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में विकसित सौर सैल

*733. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने एक सौर सैल तैयार किया है जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदल देता है जो आयातित सिलिकोन के बने सैल से 100 गुना सस्ता है; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए उसको पेटेंट कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि भारतीय प्रोद्योगिक संस्थान, दिल्ली में तैयार किए गए सौलर सैल में उच्च दक्षता है, ये बहुत टिकाऊ नहीं हैं। इन सेलों की सक्रियता और टिकाऊपन की मुख्य समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी काफी मात्रा में अनुसंधान और विकास कार्य करने की जरूरत है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस प्रक्रिया को पेटेंट कराने के लिए कदम उठाने का अभी समय नहीं आया है।

अखिल भारतीय शैक्षिक संस्था संघ से ज्ञापन

*736. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि 27-31 दिसम्बर, 1978 को कटक में हुए 53वें अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में पास किए गए संकल्प, जिसकी 18 फरवरी, 1979 को कानपुर में हुई अपनी बैठक में अखिल भारतीय शैक्षिक संस्था संघ ने पुष्टि की थी, के अनुसरण में अखिल भारतीय शैक्षिक संस्था संघ ने हाल में सरकार को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग के बारे में ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) संघ की निम्नलिखित मांगें हैं :

1. शिक्षा सम्बन्धी व्यापक राष्ट्रीय नीति।
2. राष्ट्रीय वेतनमान ।
3. प्राथमिक अध्यापकों के लिए पूरे नागरिक अधिकार।
4. शिक्षा अधिनियम।
5. माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा अनुदान आयोग।
6. अध्यापकों को हड़ताल करने के उनके अधिकार से वंचित करने से सम्बन्धित विधेयक को वापिस लेना।

7. शिक्षा के कार्यक्रम तथा योजनाएं तैयार करने वाले निकायों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व ।

इन मांगों के सम्बन्ध में ही शैक्षणिक संघों के अखिल भारतीय महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ, जिसके नेता उसके अध्यक्ष प्रो० दिलीप चक्रवर्ती, संसद सदस्य थे, 23 मार्च, 1979 को पहले ही विचार-विमर्श किया जा चुका है और तब उन्हें उनकी सभी मांगों की स्थिति से अवगत कर दिया गया था ।

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के सम्मान में प्रकाशित डाक टिकटों का उपलब्ध न होना

*737. **प्रो० समर गुह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में प्रकाशित डाक टिकटें बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं जबकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्मान में प्रकाशित डाक टिकटें डाकघरों में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार डाकघरों के माध्यम से बेचने के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की टिकटें बड़ी संख्या में पुनः मुद्रित करायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), से (घ) तक : नेताजी के सम्मान में विशेष स्मृति डाक टिकटें निकाली गई थीं जो कि विशेष संख्या में केवल एक बार ही छापी जाती हैं । ऐसी स्मृति डाक टिकटें दोबारा कदापि नहीं छापी जातीं ।

जबकि जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में 1976 में जारी की गई डाक टिकटें निश्चित सीरीज की थीं और सामान्य अवधि के दौरान विभिन्न मूल्य वर्गों की डाक टिकटों के भंडार की पूर्ति के लिए यथासमय उन्हें पुनः छापा गया था ।

देहातों में डाक तथा तार सुविधायें बढ़ाने के लिए क्षेत्रिय मुख्यालय बनाना

*738. **श्री बागुन सम्बरुई** :
श्री नटवर लाल बी० परमार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देहातों में डाक तथा तार सुविधाएं बढ़ाने और उनमें कार्यकुशलता लाने के विचार से क्षेत्रीय मुख्यालय बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) सरकार ने डाक और दूरसंचार सर्किलों में निदेशकों के कार्यालयों को विकेन्द्रित कर के 2-4-79 से क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के आदेश दिए हैं ताकि कार्य-कुशलता बढ़ सके और डाक, दूरसंचार तथा तार सेवाओं में सुधार किया जा सके।

(ख) इन आदेशों के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और अधिकारियों को विकेन्द्रित करके दूरसंचार सर्किलों में क्षेत्रीय प्रबन्धकों के 30 क्षेत्रीय कार्यालयों की और डाक सर्किलों में निदेशक, डाक सेवाओं के 27 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना होनी है। क्षेत्रीय कार्यालयों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वे कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न कर सकें।

(ग) क्षेत्रीयकरण योजना 2-4-79 से क्रियान्वयन की गई है।

छोटे और सीमान्त किसान और भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए योजना का मूल्यांकन

*739. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :—

(क) छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए क्या-क्या योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं का कभी मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार द्वारा छोटे तथा सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाएं मुख्य रूप से लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम तथा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम है। इसके अलावा, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विशेष पशु-धन उत्पादन कार्यक्रम, प्रायोगिक पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजनाओं तथा प्रायोगिक आदिवासी क्षेत्र विकास परियोजनाओं जैसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी लघु तथा सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को लाभ प्राप्त होते हैं।

(ख) जी हां। इनमें से कुछेक योजनाओं को कुछ परियोजना क्षेत्रों में समय-समय पर आंका गया है।

(ग) लघु किसानों/सीमांत किसानों/कृषि श्रमिकों के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) **लघु किसान विकास एजेंसी :**

भारतीय रिर्जब बैंक ने 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान क्रमशः 13 लघु किसान-विकास एजेंसी परियोजनाओं तथा 13 सीमांत किसान और कृषि श्रमिक परियोजनाओं का मूल्यांकन

किया था । उन्होंने अपनी रिपोर्टें प्रकाशित कर ली हैं तथा ब्यौरे उन रिपोर्टों से उपलब्ध होंगे ।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को भी वर्ष 1973 में लघु किसान विकास एजेंसी परियोजना के मूल्यांकन अध्ययन सोंपे गए थे । उनकी अध्ययन-रिपोर्ट तैयार है लेकिन योजना आयोग द्वारा अभी तक औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं की गई है और अभी भी विचाराधीन है ।

वर्ष 1977-78 के दौरान ग्राम विकास विभाग ने राज्य सरकारों से उन लघु-किसान विकास एजेंसी परियोजनाओं जो चौथी योजना से चल रही थी अथवा जिन्हें उनके आर्थिक तथा सांख्यिकीय ब्यूरो अथवा इसी प्रकार के संगठनों के माध्यम से पांचवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान शुरू किया गया था के मूल्यांकन शुरू करने के लिए भी अनुरोध किया था ।

(2) **सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :**

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वियन तथा उससे प्राप्त लाभों के मूल्यांकन के लिए छः अध्ययन अलग-अलग संस्थाओं को आंवटित किए गए हैं । इसके साथ-साथ इन अध्ययनों के अन्तर्गत लघु-किसानों/ सीमांत किसानों के विकास से संबंधित योजनाएं आती हैं । कुछ रिपोर्ट पूरी हो गई हैं तथा उनकी ग्राम विकास विभाग में जाँच की जा रही है ।

(3) **आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम :**

आठ आदिवासी क्षेत्र विकास परियोजनाओं में से छः के मूल्यांकन अध्ययन वाल्टेयर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर और विश्वभारती शांति निकेतन स्थित कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों को सोंपे गए थे । इनमें से सभी के बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं । इन रिपोर्टों की जांच की गई है तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु इन्हें सभी सम्बन्धितों में परिचालित कर दिया गया है । हाल ही में आदिवासी विकास एजेंसी, क्योझंर के बारे में एक मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद को सौंपा गया है । इस विषय पर रिपोर्ट के अप्रैल 1979 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।

(4) **पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम :**

पांचवीं योजना अवधि के दौरान यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और टीहरी गढ़वाल तथा मणिपुर के पश्चिमी जिले की तीन प्रायोगिक परियोजनाओं में चलाया जाता रहा है । पौड़ी गढ़वाल और मणिपुर पश्चिम जिले की पहाडी क्षेत्र विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन क्रमशः दिल्ली तथा जोरहाट (असम) के कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किया गया है । जबकि पौड़ी गढ़वाल परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध हो चुकी हैं, कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है । पौड़ी गढ़वाल परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच की जा चुकी है, तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु इसे सभी सम्बन्धितों में परिचालित कर दिया गया है ।

नए समन्वित ग्राम विकास और विशेष पशु-धन उत्पादन कार्यक्रमों हेतु कोई मी-निर्धारण/मूल्यांकन अध्ययन अभी तक प्रारम्भ नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये योजनाएं केवल अभी हाल ही में शुरू की गई हैं। कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन का प्रश्न विचाराधीन है।

कृषि विस्तार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋण

7001. **श्री युवराज : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में कृषि संवर्द्धन के लिए गत एक वर्ष के दौरान विश्व बैंक से संबंद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से कोई ऋण प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का ऋण प्राप्त हुआ और उससे किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

नीचे की सारणी में आवश्यक सूचना दी गई है :—

परियोजना/राज्य		अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऋण (लाख अमरीकी डालर)
1. राजस्थान कृषि विस्तार तथा अनुसंधान परियोजना		130
2. बिहार कृषि विस्तार और अनुसंधान परियोजना		80
3. संहत कृषि विस्तार परियोजना		
(क) कर्नाटक	111	
(ख) गुजरात	70	
(ग) हरियाणा	62	
		243
कुल :	243	
सकल योग :		453

पंजाब तथा हरियाणा के किसानों को सहायता

7002. **चौधरी बलबीर सिंह :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में मार्च, 1979 में हुई भारी ओला-वृष्टि के फलस्वरूप इन राज्यों के किसानों को भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षति की पूर्ति के लिए उन्हें कोई सहायता देगी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सहायता देने के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : हरियाणा सरकार भू-स्वामियों/काश्तकारों को खड़ी फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ 100 रुपये से 300 रुपये तक की निःशुल्क राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने भू-राजस्व तथा तकावी की वसूली एवं सहकारी ऋणों की वसूली आस्थिगत कर दी है। वे प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त पशुओं के लिए चारे की सप्लाई भी कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नलकूपों पर लगे बिजली प्रभारों का भुगतान भी आस्थगित कर दिया है। राज्य सरकार ने 3 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर से तकावी ऋण देना मंजूर कर लिया है। राज सहायता के आधार पर बीज आपूर्ति की व्यवस्था भी की जा रही है।

पंजाब सरकार ने विशेष गिरदावरी की समाप्ति के फलस्वरूप विस्तृत रिपोर्ट आने तक संबंधित उपायुक्तों को तदर्थ आधार पर ओला वृष्टि राहत के रूप में वितरण हेतु 1.70 करोड़ रुपये की राशि दी है। भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को 2 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता मंजूर की है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में निःशुल्क ऋण राहत के रूप में वितरण हेतु 500 मी० टन गेहूं भी दिया गया है। पंजाब सरकार से केन्द्रीय सहायता के बारे में अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

शीत लहर से होने वाली मौतें :

7003. **श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष देश में शीत लहर से कितने लोग मरे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोरबन्दर, गुजरात में मत्स्य बन्दरगाह

7004. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में पोरबन्दर बन्दरगाह का मत्स्य बन्दरगाह के रूप में विकास करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने मछुआरों तथा मजदूरों को रोजगार मिलेगा ; और

(घ) उस पर कितना व्यय किया जाएगा और यह कार्य कब तक आरम्भ और पूरा किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। पोरबन्दर मत्स्यन बन्दरगाह की स्वीकृति अक्तूबर, 1978 में दी गई थी।

(ख) परियोजना के मुख्य अवयव ये हैं :—

1. तलकर्षण एवं उत्खनन
2. घाट एवं जेटी
3. स्लिपवे
4. निलामी कक्ष
5. तटीय सुविधाएं
6. राज्य सरकार ने 18,000 मीटरी टन वार्षिक मत्स्यन की मौजूदा क्षमता की तुलना में लगभग 27,280 मीटरी टन मछली पकड़ने के लिए विद्यमान 160 मत्स्यन जल नावों के अतिरिक्त 240 अतिरिक्त मत्स्यन जलयानों को काम में लाना प्रारम्भ किया है।

(ग) निर्माण अवधि के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत समुद्र में कार्य करने योग्य लगभग 1,680 मछुओं, लगभग 561 कुशल व्यक्तियों तथा काफी अधिक अकुशल व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

(घ) मत्स्यन बन्दरगाह पर 150 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें से भारत सरकार का 129.14 लाख रुपये तथा राज्य सरकार का 20.86 लाख रुपये का योगदान होगा। कार्य आरम्भ करने के लिए 1978-79 के दौरान राज्य सरकार को 8.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। अक्तूबर, 1981 तक इस बन्दरगाह के पूर्ण हो जाने की संभावना है।

दक्षिण दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई

7005. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति** और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में, विशेषकर रामकृष्णपुरम में पीने के पानी की सप्लाई सन्तोषप्रद नहीं है ;

(ख) क्या यह तथ्य कि पानी उचित मात्रा में सप्लाई नहीं होता है, कुछ समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सामुदायिक स्तर पर वनरोपण तथा बागान-रोपण और उन कार्यों पर खर्च

7006. **श्री चतुर्भुज** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रेलवे लाइनों, नहरों तथा राजपथों के किनारे-किनारे सामुदायिक स्तर पर वनरोपण तथा बागान रोपण के लिए तीन वर्ष पूर्व एक सामाजिक वनरोपण योजना शुरू की गई थी ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ । सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं अर्थात् (1) परती भूमि तथा पंचायती भूमि आदि पर मिश्रित वृक्षरोपण तथा (2) काटे गए वनों का पुनर्वनरोपण तथा रक्षा-पट्टियों को उगाना शामिल है । ये योजनाएं राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफ़ारिश पर पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी । इन योजनाओं को 1976-77 से क्रियान्वित किया जा रहा है । इन योजनाओं के अन्तर्गत लोगों की ईंधन की जरूरत तथा लकड़ी के सम्बन्ध में अन्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामुदायिक परती भूमि तथा काटे गए वन क्षेत्रों में ईंधन तथा चारे के वृक्षों को लगाने का लक्ष्य है । काटे गए वनों में पुनर्वनरोपण करने की योजना के अन्तर्गत इन्हीं उद्देश्यों के लिए नहरों के किनारों तथा सड़कों के साथ-साथ भी वृक्षरोपण किया जा रहा है ।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत 1976-77 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में निम्नलिखित धनराशि निर्मुक्त की गई है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	निर्मुक्त अनुदान
1976-77	163.28
1977-78	737.59
1978-79	920.31

उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना योगदान दिया है।

(ग) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप 1976-77 के दौरान परती भूमि में मिश्रित वृक्षरोपण करने की योजना के अन्तर्गत 1,765 हैक्टयर और 105 आर०के०एम०एस० क्षेत्र में तथा काटे गए वनों का पुनर्वनरोपण करने की योजना के अन्तर्गत 13,100 हैक्टयर तथा 1,250 आर०के०एम०एस० क्षेत्र में वृक्षरोपण किया गया। 1977-78 के दौरान परती भूमि के मिश्रित वृक्षरोपण की योजना के अन्तर्गत 17,600 हैक्टयर क्षेत्र में तथा काटे गए वनों का पुनर्वन-रोपण करने की योजना के अन्तर्गत 43,600 हैक्टयर तथा 5,400 आर०के०एम०एस० क्षेत्र में वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है। 1978-79 के दौरान मिश्रित वृक्षरोपण की योजना के अन्तर्गत 36,630 हैक्टयर तथा 300 आर०के०एम०एस० क्षेत्र में तथा काटे गए वनों का पुनर्वनरोपण करने की योजना के अन्तर्गत 84,000 हैक्टयर तथा 37,000 आर०के०एम०एस० क्षेत्र में वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है।

डाक सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में सुझाव

7007. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को फरवरी, 1979 के पहले पखवाड़े में संगोला (महाराष्ट्र) के डाक वी०एस० केलकर की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें डाक सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं ; और

(ग) सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में "कीट नाशक और ग्रामीण समृद्धि के लिए" पर हुई गोष्ठि

7008. **श्री दया राम शाक्य** :

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 12 फरवरी, 1979 को राजधानी में "कीट नाशक और ग्रामीण समृद्धि के लिए" गोष्ठि हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ तथा निष्कर्षों को कार्य-रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) :- भारतीय कृमिनाशी औषधि संघ ने "ग्रामीण समृद्धि के लिए कृमिनाशी औषधियां" विषय पर 12 और 13 फरवरी, 1979 को एक सेमिनार आयोजित किया था। उसमें निम्नांकित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

(1) कृमिनाशी औषधियों के अधिक उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन।

(2) वनस्पति रक्षण में वित्तीय एवं सहकारी एजेंसियों का योगदान।

(3) कृमिनाशी औषधियों के उपयोग में शिक्षा एवं विस्तार कार्यों का योगदान।

(4) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए कृमिनाशी औषधियां।

(5) कृमिनाशी औषधियों की उपलब्धि के लिये प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना। तथापि, सेमिनार के निर्णय और सिफारिशें अभी संघ से प्राप्त होनी हैं।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम

7009. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान और निकोवार द्वीपसमूह में 'काम के बदले अनाज' योजना की क्रियान्विति के लिए सरकार को लगातार मांगें प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान और निकोवार द्वीपसमूह के प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह : (क) अन्दमान तथा निकोवार द्वीपसमूह के केन्द्र शासित क्षेत्र में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु अभी तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। वस्तुतः अक्तूबर, 1978 में जब मामला उनके साथ उठाया गया तो अंदमान तथा निकोवार प्रशासन ने योजना को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

(ख) अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजीकृत समितियों को भूमि के आबंटन में विलम्ब

7010. **श्री एस. एस. लाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राजधानी में ऐसी कितनी आवास समितियां हैं जिन्हें आबंटित की गई भूमि गत पांच वर्षों अथवा इससे अधिक समय से उपलब्ध नहीं हो सकी है यद्यपि ये समितियां पंजीकृत हैं;

(ख) इन्हें अब तक कोई उपयुक्त भूमि न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भूमि कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) :—सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय

7011. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में, राज्यवार, प्रौढ़ शिक्षा योजना की कार्यान्विति पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ख) 31 मार्च, 1979 तक प्रत्येक राज्य में क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में आलू और गन्ने की कम मूल्य पर बिक्री

7012: **श्रीमती मोहिसिना किदवई** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश से फालतू आलू और गन्ना खरीदने में सरकार की असफलता के कारण ये वस्तुयें न्यूनतम मूल्यों पर बेची जा रही हैं अथवा उपयुक्त बाजार न मिलने के कारण बर्बाद हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किसानों की सहायता करने में संबंधित अधिकारियों की उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : आलू : देश में आलू का विपणन सामान्य व्यापार पद्धति से माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष राज्य में आलू के उत्पादन संबंधी आंकड़े जून, 1979 के मध्य के पश्चात किसी समय उपलब्ध होंगे तथापि, चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में आलू का भारी मात्रा में उत्पादन होने के संकेत मिले थे । अधिक उत्पादन होने के कारण आलू की दरें गत वर्ष की तुलना में कम

हैं। आलू की खुदायी के समय मौसम प्रतिकूल रहा परन्तु इस से अभी तक किसी प्रकार की क्षति होने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारें आलू की कीमत में गिरावट को रोकने के लिए उत्सुक रही हैं। उठाए गए कुछ कदम निम्न प्रकार हैं :—

(1) सरकार ने नैफेड के माध्यम से विभिन्न सहकारी समितियों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा भारत से आलू के निर्यात की स्वीकृति दे दी है।

(2) सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए 3 फरवरी, 1979 से ओ०जी०एल० आधार के अन्तर्गत आलू के और अधिक निर्यात की स्वीकृति दे दी है।

(3) उत्तर प्रदेश में आलू के वाणिज्यिक क्रय करने के लिए नैफेड तथा शीर्ष सहकारी विपणन संघ में संयुक्त उद्यम आरम्भ करने पर सहमति व्यक्त की गई है। उन्होंने आलू की खरीद के लिए क्रय-केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि की है।

(4) रेल मन्त्रालय से आलू उत्पादक केन्द्रों से खपत वाले केन्द्रों में ले जाने के लिए रेल-वैगनों की सप्लाई को बढ़ाने के लिए समय समय पर सम्पर्क स्थापित किया गया है।

(5) उत्तर प्रदेश में 482 शीतागार हैं तथा उनकी भण्डार क्षमता लगभग 11.50 लाख मीटरी टन है। भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिऐ शीतागारों की भण्डारण क्षमता के निर्माण/विस्तार की अनुमति उदारता पूर्वक दी गई। इस वर्ष 101 नए शीतागारों के निर्माण की स्वीकृति तथा 36 शीतागारों की शीतागार क्षमता के विस्तार की स्वीकृति दीं गई है।

गन्ना :

(क), (ख) तथा (ग) उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 10.00 रुपए प्रति क्विटल से 12.71 रुपए प्रति क्विटल तक निर्धारित किया गया है। खांडसारी यूनिटों के संबंध में राज्य सरकार ने राज्य में खांडसारी यूनिटों द्वारा गन्ने का न्यूनतम देय मूल्य 6 रुपए प्रति क्विटल निर्धारित किया है।

रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें वचन-बद्ध गन्ने की पिराई कर रही हैं और वे गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य दे रही हैं। सूचना के अनुसार पावर-क्रैशर/खांडसारी यूनिटें भी गत वर्ष की तुलना में अधिक मुल्य दे रही हैं। इसके परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ मामलों में, गन्ने की चीनी मिलों के स्थान पर खांडसारी यूनिटों में भेजा जा रहा है। गन्ने की बरबादी का प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के लिये मुआवजा

7013. **श्री बालक राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1975 को भारत के राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसरण में दिल्ली के कलक्ट्रेट में ग्राम नांगल राया, नई दिल्ली की 9.83 एकड़ भूमि का अधिग्रहण समाप्त कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आपात स्थिति के दौरान उपरोक्त भूमि का एक भाग 8 बीघे 2 बिस्वा भूमि मोतिया खां ट्रेड मरचेन्ट्स को कानून की कोई प्रक्रिया अपनाये बिना बेच दी थी ;

(ग) क्या भू-स्वामियों के बार-बार विनम्र निवेदन किये जाने के बावजूद उनको अब तक नकद या किसी अन्य रूप में कुछ नहीं दिया गया है; और

(घ) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे उनको उनकी भूमि का मुआवजा बिना और विलम्ब के मिल जाये ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) तक अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्वविद्यालयों में सिक्किम के छात्रों के लिए स्थानों का आरक्षण

7013. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

श्री दया राम शाक्य : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिक्किम एक पिछड़ा राज्य है, देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में सिक्किम के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन राज्यों में सिक्किम के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तथा छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सिक्किम के छात्रों को कोई विशेष रियायतें दी जाती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिक्किम में विश्वविद्यालय खोलने का है और यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : सरकार द्वारा दिए गए एक सुझाव पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समिति, सिक्किम मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा जम्मू व काश्मीर से सम्बन्धित छात्रों के लिए एक विशेष रियायत के रूप में बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में कुछ स्थान आरक्षित करने के लिए सहमत हो गयी है। ऐसे छात्रों के लिए छात्रावास आरक्षित करने के लिए भी वे सहमत हो गये हैं। इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों

से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने से काफी समय पहले सीटों से सम्बन्धित अपनी आवश्यकताएं बता दें। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों के छात्रों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर इंजीनियरी कालेजों, मेडिकल कालेजों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में भी प्रतिवर्ष सीटें आरक्षित की जाती हैं।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय सिक्किम के छात्रों के लिए बी०एस०सी० पाठ्यक्रम में 9 स्थान आरक्षित करता रहा है। वर्ष 1979-80 के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बी०ए०/बी० काम पाठ्यक्रमों में 10 अतिरिक्त सीटें मांगी है। जहां तक इंजीनियरी पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध हैं, 15 राज्यों में स्थापित सभी 15 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में सिक्किम के छात्रों के लिए एक एक सीट आरक्षित की जाती है। इसके अलावा, 1978-79 के दौरान असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित इंजीनियरी कालेजों में सिक्किम के छात्रों के लिए 16 सीटें तथा असम, बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित पालिटेक्नीकों में डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों में 35 सीटें आरक्षित की गयी थी। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के मेडिकल कालेजों में सिक्कम के छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष 9 तक सीटें आरक्षित होती हैं। इसी प्रकार से सिक्कम सहित ऐसे राज्यों के छात्रों के लिए, जहां कृषि विश्वविद्यालय नहीं हैं, षि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 10% सीटें आरक्षित होती है।

(घ) सिक्किम में, छठी योजना के दौरान कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में वर्ष 1978 में प्राथमिकता के आधार पर दिये गये टेलीफोन कनेक्शन

7015. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : --

(क) कर्नाटक राज्य में वर्ष 1978 में कितने टेलीफोन प्राथमिकता के आधार पर दिये गये ; और

(ख) प्राथमिकता दिये जाने के कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निरहरि प्रसाद साय) : (क) प्राथमिकता देकर मन्जूर किये गये टेलीफोनों की स्पष्ट संख्या बताना कठिन है क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार के टेलीफोनों का रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) उक्त विषय पर नियमों के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है ?

अधिकतर ऐसे टेलीफोन कनेक्शन संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, विदेशी-मिशनों, राजदूतावासों, सैनिकों की विधवाओं, विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों, विधायकों को दिये गये और सरकारी कनेक्शन होते है।

अन्तर्राष्ट्रीय रामायण मेले का प्रस्ताव

7016. **श्री नाथू सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय रामायण मेले का बड़े पैमाने पर आयोजन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए क्या वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1979 के दौरान, नई दिल्ली में रामायण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए 4.00 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है।

वन रोपण के लिये आवंटन

7017. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) केन्द्र एंव राज्यों द्वारा 1978-79 वर्ष में वन रोपण के लिये कितनी धन-राशि का आवंटन किया गया है ; और

(ख) उनके मंत्रालय ने जन जातीय क्षेत्रों के लिये उप-योजना बनाये जाने के पश्चात् से अब तक देश के वन एंव जन जातीय क्षेत्रों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में रेगिस्तान विकास योजना के लिये धनराशि

7018. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) रेगिस्तान विकास योजना के अन्तर्गत गुजरात के बनासकंठा और मेहसाना जिलों के लिये क्या व्यवस्था की गई है और उसका मदवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और कितनी की जानी है ;

(ग) डैरी विकास के लिये सड़कों के निर्माण हेतु उसमें क्या प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं, कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और यदि उस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए इन दो जिलों की सहकारी दुग्ध समितियां, जो अच्छा कार्य कर रही हैं, सड़क संचार के अभाव के कारण काफी घाटे में चल रही हैं, सड़कें बनाने के लिए शीघ्र प्रबन्ध किये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताव सिंह) : (क) व (ख) 1977-78 के दौरान वनरोपण के लिए 45 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसके मुकाबले में 6.71 लाख रुपए का व्यय सूचित किया गया है। 1978-79 में 20-3-1979 तक सूचित अनुमोदित क्षेत्रवार व्यय तथा परिव्यय निम्न प्रकार हैं :-

(लाख रुपए में)

	अनुमोदित परिव्यय	**सूचित व्यय**
वन रोपण	50.18	50.18
ग्रामीण विद्युतीकरण	42.86	42.86
नलकूप	121.55	20.00
भू-सर्वेक्षण	8.00	शून्य
	योग 222.50	113.04

गुजरात में 1979-80 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम हेतु 155 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(ग) डेरी विकास के लिए सड़कों का निर्माण कार्यक्रम के अनुमोदित घटकों में से नहीं है। अतः इस उद्देश्य के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है।

(घ) इस गतिविधि को राज्य योजना के अन्तर्गत अथवा काम के बदले अनाज कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्त दिए जाने की आशा है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में आई० ए० एस० अधिकारी

7019. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि किसी आई0 ए0 एस0 अधिकारी को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और इस पद पर अब तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का भारतीय पूर्ति सेवा का अधिकारी रहता था,

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारी मुख्यतया भारतीय पूर्ति सेवा और भारतीय निरीक्षण सेवा के होते हैं और ये दोनों सेवायें ही तकनीकी सेवायें हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के भारतीय पूर्ति सेवा के तीन अधिकारी संयुक्त सचिवों के रूप में कार्य कर रहे हैं और इस महानिदेशालय के महानिदेशक का पद संयुक्त सचिव के पद के बराबर है, और

(घ) यदि हाँ, तो भारतीय पूर्ति सेवा के अधिकारी को महानिदेशक के रूप में नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हाँ। इस समय इस पद पर भारतीय पूर्ति सेवा का एक अधिकारी कार्य कर रहा है। लेकिन इस पद पर अन्य सेवाओं जैसे आई० ए० एस०, केन्द्रीय श्रेणी-I सेवा आदि के अधिकारी भी कार्य कर सकते हैं और पहले ऐसा होता भी रहा है।

(ख) ये अधिकारी भारतीय पूर्ति सेवा और भारतीय निरीक्षण सेवा से सम्बद्ध हैं, जो कि संगठित सेवायें हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) भारतीय पूर्ति-सेवा में शामिल ये तीनों अधिकारी, अन्य मन्त्रालयों में एक निश्चित अवधि के आधार पर संयुक्त सचिव के रूप में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। सामान्यतया निश्चित अवधि के पद पर कार्य कर रहे किसी भी अधिकारी को उसके कार्यकाल में नहीं हटाया जाता। इसके अतिरिक्त इस पद, जो कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन मान में सुपर टाइम स्केल का पद है, के भर्ती नियमों, में अन्य सेवाओं के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय श्रेणीI सेवाओं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय पूर्ति सेवा आदि के सदस्यों से इस पद को भरने की व्यवस्था है, और यह पद एक मात्र भारतीय पूर्ति सेवा के अधिकारियों के लिए ही आरक्षित नहीं है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में क्रय-अधिकारी

7020. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **निर्माण और आवास** तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय क्रय संगठन, में क्रय अधिकारियों के पद सरकार द्वारा विशेष सेवा माने गये हैं और इस पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग के संयुक्त इंजीनिरी सेवा परीक्षाओं के द्वारा इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती की जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कुछ गैर-तकनीकी इन पदों पर काम कर रहे हैं और उनमें से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नियुक्त अधिकारी अत्यन्त तकनीकी स्टोरों की खरीद का काम देख रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्यों और क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की कार्य-क्षमता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में सहायक-निदेशकों के पदों पर काम करने वाले क्रय अधिकारियों को एक अलग विशेषज्ञ-सेवा के रूप में घोषित नहीं किया गया है। इन पदों को दोनों प्रकार से, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग की सम्मिलित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, तथा उपयुक्त पूरक वर्गों से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

(ख) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में अनभाग अधिकारी के रूप में काम करने वाले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को भी, यथानिर्धारित क्रय-शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

(ग) जी, नहीं। इस व्यवस्था से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की कार्य-दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

वेश्यावृति

7021. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में वेश्यावृति पर, जिसके गम्भीर परिणाम निकल रहे हैं, रोक लगाने में सरकार के असमर्थ रहने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अनेक बुराईयों और समस्याओं के लिए जिम्मेदार समाज की इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम अथवा योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असमाजिक तथा गन्दा व्यवसाय करने वाली महिलाओं के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी जिससे वे यह काम छोड़ दें ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) न्यूयार्क में 9 मई 1950 को अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन में किए गए हस्ताक्षरों के अनुसरण में भारत सरकार ने स्त्रियों और लड़कियों मे अनैतिक पर्णन दमन अधिनियम, 1956 बनाया जो 1958 से सिकिकम के अलावा पूरे देश में लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यपारिक रूप से वेश्यावृत्ति करना निषिद्ध है। विधि आयोग के विचारों के अनुरूप वेश्यावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं।

(ख) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों का उत्तरदायित्व है। इस अधिनियम को लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा अनुभव की गई कटिनाइयों और कमियों को दूर करने की दृष्टि से इसको हाल ही में संशोधित किया गया है। अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध करने के अलावा स्वंय सेवी संगठनों को लघु वास सदन और

परिवार जीवन संस्थान सहित उपचारात्मक कार्यक्रमों को चलाने के लिए सहायता भी दी जाती है।

(ग) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस बुराई से बचाई गई स्त्रियों और लड़कियों की देखभाल, संरक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए संरक्षण सदन और सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना करने की व्यवस्था है। इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

मानवीय आधार पर होस्टलों में आवास का आबंटन

7022. **डा० विजय मण्डल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कितने होस्टलों में सीट खाली पड़े हैं और इसमें कितनी आवास क्षमता है ;

(ख) बीमारी आदि के आधार पर व्यक्तियों को उक्त खाली सीटों का आबंटन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आवास समस्याओं के कारण नई दिल्ली वासियों को बहुत परेशानियां हो रही हैं ;

(घ) क्या उक्त आंबटन के फलस्वरूप कम से कम उन व्यक्तियों की समस्या तो हल हो ही जायेगी जो शिफ्ट ड्यूटी पर अथवा रात्रि में देर तक कार्य करते हैं (जैसे दूरदर्शन के कैमरा-मैन, रिकार्डिस्ट, फिल्म एडीटर आदि); और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी तथा संस्थायी आधार पर उक्त आंबटन करेगी ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सामान्य पूल में कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, दिल्ली में सामान्यपूल के वास की बहुत कमी है।

(घ) तथा (ङ) :- सामान्यपूल में स्थाई तथा होस्टल वास दोनों के लिए पात्र सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास के आंबटन के लिए अपनी बारी की प्रतिक्षा करनी पड़ेगी। पारी में ड्यूटी इत्यादि कर रहे कर्मचारियों को कोई वरियता नहीं दी जाती।

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में डाकघरों में खाते

7023. **श्री बापू साहिब पस्लेकर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के डाकघरों में कितने बचत खाते थे,

(ख) महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में गत तीन वर्षों के दौरान डाकघरों में संस्थागत खाते जमा राशियां और निकाली गई राशियां कितनी कितनी हैं, और

(ग) क्या संस्थाओं के खातों और ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के खातों को रखने के लिए कोई पृथक् व्यवस्था की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) रत्नागिरि जिले में बचत बैंक खाते :—

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1975-76	2,11,898	1,41,842
1976-77	1,57,145	1,92,264
1977-78	2,46,937	1,07,705

(ख) रत्नागिरि जिले में संस्थागत खाते में की गई जमा राशि तथा निकासियों की संख्या :—

वर्ष	खातों की संख्या	जमा राशि रुपये	निकासी रुपये
1975-76	3,024	19,31,441.18	8,09,094.75
1976-77	3,039	19,58,904.27	7,59,555.87
1977-78	8,241	18,67,631.03	6,37,147.65

(ग) 31 मार्च के बाद प्रधान डाकघरों में संस्थागत खातों की सूचियां व्यक्तिगत खातों से अलग रखी जा रही हैं जिनमें खाता संख्या तथा वार्षिक ब्याज सहित इतिशेष रकम दिखायी जाती है लेकिन ग्रामीण तथा शहरी खातों में कोई भेद नहीं रखा जाता । इसका कारण यह है कि छोटी बचत योजना सबंधी नियमों में, अधिकतम शेष, ब्याज की दर आदि के प्रयोजन के

लिए व्यक्तिगत तथा संस्थागत खातों में अन्तर रखा जाता है लेकिन ग्रामीण व शहरी खातों में कोई भेदभाव नहीं होता लेकिन चूंकि अब आवश्यकतानुसार शहरी और ग्रामीण डाकघरों का वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए शहरी और ग्रामीण डाकघरों के लिए अलग-अलग बचत आंकड़े भी संकलित किये जा सकते हैं ।

जनकपुरी, नई दिल्ली में धार्मिक संस्थाओं द्वारा लाउडस्पीकरों का प्रयोग

7024. **श्री मही लाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह बात उनकी जानकारी में लाई गई है कि धार्मिक संस्थायें उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनकपुरी, नई दिल्ली में आबंटित प्लाटों पर प्रतिदिन घंटो लाउडस्पीकरों का प्रयोग करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दिल्ली विकास प्राधिकरण और सम्बद्ध संस्थाओं के बीच हुये पट्टे की शर्तों के विरुद्ध है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : यह सत्य है कि दिल्ली में धार्मिक संस्थान बहुधा लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हैं । तथापि, धार्मिक संस्थाओं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच हुये पट्टाविलेखों की शर्तों में ऐसे संस्थाओं द्वारा लाउडस्पीकरों का प्रयोग किये जाने के बारे के कोई शर्त नहीं है ।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गन्ने की खेती में कमी

7025. **श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गन्ने के मूल्य पर कोई अध्यन किया है ;

(ख) क्या अध्यन से पता चला है कि वर्तमान स्थिति में गन्ने की खेती अलाभप्रद है;

(ग) क्या किसानों को गन्ने की खेती न करने का परामर्श दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों में ऐसा अध्ययन किया है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

विश्व प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन

7026. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री निहार लास्कर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस वर्ष आयोजित होने वाले विश्व प्रसासनिक रेडियो सम्मेलन की जनेवा बैठक में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या सरकार का विश्व सम्मेलन में लाँना वेव फ्रेक्वेंसी की मांग करने का विचार है ; और

(घ) वहां किन अन्य विषयों की चर्चा किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ;

(ख) जी हां ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है;

(घ) आवृत्ति आवंटन की सारणी से सम्बन्धित अनुच्छेद 5 के अलावा इस सम्मेलन में, रेडियो विनियमन के ऐसे विभिन्न अनुच्छेदों की व्यवस्थाओं पर पुर्नविचार होगा जिसका सम्बन्ध किसी एकाकी सेवा से नहीं है । जहां जरूरी होगा, इसमें संशोधन किया जाएगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विदेशी लाबी

7027. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हाल ही की आम बैठक में यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक विदेशी लाबी बहुत सक्रिय है और यह हमारे हितों के विरुद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उक्त बैठक में कुछ लोगों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की गतिविधियों की जांच की मांग की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया और निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ;

(ख) सदस्यों में से एक ने टिप्पणी की कि एक वर्ष यानी 1977-78 के लिए खाद्य तेल के आयात की लागत लगभग 840 करोड़ रुपये आयी। मुर्गी पालन में इस कारण कठिनायी बढ़ती जा रही है क्योंकि मुर्गीदाना महंगा होता जा रहा है और इसमें बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान जिनमें बहु-राष्ट्रीय भी शामिल हैं, अत्यन्त लाभ उठा रहे हैं। यह कहा गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इस स्थिति ने इसको विदेशियों के लिए खेल का मैदान बना दिया है जो हमारे देश की खेती के मामले में निरन्तर रूप से पिछड़ा रखना चाहते हैं जिससे भारत उनकी वस्तुओं के लिए कमीवेश एक स्थायी बाजार बन जाय।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विदेशों के साथ सम्बन्ध द्विपक्षीय संयुक्त आयोगों के माध्यम से तकनीकी सहयोग और भारत सरकार द्वारा विदेशों के साथ सरकारी स्तर पर किये गये अन्य राजनयिक करारों तक सीमित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का मौलिक सम्बन्ध कृषि अनुसंधान और शिक्षा से है। विदेशी लाबी जैसी कोई चीज नहीं है ;

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ;

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र में कृषि और खेती के अधीन क्षेत्र

7028. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन कितनी कितनी भूमि में खेती की जा रही है ; और वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के लिये उसकी लाभ/हानि की स्थिति क्या है, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या कृषि को देश का मूल उद्योग मानते हुए कृषि क्षेत्र में भी कोई सरकारी क्षेत्र है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विभिन्न राज्यों में भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा चलाये जा रहे भिन्न भिन्न केन्द्रीय फार्मों के क्षेत्र का ब्यौरा वर्ष 1977-78 के दौरान प्रत्येक फार्म के वास्तविक लाभ/हानि की स्थिति नीचे दी गयी है :-

फार्म का नाम	फार्म का क्षेत्र (हैक्टयर)	1977-78 (30-6-78 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान लाभ (+) हानि (—) (लाख रुपये)
1	2	3
1. सूरतगढ़ (राजस्थान) (सरदारगढ़ सहित)	11,131	+29.78
2. जेतसर (राजस्थान)	5,391	—20.98
3. हिसार (हरियाणा)	2,798	+39.74
4. लाधौवाल (पंजाब)	1,168	—10.91
5. राइचुर (कर्नाटक)	2,960	—58.96
6. चेंगम (तमिलनाडु)	3,906	—27.46
8. कन्नानौर (केरल)	3,060	— 7.65
8. कोकिलबरी (असम)	1,986	—20.02
9. बहराइच (उ०प्र०)	2,307	—51.52
10. राइ बरेली (उ०प्र०)	190	— 1.95
11. मिजोरम (दो एकके)	523	(भारत सरकार की और भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा सहायक अनुदान योजना के रूप में चलाया जाता है)

इन फार्मों के बारे में वर्ष 1978-79 का लाभ/हानि का लेखा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कृषि वर्ष मार्च 30-6-1979 को समाप्त होता है ;

(ख) भारत में लाखों कृषकों द्वारा अपने ही खेतों में खेती की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की खेती को अपनाने की कोई नीति नहीं है। उपर्युक्त राज्य फार्मों का मुख्य लक्ष्य महत्व-पूर्ण कृषि फसलों के बीजों का उत्पादन करना तथा अकृष्ट भूमि का सुधार एवं विकास करना है। राज्य फार्म निगम के अतिरिक्त राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि उद्योग निगम, केन्द्रीय बन निगम, डेरी विकास निगम, आदि सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम हैं जिनकी स्थापना कृषि को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से की गयी है।

अनानास के पत्तों और अनानास के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग

7029. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अनानास के पत्तों और अनानास के अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करने के लिये कोई प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ;

(ख) कलकत्ता की जूट टैक्नालाजिकल रिसर्च लैबोरेट्रीज ने जूट मशीनरी में अनानास की पत्तियों के रेशों को संसाधित करने के लिए उपचार को सरल बनाने और रेशों की तकनीक पर अनुसंधान की हैं इस प्रयोजन के लिए जूट संसाधन मशीनरी के कुछ परिणामों में विभिन्नताएं लायी गयीं। अनानास की पत्तियों के रेशों के संसाधन के लिए अपेक्षित यान्त्रिक, रासायनिक और अन्य गुणों का निर्धारण किया गया है। रेशा चिपचिपा लगता है किन्तु यह जूट की अपेक्षा 2½ गुना बढ़ने वाला, और उसमें 1.5 टैक्स कोमलता (कोमल जूट के समान) है यद्यपि कपास से लगभग 10 गुना मोटा है।

गुजरात में मध्य स्तरीय सिंचाई परियोजनायें

7030. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के सूरत, बलसाड़, जंग जिलों में कितनी मध्यस्तरीय परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है और ये परियोजनायें किन स्थानों पर आरम्भ की जायेंगी ;

(ख) उन पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है और इनसे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ; और

(ग) यह योजना कब तक आरम्भ की जाएगी और कब तक पूरी होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गौहत्या पर रोक लगाने के लिए आचार्य विनोवा भावे द्वारा अपील

7031. **श्री दलपत सिंह परस्ते** :

श्री के. प्रधानी : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या आचार्य विनोबा भावे ने गौहत्या पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस समय गौहत्या पर रोक लगी है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आचार्य विनोबा भावे ने गौवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए अपनी मांग के समर्थन में 22 अप्रैल, 1979 से अनशन करने की घोषणा की हुई है ।

(ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल, केरल और कुछ उत्तरी-पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में गौवध पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । परन्तु पश्चिम बंगाल और केरल के कानूनों में गौवध पर आंशिक प्रतिबंध की व्यवस्था है । सरकार ने आचार्य विनोबा भावे से अनशन न करने का अनुरोध किया है । इनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों को उचित कानून बनाने के लिए राज़ी करने के विषय में केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के परिणामों की प्रतीक्षा करें ।

माडर्न बेकरीज द्वारा ब्रैड यूनिटों की स्थापना

7032. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या माडर्न बेकरीज आफ इण्डिया लिमिटेड की देश में नई ब्रैड यूनिटें स्थापित करने की योजना थी ;

(ख) क्या सरकार की यह नई नीति है कि देशभर में लघु उद्योग क्षेत्र में ब्रैड के नये संयंत्र को प्रोत्साहन दिया जाए ;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश राज्य में कितने नये लघु संयंत्र स्थापित किये जायें तथा कहां कहां स्थापित किये जायेगें ; और

(घ) क्या सरकार लघु क्षेत्र में ब्रैड बनाने वाले नये उत्पादकों को तकनीकी सेवा तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएगी ?

कृषि और सिचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) माडर्न बेकरीज (इंड़िया) लि० की देश में कोई नई ब्रैड यूनिट स्थापित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

(ख) : जी हां ।

(ग) और (घ) : नये यूनिटों की स्थापना छोटे पैमाने के उद्योगपतियों को करनी होगी । तथापि, माडर्न बेकरीज (इंडिया) की यह योजना है कि आवश्यक तकनीकी/परामर्श सेवा सुलभ करके देश के विभिन्न भागों में लघु बेकरी यूनिट स्थापित करने में उद्योगियों की सहायता की जाए ।

नशाबन्दी के कारण राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिये राजस्थान का अनुरोध

7033. **श्री एस. एस. सोमानी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राजस्थान सरकार ने नशाबन्दी के प्रश्न के बारे में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य की हानि की क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राजस्थान सरकार ने राज्य में नशाबन्दी लागू किये जाने से होने वाली राजस्व हानि के कारण वर्तमान नीति के अन्तर्गत स्वीकार्य सहायता की राज्य को अदायगी के पुनः अवस्थान्तरण के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है ।

(ख) और (ग) : मामला विचाराधीन है ।

सूरतगढ़ फार्म में मजूरी की दरें

7034. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सूरतगढ़ फार्म में किस श्रेणी के श्रमिक नियुक्त हैं और प्रत्येक श्रेणी को कितनी-कितनी मजूरी दी जाती है ;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा अन्य राज्यों में चलाये जा रहे फार्मों में भी मजूरी की यही दरें निर्धारित हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य केन्द्रीय फार्मों में इस समय मजूरी की दरें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) में नियुक्त किए गए श्रमिकों की श्रेणियां तथा उनको दी गई मजूरी अनुबंध (क) के विवरण में दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विभिन्न केन्द्रीय राज्य फार्मों के श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरी को प्रदर्शित करने वाले विवरण संलग्न है । (विवरण "बी" से "के" तक)

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4306/79)

भारतीय संस्थानों में विदेशी छात्र

7035. **श्री लालजी भाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थित किन किन संस्थानों अथवा शिक्षा संस्थाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष में विदेशी छात्रों को दाखिला दिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बस्टर्ड के शिकार की जांच के लिये समिति

7036. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राजस्थान और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एम०, सी० क्वीन बस्टर्ड के कुछ विदेशियों द्वारा शिकार किये जाने की जांच के बारे में एक समिति स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यों ने सरकार से हाल ही में अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह भी आरोप लगाया है कि युनाइटिड अरब अमीरात के शहजादों के साथ कुछ सी० आई० ए० के कर्मचारी भी थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई उच्च स्तरीय जांच करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति

7037. **श्री सरत कार :**

श्री पी. एम. सईद :

श्री निहार लास्कर :

श्री ए. आर. बद्रीनारायण : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि भारत में 25 लाख से 30 लाख आबादी सामान्य से लेकर गम्भीर मात्रा में अक्षमता का शिकार है, मानसिक दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों के लिए योजना कार्यक्रम में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है ; और

(ख) इस बारे में सहायता कर रहे स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही उपाय किये जा रहे हैं; इनमें मानसिक दृष्टि से अक्षम व्यक्ति भी शामिल हैं। विकलांग व्यक्तियों सम्बन्धी स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त सरकार की यह भी योजना है कि मंदबुद्धि व्यक्तियों, बधिरों और दृष्टिहीन व्यक्तियों के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किये जायें। अस्थि-विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान भी अभी कुछ समय पूर्व ही आरम्भ किया गया है।

(ख) मंदबुद्धि कल्याण संघ द्वारा प्राप्य कराई गयी सूची के अनुसार देश में मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए 142 स्कूल प्रशिक्षण संस्थान और शैलटर्ड कर्मशालाएं इत्यादि हैं। राज्यवार विभाजन संलग्न विवरण-पत्र में दिखाया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	संस्थानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	बिहार	3
3.	गुजरात	15
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	कर्नाटक	15
6.	केरल	9
7.	मध्य प्रदेश	6
8.	महाराष्ट्र	30
9.	पंजाब	5
10.	राजस्थान	3
11.	तमिलनाडु	18
12.	उत्तर प्रदेश	6
13.	पश्चिम बंगाल	10
14.	चन्डीगढ़	1
15.	दिल्ली	31
		142

ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर विदेशी व्यक्तियों का तैनात किया जाना

7039. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उन ग्रामीण विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन पर विदेशी व्यक्ति तैनात हैं अथवा जिनका वित्तपोषण विदेशों से होता है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा के लिए पेय जल की सप्लाई

7040. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति** और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान त्रिपुरा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित 84 त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है योजना-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई है, इन योजनाओं में, योजना-वार किन मांगों को शामिल किया गया है ;

(ग) अब तक, योजना-वार क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इससे किन मांगों को लाभ पहुंचा है ;

(घ) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत इन राज्यों में कोई योजना आरम्भ की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित योजनाओं तथा योजनावार स्वीकृति धन राशि और इन योजनाओं में शामिल किए गए ग्रामों के योजनावार नामों जैसे अन्य अपेक्षित ब्यौरों की सूचियां अनुलग्नक-I से VI में दी गयी हैं । (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4307/79) राज्य से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1977-78 के दौरान 184 समस्याग्रस्त ग्रामों को शामिल किया गया था और उसके बाद दिसम्बर, 1978 तक किन्हीं और ग्रामों को शामिल नहीं किया गया था ।

(घ) तथा (ङ) : केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम को 1979-80 में जारी रखा जा रहा है तथा 1979-80 में आरम्भ की जाने वाली नयी योजनाओं की सूची राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

केन्द्रीय स्कूल संगठन के कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच

7041. **श्री राघवजी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) केन्द्रीय स्कूल संगठनों के उन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ; और

(ख) गत दो वर्षों में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है अथवा पूरी हुई है उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : संगठन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के छः कर्मचारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच पड़ताल की लपेट में हैं। उनमें से प्रत्येक की स्थिति निम्नलिखित है :—

1) डा० जी० एस० शुक्ला, प्रधानाचार्य, इस समय केन्द्रीय विद्यालय, मथुरा तेल शोधन कारखाने में तैनात हैं।	जांच पड़ताल चल रही है।
2) श्री जी० सी० जौहरी प्रधानाचार्य, इस समय केन्द्रीय विद्यालय अरमापुर कानपुर में तैनात हैं।	जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है। और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 27 सितम्बर, 1978 को श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत
3) श्री गुलाम कादिर मलिक, प्रवर श्रेणी लिपिक, केन्द्रीय विद्यालय श्रीनगर	में मुकदमा दायर कर दिया है।
4) श्री आर० के० सुल्तान प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक केन्द्रीय विद्यालय श्रीनगर	

5) श्री एस० के० तालपात्रा सहायक (मुख्यालय)	मामले की जांच चल रही है ।
6) श्री आर० डी० कश्यप ड्राईंग अध्यापक, केन्द्रीय विद्यालय, ए० एफ० एस० जोधपुर	केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गई है और ब्यूरो द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर की अदालत में फौजदारी का एक मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

मुख्य इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची

7042. **श्री अहसान जाफरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या निर्माण पक्ष के प्रधान के रूप में, मुख्य इंजीनियर के रैंक में पदोन्नति के लिए भवन निर्माण, विद्युतीय और सिविल इंजीनियरी से सम्बन्धित अधिकारियों की कोई वरिष्ठता सूची डाक तार विभाग रखता है ;

(ख) क्या निर्माण पक्ष के प्रधान को बदलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या सभी प्रभागों की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी ; और

(ग) इस बारे में डाक तार बोर्ड की क्या नीति है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) आर्कीटैक्चरल, इलैक्ट्रीकल और सिविल इंजीनियरी शाखाओं के अधिकारियों के लिए अलग-अलग वरिष्ठता सूचियां बनाई जाती हैं । चूंकि कुछ मामलों पर न्यायालयों द्वारा अन्तिम फैसला नहीं किया गया, इसलिए उपर्युक्त वरिष्टता सूचियां आरजी हैं । सिविल शाखा में मुख्य इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के सिलसिले में विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों के बीच में आपसी वरिष्ठता नहीं रखी जाती ।

(ख) और (ग) : मुख्य इंजीनियर (सिविल) के पद पर इस समय जो पदस्थ हैं वह सी० पी० डब्ल्यू० डी० से प्रतिनियुक्त पर हैं और उनके मूल मंत्रालय ने उन्हें वापस भेजने के लिए लिखा है, उनके स्थान पर नियुक्ति किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भारतीय विश्वविद्यालयों में रूसी तथा अन्य स्लविक भाषाएं पढ़ाने के प्रबन्ध

7043. **श्री ईश्वर चौधरी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और** संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में स्थित उन विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी हैं जहां रूसी तथा अन्य स्लैविक भाषाएं पढ़ाने के प्रबन्ध हैं और जहां इन भाषाओं में डिग्रियां दी जाती हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र स्तरों पर रूसी भाषा के शिक्षण की व्यवस्था देश के 55 विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं। उनका राज्यवार विवरण निम्नलिखित हैं :—

आन्ध्र प्रदेश	—	3
असम	—	2
बिहार	—	1
गुजरात	—	2
हरियाणा	—	2
हिमाचल प्रदेश	—	1
जम्मू तथा काश्मीर	—	1
कर्नाटक	—	4
केरल	—	3
मध्य प्रदेश	—	7
महाराष्ट्र	—	5
उड़ीसा	—	1
पंजाब	—	4
राजस्थान	—	2
तमिलनाडु	—	2
उत्तर प्रदेश	—	9
पश्चिमी बंगाल	—	4
दिल्ली	—	2

रूसी भाषा में डिग्री पाठ्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली तथा केरल में प्रत्येक में एक एक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बुल्गारियन, हंगेरियन, पोलिश, रूमानियान आदि जैसी स्लैविक भाषाओं में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्य-क्रम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तथा उजबेक में डिप्लोमा पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

'पंजाब फेसिंग ग्रेन स्टोरेज क्राइसिज' शीर्षक से समाचार

7044. **श्री बसन्त साठे :**

श्री अनन्त राम जायसवाल :

श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1979 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में "पंजाब फेसिंग ग्रेन स्टोरेज क्राइसिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) : जी हां।

(ख) खाद्य विभाग (भारत सरकार) (1) पंजाब से भेजे जाने वाले खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय संचलन (2) इस राज्य में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की अधिक से अधिक व्यवस्था करने के लिए प्रयास करता रहा है। इस वर्ष पंजाब में गेहूं की वसूली का कार्य प्रारम्भ करते समय भारतीय खाद्य निगम, पंजाब राज्य सरकार और इसकी वसूली एजेंसियों के पास गेहूं का स्टाक पिछले वर्ष की अपेक्षा कम था। जहां तक लम्बी भण्डारण अवधि के लिए चुने हुए खाद्यान्नों की प्रतिशतता 2 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने और उच्च स्तरीय निरीक्षण बंद करने का संबंध है, राज्य सरकार ने इन मुद्दों पर कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जो कि विचाराधीन हैं।

(ग) रेलवे से प्रायोजित खाद्यान्नों के संचलन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया जाता रहेगा। तथापि गेहूं की ऐसी मात्रा, जोकि संचलन, निकासी और वसूली एजेंसियों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता के अन्तर्गत नहीं आ पाती हैं, को विशेषकर वसूली की चरम काल की अवधि के दौरान पब्लिक बिल्डिगों तथा कैंप स्टोरेज में अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। आशा है कि पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के पास 1.4.1979 को लगभग 33.7 लाख मीटरी टन की जो भण्डारण क्षमता है वह 1981-82 तक बढ़कर लगभग 55 लाख मीटरी टन हो जाएगी।

वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाने वाले खुश्क क्षेत्रों में कृषि आधुनिकीकरण

7045. **श्री बेदब्रत बरुआ** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कृषि अनुसंधान तथा आधुनिक कृषि उपकरणों का उत्पादन मुख्यतः उन क्षेत्रों और प्रदेशों के लिये किया जाता है जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आते हैं ;

(ख) क्या वर्षा-ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाने वाले तथा निरन्तर खुश्क रहने वाले क्षेत्रों में, जहां कुल वर्षा बिल्कुल अपर्याप्त रहती है, कृषि को आधुनिक रूप देने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित दिशा में क्या विशेष प्रयास किये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कृषि अनुसंधानों के कार्यक्रम देश की विभिन्न कृषि जलवायुओं में अच्छी प्रकार से वितरित किये गये हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजनाएं कृषि, पशु और मछलियों के क्षेत्र में उत्पादन

को सीमित करने वाली क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान खोजने के लिये सोचे गये और चालू किये गये हैं। शुष्क कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना अपने 23 केन्द्रों (15 मुख्य और 8 उप केन्द्र) सहित देश के शुष्क कृषि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। कृषि इंजीनियरों के पद सभी प्रमुख केन्द्रों पर, इन क्षेत्रों के लिये सर्वोपयुक्त कृषि उपकरणों के नमूने तैयार करने, उनको विकसित करने, उनकी जांच करने और उनकी परख करने के लिये प्रदान किये गये हैं। कृषि उपकरणों पर अनुसंधान अखिल भारतीय समन्वित फार्म उपकरण और मशीनरी प्रायोजना द्वारा भी चलायी जा रही है जिसके छः केन्द्र हैं ; 4 प्रमुख क्षेत्रों में, 1 असिंचित और 1 मानसून क्षेत्र में हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलायी जा रही प्रायोजनाओं के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और कृषि विश्वविद्यालयों में भी कृषि इंजीनियरी के विभाग/महाविद्यालय हैं इन विभागों की एक प्रमुख गतिविधि कृषि के सेवा क्षेत्रों में डिजाइन बनाना और उनका विकास करना है।

कृषि उपकरणों का उत्पादन लघु स्तरीय एककों द्वारा चलाया जाता है इन एककों की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की मांग के फलस्वरूप की गयी है।

(ख) और (ग) : अपर्याप्त वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों की कृषि के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के अनुसंधान प्रयास बहुशाखीय वैज्ञानिक स्टाफ द्वारा किये जा रहे हैं जो समन्वय एककों और अखिल भारतीय समन्वित शुष्क क्षेत्र कृषि प्रायोजनाओं के 23 केन्द्रों पर दिये गये हैं। यह प्रायोजना 1970 से चालू है। पुष्ट परिणामों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक विज्ञप्ति जिसका शीर्षक "ए कार्नर स्टोन फार ड्राइलैण्ड एग्रीकलेचर" इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रकाशित की गयी। केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में अनुसंधान कार्यक्रमों का उद्देश्य इन क्षेत्रों की कृषि का आधुनिकीकरण करना है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों की फसल सुधार प्रायोजनाओं को इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु एक "पैकेज" प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एक बहुशाखीय सहायता प्रदान की गयी है।

अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून और उच्च बारानी क्षेत्रों और समशीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्रों में जलप्रबध पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना द्वारा चलाया जा रहा है जिसके देश के विभिन्न क्षेत्रों में 6 केन्द्र हैं। भारत सरकार, वर्ष 1977-78 के दौरान केन्द्र द्वारा चलायी जा रही स्कीम के अन्तर्गत उड़ीसा, पं० बंगाल, असम और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मानसून क्षेत्रों के कृषकों को जुलाई के लिए प्रदर्शन सैट प्रदान किये गये हैं और उपयुक्त उपकरणों की खरीद सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 1978-79 के दौरान एक अन्य केन्द्र द्वारा चलायी जाने वाले स्कीम के माध्यम से विकसित उपकरण और जल उठावों को सहायता प्रदान करके इन क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

बाढ़ग्रस्त मानसून क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए दियारा की भूमि पर दो परिचालन प्रायोजनाएं पहले से ही बिहार और पश्चिम बंगाल में चलायी जा रही हैं। इन क्षेत्रों

की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगली पंचवर्षीय योजना में परिषद ने दियारा की भूमि के विकास के लिए एक समन्वित अनुसंधान प्रायोजना का प्रस्ताव किया है। इस प्रायोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ग्रस्त मानसून क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को और अच्छी बनाना है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

7046. **श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम सफल रहा है और सरकार का विचार नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो विहार जैसे पिछड़े राज्य में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; इन्हें कब स्थापित किया जायेगा और वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इस समय इन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् पिछले दो सालों से भी अधिक समय से कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम सफलतापूर्वक अमल में लाये गये हैं और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 40 नये कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) एक कृषि विज्ञान केन्द्र आर०के० मिशन, मीराबादी, रांची (बिहार) में पहले ही स्थापित किया जा चुका है। दो और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिये अनुकूल विचार किया जा रहा हैं जिनमें पहला ग्राम निर्माण मण्डल, नवादा में और दूसरा मुंगेर में होगा।

(ग) अभी तक विभिन्न राज्यों में 19 कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गये हैं। परिशिष्ट-1 की सूची में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची जिनकी स्थापना पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान की गई

क्रम सं०	राज्य	संस्थान जिससे कि केन्द्र सम्बन्द्ध हैं	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	शुष्क कृषि में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, अम्बरपेट, हैदराबाद	हयात

2.	बिहार	राम किशन मिशन मीराबादी, रांची	मीराबादी (रांची)
3.	गुजरात	(क) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	डीसा
		(ख) गुजरात विद्यापीट, अहमदाबाद	राधेजा गाँव (जिला गाँधी नगर)
4.	हरियाणा	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	करनाल
5.	कर्नाटक	(क) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेब्बाल, बंगलोर	हनुमनमाटी
		(ख) भारतीय बागबानी अनुसंधान संस्थान बंगलोर	चेताली (कुर्ग)
6.	केरल	केन्द्रीय सामुद्रीक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, नरखाल, एर्नाकुलम	नरखाल
7.	महाराष्ट्र	कृषि अनुसंधान, कोसबद हील, जिला थाना	कोसबद हील
8.	मध्य प्रदेश	(क) कस्तुरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर	इन्दौर
		(ख) केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरी संस्थान नबी बाग, बेरसीया रोड़, भोपाल	भोपाल
9.	नागालैण्ड	भा०कृ०अ०प० अनुसंधान कम्पलैक्स, शिलांग (मेघालय)	झरनापानी (कोहिमा)
10.	उड़ीसा	केन्द्रीय अन्तस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (प०बं०)	ढोली (भुवनेश्वर)
11.	राजस्थान	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर राजस्थान	फतेहपुर शेखावटी (सीकर)
12.	तमिलनाडु	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटुर	नवलुर कुट्टापट्टी त्रिचिरापल्ली
13.	उत्तर प्रदेश	कमला नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सुलतान पुर (उ०प्र०)	सुलतानपुर

14.	पश्चिम बंगाल	सेवा भारती कापगरी, मिदनापुर	कापगरी (मिदनापुर)
15.	पाण्डीचेरी केन्द्र शासीत क्षेत्र	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटुर (तमिलनाडु)	पाण्डीचेरी
16.	मिजोरम	कृषि निदेशालय, मिजोरम सरकार, एजवाल	कोलासिब

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 की क्रियान्विति

7047. **श्री एम0 एन0 गोविन्दन नायर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को लागू करने के लिये अभी तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं ।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वियन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इस के सही और एक समान कार्यान्विन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार उन्हें समय समय पर मार्गनिर्देशन जारी करती रही है । आवधिक विवरणियों के जरिये, इस के कार्यान्वियन पर नजर रखी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति का समय समय पर पुनरीक्षण करने के लिये चार क्षेत्रिय समितियां नियुक्त की गई हैं। केन्द्रीय मंत्री ने भी संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे यह सूनिश्चित करें कि वर्ष 1980 के समाप्त होने से पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत सभी कार्यवाही पूर्ण हो जाए ।

दस प्रतिशत से अधिक गन्ने की बकाया राशि वाले चीनी कारखाने

7048. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : **क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) ऐसे चीनी कारखानों की संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1977-78 और पहले के मौसम के दौरान उनके द्वारा खरीदे गये गन्ने की लागत का दस प्रतिशत से अधिक का भुगतान करना है ;

(ख) ऐसे कितने एककों का सरकारीकरण किया गया हैं; और

(ग) ऐसे कारखानों में, जहां दस प्रतिशत से कम बकाया राशि है, गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का निपटान करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह : (क) और (ख) :— 15.3.1979 को 15 चीनी फैक्ट्रियों को 1977-78 और पहले मौसम के गन्ने के मूल्य के प्रति 1977-78 के लिये देय कुल मूल्य की 10 प्रतिशत से अधिक बकाया राशि देनी है। केन्द्रीय सरकार ने 6 फैक्ट्रियों, जोकि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अधीन आती हैं, का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया है। संबंधित राज्य सरकारों ने शेष फैक्ट्रियों का अधिग्रहण कर लिया है अथवा वे उनका प्रबंध कर रही हैं।

(ग) भारत सरकार ने चीनी उद्योग को अत्यधिक भुगतान साधन और सक्षमता प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं ताकि बे गन्ना उत्पादकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके। इनमें चीनी का 5 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक बनाना, चालू वर्ष के लिए निर्यात नीति की शीघ्र घोषणा करना, उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के सहकारी तथा सरकारी क्षेत्र के यूनिटों की बकाया राशि चुकाने में उनकी सहायता करने के लिए 20 करोड़ रुपये का ऋण मजूंर करना और फैक्ट्रियों को पर्याप्त बैंक ऋण सुलभ करने का प्रयत्न करना शामिल हैं।

दिल्ली प्रशान द्वारा वर्ष 1978-79 में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण के लिए दिए गए ऋण

7049. **श्री दाजीबा देसाई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति** और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 1978-79 में मध्यम आय वर्ग के मकानों के निर्माण के लिए कितने व्यक्तियों को ऋण दिऐ गये ;

(ख) प्रत्येक मामले में इन व्यक्तियों को ऋण की कितनी किस्तें दी गई ;

(ग) ऐसे व्यक्तिओं की संख्या कितनी है जिनके प्लाटों को भी ऋण मूंजर किए जाने के बाद गिरवी रखा गया था लेकिन उन्हें ऋण नहीं दिया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के ऋण विभाग ने भी इन आवेदनकर्त्ताओं को यह आश्वासन दिया था कि वे अपने मकानों का निर्माण अपनी राशि से कर सकते हैं और उन्हे 31.3.1979 तक ऋण दे दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन व्यक्तियों को शीघ्र ऋण का भुगतान देने के लिये क्या कार्यवाही की है और उन्हें ऋणों को कब तक दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर वख्त) : (क) : 171

(ख) 30 आवेदकों को तीनों किस्तें मुक्त कर दी गई थी, 6 आवेदकों को पहली और दूसरी किस्त मुक्त की गई थी तथा 2 आवेदकों को केवल पहली किस्त दी गई थी।

(ग) 63

(घ) तथा (ङ) आवेदकों को निधियों की उपलब्धता के अनुसार ऋण मंजूर किए जाते हैं। पात्र आवेदकों को निधियां मुक्त किए जाने से पहले दिल्ली प्रशासन द्वारा सामान्य रूप में बजट में व्यवस्था की जानी होती है।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर में विदेशी राष्ट्रिक की नियुक्ति

7050. **श्री मनोहर लाल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि एक विदेशी राष्ट्रिक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में स्थायी आधार पर एस० टी० ए० के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि भारत सरकार द्वारा उसे भारतीय राष्ट्रिकता की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशासी बोर्ड ने अपनी एक बैठक में यह निर्णय किया था कि यदि वह अपनी राष्ट्रिकता में परिवर्तन नहीं करती तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं; और

(ग) यदि हां, तो तत्कालीन प्रशासी बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्तिगत आधार पर वर्तमान निदेशक द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नही की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं। एक भारतीय संकाय सदस्य से विवाहित एक विदेशी नागरिक को 16.9.1966 को भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, कानपुर, में तकनीकी सहायक के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। 1 अप्रैल, 1973 को उसकी वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति कर दी गई थी। उसे कभी किसी पद पर स्थायी नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा उसे भारतीय राष्ट्रीयता न प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठा क्योंकि उस समय तक उसने इसके लिए आवेदन ही नहीं दिया था।

(ख) और (ग) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के शासी बोर्ड ने 21.4.1975 को हुई अपनी बैठक में उसकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय किया लेकिन 21-6-75 को हुई अपनी बाद की बैठक में उस पर पुनर्विचार करके बोर्ड ने अपने पूर्व निर्णय को तब तक रोके रखने का निर्णय किया जब तक कि भारतीय नागरिकता के उसके अनुरोध पर निर्णय नही लिया जाता। अब उसने 12 मार्च, 1979 से संस्थान की सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बच्चों के लिए कार्यक्रम

7051. **श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बाल कल्याण के लिए सरकार ने अब तक कोई विशेष कार्यक्रम अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के निश्चित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बाल वर्ष के लिए कार्य की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है, जिसे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल बोर्ड ने अनुमोदित किया है। कार्य की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किए जाने हैं :—

1. स्वास्थ्य और पोषाहार
2. शिक्षा
3. समाज कल्याण
4. विधि निर्माण
5. प्रचार
6. कोष निर्माण

भारत में विश्व बाल वर्ष का मुख्य विषय है "वंचित बच्चों को सुविधाएं देना"। इसका तात्पर्य है कि इस वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के बच्चों पर अधिक जोर दिया जाएगा। वर्ष 1979-80 के लिए विभिन्न बाल कल्याण कार्यक्रमों हेतु निम्नलिखित आवंटन का प्रस्ताव है :—

कार्यक्रम	आवंटन (रुपये लाखों में)
समेकित बाल विकास सेवाएं	574.50
बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	175.00
देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के हितार्थ सेवाएं	50.00
श्रमजीवी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु केन्द्र	75.00

इसके अतिरिक्त निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पोषाहार स्थिति में सुधार हेतु गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी 1979-80 में 260.68 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। खाद्य

विभाग ने अपने 1979-80 के बजट से विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए 369.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने बजट में 1979-80 के दौरान बच्चों और माताओं का प्रतिरक्षण, विटामिन "ए" और "फौलिक एसिड" आदि के वितरण जैसी विशेष मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए 605 लाख रुपये का प्रावधान किया है। विश्व बाल वर्ष कार्यक्रमों के प्रचार के लिए समाज कल्याण विभाग की 1979-80 की वार्षिक योजना में 25.00 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिए योजना आयोग सहमत हो गया है। निराश्रित बच्चों के विशेष रुप से स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों के पुनर्वास के लिए कल्याण के कार्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्वंयसेवी संगठनों को सहायक अनुदान देने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय बाल कोष स्थापित किया गया है।

शाखा पोस्टमास्टर के पद पर उसी गांव के व्यक्ति को नियुक्ति

7052. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ऐसे सरकारी आदेश हैं कि जिस गांव में नया शाखा डाकघर खोला जाता ; उसी गांव का कोई व्यक्ति शाखा पोस्टमास्टर के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे आदेश जारी करने का है; और

(ग) यदि ऐसे आदेश विद्यमान हैं तो मध्यप्रदेश के सिवानी जिले में पिपड़ियाकलां गांव के व्यक्ति को शाखा पोस्टमास्टर नियुक्त न करने तथा वहां शहर के एक व्यक्ति को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। जिस गांव में डाकघर खोला गया हो उसी गांव के स्थायी निवासियों में से नियुक्ति की जाती है, बशर्ते कि वे लोग अन्य शर्तें भी पूरी करते हों।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे यथाशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

मनोरंजन उद्देश्य के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा ली गयी राशि

7053. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या **निर्माण और आवास** तथा **पूर्ति** और पुनर्वास **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की निधि से मनोरंजन उद्देश्य के लिए फरवरी, 1978 से कितनी राशि निकालो गयी;

(ख) क्या उपाध्यक्ष निजी तौर पर इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर के सदस्य हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण की निधि से निकाली गई हजारों रुपये की राशि उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ और अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए इण्डिया इन्टर नेशनल सेन्टर में बड़े और शानदार भोज देने में व्यय की;

(ग) उपाध्यक्ष ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से कितनी राशि निकाली तथा इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर में कितनी राशि व्यय की; और

(घ) निजी उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण की सरकारी निधि के दुरुपयोग के लिए उपाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) :— सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"एग्रीव्ड साइन्टिस्ट् यट टु ग्रेट फेयर डील" शीर्षक समाचार

7054. **श्री सौगत राय:** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 11 मार्च, 1979 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "एग्रीव्ड साइन्टिस्ट्स यट टु ग्रेट फेयर डील" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर उनका ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली के जीव रसायन विशेषज्ञ डा० वाई० पी० गुप्ता और उस संस्थान के जीव रसायन प्रभाग के सामान्य कार्य से, जिसका कि हवाला लेख में दिया गया है, संबंधित है ।

डा० गुप्ता ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा उनके अधिकार के दुरुपयोग के विषय में नवम्बर, 1977 में शाह आयोग के समाने शिकायत की थी । चूंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्ध के विरूद् शिकायतें शाह आयोग के कार्यकलाप के अन्तर्गत नहीं आती थी, इसलिए डा० गुप्ता की शिकायत आयोग द्वारा कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग को भेज दी गई जिसमें यह कहा गया कि वे इस शिकायत के औचित्य के संबंध में सन्तुष्ट होने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से 'रिपोर्ट मंगायी जाय ।

डा० वाई० पी० गुप्ता ने तथा डा० टी० एस० रमन ने जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जीव रसायन विभाग के दूसरे वैज्ञानिक हैं, इसके बाद क्रमशः दिनांक 29-8-78 और दिनांक 4-9-78 को निम्नलिखित मामलों, में स्वतन्त्र न्यायिक जांच के लिए प्रार्थना करते हुए प्रतिवेदन पेश किए :—

(क) पिछले एक दशक में जीव रसायन प्रभाग के सभी मामलों में, जिनमें डा० एम० एस० नायक और डा० एस० एल० मेहता की विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी शामिल हैं और डा० नायक के विरुद्ध दूसरी अनेक शिकायतों की जांच करवायी जाये और अनियमित नियुक्तियों को रद्द किया जाए ;

(ख) उन लोगों के अधिकारों और सुविधाओं को जिनमें उनकी वरिष्ठता भी शामिल है फिर से उनको वापस दी जाये और पिछले एक दशक में जो सभी अन्याय उनके साथ हुआ है उसको सुधारा जाय ;

(ग) सेवा अधिकारी पर प्रभाव डाले बिना पदोन्नति के समान अवसर प्रदान दिए जाएं ;

(घ) उनके वैज्ञानिक कैरियर, भविष्य वित्तीय हानि और जो कष्ट उन्होंने एक दशक में उठाये हैं उन हानियों की क्षति पूर्ति की जाए और राहत दी जाए ;

(च) डा० वाई० पी० गुप्ता की यथा पूर्व स्थिति के अनुसार संकाय की सदस्यता फिर से दी जाएं ;

(छ) डा० वाई० पी० गुप्ता की सी० सी० आर० में प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द कर दिया जाए और उन्हें दिया गया 13-12-1972 का ज्ञापन वापस लिया जाये;

(ज) स्टाफ, सुविधांए और सुख सुविधाएं फिर से दी जायें ;

(झ) डा० नायक को जिनकी वैज्ञानिक निष्ठा संदिग्ध है उन की योग्यता तथा निष्ठा का निर्णय करने के लिए न बिठाया जाये;

(ट) अपराधियों को उनकी ज्यादतियों, गलत कारनामों, अधिकार के दुरुपयोग और प्रशासनिक प्रणाली को तोड़ने के लिए तथा झूठे और वाहियात दोषारोपणों को लगाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए और विज्ञान में भ्रष्ट तरीकों को अपनाने के लिए दण्डित किया जाये।

डा० गुप्ता और डा० रमण ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान में वरिष्ट जीव रसायन विशेषज्ञ के पद पर डा० एस० एल० मेहता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी ।

पांच न्यायाधीशों की पूरी पीठ ने, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, रिट याचिक पर विचार किया और उसे 27 मई, 1975 के निर्णय के अनुसार रद्द कर दिया जिस निर्णय में और बातों के साथ यह भी कहा गया था कि रिट याचिका में लगाए गए——इनसिन्यूवेशंस (लाँछन) बेबुनियाद है।

उपरोक्त दोनों विज्ञानियों ने तब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपीलों को रद्द कर दिया परन्तु डा० वाई० पी० गुप्ता को संकाय के सदस्य के रूप में वापस लेने की पेशकश पर टिप्पणी की।

डा० वाई० पी० गुप्ता को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्नातकोतर विद्यालय के संकाय की सदस्यता की पेशकश की गई बशर्ते कि वे संकाय के सदस्य के लिए अपेक्षित अनिवार्यताओं को पूरा करें। यद्यपि उन्होंने इस पेशकश के विरुद्ध प्रतिवेदन किया है, वे संकाय की सदस्यता के रूप में काम कर रहे हैं।

इन प्रतिवेदनों में उठाए गए सेवा से सम्बन्धित मामलों के मुद्दों पर विस्तार से उपयुक्त स्तरों पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि उनके मामलों में पहले से ही लिए गए निर्णयों को बदलने का कोई आधार नहीं है।

जहां तक उनके अनुसंधान कार्य के लिए उपयुक्त सुविधाएं न देने की शिकायतों का प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने उनकी शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बिठाई थी। डा० वाई० पी० गुप्ता और डा० टी० एस० रमण से प्रार्थना की गई कि वे इस समिति को अपनी शिकायतें पेश करें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने सूचित किया कि ये दो विज्ञानी समिति के सामने पेश हुये थे और उन्होंने अपनी शिकायतों की रूपरेखा की एक टिप्पणी पेश की थी। बाद में अक्तूबर, 1978 में डा० गुप्ता और रमण दोनों ने ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को सूचित किया कि उनके द्वारा बिठाई गई आंतरिक समिति के कार्यकलाप में उनका एक पक्ष पर बने रहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही गृह मन्त्रालय के राज्य मंत्री से जीव रसायन प्रभाग के मामलों में न्यायिक जांच के लिये अपील की थी और यह मामला उनके सामने अभी विचाराधीन है।

दोनों विज्ञानियों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के द्वारा यह सूचित किया गया है कि कोई न्यायिक जांच नहीं की जायेगी उनके अभियोगों की पहले ही उच्च न्यायालय ने बेबुनियाद पाया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हाल में बाहर से प्रमुख जीव रसायन विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जीव रसायन प्रभाग की, उसके आरम्भ होने के समय से ही कार्य की जांच करेगी, अलग-अलग विज्ञानियों द्वारा उनके अनुसंधान में योगदान की ओर इन विज्ञानियों के सामने पेश होने वाली समस्याओं की जांच पड़ताल करेगी और उपयुक्त सिफारशें देगी। समिति की पहली बैठक 21-4-1979 को होनी निश्चित हुई है।

श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टल के लिये निर्माण हेतु स्वंयसेवी संगठनों को सहायता

7055. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु स्वंयसेवी संगठनों को प्रभावी सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्वोत्तर आंचल में इस समय कहां-कहां पर होस्टलों का निर्माण हो रहा है और अगामी 3 वर्षों में कहां कहां पर निर्माण होना है ; और

(ग) देश में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले निजी संगठनों के नाम क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां। एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत और न कि केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ;

(ख) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और मणिपुर में केन्द्रीय सहायता से निमार्णाधीन होस्टलों और उनके स्थानों का व्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य संघ शासित क्षेत्र	स्थान	क्षमता
असम	गौहाटी (3 होस्टल)	282
अरुणाचल प्रदेश	ईटा नगर	25
मनीपुर	इम्फाल (2 होस्टल)	90
मेघालय	शिलांग	54
मिजोरम	एजवाल	40
त्रिपुरा	अग्रतला	20

योजना अनुसार सब प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर ही आगामी 3 वर्षों में निर्माण कार्य निर्भर रहेगा।

(ग) श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टलों की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जिन स्वंयसेवी संगठनों ने श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण का कार्य आरंभ किया है, उन के नाम सदन पटल पर रखे गये हैं।

विवरण

नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए केन्द्रीय सहायता से होस्टल निर्माण करने वाली स्वंयसेवी **संस्थाओं के नाम :-**

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र युवती मंडली, बरकतपुर, हैदराबाद
2. वाइ0 डब्ल्यू0 सी0 ए0, हैदराबाद
3. बैकवर्ड क्लास होस्टल फार गर्ल्स एण्ड वूमन्स, हनूमकोड़ा (वरंगल)

4. भारत महिला मंडली, एलूरू रोड़, विजय वाड़ा-2
5. लेडीज रीक्रीएशन क्लब, गुंटूर
6. ए0 आई0 डब्ल्यू0 सी0, हैदराबाद
7. वनका महिला समाजम, हैदराबाद-500040
8. गिल्ड आफ सर्विस, काकीनदा

असम

1. युवा निवास संस्था महिला निवास, गोहाटी-3
2. वाइ0 डब्ल्यू0 सी0 ए0, गोहाटी-3
3. वर्किंग गर्ल्स होस्टल संस्था, गोहाटी

बिहार

1. वर्किंग वूमैनस होस्टल, पटना

चन्डीगढ़

1. वाइ0 डबलयू0 सी0 ए0, नई दिल्ली
2. चन्डीगढ़ कौंसिल आफ चाइल्ड वैलफेयर, चन्डीगढ़

दिल्ली

1. ए० आई० डब्ल्यू सी०, नई दिल्ली
2. महिला इम्दाद कमेटी, नई दिल्ली
3. यंग वूमैनस एसोसिएशन, नई दिल्ली
4. सैन्ट स्टीफनस होस्पीटल, दिल्ली

गुजरात

1. श्री कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, जाम नगर
2. ए० आई० डब्ल्यू० सी०, सूरत
3. गांधी विकास गृह, भाव नगर
4. श्री महारानी चिमन बाई स्त्री समाज, वड़ौदा
5. ए० आई० डब्ल्यू० सी०, राजकोट
6. श्री कान्ता स्त्री विकास गृह, राजकोट
7. सर्वेंटस आफ दी पीपल्स सोसाइटी, अहमदाबाद

8. गुजरात स्त्री प्रगती मंडल, अहमदाबाद
9. ए० आई० डब्ल्यू० सी०, अहमदाबाद

हरियाणा

1. इन्डियन रेडक्रास सोसायटी हरियाणा शाखा, चन्डीगढ़

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू और कश्मीर मर्काजी-बेहुब्दी-खावतीन मिशकीन बाग, श्रीनगर

कर्नाटक

1. वाई० डब्ल्यू० सी० ए०, बंगलौर
2. इन्डियन कोंसिल आफ सोशल वैल्फेयर, बंगलौर
3. एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इन्डिया, बंगलौर
4. ईशवरानन्द महिला सेवाश्रम सोसायटी, मंगलौर
5. जनता शिक्षण समिति, धारवाड़
6. कर्नाटक स्टेट कोंसिल आफ चाइल्ड वैल्फेयर, बंगलौर
7. श्री शारदा सेविका मंडली, बंगलौर
8. दी बेलगांव वूमैनस वैल्फेयर एसोसिएशन, बैलगांव
9. यूनिवर्सिटी वूमैनस एसोसिएशन, बंगलौर
10. श्री रामकृष्णा विद्यार्थिनी भवन, मंगलौर
11. जगद गुरू श्री शिवरमेशवरा महाविद्यापीठ रामनूजा रोड मैसूर

केरल

1. पैरम्बवूर महिला मंडल, पैरम्बवूर (एरनाकुलम)
2. वाई० डब्ल्यू० सी० ए० पैरम्बवूर (एरनाकुलम)
3. नायर सर्विस सोसायटी, चंगनाचेरी
4. एस० एन० वी० वूमैनस एसोसिएशन, त्रिवेद्रम
5. दी एरनाकुलम कारायोग्य, कोचीन
6. कालीकट मुस्लिम एसोसिएशन, कालीकट
7. मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी, कालीकट
8. वाई० डब्ल्यू० सी० ए०, कालीकट
9. श्री कांतेश्वरा क्षेत्र योग्म, कालीकट
10. मित्र निकेतन विलांद पो० आ० जिला त्रिवेन्द्रम

11. मुस्लिम एसोसिएशन, त्रिवेन्द्रम
12. आर्य सेवा संगम सचिवोथापुरम (कोटायाम)
13. गिल्ड आफ सर्विस, केसर गोड़
14. चंगनाचैरी मुनिस्पलिटी, चेन्गनाचेरी
15. सी० एम० सी० एजूकेशनल सोसायटी, इरींजाकुडा
16. श्री गनोडया योग्म, तैलीचेरी
17. एम० एस0 सी0 स्कूल, त्रिवेन्द्रम
18. मुनिस्पल कोंसिल, थिरूवाला
19. मुनिस्पल कोंसिल, पलाई
20. मुनिस्पल कोंसिल. शयरललाई
21. एस0 एन0 वी0 सधनान ट्रस्ट, कोचीन
22. एस0 एन0 वनीता समाजम, कोटायम
23. वाई0 डब्ल्यू0 सी0 ए0, कोटायम
24. मुस्लिम वूमैनस एसोसिएशन, एरनाकुलम
25. इम्पलाईड लैडिज होम, त्रिचूर

मध्य प्रदेश

1. एम0 पी0 शासकीय कर्मचारी महिला कल्याण केन्द्र, भोपाल
2. भोपाल वूमैनस एसोसिएशन, भोपाल
3. एम0 पी0 स्टेट ट्यूबरक्लासिस एसोसिएशन, भोपाल
4. ए0 आई0 डब्ल्यू0 सी0 जबलपुर
5. मालव महिला कल्याण परिषद, उज्जैन
6. जन विकास नयास ग्वालियाड
7. मुनिस्पल कोंसिल, च्छिन्दवाना
8, महिला मण्डल, मन्दसोर

महाराष्ट्र

1. वूमैनस ग्रेजूएट यूनियन, बम्बई
2. श्रद्धानन्द महिला आश्रम, बम्बई
3. ए0 आई0 डब्ल्यू0 सी0, बम्बई
4. श्रम साधना ट्रस्ट, बम्बई
5. पूना महिला मंण्डल, पूना

6. महाराष्ट्र सहकारी उद्योग लि0 बम्बई
7. इन्डियन कौंसिल आफ सोशल वैल्फेयर, बम्बई
8. भारत महिला शिक्षण मंडल, शोलापुर
9. महिला सेवा मंडल, पूना
10. मातृ सेवा संघ, नागपुर
11. सरस्वति मन्दिर, नागपुर
12. अखिल भारतीय महिला परिषद, नागपुर
13. मोती मैटेरनटी होम, अमरावती
14. शारदा उद्योग मन्दिर, अमरावती
15. स्वतन्त्रता लक्ष्मीरानी लक्ष्मीबाई समिति, नासिक
16. यूनिवर्सिटी एसोसिएशन आफ पूना, पूना
17. करवीर भागीनी मण्डल, कोल्हापुर
18. हिन्दी स्त्री शिक्षण संस्था, पूना
19. मातृ सेवा संघ, नागपुर
20. विधरवा महारोगी सेवा मण्डल, अमरावती
21. पूने विद्यार्थी गृह, पूना
22. भारतीय स्त्री जीवन विकास परिषद, थाना

मनीपुर

1. मनीपुर महिला कल्याण समिति, इम्फाल
2. आल मनीपुर वूमैनस एसोसिएशन, इम्फाल

मेघालय

1. वाई0 डब्ल्यू0 सी0 ए0 शिलोंग

मिजोरम

1. मिजोरम हिम्वीटंगरूअल पाल, अजवाल

उड़ीसा

1. स्टेट कोंसिल वैल्फेयर एडवाइसरी बोर्ड भुवनेशवर
2. कला विकास केन्द्र, कटक
3. निवदित्ता कल्याण समिति, राउकेला
4. उत्कल महिला समिति, कटक

पंजाब

1. श्रीमती कुसुम त्रिवेदी रिफुजी रिलीफ फंड सोसायटी, जलंधर
2. लाजपत राय महिला होस्टल कमेटी आफ सर्वेंट आफ दी पीपल सोसायटी, अवोहर
3. इन्डियन रेड क्रास सोसायटी, भटिंडा जिला शाखा
4. इन्डियन रेड क्रास सोसायटी, जलंधर, जिला शाखा
5. इन्डियन रेडक्रास सोसायटी, पटियाला जिला शाखा पटियाला
6. इन्डियन रेडक्रास सोसायटी, लुधियाना, जिला शाखा लुधियाना
7. इन्डियन रेडक्रास सोसायटी, अमृतसर, जिला शाखा अमृतसर
8. आल इन्डिया वूमैनस वोलनटरी सर्बिस, पंजाब शाखा चन्डीगढ़

राजस्थान

1. किंग एवार्ड-7 मेमोरियल रेस्ट हाऊस सोसायटी, अजमेर
2. बाल मन्दिर, जयपुर

तमिलनाडू

1. गिल्ड आफ सर्विस, मद्रास
2. मद्रास सेवा सदन, मद्रास
3. वूमैनस इन्डियन एसोसिएशन, मद्रास
4. गिल्ड आफ सर्विस, काचीपुरम
5. इन्डियन वूमैनस एसोसिएशन, सलम
6. वाई0 डब्ल्यू0 सी0 ए0 मदुरई
7. दी कोयम्बतूर सेवा निलायम, कोयम्बतूर
8. वाई० डब्ल्यू० सी० ए० मद्रास
9. वाई० डब्ल्यू० सी० ए० कोयम्बतूर
10. स्त्री सेवा मन्दिर, मद्रास
11. दी डिशिसन कोंसिल आफ कैथोलिक वूमैन, मदुरई
12. वाई० डब्ल्यू० सी० ए०, सलम
13. वाई० डब्ल्यू० सी० ए०, त्रिरूनावली
14. सुबरामनिया नगर मदर संगम, सलम
15. ए० आई० डब्ल्यू० सी० एण्ड रीक्रिएशन, कल्व कदुरई

16. वाई० डब्ल्यू० सी० ए० त्रिचूरापल्ली

17. अवाई होम, मद्रास

18. साउथ केरला डिओसिस साफ दी चर्च आफ साऊथ इन्डियन ट्रस्ट एसोसिएशन, मद्रास

त्रिपुरा

1. आल इन्डिया वूमैनस फूड कोंसिल, अगरतला

उत्तर प्रदेश

1. नेहरू वाल मण्डल, इलाहाबाद,
2. वाई० डब्ल्यू० सी० ए० लखनऊ
3. ए० आई० डब्ल्यू० सी० कानपुर
4. ए० आई० डब्ल्यू सी० लखनऊ
5. लाल रामनुज दयाल वेश्य बाल सदन, मेरठ
6. अर्जुन महिला शिल्प कला केन्द्र, कानपुर
7. महादेवी कन्या पाठशाला कोलेज, देहरादून
8. भारतीय शिक्षण विकास समिति, गोरखपुर

पश्चिम बंगाल

1. आल बंगाल वूमैन यूनियन, कलकत्ता

5. नारी सेवा संघ, कलकत्ता

3. एसोसिएशन फार सोसल हैल्थ, इन इन्डिया, कलकत्ता

अरुणाचल प्रदेश

1. अरुणाचल प्रदेश सोशल वैल्फेयर एडवोयसरी बोर्ड इटानगर

अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह

1. आल इन्डिया वूमैनस फूड कोंसिल, पोर्टब्लेयर,

गोवा, दमन और द्वीव

1. आल इन्डिया वूमैनस कान्फेंस, पणजी (गोवा)
2. गोमांतक महारथी समाज, पणजी

समन्वेषी मत्स्य क्षेत्र परियोजनायें

7056. **श्री के० राम मूर्ति : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्रियान्वित की जा रही समन्वेषी मत्स्य क्षेत्र परियोजनाओं की **मुख्य बातें क्या** हैं ; और

(ख) इससे देश में देशी नावों तथा दोनावा (कटमरन) का प्रयोग करने वाले 15 लाख मछुओं को किस हद तक सहायता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना के उद्देश्य नीचे दिये गए हैं :—

(1) निम्नाकितों के संबंध में समन्वेषी कार्य करना :—

(क) मत्स्यन स्थलों को रेखांकित करना ।

(ख) उत्तम मत्स्यन मौसम का निर्धारण करना ।

(ग) उपलब्ध मछलियों की किस्मों की जांच करना ।

(ग) मत्स्यन गेयर और उपकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना ।

(ङ) मत्स्यन जलयानों की विभिन्न किस्मों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना ।

(2) आधुनिक मत्स्यन जलयानों की व्यवस्था के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।

(3) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की वाणिज्यिक संभाव्यता की जांच करना तथा सभी संबंधितों को आवश्यक आंकड़े और सूचना उपलब्ध कराना जिससे मत्स्यन उद्योग के विकास में सहायता और मार्ग दर्शन मिल सके ।

(ख) समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना का लक्ष्य गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को सहायता प्रदान करना है, अतः देशी नावों और लकड़-नावों को प्रत्यक्षतः लाभ नही पहुंचा है । तथापि, आवश्यकता पड़ने पर परियोजना जलयानों ने बचाव कार्यों में सहायता दी है ।

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी छात्रों को छात्रवृत्ति देना

7057. **श्री एस० आर० रेड्डी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्र-वृत्ति देकर लाभ पहुंचा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां ।

(ख) विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है किन्तु सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी । उन राज्यों के नाम, जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं संलग्न सूची में दिए गए है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र

आन्ध्र प्रदेश

असम

गुजरात

जम्मू और काश्मीर

कर्नाटक

केरल

महाराष्ट्र

मणिपुर

मेघालय

नागालैंड

उड़ीसा

पंजाब

सिक्किम

तमिलनाडु

त्रिपुरा

पश्चिम बंगाल

अण्डमान और निकोबार

अरुणाचल प्रदेश

चडीगढ़

दादरा और नागर हवेली

गोआ, दमन और दीव

लक्ष्य द्वीप

मिज़ोरम

पाण्डिचेरी

निकोबार में बाल विकास तथा नारी साक्षरता कार्यक्रम

7058. **श्रीमती पार्वती देवी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार निकोबार जिले के आदिवासी क्षेत्रों में बाल विकास तथा नारी साक्षरता हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण श्रौर संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : जी, हां महोदया। संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को उत्तर अंडमान में (सामुदायिक विकास ग्रामीण) वर्ष 1978-79 के दौरान एक समेकित बाल विकास सेवा योजना की परियोजना आवंटित की गई थी। सरकार द्वारा निकोबार द्वीप समूह में अन्तर-राष्ट्रीय बाल वर्ष (1979) के लिए, फरवरी, 1979 में एक और समेकित बाल विकास सेवा योजना की परियोजना (जनजातीय) आवंटित की गई है। प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, तथा इसे समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम की अवस्थापना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा देने की परिकल्पना की गई है, ताकि बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए वे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण, गृह प्रबंध तथा बच्चों की देखभाल आदि के संबध में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर सकें।

समेकित बाल विकास सेवाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(I) 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना ;

(II) बच्चे के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक समुचित विकास की नींव रखना ;

(III) मृत्यु दर, अस्वस्थता दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति संबंधी घटनाओं को कम करना ;

(IV) बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वियन के समन्वय को कारगर ढंग से प्राप्त करना ; और

(V) समुचित पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की कार्यक्षमता को बढ़ाना।

समेकित बाल विकास सेवा योजना में निम्नलिखित सेवाओं की व्यवस्था की जाती है :—

(1) अनुपूरक पोषण।

(2) प्रतिरक्षण।

(3) स्वास्थ्य जांच।

(4) परामर्श सेवाएं ।

(5) पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा ।

(6) गैर ओपचारिक शिक्षा ।

क्योंकि बच्चे के शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास में मां को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, अतः स्तन्यदा तथा भावी माताओं को किसी भी ऐसी योजना में लाना होगा जिसका उद्देश्य बच्चे का कल्याण है । अतः 15-44 वर्ष आयु वर्ग की माताओं की ओर ध्यान देना होगा, जिन्हें समेकित बाल विकास सेवाओं की परिधि में शामिल कर लिया गया है ।

सुन्दर जलाशय योजना, तोराई जलाशय योजना और गुमानी जलाशय योजना पर कार्य

7059. **फादर एन्थनी मुरमू : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सहयोग से बिहार प्रदेश को (एक) सुन्दर जलाशय योजना (दो) तोराई जलाशय योजना (तीन) गुमानी जलाशय योजना पर कार्य आरम्भ हो गया है और यदि हाँ, तो क्या एक नहर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि और इन योजनाओं के कारण जलमग्न होने वाली भूमि के लिए आदिवासियों को कोई क्षतिपूर्ति दिये बिना कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रभावित आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के लोगों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, क्रियान्वयन और प्रचालन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है । केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में समूचे राज्य के लिए एकमुश्त दी जाती है और उसका विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा परियोजना से संबंध नहीं होता । इन परियोजनाओं से प्रभावित हुए व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी के बारे में बिहार सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा राज्य सरकार से मंगवाया गया है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम की अवधि

7060. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

डा० विजय मंडल :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री शंकर सिंह जी बाघेला : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अवर-स्नातकों को अकादमी परिषद् के निर्णय के अनुसार आगामी शिक्षा सत्र से बैचलर की डिग्रियां लेने के लिए देश के अन्य स्थानों के अवर स्नातकों की अपेक्षा एक वर्ष अधिक लगाना पड़ेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे निर्णय के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस निर्णय की आलोचना की गई है और इससे छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : यह सही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया है कि अवर-स्नातक शिक्षा (पास तथा आनर्स, दोनों पाठ्यक्रम) की अवधि 12 वर्षीय (10+2) स्कूल शिक्षा के बाद भी 3 वर्ष की होगी। भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय ही केवल एक ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें 10+2 स्कूल पद्धति लागू हो जाने के बाद अवर-स्नातक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष की होगी। कुछ राज्यों, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में भी बहुत से विश्वविद्यालयों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि के हैं।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शैक्षिक परिषद का एक सदस्य, परिषद के इस निर्णय से सहमत नहीं हुआ कि पास तथा आनर्स, दोनों पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि के होने चाहिए। तथापि, इस कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में किसी प्रकार के असंतोष की जानकारी विश्वविद्यालय को नहीं है।

(ङ) अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि समय-समय पर अन्तिम रूप से निर्धारित करने का कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय का ही है। सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

7067. **श्री निहार लास्कर :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री आर० के० स्वामीनाथन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग स्रोतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की अस्पष्ट नीति के कारण चाय बागान श्रमिकों के लिये पक्के मकानों का निर्माण-रुका हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अनुसार मकान निर्माण-कार्य हाल के वर्षों में धीमी गति से हो रहा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार चाय उद्योग योजना को स्वीकार नहीं कर रही है जिसमें 5,000 रुपये की राशि को बढ़ा कर 7,500 रुपये की राशि की राज सहायता करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(घ) क्या उन्होंने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को बहुत से अभ्यावेदन दिये हैं; **और**

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) :- बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत दो छोटे कमरों वाले मकानों तथा दो नियमित कमरों वाले मकानों की अधिकतम निर्माण लागत क्रमशः 4000/- रुपये और 5000/- रुपये प्रति मकान रखने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति में कोई अस्पष्टता नहीं है ।

बागान संघों की परामर्शी समिति, कलकत्ता ने इस योजना के अधीन निर्माण लागत की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन दिए थे । लेकिन उनके अभ्यावेदन को मंजूर करना संभव नहीं हुआ क्योंकि इसे मंजूर करने का अर्थ बागान कर्मचारियों के लिए कम रिहायशी एकक बनाना होगा जबकि सरकार की नीति का लक्ष्य यह है कि सीमित वित्तीय संसाधनों से यथा संभव अधिक से अधिक कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था की जाये ।

तथापि, निर्माण-लागत को कम करने की दृष्टि से संघों को यह सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन से परामर्श करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजें क्योंकि इस मामले में इस संगठन के पास अपेक्षित विशेषज्ञता उपलब्ध है ।

केरल पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में गो-वध पर रोक

7062. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केरल और पश्चिम बंगाल की दो राज्य सरकारों ने गो-वध पर पूरी रोक को नामंजूर कर दिया है ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री के लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान उन्हें अभ्यावेदन दिया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में गोवध पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में उनके अभ्यावेदन की जांच की है; और

(घ) क्या इन दो राज्य सरकारों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को गो-वध की अनुमति दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दो राज्य सरकारों ने गौ-हत्या पर पूर्ण रोक लगाने के विचार को अभी स्वीकार नहीं किया है ।

(ख) प्रधान मंत्री को कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) यह विषय राज्य सरकारों के कानूनी अधिकार के अन्तर्गत है ।

बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशें

7063. **श्री कुमारी अनन्तन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यकारी दल द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गयी है ; और

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही आरम्भ की गयी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क)-और (ख) : योजना आयोग की सलाह पर सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण संबंधी जो कार्यकारी दल गठित किया गया था, उसने 1978 के दौरान बाढ़ से हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए अपनी अन्तिम रिपोर्ट में उन उपायों की सिफारिश की है जो 1978-83 की योजनावधि के दौरान समूचे देश में बाढ़-नियंत्रण के लिए किए जाने जरूरी हैं। इन सिफारिशों में बहुत से नीति संबंधी उपाय भी सम्मिलित हैं जिनमें निर्माणाधीन स्कीमों को तेजी से पूरा करना और बाढ़ क्षेत्र निर्धारण का काम पूरा करना भी शामिल है। इन उपायों से उस 9.80 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के अलावा, जिसे मार्च, 1978 के अन्त तक समुचित सुरक्षा पहले ही प्रदान की जा चुकी है, 6 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सुरक्षा प्राप्त होने की संभावना है ।

कृषि विभाग द्वारा गठित एक अन्य कार्यकारी दल ने भारत-गंगा बेसिन में 5 से 7 वर्ष की अवधि में एक बहु-विषयक कार्य-प्रणाली द्वारा बाढ़-नियंत्रण संबंधी ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की है जिसमें इंजीनियरी, भू-संरक्षण, वन-रोपण और जल-धारा प्रबंध संबंधी उपाय भी शामिल हैं। इन दोनों कार्यकारी दलों की रिपोर्टें विचाराधीन हैं। राज्य सरकारों के साथ हाल में योजना के संबंध में हुए विचार-विमर्शों के आधार पर 1979-80 और 1978-83 के लिए योजना-आबंटनों को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

इन दोनों कार्यकारी दलों की मुख्य सिफारिशें उपाबंध एक और दो में दी गई हैं।

विवरण एक

उपाबन्ध एक

सिंचाई विभाग में गठित कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें :-

(1) सभी निर्माणाधीन स्कीमों की विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए । इन स्कीमों के लिए अलग से धन-राशि निर्धारित की जानी चाहिए ।

(2) प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना में सम्मत कार्यक्रम के अनुसार समनुरूप धनराशि को अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अन्तर्राज्यीय स्कीमें समयबद्ध कार्य-क्रम के अनुसार पूरी की जा सकें ।

(3) मौजूदा लाभों को बनाए रखने की स्कीमों को, जैसे तटबंधों को ऊंचा उठाने और सुदृढ़ बनाने की स्कीमें, सुरक्षित क्षेत्रों से पर्याप्त जल-निकास के लिए सलुइस की व्यवस्था करने की स्कीमों को हाथ में लिया जाना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए ।

(4) बाढ़-पूर्वानुमान की व्यवस्था को और सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। राज्यों के अन्दर अपेक्षाकृत छोटी नदियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अपने बाढ़-पूर्वानुमान संगठन स्थापित करने चाहिए ।

(5) बाढ़-प्रवण नदियों के बाढ़-क्षेत्रों में सभी संचयन जलशाय परियोजनाओं (चाहे उनका संबंध सिंचाई से हो अथवा विद्युत से) के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(6) राज्य के सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित विभागों के निकट ताल-मेल से मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए विशेष संगठन स्थापित किए जाने चाहिए । मास्टर योजनाओं की रूप-रेखा को मार्च, 1980 तक अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए और विस्तृत मास्टर योजनाएं मार्च, 1982 तक तैयार कर ली जानी चाहिए ।

(7) अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षण के उपयुक्त मानदण्ड और मानक निर्धारित किए जाने चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए ।

(8) बाढ़-क्षेत्र विनियमन ओर प्रबंध के कार्य की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए । राज्य सरकारों को चाहिए कि वे नक्शों और भूमि पर उन क्षेत्रों का सीमाकंन कर दें जहां विभिन्न पैमाने की बाढ़ें आने की संभावना होती है, और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर भूमि के उपयोग के विनियमों को लागू करें । केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह आवश्यक सर्वेक्षण करने और कन्टूर नक्शों को तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता दें ।

(9) कृषि विभाग को बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के कैचमेण्टस में भूमि संरक्षण के कार्यो को हाथ में लेना चाहिए । यह कार्यक्रम बाढ़-नियंत्रण के इंजीनियरी कार्यक्रम का पूरक होगा ।

(10) राज्यों और केन्द्र की सभी बृहद स्कीमों को नियमित रूप से मानीटरिंग करनी चाहिए ।

(11) राज्यों और केन्द्र में बाढ़-नियंत्रण से संबधित संगठनों को समुचित रूप से मजबूत बनाया जाना चाहिए ।

(12) पूरी हो चुकी स्कीमों का जायजा लिया जाना चाहिए ताकि उनके कार्य-निष्पादन और उनसे प्राप्त लाभों का मूल्यांकन किया जा सके और भावी योजना तैयार करने में उनसे सीख ली जा सके।

उपाबन्ध दो

विवरण दो

(1) जलधारा प्रबंध के लिए प्राथमिकता वाली लघु-जलधाराओं को निर्धारित करने का काम तत्काल प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

(2) प्रभावित लोगों के सहयोग से बड़े पैमाने पर वनरोपण, भू-संरक्षण और इंजीनियरी कार्य, जिसमें अनुरक्षण और बाढ़ पेट्रोलिंग का कार्य भी शामिल है, प्रारम्भ किए जाने चाहिएं । बाढ़ क्षेत्रों के निर्धारण और बाढ़ से निपटने के लिए इन लोगों का सहयोग अनिवार्य है ।

(3) विशिष्ट बाढ़ जल संचय की व्यवस्था करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए सभी जल-संचय जलाशय परियोजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए और यथासंभव हद तक बाढ़ों को कम करने की व्यवस्था करने के लिए प्रचालन अनुसूचियाँ तैयार की जानी चाहिएं ।

(4) उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विहार राज्यों और दामोदर घाटी निगम में जलाशय स्कीमों के शीघ्रतापूर्वक प्रोसेसिंग और क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बाढ़ के पानी के संचयन के लिए दामोदर घाटी निगम के मैथन और पंचेत बांधों के लिए भूमि अभिग्रहण करने के काम में भी शीघ्रता लाए जाने की आवश्यकता है।

(5) बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में, उपयुक्त प्रशिक्षण और स्थानीय अधिकारियों को उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर और पर्याप्त बचाव और राहत सामग्री और उपकरणों की व्यवस्था करके प्रशासन व्यवस्था के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण प्रबंध किए जाने चाहिए।

(6) जलधारा प्रबंध के कार्य में बन विभाग, कृषि विभाग और भू-संरक्षण संघ द्वारा किये जाने वाले कार्य में समन्वय लाने के लिए राज्य स्तर पर पूरी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों वाली एक केन्द्रीय एजेन्सी स्थापित की जानी चाहिए।

(7) अलाभकारी पशुओं की संख्या पर नियंत्रण करने और राष्ट्रीय वन नीति में बताए अनुसार वारी-बारी के चरागाहों को सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन डिवीजन की स्कीमें तैयार करनी चाहिए ।

(8) उन लोगों को जो नदी-तलों में अथवा तटबंधों के भीतर आबाद हों अथवा जो प्राकृतिक जल-निकास मार्गों में अनधिकृत रूप से आबाद हो उन्हें अन्य स्थानों पर

आबाद करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि खतरे के क्षेत्रों में खेती करना अपरिहार्य हो तो भी आबादी नदी-तलों के बाहर ही होनी चाहिए।

(9) स्थलाकृतिक स्थितियों और प्राकृतिक जल-निकास मार्गों की अपेक्षा करके सड़कों, तटबंधों, इमारतों और बस्तियों का अनियोजित रूप से निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी निर्माण-कार्यों की जांच बाढ़ क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए। सभी मौजूदा निर्माण-स्थलों में क्रास-ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए।

(10) सभी खतरनाक बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में राज्य सरकारों केन्द्रीय सरकार और स्वयं सेवी संगठनों की सहायता से बाढ़ से बचने के आश्रय-स्थलों की व्यवस्था की जा सकती है।

(11) बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के स्कूलों के पाठ्यक्रम में बाढ़ का मुकाबला करने के प्राथमिक उपायों की जानकारी शामिल होनी चाहिए। होम गार्डो और नागरिक सुरक्षा यूनिटों द्वारा बाढ़ का मुकाबला करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है और उनकी सहायता ली जा सकती है। ग्रामवासियों को बाढ़ का मुकाबला करने वाले ब्रिगेडों का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हें तटबंधों को दिन-रात गश्त करने और दरारों, कटाव आदि के आने के चिन्हों का पता लगाने और जनता को चेतावनी देने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(12) जिला-वार आधार पर बाढ़ का मुकाबला करने के मैनुअल तैयार किए जाने चाहिए और बाढ़ के विभिन्न स्तरों पर जनता को बाहर निकालने की स्कीमें तैयार की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय जल आयोग के तटबंध मैनुअलों और बाढ़ का मुकाबला करने से संबंधित मैनुअलों की सहायता ली जा सकती है।

(13) बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लोगों के सहयोग और शामिल हुए बिना बाढ़-नियंत्रण, बाढ़ों को कम करने और बाढ़ों से निपटने का कार्य प्रभावकारी नहीं हो सकता है। नदियों के नियंत्रण, वनरोपण और भू-संरक्षण के लिए जन-अभियान चलाने का चीनी उदाहरण अधिकांश लोगों के सहयोग की सम्भाव्यताओं का संकेत देता है। ऐसे उपायों में सामूहिक योगदान के लिए "काम के लिए अनाज" स्कीमों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे दलों और अन्य स्वेच्छिक संगठनों की सहायता से, बाढ़-प्रवण नदियों या सहायक नदियों या पेड़-पौधे रहित पहाड़ी-चोटियों के स्थानीय नामों से सम्बन्धित आकर्षक नारों की सहायता से बाढ़-नियंत्रण के लिए सामूहिक अभियान प्रारम्भ किया जा सकता है। योजना और विकास संगठनों के निचले स्तर पर ही बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रबंध किए जाने चाहिए।

(14) नाजुक क्षेत्रों में सिविल और अवनत (डिग्रेडिड) जंगलों को सम्भालने और कृषि भूमि में सामुदायिक जंगलों, फार्म जंगलों के विकास और भू-संरक्षण के कार्य में लोगों को सहायता देने के लिए राज्यों के वन और भू-संरक्षण विभागों को उपयुक्त रूप में सुदृढ़ करना होगा। इन संगठनों को सुदृढ़ करने में किया जाने वाला अतिरिक्त व्यय पूरा का पूरा केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा संवर्गों का व्यापक पैमाने पर विस्तार करना होगा और भारत-गंगा बेसिन के बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के उत्तारी वाह क्षेत्रों को पूरी तरह कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में वन विस्तार अधिकारियों की भर्ती करनी होगी और उन्हें प्रशिक्षित करना होगा।

फसल की कटाई के बाद अनाज की क्षति

7064. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री अनन्त राम जायसवाल :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री एम० वी चन्द्र शेखर मूर्ति :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि फसल कटाई के बाद अनाज निकालने की अन्य प्रक्रिया में 13 प्रतिशत अनाज की क्षति होती है ; और

(ख) यदि हां, तो परिष्करण, भंडारण ढलाई तथा बाजार ले जाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ताकि क्षति कम से कम हो ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : समूचे देश के लिए कटाई के बाद की अवस्था के दौरान खाद्यान्नों की क्षति के बारे में कोई ठीक-ठीक अथवा विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न अवस्थाओं पर खाद्यान्नों की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं :—

(1) खाद्यान्नों को हैंडल करने में लगे किसानों, व्यापारियों और अन्य एजेंसियों को भण्डारण की आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए शिक्षित करने के लिए एक अन्न सुरक्षा अभियान संगठन की स्थापना की गई है ताकि सभी अवस्थाओं में क्षति को कम किया जा सके। प्रचार, प्रदर्शन और प्रशिक्षण देने के अलावा, किसानों को सुगम ऋण पर छोटे आकार के उन्नत भण्डारण ढांचे उपलब्ध कर भण्डारण ढांचों का सुधार करने पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है।

(2) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख संगठनों के अपने भाण्डागारों का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण किया जाता है और वे मूषक, नमी और लीक-प्रूफ होते हैं। भण्डारण के दौरान क्षति को रोकने के लिए खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाती है। मानसून से पूर्व गोदामों का निरीक्षण किया जाता है और उनकी मरम्मत की जाती है ताकि वर्षा का पानी न रिसने पाए।

(3) स्टाक का संचलन करने से सम्बन्धित उचित योजना बनाई जाती है ताकि मार्ग में गैर-जरूरी संचलन, अनावश्यक नौकान्तरण तथा हानि को कम किया जा सके। लदान और उतरान केन्द्रों पर, खाद्यान्नों के बोरों को सम्भालने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है। खाद्यान्नों को भेजने के लिए यथा सम्भव ढके हुए वैगनों का ही प्रयोग किया जा रहा है। जब कभी खाद्यान्न भेजने के लिए खुले वैगनों का इस्तेमाल करना पड़ता है तब आवश्यक सावधानी बरती जाती है।

(4) कैंप भन्डारण को कम करने की दृष्टि से, विश्व बैंक की सहायता से 36 लाख मीटरी टन की ढकी हुई अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है जोकि 1980-81 तक सोपानवार आधार पर पूरी की जानी है।

(5) मध्यावधि योजना के दौरान, सहकारी समितियों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता को 55 लाख मीटरी टन तक बढ़ा दिया जाएगा जबकि 1977-78 में यह क्षमता 43 लाख मी० टन थी। इसी प्रकार केवल सहकारी क्षेत्र में ही गत 15 वर्षों के दौरान कृषि विधायन यूनिटों की संख्या में तिगुनी वृद्धि हुई है। 1979 के अन्त तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अपनी परिधि में आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का विकास करने के लिए कुल लगभग 27,973 लाख रुपये की सहायता सुलभ की थी।

(6) रबर रोल किस्म के डिहस्करज़ आदि के इस्तेमाल को शुरू कर चावल की मिलिंग में होने वाली क्षति को रोकने के लिए डिहस्किंग उपकरण में सुधार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है।

चीनी का थोक मूल्य

7065. **श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1979 से पूर्व और मार्च के दूसरे पखवाड़े में देश के उत्तरी राज्यों की राजधानियों और बम्बई में चीनी के थोक मूल्य क्या थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : उत्तरी राज्यों की राजधानियों अथवा प्रमुख मंडियों और बम्बई में चीनी के थोक मूल्यों के बारे में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

(रुपये/क्विंटल)

क्रम सं०	राज्य की राजधानी/मण्डी	मूल्य 28-2-79 को	मार्च, 1979 के दूसरे पखवाड़े के दौरान मूल्य-परिसर
1.	पटना (सी-30 ग्रेड)	225	235 से 275
2.	भोपाल (डी-30 ग्रेड)	224	228 से 251
3.	जयपुर	220	240 से 265
4.	जलन्धर (डी-30 ग्रेड)	241	265 से 287
5.	लखनऊ (सी-29 ग्रेड)	215	225 से 280
6.	दिल्ली (सी-30 ग्रेड)	240	252 से 284
7.	बम्बई (सी-30 ग्रेड)	226	230 से 256

राज्य वन अधिनियम में संशोधन

7066. **श्री हरि विष्णु कामथ** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** वनों के विनाश के बारे में 26 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 884 के अपने उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने राज्य वन विभागों के नियंत्रण के बाहर वाले क्षेत्रों में पेड़ों के काटे जाने को विनियमित करने के लिए अपने वन अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन किया है और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद के चालू सत्र में विधेयक पेश करने का सरकार का विचार है जिससे अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की जा सके और यदि नहीं, तो सरकार की क्या इच्छा है ;

(ग) वन विभाग के नियन्त्रण के बाहर के वन क्षेत्रों को वैज्ञानिक प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ;

(घ) उन क्षेत्रों का राज्य-वार भौगोलिक विवरण क्या है, जहां राज्य-क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बनरोपण योजनायें क्रियान्वयन के लिए प्रारम्भ की गई हैं ; और

(ङ) ऐसी वनरोपण योजना की प्रगति के लिए नियन्त्रण संगठन का ब्यौरा क्या है और क्या हिमालय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण घाटियों के बारे में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ग), (घ) और (ङ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और राज्यों से प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सरकार का भारतीय वन अधिनियम को संशोधित करने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत करने का विचार नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद के लिए और अधिक क्रय केन्द्र खोलना

7067. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि भारतीय खाद्य निगम और अधिक क्रय केन्द्र खोलने तथा इसके क्रय केन्द्र को बेचने के लिए दी गई धान का आधा से अधिक भाग खरीदने में असमर्थ रहा है ;

(ख) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम को और अधिक वित्त देने को तैयार है जिससे वह उसको दी जाने वाली सभी धान तथा चावल को समर्थन मूल्य पर विशेषकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में खरीद सके ; और

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने की स्थिति में है कि 'धान के उत्पादक, समर्थन मूल्य' से कम मूल्य पर अपना धान व्यापारियों को बेचने के लिए बाध्य न हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) मूल्य समर्थन सुलभ करने के लिए व्यवस्था करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, भारतीय खाद्य निगम भी एक एजेंसी है जिसे इस प्रयोजन हेतु लगाया जाता है भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितना वसूली कार्य किया जाना है और कितनी संख्या में क्रय केन्द्र खोले जाने हैं, इसके बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा हिसाब लगाया जाता है । भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार के एक एजेन्ट के रूप में मूल्य समर्थन कार्य करता है, लेकिन कर्नाटक और उड़ीसा में वह यह कार्य नहीं करता है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा उसे

वसूली कार्य नहीं सौंपा गया है। भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए पर्याप्त धन राशि है। यह उल्लेखनीय है कि मूल्य समर्थन केवल कृषि उत्पादकों को दिया जाता है और न कि चावल मिल मालिकों को। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1978-79 में 11 अप्रैल, 1979 तक भारतीय खाद्य निगम ने मूल्य समर्थन नीति के अधीन कुल लगभग 22.41 लाख मी० टन धान खरीदी है जबकि पिछले खरीफ विपणन मौसम 1977-78 की उसी अवधि के दौरान लगभग 10.30 लाख मीटरी टन धान खरीदी गई थी। ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य	खरीफ विपणन मौसम 1978-79 (11 अप्रैल, 1979 तक)	खरीफ विपणन मौसम 1977-78 (उसी अवधि के दौरान)
1. आन्ध्र प्रदेश	259.7	0 5
2. असम	23.4	8.2
3. हरियाणा	268.8	111.4
4. जम्मू और कश्मीर	—	—
5. कर्नाटक	—	—
6, केरल	—	—
7. मध्य प्रदेश	8.0	नग
8. महाराष्ट्र	—	—
9. उड़ीसा	—	—
10. पंजाब	1,555.0	846.7
11. राजस्थान	24.5	नग
12. तमिलनाडु	27.5	—
13. उत्तर प्रदेश	22.5	0.5
14. पश्चिमी बंगाल	45.1	60.1
15. अन्य	6.2	2.2
जोड़	2,240.7	1,029.6

नग: 500 मी० टन से कम

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को समर्थन मूल्यों से कम मूल्यों पर अपनी धान न बेचनी पड़े, सरकार द्वारा कई एक पग उठाये गए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(1) राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलें ताकि मूल्य समर्थन कार्य प्रभावकारी रूप से किया जा सकें।

(2) राज्य सरकारों से विशेषकर कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में मूल्यों के समर्थन मूल्य से भी नीचे गिर जाने से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद सरकार की क्रय मशीनरी को सक्रिय कर दिया जाए ताकि किसानों को मजबूरी की हालत में बिक्री न करनी पड़े।

(3) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न वसूली एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करें ताकि यथा सम्भव अधिकतम क्षेत्र में वसूली कार्य किया जा सके।

(4) राज्य सरकारों को यह भी अनुदेश किए गए हैं कि वे समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने और सरकार की मूल्य समर्थन विषयक नीति को लागू करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां स्थापित करें।

(5) राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे अपने द्वारा समर्थन मूल्य से सम्बन्धित किए गए प्रबन्धों का जन संचार के सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार करें।

लघु कृषिकों द्वारा ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों का प्रयोग

7068. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) अधिक उत्पादन की दृष्टि से ट्रैक्टरों और आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने संबंधी यदि कोई योजना लागू है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) किराया अथवा किराया खरीद के आधार पर ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों आदि का प्रयोग करने के लिए मध्यम और लघु कृषकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा पंचायत संघों में सहकारी समितियों के लिए ट्रैक्टरों अथवा कृषि उपकरण किराए पर लेने का है ; और

(घ) बेरोजगार स्नातकों द्वारा सहकारी समितियों के गठन के लिए क्या ठोस संबंधनात्मक सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : ट्रैक्टरों और अन्य कृषि मशीनरी के उपयोग को बढ़ाने के लिए चालू योजनाओं की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) केन्द्रीय योजना स्कीम के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टरों और अन्य महंगी कृषि मशीनरी को कस्टम सेवा पर प्रदान करने के लिए मन्त्रालय योग्य उद्यमकर्ताओं को कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता है। यह सहायता ब्याज सहायता के रूप में होती है, जो कि उद्यमकर्ताओं द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर अधिकतम देय भुगतान दर और 5 प्रतिशत के बीच की राशि होती है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण अवधि के दौरान उद्यमकर्ताओं को अपेक्षित प्रशिक्षण और 250/- रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

(2) उपर्युक्त कृषि-सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त राज्य कृषि-उद्योग निगम भी इसी प्रकार की कस्टम सेवाएं प्रदान कर रहें हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें निगमों को सामान्यतः साम्य पूंजी में योगदान के रूप में धनराशि प्रदान करती हैं, जिसमें भारत सरकार का योगदान अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित होता है।

(3) क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों को कुछ शर्तों के अनुसार उन्नत कृषि उपकरणों और साधारण मशीनों की खरीद के लिए लागत पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 33⅓ प्रतिशत की दर से राज-सहायता दी जाती है। अनुसूचित जनजातियों के छोटे और सीमांत किसानों के मामले में यह राज-सहायता 50 प्रतिशत की ऊंची दर पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, छोटे तथा सीमांत कृषक मान्यता प्राप्त स्रोतों से ली गई ट्रैक्टर की कस्टम सेवा के सम्बन्ध में देय उपरोक्त खर्चों की दरों पर भी राजसहायता के हकदार होते हैं। तथापि, क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत मध्यम किसानों को सहायता नहीं दी जाती है।

(4) बूंदी (मध्य प्रदेश) और हिसार (हरियाणा) स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि में कृषि मशीनरी के परिचालन, रख-रखाव और मरम्मत के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) तथा (घ) : ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

रिजनल प्रो-वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के कर्मचारियों का खपाया जाना

7069. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रिजनल प्रोवोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर करड़ (सतारा) के बन्द हो जाने के बाद कितने कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में खपाया गया है ;

(ख) क्या उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बराबर के ग्रेड तथा पद पर खपाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :—(क), (ख) और (ग) : रिजनल प्रोवोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर करड़ के दो अध्यापक, प्राथमिक शिक्षकों के रूप में इस पद के लिए निर्धारित 330-560 रु० के वेतनमान में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियुक्त किए गए थे। तथापि पहले पद पर वे जो वेतन ले रहे थे उसे सुरक्षित रखा गया था।

गोआ, दमण और दीव में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

7070. **श्री अमृत कामर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गोआ दमण और दीव सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यक्रम में असफलता के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 के लिए इस नीति के कार्यान्वियन क कारण हुई हानि की छात्रों को प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की अध्यापकों तथा माता-पिताओं द्वारा समाचार पत्रों एवं अन्य सार्वजनिक माध्यमों के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में इस नीति के विरुद्ध बड़े पैमाने पर व्यक्त किए गए असन्तोष का पता है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय सरकार को इस बारे में कोई निदेश दिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'वीपेन म्युचल एण्ड सोसायटी द्वारा संचलित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को अनुदान देना बन्द किया जाना

7071. **श्री के० ए० राजन** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वीपेन म्युचल एण्ड सोसायटी द्वारा संचालित 48 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को वार्षिक अनुदान देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा एवं कारण क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता" देने की योजना के अन्तर्गत अनुदान परियोजना के आधार पर दिया जाता है। म्युचल एंड सोसायटी को दो परियोजनाएं, एक 10 पुस्तकालय चलाने के लिए और दूसरी दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में 50 प्रौढ़ शिक्षा

केन्द्रों को चलाने के लिए और, क्रमशः 1976-77 और 1977-78 के दौरान स्वीकृत की गई थी। सोसायटी की रिपोर्ट के अनुसार ये परियोजनाएं पूरी हो गई हैं परन्तु उनके लेखे अभी तक निपटाए नहीं गए हैं क्योंकि संगठन ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोनों परियोजनाओं के परीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। परियोजनाओं को जारी रखने के लिए अनुरोध प्राप्त हो गया है और विचाराधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मागें

7072. **श्री सी० आर० महाटा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मागें मनवाने के लिये कृषि भवन के सामने 13 मार्च, 1979 को प्रचंड प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगों को मानने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लगभग 250-300 कर्मचारी (सहायक कर्मचारी) दिनांक 13.3.79 को कृषि भवन जलूस के रूप में आये, नारे लगाये और सारे दिन कृषि भवन के बाहर बैठे रहे।

(ख) संस्थान के इन सहायक कर्मचारियों की मांगों का सम्बंध रु० 200-250 के ग्रेड की समाप्ति, रु० 260-430 के नये वेतनमान का प्रारम्भ करना और कर्मचारियों की पदोन्नति उनके कार्य के 5-वर्षीय मूल्यांकन के आधार पर करने से सम्बन्धित थी।

कर्मचारियों की मांगों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की स्थायी वित्त समिति की उपसमिति द्वारा भारतीय कृषि कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की गयी। इन माँगों को शासी निकाय और परिषद के अध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

(ग) सहायक कर्मचारियों की मांगों को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया :—

(1) वेतनमानों के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों की स्थिति केन्द्रीय सरकार में उनकी बराबरी के कर्मचारियों की अपेक्षा कहीं बेहतर है।

जबकि सरकार में ऐसे कर्मचारियों के लिये छः वेतनमान हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में केवल चार वेतनमान हैं। इसके अलावा सरकार में प्रत्येक पद पृथक रूप में बनाया जाता है जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में चारों ग्रेडों के लिए 8:4:2: 1 का अनुपात शुरू किया गया है।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में सहायक कर्मचारी वर्ग के वेतनमानों में और पदों के निर्माण में किये गये सुधार के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में दिनांक 13.7.78 से निम्नलिखित पदोन्नतियाँ की गयी है :—

श्रेणी	दि० 13.7.78 से पूर्व (पुनर्संरचना के पहले) पदों की संख्या	दि० 13.7.78 के बाद (पुनर्संरचना के पश्चात) पदों की संख्या	निबल
1) रु० 196-232	7,366	5,067	(—) 2,299
2) रु० 200-250	1,117	2,533	(+) 1,416
3) रु० 210-290	983	1,267	(+) 284
4) रु० 225-308	34	633	(+) 599
	9,500	9,500	

यह ज्ञात होगा कि दि० 13.7.78 से पहले रु० 225-308 के वेतनमान में मौजूद 34 पदों के स्थान पर अब इस वेतनमान में 633 पद हैं। रु० 260-430 का उच्चतर वेतनमान देना या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में सहायक कर्मचारी वर्ग के लिए पांच वर्षीय मूल्यांकन प्रणाली शुरू करना इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि कर्मचारी वर्ग की इस श्रेणी के लिए भारत सरकार में इस प्रकार का वेतनमान या सावधिक मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान नहीं है।

बिहार के पूर्णियां जिले में कृषि अनुसंधान संस्थाएं

7073. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पूर्णिया जिले में कुछ कृषि अनुसंधान संस्थाएं चलाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) बिहार के पूर्णिया जिले में कृषि अनुसंधान केन्द्र प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सोलह राज्यों में राज्य-व्यापी कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार शिक्षा का राज्य स्तर पर दायित्व कृषि विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है । इस प्रकार से राज्य की आवश्यकता के आधार पर कृषि अनुसंधान की व्यवस्था करने के लिए बिहार में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय उत्तरदायी है । तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों की पूर्ति के रूप में, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के ढांचे के अन्तर्गत अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है । जहां तक पूर्णिया जिले का संबंध है, कटिहार क्षेत्र में दो अनुसंधान केन्द्र हैं जो तिलहनों और जूट पर अनुसंधान कर रहे हैं । पूर्णिया जिले के बाहर किन्तु समान कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित विभिन्न पहलुओं पर कार्यरत केन्द्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णिया जिले की आवश्यकताओं को पूरा करें ।

दूसरी फसल योजना के अधीन क्षेत्र

7074. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत में कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि का दूसरी फसल के लिए उपयोग किया जाता है; और

(ख) देश में समूची कृषि योग्य भूमि को दूसरी फसल योजना के अधीन कब तक लाया जा सकता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : 1977-1978 के दौरान एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र का अनुमान 284 लाख हैक्टयर लगाया गया है । सिंचाई की अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करके तथा फसलों की अल्पकालीन किस्में विकसित करके एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं । तथापि, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए यह कहना कठिन है कि भविष्य में समूची कृषि योग्य भूमि का दूसरी फसल के लिए उपयोग हो सकेगा ।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् को भूमि का आबंटन

7075. **डा० रामजी सिंह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति** और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के नाम में सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई जमीन का क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) क्या इस भूमि का अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने आपात स्थिति के दौरान अधिसूचना जारी की थी ; और

(ग) क्या रचनात्मक कार्य में संलग्न ऐसी संस्था के प्रति यह अन्याय है और यदि नहीं तो क्या सरकार अधिग्रहण आदेश को रद्द करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 37 बीघे तथा 17 बिस्वे जो लगभग 7-1/2 एकड़ के बराबर हैं।

(ख) जी, नहीं, इस भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 1959 में इसी अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत 1966 में नोटिस जारी किये गए थे। आवादकारों के पुनर्वास तथा डेरियों के स्थानान्तरण के लिए भूमि का अन्तिम रूप से अर्जन पूरा होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को 13 मई 1977 को भूमि का कब्जा दिया गया था।

(ग) भूमि अर्जन की कार्रवाई को इस समय रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, इस भूमि को अखिल भारतीय पंचायत परिषद द्वारा बनाये गये बलवन्तराय मेहता पंचायतीराज फाउन्डेशन नामक ट्रस्ट को वापस करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

खरीद मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न समिति को भेजा जाना

7076: **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :
श्री निहार लास्कर : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1979-80 के लिये खरीद मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न मंत्रिमंडलीय समिति को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले को समिति को भेजने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) समिति की सिफारिशें कब तक प्रस्तुत होने की संभावना है ; और

(घ) कृषि मूल्य आयोग ने किस मूल्य की सिफारिश की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) :— जी हां।

(ख), (ग) और (घ) : केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने अब गेहूं का समर्थन मूल्य 115/- रु० प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय किया है। इस विषय पर कृषि और सिंचाई मंत्री ने लोक सभा में 12 अप्रैल, 1979 को एक वक्तव्य दे दिया है।

नारियल बागान

7077. **श्री जी० मुवारहन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नारियल बागान के, राज्यवार, आंकड़े क्या हैं और किस राज्य में केरल राज्य से अधिक नारियल लगाया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : 1977-78 के दौरान नारियल बागानों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं। देश में किसी भी राज्य में केरल से अधिक नारियल के बाग नहीं लगाये जाते।

विवरण

राज्य	1977-78 के दौरान क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)
केरल	699.1
कर्नाटक	155.6
तमिलनाडू	109.4
आंध्र प्रदेश	39.8
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	20.4
गोवा, दमन और दीव	18.7
उड़ीसा	13.8
महाराष्ट्र	9.3
पश्चिम बंगाल	6.7
असम	4.9
लक्षद्वीप	2.8
पांडिचेरी	1.6
त्रिपुरा	0.8
अखिल भारत योग	1082.9

गांव अड़कपुर नई दिल्ली में आबादी जमीनों के लिए पंचाट

7078. **श्री रसीद मसूद** : क्या **निमर्ण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि गांव अड़कपुर बाग मोची, नई दिल्ली के निवासियों ने जनवरी, 1979 में मंत्री महोदय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अभ्यावेदन दिये थे;

(ख) क्या यह सच है कि निर्माण और आवास मन्त्रालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि गांव अड़कपुर बाग मोची, नई दिल्ली में स्थित आबादी जमीनों के लिए उनका कोई पंचाट नहीं हैं; और

(ग) क्या उनकी शिकायतें दूर करने के बजाए 3 मार्च 1979 को उनके मकान गिरा दिये गये थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चम्बल द्वारा भूमि कटाव से प्रभावित इटावा और कोटा के बीच के जिले

7079. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) इटावा और कोटा के बीच ऐसे कितनी जिले हैं जिसमें चम्बल से भूमि कटाव होता है;

(ख) भूमि कटाव से प्रभावित ऐसा कुल क्षेत्र कितना है जो खेती योग्य नहीं रहा ;

(ग) क्या इस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इटावा और कोटा के बीच चम्बा नदी के दोनों किनारों पर 10 जिले पड़ते हैं जिनमें से 4 जिले राजस्थान में, 4 मध्य प्रदेश में और 2 उत्तर प्रदेश में हैं ये जिले चम्बा घाटी के भूरक्षण से प्रभावित होते हैं।

(ख) इन जिलों में उबड़ खाबड़ भूमि के कटाव से प्रभावित होने वाला अनुमानित क्षेत्र लगभग 12.00 लाख हैक्टेयर है ।

(ग) और (घ) : उबड़-खाबड़ भूमि का सर्वेक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है । हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मार्च, 1978 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 3.19, 0.454 और 7.50 लाख हैक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में शरणार्थी शिविर चन्द्रपुर में छात्रों को पाठ्यपुस्तकों की सप्लाई

7080. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में चन्द्रपुर जिले के शरणार्थी शिविरों में बंगाली छात्रों को आज तक पाठ्य पुस्तकें नहीं दी गयी हैं ;

(ख) यदि यह सच है तो पुस्तक अभी तक क्यों नहीं दी गयी ;

(ग) क्या छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की सप्लाई करना सरकार का कर्तव्य नहीं है; और

(घ) अविलम्ब के कारण छात्र परीक्षा में अनुतीर्ण होते हैं तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) इस समय महाराष्ट्र राज्य में कोई शरणार्थी शिविर नहीं है । संभवत : यह हवाला जिला चन्द्रपुर में स्थापित किए गए गाँवों के सम्बन्ध में है । यदि हां तो उत्तर हां है ।

(ख), (ग) और (घ) : फरवरी, 1978 से जून, 1978 के बीच अपने बच्चों सहित प्रवासी परिवारों द्वारा अपने स्थान छोड़ जाने के कारण और जुलाई, 1978 के बाद छोटे-छोटे जत्थों में उनके वापस आने के परिणामस्वरूप, चन्द्रपुर जिला परिषद के लिए जो सामान्यीकरण कार्यक्रम के अधीन पुनर्वास गांवों के स्कूलों को प्रशासित करती है, प्रवासी छात्रों की पुस्तकों की आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा पुस्तकों को समय पर खरीदना संभव नहीं हो सका । अब अनुमान लगा लिया गया है और पुस्तकें खरीदी जा रही हैं और शीघ्र ही छात्रों को दे दी जाएंगी ।

नेहरू नगर, दिल्ली में गंदी बस्ती

7081. **श्री बी० जी० हाण्डे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति** और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में गन्दी बस्तियों/झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के आंबटियों को स्वामित्वाधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या नेहरू नगर नामक एक गन्दी बस्ती में भूतल पर तो कुछ दुकान हैं और पहली मंजिल पर फ्लैट हैं और इस समय इन दुकानों का उपयोग कुछ उद्योगपतियों द्वारा कारखानों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है और इस प्रकार के समीपवर्ती फ्लैटों में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उन कारखानों को वहां से हटाने और उन स्थानों को दुकानों में परिवर्तित करने, जिनके लिए वे आंबटित किये गये थे; के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ङ०) क्या नेहरू नगर मार्केट के फ्लैटों के शोचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है और एक एक शौचलय का तीन तीन आबंटीं उपयोग करते हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक आवंटी के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करने के लिए कोई कदम उठा रही है जैसा कि नेहरू नगर के ब्लाकों में किया गया हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) यद्यपि, झुग्गी-झोंपड़ी उन्मूलन योजना के अधीन कालोनियों के बारे में कोई निर्णय नही लिया गया है, किन्तु सरकार ने दिल्ली नगर निगम को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी है कि वे गन्दी बस्तियों के टेनामेन्टों के वास्तविक आंबटियों को पट्टा-आधार पर मालिकाना हकूक अंतरित करने के लिए पट्टा-विलेखों आदि को निष्पादन आरंभ कर दें ।

(ग) नेहरू नगर की निचली मंजिल में 13 दुकानों में लेथ-वर्कशाप, क्वायल वाईडिंग, बिजली की वेल्डिंग, ओटो पुर्जों के उत्पादन, आईस क्रीम फैक्ट्री आदि जैसे छोटे छोटे यूनिट चलाए जा रहें हैं । इन परिसरों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यापार चलाए जाने के बारे में रिर्पोट नहीं मिली है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) इस समय 42 फ्लैटों के लिए 14 शौचालय हैं यह सही है कि पहली मंजिल के शौचालयों में पानी नहीं पहुंचता है ।

(च) 26 मौजूदा गुसलखानों को शौचालयों में बदलकर आंबटियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है । इन गुसलखानों पर शीघ्र ही कार्य शुरू किए जाने की आशा है । समस्त कालौनी की जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिए भी एक योजना तैयार की गई है ।

एन० डी० एस० इंस्ट्रक्टरों को अपने अधीन लेने के लिये शर्तें

7082. **श्री मदन तिवारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा प्रिंसिपलों को जारी किए गये पत्र संख्या एफ० 1:4 (27)/ आर० एण्ड एम० 75, दिनांक 29 सितम्बर, 1975 में एन० डी० एस० इंस्ट्रक्टरों की सेवाओं को भारत सरकार के साथ तय की गई शर्तों के अनुसार सरकारी सेवा में नई भर्ती माना गया था यदि हां, तो दिनांक 1 नवम्बर, 1972 को उन्हें अपने अधीन लिये जाने के समय केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच तय की गई शर्तें क्या थीं; और

(ख) क्या इन शर्तों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भीलवाड़ा में मंडल कार्यालय की स्थापना

7083. **श्री रूप लाल सोमानी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) भीलवाड़ा में अब तक मंडल कार्यालय की स्थापना न करने के क्या कारण हैं, हालांकि इस बारे में पहले सिफारिश की गई थी और इसकी कब स्थापना की जायेगी;

(ख) धौलपुर, पाली, जोधपुर और अन्य स्थानों में विद्युत उपकरणों की सप्लाई करने के क्या कारण है, जब कि भीलवाड़ा शहर और जिले में संचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए उनकी जरूरत है ;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि टेलीफोन कनेक्शनों के लिये काफी समय पहले भीलवाड़ा शहर में एक विशेष योजना के अधीन लगभग 100 व्यक्तियों ने 80,000 रु० की धनराशि और 10 व्यक्तियों ने 40,000 रु० की धन राशि जमा कराई थी, उन्हें अब तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हे ये कनेक्शन कब दिए जायेगें ; और

(क) भीलवाड़ा जिला और शहर में संचार सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार की योजना का व्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) भीलवाड़ा में सर्किल कार्यालय की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन भीलावाड़ा के लिए 1978 में एक स्वतन्त्र डाक मंडल मंजूर किया गया था ।

(ख), (ग) और (घ): सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

राज्यों द्वारा यूनियन लैंड सीलिंग एक्ट का क्रियान्वयन

7084. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईदः क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति** और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने यह आरोप लगाया है कि केन्द्रीय सचिवालय में निहित स्वार्थ अर्बन लैण्ड सीलिंग एक्ट के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक नियम नही बनाये गये हैं और इसलिए राज्य सरकार अधिनियम को लागू नहीं कर सकती है ;

(ग) क्या जिन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय अधिनियम को अपना लिया है वे अपना स्वयं का कानून नहीं बना सकीं ;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक पहला राज्य था जिसने अधिकतम सीमा कानून लागू करने के लिये कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार कानून बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि कर्नाटक सरकार उसके क्रियान्यवन के लिए शीघ्र कार्यवाही कर सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं,

(घ) जी, नहीं। नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 17 फरवरी, 1976 को लागू हुआ था।

(ङ) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) नियम, 1976 और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए मार्गदर्शनों के अनुसार नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को क्रियान्वित करना कर्नाटक सरकार का काम है।

राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति इस प्रकार है:—

31-12-78 तक प्राप्त फालतू खाली भूमि के विवरणों की संख्या	68,987
जांच पड़ताल किए गए विवरणों की संख्या	15,170
अन्तिम रूप से निपटाए गए विवरणों की संख्या	196
राज्य सरकार द्वारा अर्जित तथा उसके पास निहित खाली भूमि की सीमा	72.45 हैक्टेयर

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में निजी सहायकों को विशेष भत्ता

7085. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निजी सहायकों को गोपनीय कागजात का निपटान करने के लिये विशेष भत्ता मिलता है तथा उन्हें इस पद पर मिलने वाले सामान्य वेतन और भत्तों के अतिरिक्त बिना किराये का आवास भी मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के निजी सहायकों को यही भत्ते दिये जाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आवास

7086. **श्री गदाधर साहा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण हुई क्षति तथा विनाश एवम् निर्धनों के लिए मकान बनाने हेतु तैयार किये गये पुनर्वास तथा पुर्ननिर्माण कार्यक्रम की भांति ही, कर्मचारी वर्ग (600 रुपये मासिक से कम आय वाले वर्ग तथा 700 रुपये मासिक आय से ऊपर आय वाले वर्ग) के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत लोगों को अपने निजी प्लाटों पर "हुडको" द्वारा मंजूर योजनाओं में प्रति रिहायशी एकक की औसत लागत के हिसाब से सहायता दी जाती है तथा मासिक किस्तों में ऋण की मासिक वापस अदायगी के आधार पर ऋण दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी शर्तों, निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, ई० डब्लू० एम० योजनाओं तथा ग्रामीण-आवासों के निर्माण की पूर्ति की अवधि संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) :— राज्य अभिकरणों के जरिए निष्पादित की जाने वाली हुडको की ग्रामिण आवास योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के व्यक्तियों के लिए है जिनके परिवारों की मासिक आय 350 रुपये से अधिक नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, इस राज्य के बाढ़-प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए हुडको ने एक विशेष मामले के रूप में यह निर्णय किया है कि वे अपनी ग्रामीण आवास योजना के अधीन सहायता की मात्रा को प्रोजेक्ट की कुल लागत के 50 प्रतिशित से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाये। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे हुडको के मार्गनिर्देशनों के आधार पर उपयुक्त योजनाएं तैयार करें।

राष्ट्रीय नेत्रहीन केन्द्र देहरादून के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा राशियों की अदायगी

7087. **श्री नवाब सिंह चौहान : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नेत्रहीन केन्द्र, देहरादून के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत देय राशि की अदायगी फरवरी, 1979 तक नही की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में गलती के लिए कौन व्यक्ति दोषी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण, और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृति के लिए पड़ी महाराष्ट्र की मध्यम सिंचाई परियोजनायें

7088. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) महाराष्ट्र राज्य के सांखा, सांगली जिले और अंसारी, चिकुतरा और कादवी, कोल्हापुर जिले की मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कितने समय से स्वीकृति के लिए पड़ी हुई हैं;

(ख) तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं पर शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की कसारी, चिकुत्रा और कादवी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा फरवरी, 1979 में पहले ही विचार किया जा चुका है और उन्हें कुछ टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। इन तीनों परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सांगली जिले की सांखा मध्यम स्कीम की परियोजना-रिपोर्ट राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

6.15 लाख रुपये की अनुमानित लागत की केसरी सिंचाई परियोजना, जिला कोल्हापुर

इस परियोजना में केसरी नदी (कृष्णा बेसिन में पंच-गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदी) पर 78.565 एम० क्यूम० की सकल क्षमता वाले एक 48.82 मीटर ऊंचे मिट्टी के बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जलाशय में संचित जल नदी में डाला जाएगा और अनुप्रवाह में लगभग 48 किलोमीटर के फैलाव में बारह जलमग्न बीयरों में उठाया जाएगा। जहां से वह उपयुक्त स्थानों पर सिंचाई के लिए पम्प किया जायेगा। इससे प्रतिवर्ष 9,458 हैक्टेयर की सिंचाई होनी प्रस्तावित है।

2. **428.49 लाख की अनुमानित लागत वाली चिकुत्रा सिंचाई परियोजना, जिला कोल्हापुर**

इस परियोजना में चिकुत्रा नदी पर (जो मुख्य कृष्णा बेसिन में वेदगंगा नदी की दाएं किनारे की सहायक नदी है)

42.8 एम० क्युम की सकल क्षमता वाले 27.5 मीटर ऊंचे मिट्टी के एक बांध की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा लगभग 13 किलोमीटर क्षेत्र में जलमग्न हो सकने वाले 8 वीयर होंगे। जलाशय में संचित जल को नदी में वीयर तक ले जाया जाएगा जहां से उसे उपयुक्त स्थानों पर सिंचाई के लिए पम्प किया जाएगा। इस परियोजना से 4,696 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई का प्रस्ताव है।

3. कादवी सिंचाई परियोजना-जिला कोल्हापुर अनुमानित लागत 347.30 लाख रुपये

इस परियोजना में 26.5 मीटर ऊंचे मिट्टी के एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह बांध पोटफुगी नदी पर बनाया जाना है (जो मुख्य कृष्णा बेसिन के वारणा उप-बेसिन में कादुवी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है) और इसकी सकल क्षमता 72.75 एम०क्युम होगी और लगभग 19 किलोमीटर के क्षेत्र में 9 जलमग्न हो सकने वाले वीयर होंगे। जलाशय में संचित जल को नदी में वीयरों तक ले जाया जायेगा जहां से इसे उपयुक्त स्थानों पर सिंचाई के लिए पम्प किया जाएगा। इस परियोजना से 9,219 हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई का प्रस्ताव है।

गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना के लिए प्राक्कलन की मंजूरी

7089. **श्री जी० मल्लिकार्जुन राव** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना के लिए प्राक्कलन की मंजूरी के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से पोलावरम परियोजना चरण-एक (फेज-एक) की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में दिसम्बर, 1978 में प्राप्त हुई थी। चूंकि यह एक बृहद सिंचाई परियोजना है, इसलिए इस परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषज्ञताप्राप्त निदेशालयों और अन्य विभागों में जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में प्राईवेट तौर पर चलाए जाने वाले कालेजों की दशा सुधारने के लिए कार्यवाही

7090. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्राइवेट तौर पर चलाए जाने वाले कालजों की दशा सुधारने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 में किन स्थानों पर ऐसे कालजों का विकास करने का विचार है तथा वहां कितने कालजों का विकास किया जाएगा और सरकार उन पर कितना व्यय करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली विकास सहायता का लाभ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालजों को भी मिल सके इसके लिए पांचवीं योजना के दौरान पात्रता की सामान्य शर्तों में उनके मामलों में ढील दे दी गई थी। दो-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले कालजों के लिए 270 छात्रों और 15 शिक्षकों की सामान्य पात्रता शर्त के मुकाबले में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालजों में यदि 200 छात्र और 10 शिक्षक हों तो 5.00 लाख रुपये तक और यदि उनमें 150 छात्र और 7 शिक्षक हों तो 3.00 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम चलाने वाले कालजों के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता हेतु 400 छात्रों और 20 शिक्षकों की आम पात्रता शर्त में, ढील देकर ये संख्या 300 और 15 तथा 3.00 लाख रुपये तक की सहायता के लिए क्रमशः 200 और 10 कर दी जाती है। पांचवीं योजना के दौरान आयोग ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 109 कालजों को, जो कि दो-वर्षीय पाठ्यक्रम चला रहे हैं, सहायता प्रदान की।

(ख) 1979-80 से लेकर आगे कालजों को आयोग द्वारा दी जाने वाली विकास सहायता से संबंधित ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पंजाब को खाद्यान्नों की बोरियों की सप्लाई

7091. **श्री भगत राम** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पंजाब को गेहूं के भण्डारण के लिए गत वर्ष मार्च तक तथा चालू वर्ष के दौरान मार्च तक कितनी बोरियां सप्लाई की गई ;

(ख) क्या अब तक सप्लाई की गई बोरियों की संख्या मांग से कहीं कम है;

(ग) क्या उन्हे मालूम है कि यदि उक्त मांग समय पर पूरी न की गई तो एक गंभीर संकट पैदा हो जायेगा; और

(घ) पर्याप्त संख्या में बोरियां सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पंजाब क्षेत्र को मार्च, 1978 तक 1,32,078 गांठे और इस वर्ष मार्च तक 67,834 गांठे (प्रत्येक गांठ में 300 बोरियां होती हैं) सप्लाई की गई थीं।

(ख) जनवरी, 1979 के शुरू में पटसन उद्योग में हड़ताल होने के कारण मांग से सप्लाई कम हुई है।

(ग) और (घ) :—सरकार स्थिति से अवगत है। महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, से अनुरोध किया गया है कि वे ठेका बद्ध संख्या में बोरियों की सप्लाई शीघ्र करें और शेष आवश्यकताओं को भी पूरा करें। पंजाब सरकार ने भी अपनी एक एजेंसी को लगभग 10,000 गांठों की सीमित स्थानीय खरीदारी करने के लिए प्राधिकृत किया है।

मंत्रालय द्वारा निकाली गई पत्र-पत्रिकाओं के लिए
सलाहकार और सम्पादक मंडल

7092. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मंत्रालय से संवद्ध कार्यालयों द्वारा कौन-कौन सी अंग्रेजी और हिन्दी पत्र-पत्रिकायें निकाली जाती हैं और उनके स्टाफ तथा सम्पादक सलाहकार मंडल का स्वरूप क्या है ;

(ख) इन पत्रिकाओं के सलाहकार मंडलों के सदस्यों की क्या योग्यतायें हैं तथा इनकी कितनी बैठकें हुई और क्या निर्णय किए गए;

(ग) क्या हिन्दी पत्रिकाओं जैसे कुरुक्षेत्र, भगीरथ आदि के संपादक मंडलों की बैठकें समयानुसार नहीं हुई हैं जिससे ये पत्रिकायें उपेक्षित रही हैं; और

(घ) पत्रिकाओं को पर्याप्त सुविधायें देने और उनकी ऐसी उपेक्षा दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस विभाग द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के माध्यम से 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका (पाक्षिक) अंग्रेजी में और 'कुरुक्षेत्र' (मासिक) हिन्दी में प्रकाशित की जाती है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य निम्नलिखित सम्पादकीय कर्मचारी-वर्ग द्वारा किया जाता है :—

'कुरुक्षेत्र' — अंग्रेजी

सम्पादक	— 1
सहायक सम्पादक	— 2
व्यैक्तिक सहायक	— 1
टंकक एवं लिपिक	— 1

'कुरुक्षेत्र' — हिन्दी

सहायक सम्पादक	— 1
उप-सम्पादक	— 2
टंकक	— 1
चपरासी	— 1 (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों के लिए)

पुराना सम्पादक मण्डल अब विद्यमान नहीं है तथा नये सम्पादक मण्डल का गठन किया जा रहा है।

(ख) सम्पादक मण्डल का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है। 1972 में गठित पिछले सम्पादक मण्डल में राज्य मंत्री (अध्यक्ष), 3 संसद सदस्य और सम्बन्धित सरकारी

अधिकारी शामिल थे । इसकी चार बैठकें हुई थीं तथा मुख्य निर्णयों का सम्बन्ध कुरुक्षेत्र (हिन्दी) को पाक्षिक बनाने, प्रतियों के निःशुल्क वितरण में वृद्धि करने, विभाग द्वारा शुरू किये गये ग्राम विकास तथा विशेष कार्यक्रमों की नई नीतियों की ओर ध्यान केन्द्रित करके पत्रिकाओं की विषय-वस्तु में सुधार लाने, विज्ञापन से आय में वृद्धि करने आदि से था ।

(ग) दोनों पत्रिकाओं के लिए एक संयुक्त सम्पादक मण्डल था । 1972 में इसके पुनर्गठन के पश्चात इसकी चार बैठकें हुई थीं, अन्तिम बैठक 31.3.1976 को हुई थी । सम्पादक मण्डल की विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है । पत्रिकाओं की कोई उपेक्षा नहीं हुई है ।

(घ) कुरुक्षेत्र (हिन्दी) मासिक पत्रिका को पाक्षिक पत्रिका में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है । सम्पादक मण्डल का पुनर्गठन किया जा रहा है । संसाधनों के समग्र नियंत्रण के अन्तर्गत पत्रिकाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई है । पत्रिकाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोक-प्रिय, ज्ञानप्रद तथा उपयोगी बनाने हेतु जोरदार-प्रयास किए जा रहे हैं ।

शेरों की संख्या

7093. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय भारत में शेरों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इस संख्या में वृद्धि हो रही है अथवा कमी ; और

(ग) यदि कमी हो रही है तो इसकी संख्या को बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गत 1974 की गणना के अनुसार गिर आश्रय स्थल में शेरों की संख्या 180 है ।

(ख) तथा (ग) : मई 1979 में की जाने वाली आगामी गणना के बाद ही गिर आश्रय स्थल में शेरों की वास्तविक संख्या का पता चल सकता है ।

बादाम में आत्म-निर्भरता

7094. **श्री गंगा सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत को बादाम में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

(ख) क्या भारत में बादाम उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) क्या भारत इस समय बादाम का आयात करता है और यदि हां, तो किस देश से और कितने मूल्य के ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में बादामों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में शुष्क फलों, जिनमें बादाम भी शामिल हैं, से सम्बन्धित पैकेज कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की थी। इस योजना के अन्तर्गत पांचवी पंच-वर्षीय योजना (1978-79) के अंत तक उत्तर प्रदेश में 525 हैक्टेयर और हिमाचल प्रदेश में 1,050 हैक्टेयर क्षेत्र को बादामों के बागान के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बादाम उत्पादकों को अधिक, उत्पादनशील पौद-रोपण सामग्री तथा उसी प्रकार के वृक्षों के लिये 50 प्रतिशत राज सहायता के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार बादामों सहित शुष्क फलों के विकास के लिए उन आदिवासी क्षेत्रों में, जो कि इस फल की खेती के लिये सर्वथा उपयुक्त हैं, सभी आदानों पर 50 प्रतिशत की राज सहायता दे रही है।

(ग) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इण्डियन ट्रेड क्लासिफिकेशन रिवीजन-2 के अनुसार वर्ष 1977-78 और 1978-79 (जून 78 तक) के दौरान ताजे/छिलकों समेत सूखे बादामों का देश-वार आयात।

मात्रा हजार किलोग्राम में
मूल्य लाख रुपये में

मद / देश का विवरण	1977-78		1978-79 (जून, 78 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
(क) बादाम/गिरी				
1. अफगानिस्तान	962	129.61	90	13.99
2. आस्ट्रेलिया	1	0.28	—	—
3. इण्डोनेशिया	6	1.50	—	—
4. ईरान	461	112.19	161	38.28

1	2	3	4	5
5. सिंगापुर	2	0.79	1	0.32
6. ईराक	3	1.36	1	0.10
7. तंजानिया गणराज्य	नगण्य	0.10	—	—
8. अन्य	470	109.39	227	46.06
योग	1,905	355.22	480	98.75
(ख) छिलके समेत बादाम				
1. अफगानिस्तान	1,108	142.09	351	35.82
2. ईरान	312	40.33	75	13.26
3. ईराक	—	—	1	0.10
4. इटली	4	0.50	2	0.20
5. सिंगापुर	5	1.29	2	0.40
6. स्पेन	6	0.87	—	—
7. अन्य	105	23.79	41	8.85
योग	1,540	208.87	472	58.63

टिप्पणी : आंकड़े अस्थाई हैं, और इनमें संशोधन होना है ।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से अर्थ सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त हुए अग्रिम आंकड़े ।

"चम्बल राइट मेन कैनाल" के पार्वती जल सेतु राजस्थान द्वारा मध्य प्रदेश को जल दिया जाना

7095. **श्री छवि राम अर्गल :**
श्री माधवराव सिंधिया : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राजस्थान, मध्य प्रदेश को 'चम्बल राइट मेन कैनाल' के पार्वती जल सेतु पर अर्थात् राज्य सीमा पर कितना जल देने को सहमत हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान जितना जल मध्य प्रदेश को देने के लिए सहमत हो गया था, उतना उसे उपलब्ध नहीं करा रहा है जबकि फसलों के लिए उसकी बड़ी आवश्यकता होती है और क्या विश्व बैंक अधिकारियों ने इस त्रुटि की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को सहमत मात्रा में तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा अपेक्षित मात्रा में सीमा पर जल देने हेतु राजी करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टेलीफोन के नए डिजाइन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए टेंडर

7096. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनके मंत्रालय ने टेलीफोन के नए डिजाइन का निर्माण करने के लिए टेलीफोन प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए विश्वव्यापी टेंडर मंगाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य देशों से अब तक क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख)—नई तरह के टेलीफोन उपकरण बनाने में विदेशी तकनीक के प्रयोग की संभावना को जांचने की दृष्टि से अगस्त, 1978 में दो व्यावसायिक पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर इस तरह के उपकरणों के नमूने और सम्बन्धित तकनीकी आंकड़े मांगे थे । इस विज्ञापन के फलस्वरूप सात विदेशी निर्माताओं ने कार्यवाही की थी । इसके अलावा दो अन्य निर्माताओं ने भी अपने उपकरणों के नमूने पेश किए हैं ।

केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग द्वारा मद्रास में भूमि के टुकड़े का खाली किया जाना

7097. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त सैन्ट्रल स्कूल को इस शैक्षिक वर्ष में आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बसन्त नगर, मद्रास स्थित खाली भूमि को, जो उसके अधिकार में हैं, नहीं छोड़ रही है;

(ख) क्या निर्माण और आवास मन्त्रालय ने खाली भूमि को इस कारण छोड़ने से इंकार कर दिया है क्योंकि वह स्कूल के लिए आरक्षित न होकर रिहायशी प्रयोजनों जैसे एम०एम०डी० ए० की योजनाओं के लिए आरक्षित हैं और इस क्षेत्र में पहले ही एक स्कूल विद्यमान है;

(ग) क्या वहां पर एक सैन्ट्रल स्कूल आरम्भ करने के लिए एम०एम०डी०ए० से छूट प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी जो स्थानीय स्कूल से बिल्कुल अलग है; और

(घ) यदि हां, तो खाली पड़ी भूमि को सैन्ट्रल स्कूल स्थापित करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय को आबंटित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केन्द्रीय स्कूल को मार्च, 1978 में के० के० नगर मद्रास में भूमि का आवंटन स्वीकृत किया गया था केवल मार्च, 1979 में केन्द्रीय स्कूल ने बेसेंट नगर में भूमि के आवंटन के लिए संशोधित स्वीकृति के लिए कहा।

(ख) तथा (घ) बेसेंट नगर में प्रश्नाधीन भूमि का प्लाट रिहायशी वास के निर्माण के लिए विशेष तौर पर अर्जित किया गया था।

(ग) यह प्रश्न अभी तक पैदा नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र से मंजूरी के लिए प्राप्त योजनाएं

7098. **श्री केशव राव धोंडगे :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) महाराष्ट्र सरकार से 1978 के दौरान मंजूरी के लिए कितनी सिंचाई योजनाएं प्राप्त हुईं;

(ख) सरकार ने उनमें से कितनी योजनाएं अब तक मंजूर की हैं; और

(ग) यदि योजनाएं मंजूर नहीं की गई हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) दो बृहद और पांच मध्यम सिंचाई स्कीमें महाराष्ट्र सरकार से 1978 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। इनमें से एक मध्यम स्कीम (कालू सिंचाई परियोजना) पर योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की फरवरी, 1979 में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और कुछ टिप्पणियों के साथ उक्त स्कीम को स्वीकार्य पाया गया है। शेष दो बृहद और चार मध्यम स्कीमों के सम्बन्ध में टिप्पणियां केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार के पास अनुपालना के लिए भेज दी गई हैं।

खिलाड़ियों को भत्ता

7099. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या खेल कूद परिषद खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविरों का वित्त पोषण करता है;

(ख) यदि हां, तो खिलाड़ियों को भत्ते के रूप में कितनी राशि दी जाती है ;

(ग) क्या सरकार को भत्ते की राशि के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई ; और

[घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं । ऐसे शिविरों का खर्चा शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

(ख) 16/- रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी आवास

7100. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आंबटित भूमि पर बने मकानों को बेचने की अनुमति देने के बारे में 19 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या, 3,749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) उन कर्मचारियों को सरकारी आवास कब तक प्रदान कर दिये जायेंगे जो आज तक 9 से 10 वर्ष का सेवाकाल पुरा कर चूके हैं; और

(ख) उपरोक्त उत्तर के भाग (ग) (IV) के बारे में विवरण क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यद्यपि सरकार ने गृह निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया है, किन्तु 9-10 वर्ष की नौकरी वाले कर्मचारियों को सरकारी मकान देने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाऐगी ।

कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा कृषि उपकरणों का आयात

7101. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) सभी राज्यों के कृषि उद्योग विकास निगमों द्वारा गत तीन वर्षो में, प्रति वर्ष, आयात किये गये कृषि उपकरणों का ब्यौरा क्या है और ऐसे आयात कितनी धनराशि के किये गये ; और

(ख) किस प्रकार के उपकरणों का और किन-किन देशों से आयात किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) 17 राज्य कृषि उद्योग निगमों में से 16 निगमों ने गत तीन वर्षों के दौरान कोई कृषि उपस्कर निर्यात नहीं किये हैं। शेष एक निगम के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"रुपीज 160 करोड़ यू० एस० आयल बाम्ब"

7102. **श्री श्री कृष्ण सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने 10 मार्च, 1979 के " ब्लिट्ज" में "रुपीज 160 करोड़ यू० एस० आयल-बाम्ब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बातें निम्न हैं :—

1. आयातित तेल को गुजरात में भेजा जाएगा जो कि देश में मुगंफली और खाद्य तेलों का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है।

2. आयातित तेल को सहकारी संस्थाओं के जरिए उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा और बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली तेल मिलों को चलाने के लिए किया जाएगा। चूंकि गुजरात में तेल मिलों की क्षमता का पहले ही से पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है, अतः सहकारी क्षेत्र में मिलों की स्थापना करके अनुपयुक्त क्षमता के और अधिक वृद्धि करने की बात समझ में नहीं आती।

3, इस पुनर्गठन से, मुख्यतः परियोजना के प्रबन्ध को लेकर, इतनी बड़ी निधि और लाभों के बंटवारे को लेकर संगठित मिल क्षेत्र और किसानों के बीच एक संघर्ष छिड़ गया है।

4. निस्सन्देह तेल मिल मालिकों की लाबी इस क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के प्रवेश को लेकर उत्तेजित हैं। उन्हें इस बात की आशंका है कि वे अब किसानों पर अपनी शर्तें नहीं लाद सकेंगे और मुंगफली के तेल की कीमतों पर प्रभावकारी नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। गुजरात, स्माल आयल मिल फेडेरेशन यह महसूस करती है कि कोआपरेटिव क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों से निजी उद्योग एक अत्यंत ही अलाभकर स्थिति में पड़ जाएगा।

(ग) उपरोक्त बातों पर क्रमवार वस्तु स्थिति इस प्रकार है :—

1. प्रारम्भिक दौर में पयोजना को आठ जिलों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, पांच गुजरात में जो कि देश में अत्यंत ही महत्वपूर्ण मूंगफली उत्पादक राज्य है और तीन गुजरात से बाहर अन्य जिलों में। परियोजना के कार्यक्षेत्र को यथा समय कुल मिलाकर 20 जिलों तक बढ़ा दिया जाएगा, जो कि गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भी होंगे । इन जिलों का चयन अभी किया जाना है।

2. परियोजना का मुख्य उद्देश्य उपहार में प्राप्त तेल की बिक्री से निधि अर्जित करना है और इस तरह अर्जित निधियों का उपयोग बीजों के उत्पादन, अनुकूली अनुसंधान करने, किसानों को विस्तार संबंधी सलाह प्रदान करने, उत्पाद की अधिप्राप्ति और परिसंस्करण का प्रबंध करके, देश में तिलहनों का विकास करने के कार्य में करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तिलहन उत्पादक सहकरी संघ संगठित करने का प्रस्ताव है । परिसंस्करण मिलों की स्थापना परियोजना से सम्बद्ध है, क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है कि परियोजना के अतंर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा परिसंस्करण और विपणन का संयोजन उत्पादकों को अपने उत्पाद की उचित कीमत दिलाने में सहायक होगा ।

3. सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है ।

4, सहकारीं उत्पादक संघ संगठित करने का उद्देश्य उत्पादकों को उत्पादन की ऐसी तकनीक अपनाने में मदद करना है जिससे मौसमी परिवर्तनों के प्रति मूंगफली की फसल की संवेदनशीलता कम होगी और उपज भी बढ़ेगी तथा कीमतों में हर वर्ष स्थिरता आएगी और इस प्रकार उत्पादकों की आय बढ़ेगी। आशा हैं कि परियोजना के परिणामस्वरूप सट्टेबाजों और बिचौलियों की कीमतों में जोड़-तोड़ करने की भूमिका कम हो जाएगी।

मिडिल स्कूल स्तर तक संस्कृत एक अनिवार्य विषय बनाया जाना

7103. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और** संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—क्या यह सच है कि विश्व संस्कृत सम्मेलन ने जनवरी, में इलाहबाद में हुए अपने सम्मेलन में यह मांग की है कि संस्कृत को मिडिल स्कूल स्तर तक एक अनिवार्य विषय बनाया जाए और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : सरकार को जनवरी 1979 में इलाहबाद में हुए विश्व संस्कृत सम्मेलन द्वारा की गई कोई मांग प्राप्त नही हुई है। तथापि एक समाचार के अनुसार सम्मेलन ने एक संकल्प द्वारा यह मांग की थी कि संस्कृत की शिक्षा को प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं तक या तो एक स्वतंत्र भाषा के रूप में या किसी अन्य के भाग एक भाग के रूप में अनिवार्य किया जाए।

आमतौर पर संस्कृत को द्वितीय भाषा अथवा तृतीय भाषा के रूप में कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है। कुछ राज्यों में यह एक वैकल्पिक भाषा है और कुछ अन्यों में इसे मातृ-भाषा के साथ साथ सामाजिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई गई भाषा शिक्षण की नई पद्धति के अनुसार प्रत्येक छात्र को 24 निर्धारित भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं जरूर लेनी पड़ती है। निर्धारित भाषाओं में संस्कृत भी है ।

समेकित जनसंख्या शिक्षा

7104 : **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि जनसंख्या शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय परिवार नियोजन एसोसिएशन के परामर्श से तैयार की गयी समेकित जनसंख्या शिक्षा का पूर्ण ब्यौरा क्या है और वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : प्रौढ़ शिक्षा की विषय वस्तु में साक्षरता, कार्यात्मक विकास और सीखने वालों के अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति जागरुकता को शामिल किया जाएगा। कार्यात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू, स्वास्थ्य और पविार कल्याण के बारे में सूझ-बूझ पैदा करना है। इस पहलू को प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ सभी स्तरों पर जोड़ा जारहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा साथ ही भारतीय परिवार नियोजन एसोसिएशन सहित गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ भी चर्चा और परामर्श किया गया है। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ने के संबंध में इस मंत्रालय के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने ऐसोसिएशन के सहयोग से 3 से 7 मार्च, 1979 तक बम्बइ में एक सेमिनार आयोजित किया था। इन सरकारी और गैर-सरकारी परामर्शों के परिणाम स्वरूप आशा है कि जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए एक कार्यरूप तैयार हो जाएगा।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम कर रही नर्सों के लिए आवास

7105. **श्री सन्तोष राव गोडें :**

श्री सुधीर कुमार घोषाल : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) विभिन्न सरकारी अस्पतालों में काम कर रही नर्सों को सरकारी आवास का आबंटन करने के लिए प्राथमिकता तारीख क्या है ;

(ख) क्या नर्सों को उनके अस्पताल के नज़दीक सरकारी आवास का आबंटन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न नर्सों को उनके कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारी अस्पतालों के निकट सरकारी क्वार्टरों का निर्माण करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या नर्सों को प्राथमिकता के आधार पर अथवा पारी बाह्य आधार पर सरकारी आवास का आबंटन करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की लागत में भारी वृद्धि

7106. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मदनगीर में बस डिपो के सामने केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों की लागत 9800 रुपये थी और बिक्री मूल्य 16,800 रुपये था।

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण सम्बन्धी नियुक्त बवेजा समिति ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार के फ्लैटों के लिये की गई मूल्य वृद्धि निर्माण की आम लागत में हुई वृद्धि से बहुत अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निम्न श्रेणी के सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी पेंशन 100 रुपये और 200 रुपये के बीच में है और जिनको खानपुर बस डिपो, नई दिल्ली के सामने दक्षिण दिल्ली में जनता टाइप के फ्लैट आवंटित किये गये हैं। 9800 रुपये के विज्ञापित मूल्य से अधिक मनमर्जी से लिये गये 7,000 रुपये की अतिरिक्त राशि में से उचित धनराशि वापस करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। बवेजा समिति ने केवल यह कहा है कि तदर्थ पद्धति नहीं होनी चाहिए तथा लागत को कम करने और उस पर नियन्त्रण रखने के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए।

(ग) तथा (घ) : जी, नहीं। क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विक्रय मूल्य बिना लाभ-हानि के आधार पर निर्धारित किया गया है।

खरीफ फसल के अनाजों की वसूली

7107. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल के अनाजों की कुल कितनी वसूली हुई है ;

(ख) इसमें प्रत्येक राज्य का अंश कितना है ; और

(ग) चालू वर्ष में खरीफ और रबी दोनों फसलों के अनाजों की कुल कितनी वसूली होने का अनुमान है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) : 11.4.1979 को 55.3 लाख मीटरी टन ।

(ख) : एक विवरण संलग्न है ।

(ग) लगभग 58 लाख मीटरी टन खरीफ के अनाज और 57 लाख मीटरी टन रबी के अनाज ।

विवरण

खरीफ अनाजों की वसूली

(11.4.1979 की स्थिति) (हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	मोटे अनाज	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	559.8	...	559.8
असम	31.8	...	31.8
बिहार	10.6	...	10.6
हरियाणा	839.7	...	839.7
हिमाचल प्रदेश	0.3	...	0.3
जम्मू और कश्मीर	58.0	...	58.0
कर्नाटक	101.7	14.3	116.0
केरल	0.6	...	0.6
मध्य प्रदेश	250.1	...	250.1

1	2	3	4
महाराष्ट्र	29.2	82.1	111.3
मणिपुर	0.9	0.2	1.1
उड़ीसा	33.0	...	33.0
पंजाब	2,656.1	...	2,656.1
राजस्थान	16.4	0.2	16.6
तमिलनाडु	18.5	...	18.5
त्रिपुरा	0.2	...	0.2
उत्तर प्रदेश	709.5	...	709,5
पश्चिमी बंगाल	112.9	...	112.9
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.6	...	0.6
अरुणाचल प्रदेश	1.4	...	1.4
चण्डीगढ़	0.8	...	0.8
पांडिचेरी	0.7	...	0.7
जोड़	5,432.8	96.8	5,529.6

द्विभाषी समाचार एजेंसियां

7108. **श्री शरद यादव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अब देश में 15 अप्रैल, 1978 से द्विभाषी समाचार एजेंसियां कार्य कर रही हैं और उन्होंने देवनागरी टेलीप्रिंटरों पर कार्य करना आरंभ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मशीनों में और उनके सर्किटों में त्रुटियों के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) मशीनों की खराबियां और परिपथों के दोषों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) (I) इन परिपथों के कार्य निष्पादन पर नजर रखी जा रही है तथा फील्ड यूनिटों को निर्देश दिये गये हैं कि दोष उत्पन्न होने पर वे शीघ्र तकनीकी कार्यवाही करें।

(II) देवनागरी टेलीप्रिंटर मशीनों के रख-रखाव पर तैनात तकनीशियनों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान के लिए सिंचाई योजनाएं

7109. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य के लिए कुल कितनी सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है ;

(ख) क्या सभी योजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है और केन्द्र ने उनके लिए वित्तीय सहायता दी है ;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता न दिये जाने से कुछ योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(घ) सिंचाई योजनाओं की तत्काल क्रियान्विति हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या अन्य उपाय किए हैं ; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार की योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार से सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान की पांच मध्यम सिंचाई स्कीमें (नामशः वेगन, दाईया, झडोल, कोठरी और कनोटा) योजना आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान (1976 से 1978 तक) राज्य की विकास योजना में शामिल करने के लिए मंजूर की गई थीं।

(ख) यह सूचित किया गया है कि वेगन, दाईया और झडोल सिंचाई स्कीमों पर काम चल रहा है।

(ग) से (ङ) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपनी कुल विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा परियोजना से संबंधित नहीं होती।

वक्फों के लिए विकास निधियां

7110. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) विभिन्न वक्फों को उनके विकास के लिए अब तक ऋण के रूप में कितनी धन-राशि दी गई है ;

(ख) जिन वक्फों को इस प्रकार सहायता दी गई, उनके नाम क्या हैं और उन्हें ऋण की राशि का कब भुगतान किया गया ;

(ग) क्या अब तक दी गई सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जा चुका है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) विभिन्न बक्फों को उनके विकास के लिए अब तक 50 लाख रुपये की धन राशि दी गई है ।

(ख) सूचना संलग्न अनुलग्नक में दी गई है ।

(ग) जी नहीं-I

(घ) जिन विकास परियोजनाओं के लिए ऋण दिये गए हैं, वे भवनों के निर्माण से सम्बंधित है जिनमें सामान्यतया कुछ समय लगता है । इनमें आमतौर पर स्थानीय समस्याओं के कारण विलम्ब होता है जो परियोजना के पूर्ण किये जाने के दौरान खड़ी हो जाती है ।

विवरण

वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान बक्फों को दिया गया ऋण ।

क्र०स०	राज्य	बक्फ	सी० डब्ल्यू० सी० द्वारा दी गई राशि	ऋण अदायगी की तिथि
1.	दिल्ली	रोशन-ऊ-दौला मस्जिद दरिया गंज, दिल्ली	2 लाख	30.6.1977
2.	दिल्ली	मस्जिद पलटन वाली, दरिया गंज, दिल्ली	2 लाख	30.6.1977
3.	दिल्ली	कर्मा बगेंश वक्फ, प्रोपर्टी दिल्ली	1.5 लाख	30.6.1978
4.	यू० पी०	निशात कोठी वक्फ, अलीगढ़	1 लाख	19.6.1978
5.	बिहार	बादशाह नबाब वक्फ, पटना	1 लाख	15.6.1978
6.	बिहार	दरगाह हजरत सिसतानी वक्फ बिहार शरीफ	1.5 लाख	15.6.1978

1	2	3	4	5
7.	राजस्थान	गेस्ट हाऊस, दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर	5 लाख	2 लाख 6.5.1976)
				1 लाख 10.6.1977)
				1 लाख 7.4.1978)
				1 लाख 12.5.1978)
8.	केरल	हेशिमियक मदरसा वक्फ अलीपई	2 लाख	29.6.1977
9.	महाराष्ट्र	वक्फ मस्जिद ओजम लटूर	1 लाख	29.5.1978
10.	कर्नाटक	वक्फ दरगाह सैयद हमीद शाह, बंगलौर	7 लाख	2 लाख 23.6.1976
				2 लाख 18.5.1977
				1 लाख 29.6.1977
				2 लाख 25.5.1978
11.	कर्नाटक	वक्फ दरगाह मदर शाह मकन, तुमकुर	1 लाख	27.6.1978
12.	कर्नाटक	वक्फ अजुंमन-ए-इस्लाम, हुगली	2 लाख	27.6.1978
13.	तमिलनाडु	वक्फ मदरसा जमालिया, मद्रास	1 लाख	23.6.1978
14	तमिलनाडु	परिया जुम्मा मस्जिद वक्फ शंकरातायरकोवली	5 लाख	1 लाख 4.3.1975)
				1 लाख 25.6.1976)
				2 लाख 21.6.1977)
				1 लाख 18.3.1978)
15.	आन्ध्र प्रदेश	इमदाद घर, सराय मस्जिद, वक्फ विजयवाड़ा	11.5 लाख	1 लाख 1.3.1975)
				3 लाख 28.6.1975)
				3 लाख 21.6.1976)
				2 लाख 27.6.1977)
				1.5 लाख 3.4.1978)
				1 लाख 12.5.1978)

1	2	3	4	5	
16.	आन्ध्र प्रदेश	वक्फ कम्पलैक्स महबूब नगर महबूबनगर	5.5 लाख		
				1 लाख	24.6.1976
				2 लाख	27.6.1977
				2.5 लाख	12.5.1978
			कुल :	50 लाख रुपये	

पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश की नदियों का उपयोग किया जाना

7111. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) क्या मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों से होकर बहने वाली बेतवा डासन, जमना ऊर और कान नदियों का पूर्ण उपयोग उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अब इन नदियों का पूर्ण उपयोग करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख): इस क्षेत्र में कई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और कई निर्माणाधीन हैं। भविष्य में भी कई परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जल संसाधनों के विकास के लिए एक मास्टर-प्लान तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक संयुक्त नियंत्रण बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा का मूल्य

7112. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवायें महंगी हैं ;

(ख) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में समायोजन की जाने वाली कालों की संख्या कितनी कितनी हैं ; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए सरक की कोई योजना है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र समान दर योजना के अन्तर्गत आते हैं और वहां स्थानीय कालें निशुल्क हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां मोटर प्रणाली उपलब्ध हैं एक तिमाही में 250 कालें निशुल्क होती हैं।

(ग) जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हाल ही में अग्रिम जमा राशि को प्रचुर मात्रा में कम कर दिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सफाई कर्मचारियों और श्रमिकों को हटाया जाना

7113. **श्री श्याम लाल धुर्वे :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अनेक सफाई कर्मचारियों और श्रमिकों को, जो गत दो वर्षों और उससे अधिक समय से दिल्ली विकास प्राधिकरण में विभिन्न कार्य कर रहे थे और जिनके नाम डी० डी० ए० के मस्टर रोल में दर्ज थे, बिना किसी कारण और सूचना के सेवा से हटा दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है अर्थात ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और वे किस स्थान पर सेवा कर रहे थे; और

(ख) क्या इससे उन कालोनियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जहां ये सेवायें डी०डी०ए० द्वारा की जा रही थीं और उन्हें दिल्ली नगर निगम ने अपने हाथ में नहीं लिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य आय वर्ग के लोगों को गृह निर्माण ऋण दिया जाना

7114. **डा० बापू कालदाते :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने गृह निर्माण के लिए मध्य आय वर्ग के लोगों को ऋण देने की योजना का परित्याग कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन को मध्य आय वर्ग के लोगों को ऋण देने की योजना का परित्याग करने को कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में जिलों के मुख्यालयों और तहसीलों के बीच सीधी टेलीफोन लाईन

7115. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ पिछड़े जिलों के मुख्यालयों को संचार प्रणाली के द्वारा तहसील मुख्यालयों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और एटा के जिला मुख्यालय और तहसील अलीगंज के बीच सीधी टेलीफोन लाईन कब तक बिछाई जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : तहसील मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के बीच पहले से ही संचार व्यवस्था प्रदान की हुई है परन्तु अनेक मामलों में यह व्यवस्था मध्यवर्ती एक्सचेंजों के मार्फत है। सीधे कनेक्शन तभी प्रदान किये जाते हैं जबकि परियात के आधार पर ऐसे कनेक्शनों का औचित्य बनता हो।

अलीगंज तहसील और एटा के बीच सीधा संचार संपर्क नहीं है। परियात के बढ़ने पर और औचित्य बनने पर सीधे कनेक्शन की व्यवस्था कर दी जाएगी।

खाद्यान्नों की उत्पादन प्रतिशतता में कमी

7116. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को पता है कि वर्ष 1949-50 से 1959-60 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में 3.30 प्रतिशत वार्षिक दर पर वृद्धि हुई परन्तु वृद्धि की यह दर वर्ष 1960-61 से 1976-77 तक घटकर 2.25 प्रतिशत रह गई; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) पंच वर्षीय योजना (1978-83) के प्रारूप के अनुसार इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 1,405 लाख मीटरी टन और 1,445 लाख मीटरी टन के बीच रखा गया है, जिससे वार्षिक वृद्धि दर 3.03 प्रतिशत से 3.61 प्रतिशत तक होगी। 1982-83 के लिए उत्पादन (सम्भाव्यताओं का उच्चतर स्तर विभिन्न आदानों की बेहतर व्यवस्था और कुछ हद तक मौसम की आम बेहतर परिस्थितियों पर आधारित है। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये ये उपाय किए गए हैं :—

सस्यगत क्षेत्र का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और समस्या-उन्मुखी अनुसंधान को तेज करते हुए फसल की उपज में सुधार प्रमाणित बीजों के संवर्धन और वितरण कार्यक्रम का विस्तार, अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और प्रभाव में सुधार, कीटनाशी दवाईयों का युक्तिसंगत उपयोग, कमान क्षेत्र विकास, जल व्यवस्था, संस्थागत ऋण और सामुदायिक नर्सरी और मिनीकिट कार्यक्रमों का विस्तार।

पीतमपुरा रिहायशी योजना, दिल्ली में दोषी अलाटियों के विरुद्ध कार्रवाई

7117. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :—

(क) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको पीतमपुरा रिहायशी योजना में लाटरी के द्वारा जमीन अलाट की गई थी परन्तु उन्होंने अभी भी जमीन का कब्जा नहीं लिया हैं ;

(ख) इस प्रकार अलाट की गई जमीन का कब्जा लेने वाले कितने व्यक्तियों ने मकान बनाने के लिये नक्शा पेश नहीं किया है ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि जो व्यक्ति जमीन अलाट करवाते हैं वे मकान न बनाकर जमीन को ऊंची दरों पर काला बाजार में बेच देते हैं और मुखतारनामे के द्वारा ऐसे खरीददारों को मकान बनाने का अधिकार दे देते हैं ; और

(ङ) सरकार का ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) तक :—सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में पटना और जिला प्रधान कार्यालयों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन (एस०टी०डी०) करने की सुविधाएं

7118. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बिहार में प्रत्येक जिला प्रधान कार्यालय तथा पटना के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था कब तक करने का विचार है ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान डिवीजन के प्रधान कार्यालय भागलपुर से पटना को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक की जाएगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) वित्तीय और सामग्री संबंधी साधनों के सीमित रूप में उपलब्ध होने के कारण सभी जिला मुख्यालयों और संबंधित राज्यों की राजधानियों के बीच सीधी डायलिंग सुविधा की व्यवस्था क्रमिक रूप से आगामी 10 वर्षों में किये जाने की संभावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भागलपुर में करचल एक्सचेंज हैं और केवल अगली योजना अवधि में ही उसके स्वचल बनाए जाने की संभावना है। स्वचल बन जाने के बाद ही इससे डायल घुमाकर सीधे टेलीफ़ोन करने की सुविधा दी जा सकेगी।

आपदाओं को रोकने के लिये गोष्ठी

7119. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में 24 जनवरी 1979 को एक सात दिवसीय गोष्ठी हुई थी जिसमें बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने दक्षिण एशिया में बाढ़ों, तूफानों, सूखा आदि जैसी आपदाओं को रोकने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकाले गये ; और

(ग) गोष्ठी में किये गये निर्णयों को देखते हुये भारत द्वारा क्या कदम उठाये जाने हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

राष्ट्रीय स्तर पर सिफारिशें

1. आपद्-व्यवस्था संगठन

भाग लेने वाले देशों को आपद्-व्यवस्था संबंधी अपने कार्यालय बनाने चाहिए। इस कार्यालय में राष्ट्रीय तथा निचले स्तर पर आपदा के लिये तैयार ऐसी व्यवस्था और संगठन होना चाहिए जो कारगर सिद्ध हो।

2. आपदा सम्बन्धी कानून

आपदा के सम्बन्ध में एक कानून बनाना तथा इस बात को स्पष्ट करना कि इसके तहत क्या क्या आना चाहिए, आवश्यक है। यह कानून सरल तथा लाभप्रद होना चाहिए।

3. सामुदायिक सहयोग

आपदा-प्रतिरोधी कार्यों के लिये समुदाय में से ही स्वयंसेवकों को बढ़ावा दिया जाए ताकि उन ग्रामवासियों का सहयोग मिल सके जो अपने हितों की रक्षा में रुचि रखते हैं और अपने विकास के लिये कार्य करते हैं।

क्षेत्रीय स्तर के लिये सिफारिशें

4. क्षेत्रीय तथा द्वि-पक्षीय सहयोग

(क) आपदा सम्बन्धी योजनाओं को सोचने तथा बनाने के लिए सहयोग आवश्यक है।

(ख) वन-रोपण, बाढ़ तथा समुद्री तूफान सम्बन्धी चेतावनी, संचार और बाढ़-नियंत्रण आदि के बारे में अधिक सहयोग होना चाहिए।

(ग) पनाहगाहों, झोपड़ियों, ओ० बी० एम० एस० सहित नौकाओं, औषधियों, टीकों, बचाव कार्यों आदि के रूप में सहयोग की जरूरत है।

(घ) राहत संबंधी सामग्री का संचय क्षेत्रीय लाभ के लिये होना चाहिए।

(ङ) वैज्ञानिक क्षेत्र में तकनीकी सहयोग दिया जाना चाहिए।

(च) और अधिक क्षेत्रीय अध्ययन और गोष्ठियां आयोजित की जानी चाहिए। हर दो साल में एक बार क्षेत्रीय गोष्ठी की जा सकती है।

(छ) प्रोटोटाइप उपकरणों और गोदामों के डिज़ाइन और योजनाएं बनाई जायं और परस्पर लाभ के लिये उनका उपयोग किया जाय।

5. परस्पर दौरे

एक दूसरे के संस्थानों और अधिष्ठानों में परस्पर दौरे किये जाने चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सिफारिश

6. मामले की तहकीकात

एक अध्ययन दल को, जो प्रत्येक देश द्वारा बनाया जाय, विभिन्न देशों में आई विपदाओं के बारे में अध्ययन करने का कार्य सौंपा जाये और वह दल उसको अगली गोष्ठी (चाहे वह दो वर्ष पश्चात् हो) में प्रस्तुत करें।

7. परस्पर सहायता सम्बन्धी करार

परस्पर सहायता सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में सामान्य तौर पर विचार-विमर्श किये जायें ताकि परस्पर सहायता सम्बन्धी करार और कार्यकारी करार करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

8. क्षेत्रीय समन्वय कक्ष

संभवतः श्रीलंका में एक क्षेत्रीय समन्वय कक्ष स्थापित करना वांछनीय रहेगा।

9. वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

अपनी विशिष्टता प्राप्त एजेन्सियों सहित संयुक्त राष्ट्र को, रेड क्रास लीग और अन्य स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा अमरीकी सहायता संगठनों को इस क्षेत्र में अधिक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देनी चाहिए और उसका ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अमरीकी सहायता संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र को क्षेत्र के अध्ययन हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने चाहिए।

10. सैटेलाइट आपरेशन

सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को लैण्डसेट और मैट सैटेलाइट के प्रचालन क्षेत्र को बढ़ाकर इस क्षेत्र को भी उसके अन्तर्गत लाना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र को उनके तहत लाया जा सके। जहां कहीं आवश्यक हो सैटेलाइट अभिग्राही केन्द्र बना दिये जाने चाहिए।

11. रडार के अन्तर्गत क्षेत्र

जो क्षेत्र मौसमी रडारों के अन्तर्गत नहीं आते उनको सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा उपयुक्त सहायता दी जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार इन क्षेत्रों को उनके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

12. भूकम्पीय केन्द्र

इस क्षेत्र में भूकम्प सम्बन्धी भविष्यवाणी देने के बारे में अनुसन्धान कार्य में सहायता के लिए और अधिक भूकम्प-विज्ञान सम्बन्धी केन्द्र खोलने की जरूरत है। सही स्थल का निर्धारण करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए।

13. सामग्रियों का प्रसार

अमरीकी सहायता तथा यू०एन०डी०आर०ओ० से अनुरोध किया गया है कि वे इस क्षेत्र के सभी देशों को अधिक तकनीकी सामग्री तथा सम्बन्धित जानकारी दें।

14. आवधिक दौरे

विचारों के आदान-प्रदान के लिए अमरीकी विकास एजेन्सी तथा संयुक्त राष्ट्र विकास अनुसन्धान संघ के अधिकारियों से इन क्षेत्रों के आवधिक दौरे करने का अनुरोध किया गया है।

15. संयुक्त राष्ट्र विकास अनुसन्धान संघ का कार्य

संयुक्त राष्ट्र विकास अनुसन्धान संघ से इस क्षेत्र की सहायता के लिए और अधिक क्रियात्मक कार्य करने तथा सभी आपदा सम्बन्धी कार्यों को समन्वित करने का अनुरोध किया गया हैं।

16. सयुक्त राष्ट्र विकास अनुसंधान संघ से प्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा पर बल

संयुक्त राष्ट्र विकास अनुसन्धान संघ को आपदा सम्बन्धी सभी पहलुओं के विषय में अध्ययन जारी रखने चाहिए तथा और अधिक गोष्ठियां, सम्मेलन आदि आयोजित करके आपदा प्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा पर बल देना चाहिए।

17. दाता देशों द्वारा आपदा सहायता

दाता देशों द्वारा आपदा-सहायता पूर्णता मानवीयता के आधार पर दी जानी चाहिए, और यह किसी अन्य कार्य के लिए नहीं होनी चाहिए।

18. संचयन

उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहायता सामग्री ऐसे स्थान पर एकत्रित करनी चाहिए जहां से राहत कार्य शीघ्र हो सके।

19. आपदा निरोधक बनाम राहत

आपदा निरोधक एंव तैयारी के कार्य को राहत कार्य से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा निरोधक कार्यक्रमों के लिए धन देने का कार्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अमरीकी विकास एजेन्सी तथा विश्व बैंक द्वारा किया जाना चाहिए।

20. कृषि आकस्मिक योजनाएं

जन-जीवन के ह्रास तथा कृषि अर्थव्यवस्था की क्षति को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का सीमांकन करने के लिए कानून बनाने व बांधों आदि के टूटने की स्थिति में लोगों को वहाँ से निकालने के लिए बाढ़ आरक्षित क्षेत्रों के सम्बन्ध में आकस्मिक योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें तूफानों तथा बाढ़ से बीज तथा अनाज की सुरक्षा करने की उन्नत पद्धति तथा फार्म पशुओं तथा उपकरणों की सुरक्षा भी शामिल है।

(ग) गोष्ठी की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर आपदा सम्बन्धी तैयारी के लिए संगठन बनाने, आवश्यकतानुसार कानून बनाने तथा विद्यमान संहिता एवं राहत नियमावलियों को अद्यतन बनाने, अग्रसूचना एवं चेतावनी देने की पद्धति में सुधार करने तथा सामुदायिक तैयारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव दिए हैं। विशेषकर नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड संगठनों से आपदा सम्बन्धी कार्यों की तैयारो में जन सामान्य को प्रशिक्षित करने के लिए सक्रिय सहयोग लेने का भी प्रस्ताव है। आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्री तूफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में तूफान-राहत-आश्रयों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी आवश्यक सामग्री, दवाइयों एवं संक्रामक-रोगियों को इकट्ठा करने का प्रस्ताव है। उत्तर-पूर्वी भारत के भूकम्पीय क्षेत्रों में होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा कार्मिकों के सक्रिय सहयोग से सामुदायिक तैयारी-कार्यक्रम तथा राहत सम्बन्धी प्रशिक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

किसानों को उनके घर के दरवाजों पर सेवाय उपलब्ध कराना

7120. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि:—**

(क) क्या कृषि फसलों, विशेषतया तेलों और दालों, के मामले में आयोजन और कृषि में सहायता करने के लिये घर के दरवाजों पर किसानों को सेवायें उपलब्ध कराने के मामले में सुधार करने की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कोई विशेष ध्यान दिया है;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर शाकवाटिकाओं तथा देश में छोटे छोटे भूमि खण्ड के अधिक सघन प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कोई योजना बनाई है ताकि गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, पटसन की खेती वाली भूमि को प्रभावित किये बिना ही सभी और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके; और

(ग) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् । सिद्धान्त रूप से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि अनुसंधान तथा उच्च कृषि शिक्षा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है । इस प्रकार से अनुसंधान से उत्पन्न नयी प्रौद्योगिकी के गांवों तक पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य बन जाता है । उदाहरण के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अधीन अनुसंधान विज्ञानी किसानों के खेतों में अधिक उपज देने वाली किस्मों और नयी उत्पादन पद्धतियों का इस प्रकार से प्रदर्शन करते है कि प्रति यूनिट क्षेत्र और प्रति यूनिट समय में अधिकतम उत्पादन हो सके । इन राष्ट्रीय प्रदर्शनों का लक्ष्य विस्तार कार्यकर्ताओं तथा किसानों में से शीघ्र प्रौद्योगिकी अपनाने वालों को प्रशिक्षित करना है । प्रति वर्ष 2 से 3 फसलों से प्रति हैक्टेयर 9 से 11 टन उपज प्राप्त करना संभव हो गया है । दाल और तिलहन की फसलें इस प्रायोजना में विशेष स्थान रखती है और अन्य फसलों के साथ इन पदर्शनों के अन्तर्गत रोटेशन से बोयी जा सकती है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दूसरी विस्तार गतिविधि का प्रतिनिधित्व परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं द्वारा होता है । यहां क्षेत्र और जल के आधार पर सामान्य समस्याओं के प्रति एक समाकलित धारणा अपनायी जाती है । परिषद ने महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) जिले में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ऐसी प्रायोजना शुरू की है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, परिषद ने तिलहनों और दालों पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अधीन तिलहनों और दालों पर अनुसंधान करने का प्रस्ताव किया है । किसानों और अनुसंधान विज्ञानियों के बीच निकट सम्पर्क बनाने के उद्देश्य से इन प्रायोजनाओं में से एक विस्तार विशेषज्ञ प्रदान किया जा रहा है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रस्ताव है कि वर्ष 1979 से, जो अन्तर्राष्ट्रीय बाल बर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है, पोषण और किचन गार्डन का अभियान चालू किया जाय । यह पोषण संबंधी विकारों के सादे कृषि समाधान खोजने का प्रयास है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों कृषि विज्ञान केन्द्रों और दूसरे अभिकरणों से अनुरोध किया गया है कि पोषण उद्यानों की रूप रेखा तैयार करने और उनकी स्थापना करने में सहायता करें । ये किचन गार्डन किसी भी रूप में गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, जूट आदि के क्षेत्रों को नही घेरेंगे । ऐसे गार्डन केवल जमीन के छोटे टुकड़ों पर लगाये जायेंगे जो शुरू में सब्जियां उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किये जायेंगे ।

लुधियाना आटो एक्सचेंज, पंजाब का कार्यकरण ठीक न होने के बारे में शिकायतें

7121. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या लुधियाना आटो एक्सचेंज के ठीक काम न करने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या लुधियाना में स्थापित संयंत्र में आरम्भ में ही बहुत दोष थे; और

(ग) इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, ।

(ख) जी नहीं । एक्सचेंज उपस्कर में खराबी नहीं है बल्कि एक्सचेंज का वातानुकूलित संयंत्र ठीक कार्य नहीं कर रहा था ।

(ग) वातानुकूलित संयंत्र की खराबियों को ठीक कर दिया गया है और संयंत्र ठीक कार्य कर रहा है । अब एक्सचेंज के कार्य निष्पादन में सुधार की संभावना है ।

दिल्ली में बस्तियों को नियमित करना

7122. **श्री रांम कंवर बेरवा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या संघ क्षेत्र दिल्ली की पहले अनधिकृत घोषित की गई बस्तियों को अब सरकार द्वारा नियमित घोषित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बस्तियों में प्लाटों तथा बने हुए मकानों का पंजीकरण दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार (केन्द्र सरकार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका) इन कालोनियों में मकानों के निर्माण तथा मकानों की खरीद के लिये ऋण प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) सरकार ने 16-2-77 को यह निर्णय किया कि उस तारिख तक जो अनधिकृत कालोनियां बनी हुई थी; दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा उन्हें ले-आऊट प्लान में उपयुक्त रूप से व्यवस्थित करके नियमित कर दिया जाये और ले-आऊट प्लान में सड़कों, पार्कों तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिए उचित स्थान रखा जाए । बाद में यह निर्णय किया गया कि अनधिकृत कालोनियो में 30-6-77 तक बनाए गये रिहायशी निर्माणों को भी सरकार के उपर्युक्त आदेशों में शामिल किया जायेगा ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि प्लाटों तथा मकानों के विक्रय विलेखों आदि का पंजीकरण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के उप पंजीयकों द्वारा निम्नलिखित से अनापत्ति प्राप्त होने पर किया जाता है :—

(I) नगर-भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन, अधिनियम, 1976 के अधीन सक्षम प्राधिकारी।

(II) दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972 के अधीन सक्षम प्राधिकारी।

(ग) तथा (घ) : जिन सरकारी कर्मचारियों पर गृह निर्माण अग्रिम नियम तथा उनके अधीन भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतें लागू होती हैं, वे गृह निर्माण अग्रिम की सुविधाओं के पात्र हैं बशर्ते कि उसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करते हों और इन में अन्य शर्तों के साथ साथ यह भी शर्त है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी का भूमि अथवा मकान पर पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए तथा मकान का नक्शा सक्षम स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भूतपूर्व पुनर्वास विभाग के कर्मचारी

7123. **श्री अनन्त दवे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पुनर्वास विभाग के कर्मचारी, जिनको अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में खपाया गया है, 25 वर्षों से अधिक समय से अपने अपने वही वेतनमानों में काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन लोगों की पदोन्नति में गतिरोध को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समस्त भारत में स्थित विभिन्न कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे भूतपूर्व पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों को स्थायी करना

7124. **श्री अनन्त देव** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पुनर्वास विभाग के कर्मचारी जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे हैं और जिन्होंने 25 वर्षों से अधिक अवधि की सेवा पूरी करली है, अभी भी अपने वेतनमानों ग्रेडों में अस्थायी हैं;

(ख) क्या, सरकार का विचार उनके वेतनमानों/ग्रेडों में उनको स्थायी करने का है जिससे कि वे सेवा निवृत्ति के पश्चात और यदि उससे पूर्व उनकी मृत्यु हो जाए तो अपनी सेवा का लाभ प्राप्त कर सके, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उनको कब तक स्थायी करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग): केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समस्त भारत में स्थित विभिन्न कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

योजना में शिक्षा अनुदान नियतन में कटौती

7125. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा अनुदान के लिए नियत् राशि में छठी पंचवर्षीय योजना में और कटौती कर दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसमें वृद्धि की जानी चाहिए थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में शिक्षा हेतु अनुदानों के लिए दी गई राशि की प्रतिशतता क्या थी ; और

(ग) प्रत्येक योजना में अनुदानों के रूप में कितने प्रतिशत राशि व्यय हुई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना के सभी क्षेत्रों के लिए व्यय अनुमोदित करती है। पंचवर्षीय योजना (1978-83) के प्रारूप में शिक्षा के लिए पांचवी योजना (1974-79) के लिए की गई 1,285 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था के मुकाबले 1,955 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) : सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न योजनाओं के दौरान शिक्षा पर योजनागत परिव्यय और व्यय

	शिक्षा के लिए परिव्यय (करोड़ रुपयों में)	कुल के अनुपात में शिक्षा पर परिव्यय की प्रतिशतता	शिक्षा पर व्यय (करोड़ रुपयों में)	शिक्षा पर परिव्यय की तुलना में व्यय की प्रतिशतता
प्रथम पंचवर्षीय योजना	170	7.22	153	90.00
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	277	6.16	273	98.55
तृतीय पंचवर्षीय योजना	560	7.47	589	105.18
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	822	5.16	786	95.62
पांचवीं पंचवर्षीय योजना	1,285	3.3	लागू नहीं होता	—
प्रस्तावित छठी पंचवर्षीय योजना	1,955	3.3		

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति

7126. **श्री युवराज :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि चालू वर्ष में पहली अप्रैल से देशी शराब की बिक्री बन्द की जाय ; और

(ख) क्या समिति ने यह भी अनुरोध किया है कि शिक्षा संस्थाओं और धार्मिक स्थानों के निकट शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाय और शराब की बिक्री के लिए न तो नए लाइसेंस दिए जायें और न पुराने लाइसेंसों का नवीकरण किया जाए और यदि हां, तो क्या इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कानूनों में समुचित संशोधन किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सरकार द्वारा मद्यनिषेध के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को जारी की गई मार्गदर्शिकाओं में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं :—

उन दुकानों के लाईसेंस रद्द करना—

(1) जो औद्योगिक, सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के निकट हैं ।

(2) जो बड़े मार्गों, आवासीय क्षेत्रों और शिक्षा संस्थाओं धार्मिक स्थानों और कामगारों की कालोनियों के निकट हैं ।

27, सितम्बर, 1978 को हुई केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने अपनी बैठक में इन मार्ग दर्शिकाओं को स्वीकृति प्रदान की ।

मद्यनिषेध हेतु विधिनिर्माण और उसे लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पशु पालन विकास

7127. **श्री दयाराम शाक्य :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वात्तर राज्यों में पशुपालन विभाग के विकास के संबंध में कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों में कितनी राशि की सहायता दी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : देश के पूर्वात्तर क्षेत्र में पशुपालन विभाग के विकास के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है। तथापि मध्यावदि योजना/वार्षिक योजना पर विचार करते समय इस क्षेत्र में पशुपालन के विकास की संमीक्षा की गई थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	राशि
1. कृषि और सिंचाई मंत्रालय, कृषि विभाग की योजनाओं के जरिये सहायता	68.88 लाख रुपये
2. अनुसंधान योजनाओं के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सहायता	19.43 लाख रुपये
3. गृह मंत्रालय से उत्तर पूर्वी परिषद को सहायता (दिसम्बर, 1978 तक)	123.45 लाख रुपये
4. आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय से असम, मणिपुर और त्रिपुरा को सहायता	60.50 लाख रुपये (1978-79)*

*1977-78 के दौरान पशुपालन और डेरी विकास सहित कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों को 293.65 लाख रुपयों की सहायता प्रदान कीगई थी।

कलपांग नदी पर बांध

7128. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कलपांग नदी पर एक सिंचाई बांध का निर्माण करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) जांच कार्य कब आरम्भ किया गया था; और कब पूरा किया गया था और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के जांच डिवीजन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जल आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने 1970-71 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बहुद्देशीय लाभों वाली कुछ स्कीमों का अन्वेषण शुरू किया था। कलपांग चरण-एक (इस पर 12.71 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और 940 किलोवाट फर्म विद्युत प्राप्त होने और 400 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है) की रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र से दिसम्बर, 1977 में प्राप्त हुई थी। यह स्कीम आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाई गई। कलपांग चरण-दो की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस स्कीम पर 9.43 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे 215 किलोवाट फर्म बिजली प्राप्त होगी तथा 1080 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय दल ने जनवरी, 1978 में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया और देखा कि यह स्कीम भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इस दल ने दिसम्बर, 1978 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि इस द्वीपसमूह में सिंचाई की व्यवस्था केवल लघु सिंचाई स्कीमों द्वारा की जा सकती है जिसके लिए उन्होंने आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए हैं।

बड़े एकाधिकार गृहों का अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में मछली पकड़ने के लिए अनुमति

7129. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "टाटा बन्धुओं" को अनुमति दी है कि वे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड में मत्स्य नौकाओं को चला सकते हैं और पकड़ी गई मछली को सीधा थाइलैण्ड भेज सकते है ; यदि हां, तो शर्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या टाटा बन्धुओं द्वारा अनुमति से अधिक संख्या में मत्स्य नौकाओं को उपयोग में लाया जा रहा है और क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) क्या किसी अन्य बड़े एकाधिकार गृह को भी अण्डमान और निकोबार के राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है; यदि हां, तो उक्त पार्टियों के नाम क्या हैं और किन शर्तों पर; और

(घ) क्या अण्डमान और निकाबार प्रशासन को उक्त अनुमति के ब्यौरों के बारे में सूचित नहीं किया गया था; यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मैसर्स टाटा आयल मिल कम्पनी लि० को थाइलैण्ड से मत्स्य नौकाओं को किराये पर लेकर पोर्ट ब्लेयर से चलने की अनुमति दे दी गई है। सीमाशुल्क तथा निर्यात की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त उपर्युक्त नौकाओं में पोर्ट ब्लेयर से मछली का निर्यात किया जाता हैं। पकड़ी गई मछलियों का एक छोटा भाग स्थानीय उपभोग के लिए भी उपलब्ध किया जाता है। शर्तों की मुख्य बातें परिशिष्ट 1 में दी गई हैं।

(ख) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि मैसर्ज टाटा आयल मिल कम्पनी लि०, अनुमति दी गई संख्या से अधिक नौकाओं को चला रही है। कम्पनी प्रत्येक किराये पर लिए गए जलयान के लिए जहाजरानी महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त करती है और सुरक्षा कि दृष्टि से नौसेना तथा आसूचना अधिकारियों से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही मत्स्यन कार्य करती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को मैसर्ज टाटा आयल मिल्स कम्पनी लि० को जारी की गई अनुमति से सूचित किया गया है।

विवरण

1. चार्टर में एक वर्ष की अवधि के लिये सकल भाड़ा शामिल है और यह भाड़ा प्रति ट्रालर 258,000 अमेरिकी डालर है। परिचालन का प्रमुख पत्तन पोर्ट ब्लेयर होगा।
2. पकड़ी गई कुल मछलियों में से समुद्री उत्पादों का निर्यात, पकड़ी गई मछलियों के कुल मूल्य के 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। निर्यात न की जा सकने वाली किस्मों का परिसंस्करण करके स्थानीय सरकार का समाधान करते हुए देश की मण्डियों में उनका विपणन किया जाना चाहिए।
3. अबक्रेयता को मान्यता-प्राप्त एजेंसी से मूल्यांकन और सागर उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. विदेशी कम्पनी को भारतीय किरायेदारों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों का मात्स्यकी, परिसंस्करण और मत्स्यन ट्रालरों के चलाने से सम्बंधित विषयों में प्रशिक्षण देना चाहिए।

5. अवक्रेयता को सरकार द्वारा निर्धारित पकड़ी गई मछलियों और निर्यातों से सम्बंधित समस्त अपेक्षित ब्यौरा एक त्रैमासिक विवरण में सरकार को देना होगा।

6. मछली पकड़ने का क्षेत्र छोटी यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत मात्स्यकी नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के क्षेत्र से आगे होगा।

7. सरकार का प्रतिनिधि मत्स्यन जलयानों के उपस्करों और मशीनों का निरीक्षण करेगा और आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर ही ट्रालर अपना कार्य शुरू करेंगे।

8. सरकार के प्रतिनिधि बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय मत्स्यन ट्रालरों का निरीक्षण कर सकते है।

9. जब मत्स्यन ट्रालर भारतीय बन्दरगाह पर पहुंचेगा उस समय मत्स्यन ट्रालरों पर बेतार उपस्करों को मोहरबन्द कर दिया जाएगा।

10. विदेशी नाविक दल के लिए सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

11. अवक्रेयता को यह वचन देना होगा कि मत्स्यन ट्रालर, समुद्री अनुसंधान, समन्वेषी अथवा सर्वेक्षण कार्य नहीं करेंगे।

12. पकड़ी गई मछलियों सहित मत्स्यन जलयानों पर की सामग्री पर विद्यमान शुल्क और कर लगेगा।

13. जलयान का परिचालन इंडियन मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होगा और भारतीय जल सीमा में मत्स्यन ट्रालरों के लाने-लेजाने के लिए जहाजरानी महानिदेशालय से अनुमति लेनी होगी।

10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए अंडमान तथा निकोबार के छात्रों के परीक्षा प्रवेशपत्रों का रोका जाना

7130. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के छात्रों से सैन्ट्रल बोर्ड, दिल्ली ने परीक्षा शुल्क स्वीकार करा लिये थे और परीक्षा प्रवेशपत्र बोर्ड ने जारी कर दिये थे परन्तु अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने प्रवेशपत्र रोक लिये हैं जिससे छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, यदि हां, तो ऐसे छात्रों की संख्या तथा स्कूलों के नाम क्या हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं और सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ख) क्या अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को इस बारे में गृह मन्त्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों ने अभ्यावेदन दिये हैं और यदि हां, तो यदि कोई कठिनाइयां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) : अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उप शिक्षा अधिकारी, डीगलीपुर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

7131. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उप शिक्षा अधिकारी डीगलीपुर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन गत 2 वर्षों से कितने प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल हैं;

(ख) 1977-78 और 1978-79 के दौरान वे कितने दिनों के लिए सरकारी दौरे पर रहे और उन पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) गत 2 वर्षों में उन्होंने किस-किस स्कूल का और कितनी बार दौरा किया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) : अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा ढांचे और स्तर में एक रूपता

7132. **श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि स्वाधीनता के 30 वर्षों के पश्चात भी हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा के भिन्न-भिन्न ढांचे और स्तर विद्यमान हैं;

(ख) देश के सभी विश्वविद्यालयों में ढांचे और स्तर में एक रूपता लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सुधार करने के लिए सतत आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, देश के सभी विश्वविद्यालयों में पद्धति अथवा स्तरों में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं।

स्कूल भवन के लिये निर्धारित प्लाट का दुरुपयोग

7133. **श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, बसन्त विहार, नई दिल्ली की शांति निकेतन कालोनी में स्कूल भवन के लिए आरक्षित प्लाट के निर्बाध रूप से जनसुविधा के स्थान के रूप में दुरुपयोग जिससे आस-पास के निवासियों के लिए स्वास्थ्य का निरन्तर खतरा बना हुआ है से उत्पन्न अव्यवस्थित और शोचनीय स्थिति गत कुछ वर्षों के दौरान कई बार दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई है ;

(ख) क्या प्रस्तावित स्कूल भवन पिछले एक दशक से ज्यादा समय से नहीं बना है और यहां तक दिल्ली नगर निगम भी स्कूल बनाने के लिए इस प्लाट का अधिग्रहण नहीं कर सका है ;

(ग) इस प्लाट को थोड़े समय के लिए पार्क में बदलने में दिल्ली विकास प्राधिकरण को क्या कठिनाइयां हैं, जिससे इस खाली प्लाट से हर समय उत्पन्न हो रही अपदूषण को बन्द किया जा सके ; और

(घ) इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) तक :—सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंज

7134. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आगामी योजना अवधि में कर्नाटक राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की संभावना है ; और

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) लगभग 200 टेलीफोन एक्सचेंज ।

(ख) सभी टेलीफोन एक्सचेंज देहाती इलाकों के उन गांवों में खोले जाएंगे जहां 15-20 टेलीफोनों/कनेक्शनों की मांग हो ।

खेती के अधीन क्षेत्र

7135. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र में खेती हो रही है और कुल कितनी प्रतिशत भूमि उपलब्ध है ;

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में खेती योग्य कितनी भूमि बेकार पड़ी है;

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में खेती योग्य कुल कितनी प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधाएं हैं, और आगमी पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधाएं देने का विचार है ; और

(घ) प्रत्येक राज्य में खेती योग्य कितनी भूमि बेकार है जिसे आगामी पाँच वर्षों में प्रति वर्ष खेती के अधीन लाने का विचार हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) : संलग्न विवरण में 1975-76 के नवीनतम वर्ष के विषय में विभिन्न राज्यों के संबंध में कृषि क्षेत्र, कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र की तुलना में कृष्ट क्षेत्र की प्रतिशतता और कृषि योग्य बेकार भूमि एवं वास्तविक बुवाई के क्षेत्र की तुलना में वास्तविक सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता दी गई है। 1978-83 की अवधि के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का राज्यवार लक्ष्य योजना आयोग द्वारा अभी निश्चित नहीं किया गया है।

(घ) योजना के मसौदे के अनुसार 1978-83 के दौरान वास्तविक फसलाधीन क्षेत्र में वृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं है।

विवरण

1975-76 के दौरान भारत में कुल कृष्ट क्षेत्र, रिपोर्टिंग क्षेत्र की तुलना में कृष्ट क्षेत्र की प्रतिशतता, कृषि योग्य बेकार भूमि तथा वास्तविक बुवाई के क्षेत्र की तुलना में वास्तविक सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता का राज्यवार अस्थाई ब्यौरा

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य	कुल कृष्ट क्षेत्र /—	भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों के लिए रिर्पोटिंग क्षेत्र की तुलना में कृष्ट क्षेत्र की प्रतिशतता	कृषि योग्य बेकार भूमि //—	वास्तविक बुवाई के क्षेत्र की तुलना में वास्तविक सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	13,420	48.9	2,380	30.8
असम	2,712	34.5	543	22.0

/— इसमें कुल वास्तविक बुवाई का क्षेत्र और चालु परती भूमि शामिल है।

//— इसमें चालू परती भूमि के अलावा कुल परती भूमि बागानी की विविध फसलों का क्षेत्र तथा बुवाई के वास्तविक क्षेत्र में न लिया गया वृक्षों व वाटिकाओं का क्षेत्र तथा कृषि योग्य बेकार भूमि शामिल है।

1	2	3		4	5
बिहार		10,071	58.1	1,589	32.6
गुजरात		10,112*	53.8	2.538क	14.6
हरियाणा		3,749	85.1	34	48.4
हिमाचल प्रदेश		613	20.9	176	16.1
जम्मू तथा कश्मीर		799	17.7	266	43.5
कर्नाटक		11,310	59.2	1,524	13.2
केरल		2,225	57.3	221	10.4
मध्य प्रदेश		19,466	43.8	3,023	9.6
महाराष्ट्र		19,107	62.1	2,016	9.9
मणिपुर (ख)		140	6.3	24	46.4
मेघालय		229	10.2	871	24.7
नागालैण्ड		113	6.8	...	32.7
उड़ीसा		6,692	43.1	1,072	16.5
पंजाब		4,224	83.9	66	75.1
राजस्थान		17,038	49.8	8,911	16.9
सिक्किम		उपलब्ध नहीं			
तमिलनाडु		7,405	57.0	1,114	42.8
त्रिपुरा		245	23.4	92	12.5
उत्तर प्रदेश		18,163	60.8	2,890	46.1
पश्चिम बंगाल		6,185x	69.8	900x	24.1
अखिल भारत		154,740	50.8	31,018	24.3

केन्द्रीय स्कूल शिमला में छुट्टियों का समय

7136. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

x अनुमानित

(क) वर्ष 1973-74 से संबंधित

(ख) तदर्थ अनुमान

(क) क्या यह सच है कि शिमला में केन्द्रीय स्कूलों और राज्य सरकार के स्कूलों की छुट्टियों के समय भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये समय क्या-क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) शिमला में केन्द्रीय स्कूलों में राज्य सरकार के स्कूलों की कुल छुट्टियों के समान समय निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) : केन्द्रीय विद्यालय, शिमला में छुट्टियों की अवधि है :-

(1) शीतकाल छुट्टी — 50 दिन———1 जनवरी से 19 फरवरी तक।

(2) शरत् अवकाश— 10 दिन ———दशहरे की छुट्टियों के साथ-साथ तथा

(3) ग्रीष्म अवकाश— 10 दिन———जून में

हिमाचल प्रदेश सरकार के शिमला स्थित स्कूलों में छुट्टियों का समय है :—

(1) अगस्त के पहले सोमवार से शनिवार तक ; तथा

(2) 26 दिसम्बर, से 21 मार्च तक।

क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय किसी राज्य की स्कूल पद्धति का अंग नहीं है, अतः प्रशासनिक तथा शैक्षिक दोनों ही दृष्टियों से यद वांछनीय है कि देश भर में फैले हुए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में लम्बी छुट्टियों तथा अल्प अवकाश की एक समान पद्धति हो। इन छुट्टियों का समय निर्धारित करते समय संबंधित क्षेत्र की जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है।

साहसिक कार्यों संबंधी योजना (एडवेंचर स्कीम) का विस्तार

7137. **श्री नाथू सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) साहसिक कार्यों संबंधी योजना (एडवेंचर स्कीम) के विस्तार हेतु वर्ष 1978-79 में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) साहसिक कार्यों संबंधी योजना के अधीन किन-किन संगठनों/एसोसिएशनों को उक्त अवधि के दौरान कितनी-कितनी अनुदान राशि दी गई है ; और

(ग) यदि किसी मामले में 75,000 रुपये से अधिक राशि का अनुदान दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क), (ख) और (ग) : साहसिक कार्यों के विस्तार से संबंधित योजना के अंतर्गत वर्ष 1978-79 के दौरान 12 लाख रुपये (योजनागत) और 2.25 लाख रुपये (योजनेत्तर) की राशि निर्धारित की गई थी। उन संगठनों/संघों के नाम, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत अनुदान दिए गए हैं, दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध "क" के रूप में संलग्न है।

2. पिछले वित्त वर्ष के दौरान तीन संस्थानों को 75,000 रुपये से अधिक का अनुदान आवंटित किया गया था। भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली तथा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग को रख रखाव के लिए क्रमशः 3.56 लाख रुपये तथा 1,00,000 रुपये के अनुदान दिए गए हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय युवा छात्रावास संघ को भी लंबी पैदल यात्रा, पदयात्रा और शिविर उपस्करों की खरीद के लिए एक लाख रुपये दिए गए हैं।

विवरण

अनुबन्ध "क"

क्रमांक	संगठन/संघ/संस्था का नाम	राशि (रुपयों में)
1.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	7,000/-
2.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, भावनगर	13,500/-
3.	भारत आउटवर्ड बाऊंड पाएनियर, पूना	13,000/-
4.	कैथेडरल एंड जान कैनन स्कूल, बंबई	20,000/-
5.	व्यावसायिक अध्ययन कालेज, नई दिल्ली	10,860/-
6.	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, बंबई	1,000/-
7.	सेंट जान कालेज, आगरा	16,400/-
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	9,500/-
9.	कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरतगढ़	12,680/-
10.	युवक प्रगति सहयोग, बुलडाना	46,650/-
11.	राजकीय कालेज, शिमला	22,390/-
12.	दिल्ली इंजीनियरी कालेज, दिल्ली	3,326/-
13.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तर काशी	10,300/-
14.	क्लाइम्बर्स एंड एक्स्प्लोरर्स क्लब, नई दिल्ली	38,000/-
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	15,170/-

1	2	3
16.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	10,800/-
17.	भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	3,56,000/-
18.	सेंट स्टीफन्स कालेज, दिल्ली	10,834/-
19.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	18,242/-
20.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	13,100/-
21.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, आनन्द, गुजरात	8,000/-
22.	"हिमानेश" धनबाद	8,000/-
23.	लोक विकास परिषद, चमोली	5,000/-
24.	उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	21,000/-
25.	सत्यवती सह शिक्षा कालेज, दिल्ली	270/-
26.	दिल्ली पर्वतारोहण संघ, दिल्ली	43,400/-
27.	एच०वी०पी० मंडल, अमरावती	3,000/-
28.	पूणो विश्वविद्यालय, पुणे	2,800/-
29.	मौलाना आजाद आयुर्विज्ञान कालेज, नई दिल्ली	1,125/-
30.	अन्वेषण संस्थान, कलकत्ता	4,000/-
31.	अखिल भारतीत आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1,217/-
32.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	4,000/-
33.	राष्ट्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थान, भुवनेश्वर	2,700/-
34.	नेहरू युवक केन्द्र, टोंक	4,500/-
55.	लोक सेवा परिषद, लखनऊ	20,000/-
36.	महावीर महाविद्यालय, कोल्हापुर	9,000/-
37.	श्री प्रयाग महाविद्यालय, विजयनगर	8,000/-
38.	दि० "माउंटेनियर्स" बंबई	1,100/-
39.	कोल्हापुर कालेज, कोल्हापुर	5,000/-
40.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	2,000/-
41.	भारतीय युवा छात्रावास संघ, नई दिल्ली	1,00,000/-

दण्डकारण्य विकास परियोजना द्वारा विस्थापित व्यक्तियों की शिक्षा के लिए धनराशि मंजूर करना

7138. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले के दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ने जिले के विस्थापित व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा सुविधाओं हेतु जिले के कालेजों के लिए धनराशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन कालेजों को उक्त अनुदान प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या प्राधिकरण को नौरंगपुर और कोरापुट कालेजों से अनुदान के लिए योजनाएं प्राप्त हुई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो इन कालेजों को दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण, कोरापुट से अनुदान कब प्राप्त होंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) : जी, हां। विस्थापित व्यक्तियों को दाखिलों में प्राथमिकता देने पर विचार करते हुए जेपुर इण्टर-मिडिएट कालेज, जेपुर, जिला कोरापुट को 1961 में 1.50 लाख रुपये सहायक अनुदान के रूप में मंजूर किए गए थे।

(ग) जी, हां। डी०ए०बी० कालेज, कोरापुट और नौरंगपुर कालेज को सहायक-अनुदान देने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(घ) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के साथ-साथ अपने कार्यक्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा स्तर तक शिक्षा सुविधाएं प्रदान कर रहा है और इसलिए इन प्रस्तावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए पेय जल की व्यवस्था

7139. **श्री गिरिधर गोमांगो:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय को देश के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों से पेय जल की समस्या की व्यापकता के बारे में प्रमाणिक आंकड़े राज्यों से अभी प्राप्त होने है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने राज्यों से रिपोर्ट लेने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) राज्यों ने, राज्यवार, पेय जल योजनाओं के प्रयोजनों के लिए कितने समस्याग्रस्त गांवों को शामिल किया है ;

(घ) उनका मंत्रालय जनजाति क्षेत्रों हेतु राज्यों के लिए कितना धन आंवटित करेगा ; और

(ङ) उपयोजना क्षेत्रों हेतु वर्ष 1979-80 के लिए राज्य क्षेत्र का परिव्यय क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पहले ही लिख दिया है तथा अधिकाँश राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के समस्याग्रस्त ग्रामों के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) तथा (ङ) : सभी राज्यों से आवश्यक सूचना प्राप्त होने के बाद ही इसे अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

शेख सराय, नई दिल्ली में फ्लैटों का आवंटन

7140. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1979 के पहले सप्ताह में शेख सराय में फ्लैटों के आवंटन के लिए लाटरी डाली गई थी और बाग से संलग्न दो आकर्षक फ्लैट श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्री, और एक सेवा निवृत न्यायाधीश को आवंटित किये गये थे ;

(ख) सरकार को उक्त आवंटन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) तक :- सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मानावदर, राजकोट, अहमदाबाद और बम्बई के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था

7141. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मानावदर तल्लुका इंडस्ट्रीज एण्ड मरचेंट्स एसोसिएशन, मानावदर, जिला जूनागढ़ सौराष्ट्र, गुजरात ने महाप्रबंधक, दूरसंचार, अहमदाबाद तथा महानिदेशक, टेलीफोन्स, नई दिल्ली और मानावदर से राजकोट, मानावदर से अहमदाबाद और मानावदर से बम्बई तक सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक स्वीकार की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और किस-किस तारीख को स्वीकार की गई और कौन सी मांगे अब तक स्वीकार नहीं की गई हैं और इसके कारण क्या हैं और ये मांगे कब तक स्वीकार की जायेंगी ; और

(घ) 1-3-1979 को टेलीफोन के लिए मानावदर से प्राप्त कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे, वे किस-किस तारीख को विचाराधीन हैं और इसके कारण क्या हैं, आवेदन-पत्र भेजने वालों की संख्या कितनी-कितनी है और उनके गांवों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और उनको टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) 1) मानावदर से राजकोट, मानावदर से अहमदाबाद तथा मानावदर से बम्बई के बीच हर एक के लिए सीधे डायलिंग परिपथ की व्यवस्था।

2) मानावदर से जूनागढ़ तथा मानावदर से केशोड के बीच हर एक के लिए अतिरिक्त परिपथ की व्यवस्था।

(ग) 1) मानावदर से राजकोट, मानावदर से अहमदाबाद तथा मानावदर से बम्बई के बीच सीधे उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली सुविधा की व्यवस्था को मंजूरी नहीं दी गई। क्योंकि वर्तमान परियात के हिसाब से इसका औचित्य नहीं बनता। वर्तमान योजना अवधि के अंत तक एस-टी-डी की व्यवस्था किए जाने की संभावना है।

2) मानावदर से जूनागढ़ के बीच एक अतिरिक्त ट्रंक परिपथ तथा मानावदर से केशोड के बीच सीधे परिपथ की व्यवस्था का औचित्य बनता है जिसके 1980 तक चालू हो जाने की आशा है।

(घ) 1-3-79 की स्थिति के अनुसार मानावदर से टेलीफोन लेने के लिए नवम्बर, 78 से 15 प्रार्थना पत्र अनिर्णित पड़े थे। इन सभी 15 मांगों की मार्च, 1979 में पूर्ति कर दी गई है।

बालवा जामजोधपुर, जामनगर में टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीफोन कनेक्शन

7142. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के जिला जामनगर के जामजोधपुर तालुका में बालवा और जामवाली गांव के लगभग 17 व्यक्तियों ने अहमदाबाद, राजकोट तथा धोराजी टेलीफोन अधिकारियों को आवेदन पत्र दिए हैं जिनमें बालवा गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खोल कर टेलीफोन कनेक्शन देने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे किस गांव के हैं और प्रत्येक ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र कब दिया था ;

(ग) किन-किन व्यक्तियों के नाम मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं और यदि हां, तो कब तथा किन-किन व्यक्तियों ने इस प्रयोजन के लिए धनराशि जमा करवा दी है तथा प्रत्येक जमाकर्ता ने कितनी राशि और कब जमा कराई है और कहां पर जमा कराई है ; और

(घ) इन सब व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे और कहां से ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अनुबंधन की तालिका में ब्यौरा दिया गया है।

(घ) 1979-80 वर्ष के दौरान बलवा में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है। कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर मार्च, 1980 तक अधिकांश प्रार्थियों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे।

अनुबंध-1

विवरण

क्रमांक	नाम	गांव	प्रार्थना की तारीख	डिमांड नोट को जारी करने की तारीख	जमा की गई राशि	जमा करने की तारीख
1.	श्री अर्जुन भाई सावजी	जामवली	7-7-77	17-8-77	800/-	27-8-77
2.	श्री बछाती ब्रादर्स	जामवली	7-7-77	17-8-77	800/-	29-8-77
3.	सेवा सहकारी मन्डली	बोलवा	12-7-77	24-12-77	800/-	3-1-78
*4.	श्री करसन देवशी	बोलवा	24-12-77	2-8-77	800/-	5-1-78
*5.	श्री शान्तिलाल होरीजोखान्त	जामवली	7-7-77	2-8-77	800/-	15-3-79
*6.	श्री गोपाल दास एण्ड कम्पनी	जामवली	7-7-77	2-8-77	800/-	15-3-79
*7.	श्री किशोर एण्ड कम्पनी	जामवली	7-7-77	2-8-77	800/-	15-3-79
8.	श्री दिनेश कुमार धर्मसिह पटेल	बलवा	19-2-79	7-3-79	800/-	15-3-79
9.	श्री माधवजी रावजी भाई पटेल	जामवली	19-2 79	7-3-79	800/-	15-3-79
10.	श्री जीवनलाल गोपालदास पटेल	जामवली	19-2-79	7-3-79	800/-	15-3-79
11.	श्री गजातिया जयन्ती लाल	जामवली	19-1-79	7-3-79	800/-	15-3-79
*12.	श्री रफीकलाल अम्बाबी भाई, पटेल	बोलवा	19-2-79	2-8-77, 7-3-79	800/-	15-3-79
13.	श्री गोबिन्दलाल एन० पटेल	बलवा	19-2-79	7-3-79	800/-	18-3-79
14.	श्री जीवनलाल एण्ड ब्रास	बलवा	7-7-77	17-8-77	कुछ नहीं	भुगतान नहीं हुआ
15.	श्री श्रीनगर पुलशंकरकालिदास	बलवा	30-7-77	17-8-77	कुछ नहीं	भुगतान नहीं हुआ
16.	श्री श्रीकुरजी अम्बाबी भाई पटेल	जामवली	19-2-79	7-3-79	कुछ नहीं	भुगतान नहीं हुआ

**सभी भुगतान जमजोधपुर में किया गया है ।

बरडिया, जामनगर, गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीफोन कनेक्शन

7143. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के राजकोट जिला के जामकंडोरणा तालुका की श्री बरडिया ग्राम पंचायत, बरडिया ने जून, 1978 में राजकोट, धोराजी और अहमदाबाद के टेलीफोन्स के अधिकारियों को बरडिया गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खोल कर बरडिया चित्रावड, सातोदड़, थोराला, गुंदासरी जामदादर आदि गांवों में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए आवेदन पत्र भेजा है।

(ख) यदि हां, तो कितने कनेक्शन गांव-वार मांगे गए हैं, वे कब से मांगे गये हैं और इन गांव में से किन-किन गाँवों के कितने लोगों ने राशि जमा करा दी है और कब कराई है ; और

(ग) बरडिया अथवा किसी अन्य उपयुक्त गांव में टेलीफोन एक्सचेंज कब तक खोला जाएगा और सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) श्री बरडिया ग्राम पंचायत ने उपमंडल अधिकारी धोराजी को तारीख 17-7-1978 को बरडिया ग्राम टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए प्रार्थना की थी।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा जुलाई 1978 में मांगे गए टेलीफोन कनेक्शनों की ग्राम वार संख्या निम्न प्रकार है :—

बरडिया	4
चित्रावड	5
सातोदड़	3
थोराड	1
गुंदासरी	1
जामदादर	1

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवश्यक अग्रिम सहित आवेदन पत्र अभी तक व्यक्ति विशेष से प्राप्त नहीं हुए है।

(ग) टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवश्यक अग्रिम जमा सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर टेलीफोन एक्सचेंज योजना तैयार की जाएगी। आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने पर योजना की मंजूरी दी जाएगी। योजना की स्वीकृति और इस आकार के एक्सचेंज के लिए कनेक्शनों के दिए जाने में लगभग एक से डेढ़ वर्ष तक का समय लग जाता है।

सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के गांव अजब में उप डाकघर खोलना

7144. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ जिले में केशोद तालुका के 6,000 जनसंख्या वाले गांव अजब में अभी तक भी एक उप डाकघर न खोलने के क्या कारण हैं;

(ख) अजब में एक उप डाकघर कब खोला जायेगा; और

(ग) अजब गांव में एक उप डाकघर न खोलने के क्या कारण हैं जबकि वहां एक टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहा है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ग) अजब शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर बनाने के प्रस्ताव की पोस्ट मास्टर जनरल, गुजरात सर्कल द्वारा 1976 में जांच की गई थी, कार्य भार के आधार पर जिसका औचित्य नहीं पाया गया। अतः प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की गई ।

(ख) इस प्रस्ताव की पोस्ट मास्टर जनरल, गुजरात सर्कल द्वारा सक्रियता से पुनः जांच की जा रही है। यदि औचित्य पाया गया तो शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर बना दिया जाएगा ।

डी० डी० ए० कालोनी सुभाषनगर नई दिल्ली में मूल सुविधाओं का अभाव

7145. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सुभाषनगर चौराहे के समीप डी० डी० ए० (मध्य आय वर्ग) की कालोनी के बाह्य क्षेत्र में वर्षा जल का नालों, पैदल-पथों सड़कों तथा गलियों में प्रकाश जैसी मूल सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सुविधाओं के न होने से इस कालोनी के निवासियों को भारी परेशानियां हो रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त सुविधायें जुटाने के लिये तत्काल ही क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी ने आज कल उस कालोनी का दौरा किया है तथा देखा है कि वहां की हालत कितनी खराब है और यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने हेतु उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) तकः— सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों के साथ सीधी टेलीफोन सेवा

7146. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **संचार मन्त्री** यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय भारत से किन देशों के साथ सीधे टेलीफोन सम्पर्क उपलब्ध हैं;

(ख) निकट भविष्य में किन अन्य देशों के साथ सीधे टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) भारत से सीधे डायल घुमाकर अधिकाधिक देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के बारे में सरकार की समग्र योजना क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) इस समय बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली से सारे ब्रिटेन के लिए सीधे डायल करने की सेवा उलब्ध है। यह सुविधा जल्दी ही मद्रास शहर में भी बढ़ाई जाएगी।

(ख) और (ग) : विदेश संचार सेवा के बम्बई और नई दिल्ली स्थित परिषण अभिग्रहण केन्द्रों की टेलीफोन स्विचिंग क्षमताओं का विस्तार करने के लिए जरूरी कार्यवाही की जा रही है। इन योजनाओं पर अमल होने के बाद अन्य देशों के लिए भी सीधे टेलीफोन डायल करने की सुविधा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

पटरियों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए मकान

7147. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **निर्माण और आवास तथा** पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) बड़ी संख्या में पटरियों पर तथा छोटी झोंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी झोंपड़ियों में अथवा पटरियों पर रहने की बजाए छोटे मकान में रहे ; और

(ग) देश के सभी नागरिकों को छोटे मकान उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा तथा यदि ऐसी कोई योजना है तो वह क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) :—राज्य क्षेत्र की गन्दी बस्ती उन्मूलन/विकास योजना में पटरियों पर रहने वाले लोगों को आश्रय देने के लिए होस्टल, शयनागार तथा रेनबसेरों के निर्माण की व्यवस्था है। सरकार की आवास योजना का मुख्य लक्ष्य समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की रहन-सहन की दशाओं को सुधारना है। नगरीय क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की एर्यावरणीय दशा को सुधारने के कार्यक्रम के लिए 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में काफी बड़ी मात्रा में नियतन किया गया है। इसी प्रकार 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में आवास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पांचवी पंचवर्षीय योजना में किये गये नियतन से 2-1/2 गुणा नियतन अधिक किया गया है। इस नियतन का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थल देने के कार्यक्रम को चालू करने तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए है जबकि इस कार्यक्रम का अधिकांश भाग राज्य प्लानों के अन्दर किया जा रहा है निधियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा

करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में आवास तथा नगर विकास निगम की गतिविधियों को तीव्र कर दिया गया है। आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा मंजूर की गई आवास व प्लाट विकास योजनाओं के मुख्य लाभान्वित व्यक्ति समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के है तथा अधिकतम लागत को निम्नस्तर पर रखा गया है। देश में आवास-समस्या को हल करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया नहीं गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया अनाज

7148. **श्री पीयूष टिरकी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान कितना अनाज (गेहूं को छोड़कर) खरीदा;

(ख) बाढ़ों, वर्षा अथवा अन्य कारणों से कितना अनाज खराब हुआ;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) :—अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

आंकड़े हजार मीटरी टन में

विपणन मौसम	खरीदी गई मात्रा	मांगी गई मात्रा
1976-77	3,766	5.7
1977-78	4,432	2.8
1978-79	4,989*	3.6**

(ग) खाद्यान्नों कि क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

1. तैयार किए गए गोदाम मूषक, दीमक और नमी-प्रूफ होते हैं और उनमें पर्याप्त वायु-संचालन तथा अनाज के वातन की व्यवस्था होती है ताकि कीड़ों के उत्पीड़न को कम किया जा सके।

2. गोदामों का मानसून पूर्व निरीक्षण किया जाता है और उनकी मरम्मत की जाती है ताकि वर्षा का पानी न चूने पाए।

* 31.3.1979 तक खरीफ की खरीदारी

** 1.3.1979 तक

3. कीड़ों, चूहों और पक्षियों को रोकने के लिए आधुनिक कीट-नियंत्रण उपाय किये जाते हैं।

4. खाद्यान्नों का समय-समय पर निरीक्षण करने और उनके रख रखाव के लिए योग्य तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ को लगाया जाता है।

कैंप में रखे गये स्टाक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पग भी उठाए गए हैं :—

1- स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उनकी वर्षा से सुरक्षा करने के लिए उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई पोलीथीन की चादरों से ढ़का जाता है।

2. पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नायलोन की रस्सियां सुलभ की जाती हैं ताकि तीव्र हवाओं के चलने, तूफान आदि के कारण चादरें उड़ने न पाएं।

3. खराब मौसम से अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए प्रमुख "कैंप" काम्पलैक्सों में मोनोफिलामैण्ट के नैट और कवर टाप्स भी सुलभ किए जाते हैं।

4. खाद्यान्नों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पोलीथीन की चादरों को बदला जाता है।

5. चादरों को हटाकर स्टाक का नियमित रूप से वातन किया जाता है ताकि घनीकरण के कारण क्षति न होने पाए।

6. कैंप में रखे गए स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण तथा परिरक्षण करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाइप दो के क्वार्टरों का टाइप तीन में बदला जाना

7149. **श्री पीयूष टिरकी** : क्या **निर्माण और आवास तथा** पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार डी० आई० जेड० क्षेत्र के सेक्टर "डी" में टाइप दो क्वार्टरों को टाइप तीन में बदल रही है ; और

(ख) इन में परिवर्तन किये जाने पर इनके अलाटियों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जायेंगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार ने 1975 में दिल्ली तथा अन्य स्थानों में सामान्य पूल में सरकारी रिहायशी वास के विभिन्न टाइपों के कुर्सी क्षेत्रों के पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया था। इसके आधार पर, दिल्ली में मौजूदा सरकारी मकानों का चरणों में पुनः वर्गीकरण किया जाएगा। ऐसे पुनः वर्गीकरण के फलस्वरूप टाइप-II के कई क्वार्टरों को टाइप- III में अपग्रेड किया जा रहा है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाइप-II के क्वार्टरों को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है लेकिन इन्हें यथा समय अपग्रेड कर दिया जाएगा।

(ख) कोई अतिरिक्त सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में टाइप II क्वार्टरों में 'वासबेसिन'

7150. **श्री पीयूष टिरकी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र में सैक्टर "सी" के टाइप II क्वार्टरों में "वासवेसिन" की सुविधा उपलब्ध है जबकि उसी इलाके में सैक्टर "डी" क्वार्टरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के क्वार्टरों में यह भेदभाव किस कारण से है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1978 में सेक्टर "सी" में बनाये गये क्वार्टरों का कुर्सी क्षेत्रफल 1971 में उसी टाइप के सैक्टर "डी" में बनाये गये क्वार्टरों के कुर्सी क्षेत्रफल की अपेक्षा कम है। कुर्सी क्षेत्रफल में कमी किये जाने के कारण सुख सुविधाओं के निर्धारित पैमाने को भी पुनरीक्षित किया गया था। इसलिए, सैक्टर "सी" के क्वार्टरों में सुख सुविधाओं के पुनरीक्षित पैमाने के अनुसार वासबेसिन लगाये गये हैं।

पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार्स जिले में डाकघर

7151. **श्री पीयूष टिरकी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार्स जिले में इस समय कितने डाकघर हैं;

(ख) क्या उस क्षेत्र में और डाकघर खोलने पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस क्षेत्र में आगामी पंचवर्षीय योजना में कितने डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) :(क) अलीपुरद्वार जलपाईगुडी जिले का एक राजस्व उपमन्डल है। 1-4-79 की स्थिति के अनुसार अलीपुरद्वार उपमन्डल में इस समय 78 डाकघर हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चालू पंच वर्षीय योजना के दौरान अलीपुरद्वार उपमन्डल में 20 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

गुजरात में संकलित विकास के लिए खन्ड

7152. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या चालू वर्ष में गुजरात के विकास खन्डों को योजनाबद्ध विकास हेतु लिया गया है; **और**

(ख) यदि हां, तो संकलित विकास के लिए कितने गांवों का चयन किया गया है और योजनावार उस पर कितना धन व्यय किया जाएगा और यह राशि कितनी अवधि में व्यय की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए गुजरात में 100 खण्डों को लिया गया था। इनमें से 96 खण्डों को लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम अथवा कमाण्ड क्षेत्र विकास के तीन विशेष कार्यक्रमों में से एक अथवा अधिक के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों से चुना गया था तथा 4 खण्डों को ऐसे क्षेत्रों से चुना गया था जिन्हें इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। चुने खण्डों के अन्तर्गत आने वाले सभी गावों को समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। यह एक जारी कार्यक्रम है तथा पहले चुने क्षेत्रों के अलावा और खण्डों को पंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) के शेष वर्षों में आरम्भ किया जाएगा। इन खण्डों को उपर्युक्त तीन विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत न लाए गए क्षेत्रों से चुना जाएगा। वर्ष 1978-79 के दौरान कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 236.70 लाख रुपये की राशि बंटित की गई थी। धन राशि को कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों, ग्रामीण उद्योगों तथा ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम में विभिन्न लाभभोगी उन्मुख योजनाओं पर उपयोग में लाये जाने के लिए सामान्यत: वित्तीय वर्ष को समाप्त होने से पहले योजनावार आबंटित नहीं किया जाता है।

पेराई आरम्भ न करने वाली चीनी मिलों को अधिकार में लिया जाना

7153. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें निर्धारित तारिख तक पेराई न शुरू करने वाली चीनी मिलों को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दोषी मिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि किसानों को भुगतान के लिए भारी धनराशि अभी तक बकाया पड़ी हुई है;

(घ) भुगतान के लिए कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) इस बकाया राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 की धारा 3 के अधीन, सरकार ने निर्धारित तारीख से पेराई कार्य शुरू न करने के कारण चार चीनी उपक्रमों का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया है।

(ग) और (घ) : 15-3-79 को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि 122.91 करोड़ रुपये है।

(ङ) भारत सरकार ने चीनी मिलों को अत्यधिक भुगतान साधन तथा सक्षमता प्रदान करने के लिए अनेक पग उठाए हैं ताकि वे गन्ना उत्पादकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के सहकारी तथा सरकारी क्षेत्र के यूनिटों की गन्ने की बकाया राशि चुकाने में उनकी सहायता करने के लिए 20 करोड़ रुपऐ का ऋण मंजूर करना, 5 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक बनाने का निर्णय और चीनी फैक्ट्रियों, के लिए बैंक ऋण सुविधाओं को उदार बनाना शामिल हैं। ऐसी फैक्ट्रियों, जोकि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के उपबंधों के अन्तर्गत पाई जाएंगी, के मामले में निश्चित रूप से उपयुक्त कार्रवाई की जाएंगी।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में शिकायतों के संबंध में प्रधान मन्त्री द्वारा जांच

7154. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते प्रधान मन्त्री ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1974 से 1977 के दौरान कुप्रशासन भ्रष्टाचार, अनियमित नियुक्तियों आदि के संबंध में अनेक गंभीर शिकायतों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों की मोटी रूप रेखा क्या है;

(ग) उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने शिक्षा मन्त्री तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को यदि कोई निदेश दिए हैं तो वे क्या हैं ; और

(घ) अब तक यदि कोई ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं तो वे क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : प्रधान मन्त्री ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गई दाखिलों, अध्यापकों की नियुक्ति, कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति, छात्रों की गिरफ्तारी इत्यादि में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की प्रारंभिक जांच की थी । अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में ऐसे मामलों में अपनाए जाने वाले मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रधान मन्त्री की रिपोर्ट शिक्षा मन्त्री को प्राप्त हुई थी । संबंधित अधिकारियों के परामर्श से रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों/सुझावों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं । प्रधान मन्त्री की रिपोर्ट के संगत उदाहरण विचारार्थ तथा जहां संभव हो उपचारी कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ध्यान में ला दिए गए हैं ।

राजस्थान में पेय जल

7155. **श्री नाथू सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की योजनायें चलाने के लिए डेनमार्क तथा अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनसे कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है और उसे राजस्थान के किन क्षेत्र के लिए उपयोग में लाया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । डानिडा सहायता के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले एक प्रोजेक्ट तथा विश्व बैंक सहायता के लिए एक अन्य प्रोजेक्ट पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(ख) इन प्रोजेक्टों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तथा अनुमोदित किया जाना है और डानिडा प्राधिकरणों तथा विश्व बैंक द्वारा इन प्रोजेक्टों को स्वीकार किए जाने के बाद ही सहायता की वास्तविक धनराशि के बारे में पता चलेगा ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित अनियमित नियुक्तियां

7156. **प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1974, 1975 और 1976 के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में कई अनियमित नियुक्तियां की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या है ;

(ग) क्या उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) : जी हां, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनकी प्रधान मन्त्री द्वारा जांच की गई थी। सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों/सुझावों पर उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ करने के लिए प्रधान मन्त्री की रिपोर्ट शिक्षा मन्त्री को प्राप्त हुई थी। प्रधान मन्त्री की रिपोर्ट के संगत उद्‌हरण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के ध्यान में, उनके विचारार्थ और जहां तक संभव हो, उपचारी कार्रवाई करने के लिए, दिए गए हैं।

गांधी नगर, गुजरात में बड़ी संख्या में टेलीफोन लगाया जाना

7157. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनको इस बात का पता है कि गुजरात के गांधीनगर जिले में टेलीफोन व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही करने की है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। गुजरात के गांधीनगर जिले की टेलीफोन प्रणाली सामान्यतया देश के अन्य जिलों की प्रणाली की तरह ही कार्य कर रही है।

(ख), (ग) और (घ) : स्वयं गांधीनगर में 1,100 लाइनों वाला एम० ए० एक्स०-II किस्म का स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहा है। दौबोधा, अदलाज, सादरा और रणधेजा में भी टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं। सवधाव, वलाद, रूपल और पेढ़ापुर में लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोनघरों की व्यवस्था की गई है।

5,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को उत्तरोत्तर सुविधाएं प्रदान करने की नीति के निष्पादन में 1979-80 वर्ष के दौरान उनावा, ओलबदा तथा उनवरसद में लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोनघरों को खोले जाने की योजना है।

कृषि शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता हेतु कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों द्वारा अभ्यावेदन

7158. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने हाल ही में सरकार को अपने परिसरों (कैम्पस) और देश में कृषि शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का सार क्या था ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान् । मध्य अवधि योजना (1978-83) के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा पर विचार करने के लिये आयोजित हाल ही की एक कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की बैठक में उप-कुलपतियों ने अपने परिसरों में कृषि शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को अधिक केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 41 करोड़ रु० के परिव्यय में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 1978-83 के दौरान कृषि विश्वविद्यालय विकास योजना के लिए 53 करोड़ रु० निश्चित किये हैं । इसके अतिरिक्त, 1978-83 के दौरान, 42.30 करोड़ रु० की लागत से कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिये एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना भी शुरू की गई है ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा प्रचार पर व्यय

7159. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रचार पर किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्य वार और भाषावार किन-किन दैनिक समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रचार के लिये उपयोग किया गया ; और

(ग) संगठन की प्रचार नीति का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक "क")

(ख) एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक "ख")

(ग) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन एक अनुसंधान संस्था है । इस संगठन के कार्य-कलाप तथा इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्तियों, रेडियो तथा टेलीविजन के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है । सामान्य लोगों के हितार्थ कम लागत के मकानों के सम्बन्ध में सिनेमागृह में फिल्म भी दिखाई जाती है । राष्ट्रीय भवन

(निर्माण) संगठन, निर्माण और आवास मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय होने के कारण, इसके कार्यकलापों का प्रचार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

विवरण-क

अनुलग्नक "क"

दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के प्रचार पर किये गये व्यय का विवरण :

वर्ष	प्रकाशित प्रचार	रेडियो विज्ञापन	वाह्य प्रचार	समाचार पत्रों में विज्ञापन	कुल योग
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1976-77	13,744	22,243	शून्य	9,190.15	45,177.15
1977-78	9,182	10,208	शून्य	3,323.37	22,713.37
1978-79	3,209.73	शून्य	8,550	8,521.63	20,288.36
कुल	26,135.73	32,451	8,550	21,035.15	88,171.88

मुद्रित प्रचार सामग्री :—

इसमें कम लागत के मकानों, निर्धनों के लिए मकान, भूमिहीनों के लिये मकान, क्ले योजोलाना तथा सूखा बुझा चूने पर ब्रोशर तथा एन० बी० ओ० पर छपी पुस्तिका शामिल हैं। ये द्विभाषी रूप में हैं।

रेडियो प्रसार :—

राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा की जाने वाली सेवाओं के बारे में जनता को सूचना देना।

वाह्य प्रचार :—

सिनेमा स्लाइड विज्ञापन बोर्ड प्लास्टिक के फोल्डर।

समाचार पत्र में विज्ञापन :—

वर्गीकृत विज्ञापन जैसे कि कोयला, चूना बोरों, वारीक चूना की बिक्री, बुझे हुए चूने की बिक्री, रिक्तियां तथा विज्ञापन प्रदर्शन।

विवरण

अनुलग्नक "ख"

1976-77 के दौरान समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन का विवरण :

क्रम सं०	समाचार पत्रों के नाम	भाषा	प्रकाशन का स्थान
1.	इण्डियन एक्सप्रैस	अंग्रेजी	दिल्ली
2.	टाइम्स आफ इण्डिया	अंग्रेजी	दिल्ली
3.	नेशनल हैरल्ड	अंग्रेजी	दिल्ली
4.	हिन्दुस्तान टाइम्स	अंग्रेजी	दिल्ली
5.	पैट्रीओट	अंग्रेजी	दिल्ली
6.	हिन्दू	अंग्रेजी	मद्रास
7.	अमृत बाजार पत्रिका	अंग्रेजी	कलकत्ता
8.	इण्डियन ट्रेड जनरल	अंग्रेजी	कलकत्ता
9.	नवभारत टाइम्स	हिन्दी	बम्बई
10.	हिन्दुस्तान	हिन्दी	दिल्ली
11.	जनयुग	हिन्दी	दिल्ली
12.	नवभारत टाइम्स	हिन्दी	दिल्ली
13.	तेज	उर्दू	दिल्ली
14.	अलजमायत	उर्दू	दिल्ली
15.	मिलाप	उर्दू	दिल्ली

1977-78 के दौरान समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन का विवरण

1.	इण्डियन एक्सप्रैस	अंग्रेजी	दिल्ली
2.	टाइम्स आफ इण्डिया	अंग्रेजी	दिल्ली
3.	नेशनल हैरल्ड	अंग्रेजी	दिल्ली
4.	वीर अर्जुन	हिन्दी	दिल्ली
5.	हिन्दुस्तान	हिन्दी	दिल्ली
6.	मिलाप	उर्दू	दिल्ली
7.	प्रताप	उर्दू	दिल्ली

1	2	3	4
8.	जनता एक्सप्रैस	अंग्रेजी	देहरादून (यू०पी०)
9.	पंथक समाचार	पंजाबी	दिल्ली

1978-79 के दौरान समाचार पत्रों में दिये गए विज्ञापन का विवरण

1.	एस्टेटमैन	अंग्रेजी	दिल्ली
2.	टाइम्स आफ इण्डिया	अंग्रेजी	दिल्ली
3.	इण्डियन एक्सप्रैस	अंग्रेजी	दिल्ली
4.	हिन्दुस्तान टाइम्स	अंग्रेजी	दिल्ली
5.	पेट्रीओट	अंग्रेजी	दिल्ली
6.	नव भारत टाइम्स	हिन्दी	दिल्ली
7.	हिन्दुस्तान	हिन्दी	दिल्ली
8.	राजस्थान पत्रिका	हिन्दी	जयपुर (राजस्थान)
9.	अधिकार	हिन्दी	जयपुर (राजस्थान)
10.	मिलाप	उर्दू	दिल्ली
11.	प्रताप	उर्दू	दिल्ली
12.	प्रताप	उर्दू	जालन्धर (पंजाब)

चम्बल के निकट नेशनल पार्क

7160. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले में चम्बल बांध (गांधी सागर बांध) के निकट नेशनल पार्क विकसित करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भावगढ़, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

7161. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **संचार मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मंदसौर (मध्य प्रदेश) में भावगढ़ में एक सार्वजिनक टेलीफोन कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या वहां एक पुलिस स्टेशन, एक हायर सैकेन्डरी स्कूल है और बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के लोगों ने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय स्थापित करने की बार-बार मांग की है क्योंकि इसके न होने से उन्हे बड़ी कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) तक:- मंदसौर जिले के भावगढ़ गांव में एक सार्वजनिक टेलीफोन व संयुक्त डाक-तारघर की मंजूरी दी जा चुकी है। इस स्थान पर सब इंस्पेक्टर के अधीन एक थाना है जो कि सीमित घाटे के आधार पर टेलीफोन और तार सुविधा प्राप्त करने का हकदार है। वर्ष 1979-80 की चौथी तिमाही में कार्य पूरा हो जाने की आशा है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों की शिकायतें

7162. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के कर्मचारियों को बहुत सी शिकायतें हैं ;

(ख) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्मचारी संघ, खड़गपुर ने निदेशक के समक्ष शिकायतों की एक लम्बी सूची 21 सितम्बर, 1978 को रखी थी ; और

(ग) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और यदि कोई कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : 21 सितम्बर, 1978 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्मचारी संघ, खड़गपुर ने शिकायतों की एक सूची निदेशक को पेश की थी। ये शिकायतें कुछ पदों के वेतनमानों के संशोधन, जोखिम भत्ते, पारी भत्तों आदि के भुगतान जैसे सामान्य लाभों, सुरक्षा तथा चिकित्सा स्टाफ के लिए मुफ्त क्वाटर्स, सात वर्षो से अधिक समय से सेवा कर रहें अस्थायी कर्मचारियों

के स्थायीकरण आदि से संबंधित थी। कुछ मांगों का निपटारा हो गया है और उन्हें लागू कर दिया गया है। अन्य मांगों के संबंध में यूनियन के साथ विचार विमर्श/परामर्श चल रहा है।

उड़ीसा में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन

7163. **श्री के० प्रधानी : क्या संचार मन्त्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1979 के दौरान उड़ीसा राज्य में लम्बी दूरी के कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाएंगे ; और

(ख) उनमें से कितने सार्वजनिक टेलीफोनों को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जन-जातीय और आदिवासी क्षेत्र में स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पचास (वर्ष 1979-80 के दौरान)।

(ख) बाईस।

पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी

7164. **श्री के० मालन्ना :**

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री ए० के० राय :

श्री युवराज : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बारे में कोई राज्यवार सर्वेक्षण किया है ;

(ख) विद्यार्थियों के माता-पिता द्वारा दसवें स्टेंडर्ड तक प्रति वर्ष (औसतन) कितनी धनराशि खर्च की जाती है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1978-79 में आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों के रूप राज्यवार दी गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी श्रेणी/समुदाय और अन्य व्यक्तियों के बारे में भी कोई राज्यवार सर्वेक्षण किया है जो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में शिक्षा दिलवाने में बहुत अधिक रुचि रखते है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) : पब्लिक स्कूलों से अभिप्राय आमतौर पर उन स्कूलों से है जो इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फ्रेंस के सदस्य हैं जोकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन है। इस समय ऐसे 55 स्कूल हैं। क्योंकि इन स्कूलों पर

मन्त्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है अतः इस समय इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात नहीं है ।

शिक्षा मन्त्रालय किसी भी पब्लिक स्कूल को कोई पोषण अनुदान नहीं देता है । तथापि कुछ राज्य सरकारें अपने-2 प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में स्थित कुछ पब्लिक स्कूलों को अनुदान दे रही है । राई स्थित मोती लाल नेहरू खेल स्कूल, जो इन 55 पब्लिक स्कूलों में से एक है, राज्य सरकार की संख्या है और इस स्कूल का सम्पूर्ण व्यय हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है । मिल्ट्री स्कूल, जोकि इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फ्रेंस के सदस्य है, रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं और उनका व्यय रक्षा सेवा प्राक्कलनों में से वहन किया जाता है । जहां तक सैनिक स्कूलों का संबंध है, इनको केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आवर्ती अनुदान नहीं दिया जाता । तथापि भवन निर्माण, उपस्कर और फर्नीचर आदि की खरीद से संबंधित कुछ दायित्वों को निभाने के लिए, छात्रवृत्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारियों द्वारा कुछ सैनिक स्कूलों को तदर्थ अनुदान दिए जाते हैं ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में सांइस सुपरवाइज/एजूकेटर तथा एजूकेशन आफिसर्स (सांइस) के रिक्त पद

7165. **श्री के० लकप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में साइंस सुपरवाइजर/एज्यूकेटर तथा एज्यूकेशन आफिसर्स (साइंस) और सहायक कर्मचारियों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप-निदेशक के भी अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो रिक्त पड़े पदों के नाम और संख्या क्या है और वे कितनी-कितनी अवधि से रिक्त पड़े हैं ; और

(घ) इन पदों को कब तक भरने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी) बरकटकी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्टेट इंस्टीट्यूट आफ सांइस एज्यूकेशन की स्थापना

7166. **श्री लकप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1972-73 में स्टेट इन्स्टीच्यूट आफ साइंस एज्यूकेशन स्थापित करने के बारे में भारत सरकार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के साथ करार किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार के अनुसार स्टेट इन्स्टीच्यूट आफ साइंस एज्यूकेशन स्थापित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह इन्स्टीच्यूट कब तक स्थापित की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) (क), (ख), (ग) और (घ) : दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी० डी० ए० द्वारा प्लाटों की नीलामी द्वारा बिक्री

7167. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** :

श्री राम कंवर बेरवा : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1977-78 और 1978-79 में शालीमार बाग, पीतमपुरा, सफदरजंग एनकलेव आदि स्थानों में 200 वर्ग मीटर या इससे कम के प्लाटों की सार्वजनिक नीलामी की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 200 वर्ग मीटर या इससे कम के प्लाट केवल मध्य तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को अलाट करने के लिए हैं परन्तु ऐसा नहीं किया गया है ;

(ग) क्या 200 वर्ग मीटर या इससे कम के प्लाटों के लिए उक्त सार्वजनिक नीलामी के मध्य तथा निम्न आय वर्ग के लोग बोली लगाने वालों में नहीं थे ;

(घ) डी० डी० ए० ने 200 वर्ग मीटर या इससे कम के कितने प्लाटों की नीलामी अब तक की है और उनका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में 200 वर्ग मीटर या इससे कम के प्लाटों की ऐसी सार्वजनिक नीलामी पर रोक लगाने का है कि ऐसे प्लाट केवल मध्य तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को आबंटित किए जायें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ०) तक :—सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में कालिजों को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता

7168. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मध्य प्रदेश में उन कालिजों के नाम क्या हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उनके विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ;

(ख) वित्तीय सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या शर्त रखी है ; और

(ग) क्या छोटे कालिजों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शर्तों में छूट देगा और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है और यह कब तक किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) मध्य प्रदेश के उन कालेजों के नाम, जिन्हें पांचवी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकास अनुदान मंजूर किए गए थे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पांचवी योजना के दौरान ऐसे कालेजों, जो तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत और जहां आवश्यक हो धारा 2-क के अन्तर्गत भी मंजूरी दी गई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास सहायता प्राप्त करने के तब ही पात्र होते हैं, जब उनमें 400 छात्र और 20 अध्यापक हों। ऐसे उन कालेजों के सम्बन्ध में जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं पात्रता की शर्तों में ढील दी गई है और 5,000 लाख रुपये तक की सहायता के लिए उनमें 300 छात्र और 15 अध्यापक और 3,000 लाख रुपये तक की सहायता के लिए 200 छात्र और 10 अध्यापक होने चाहिए। यदि कालेज दो-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं तो 5,000 लाख रुपये तक की सहायता के लिए 270 छात्रों और 15 अध्यापकों की सामान्य शर्त में ढील दी जाती है और ये संख्याएं 200 और 10 तथा 3,000 लाख तक की सहायता के लिए क्रमशः 150 और 7 है। मध्य प्रदेश के कालेज तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम प्रदान कर रहें हैं।

विवरण

ए० पी० सिंह विश्वविद्यालय

1. छत्रसाल सरकारी कालेज, पन्ना
2. सरकारी कालेज, सिधी
3. सरकारी कालेज, शाहडोल
4. सरकारी बालिका डिग्री कालेज, रेवा
5. सरकारी कालेज, सतना
6. सरकारी कालेज, टीकमगढ़
7. सरकारी कालेज, रेवा
8. महाराजा कालेज, छत्तरपुर

भोपाल विश्वविद्यालय

1. सरकारी डिग्री कालेज, टी० टी० नगर भोपाल
2. सरकारी कालेज, शिहोर
3. सरकारी हमीदिया कला तथा वाणिज्य कालेज, भोपाल
4. एम० एल० बी० बालिका कालेज, भोपाल
5. एम० बी० कालेज, भोपाल

इन्दौर विश्वविद्यालय

1. सरकारी बालिका स्नातकोत्तर कालेज, इन्दौर
2. सरकारी कला तथा वाणिज्य कालेज, इन्दौर
3. सरकारी कालेज, मह्
4. होलकर विज्ञान कालेज, इन्दौर
5. सरकारी बालिका कालेज, इन्दौर

जबलपुर विश्वविद्यालय

1. हवाबाग महिला कालेज, जबलपुर
2. सरकारी तिलक कालेज, कटनी
3. सरकारी विज्ञान कालेज, जबलपुर
4. महाकौशल कला महाविद्यालय, जबलपुर
5. गृह विज्ञान एम० एच० महिला कालेज, जबलपुर
6. राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर ।

जिवाजी विश्वविद्यालय

1. अम्बह पी० जी० कालेज, अम्बह
2. सरकारी कालेज, मोरार
3. सरकारी कालेज, दतिया
4. सरकारी कालेज, गुना
5. सरकारी कालेज, शिवपुरी
6. सरकारी विज्ञान कालेज, ग्वालियर
7. कमला राजा बालिका डिग्री कालेज, ग्वालियर

8. एम० आर० एस० एस० कालेज, भिन्ड
9. सरकारी बालिका डिग्री कालेज, मोरार

रविशंकर विश्वविद्यालय

1. छत्तीसगढ़ कालेज, रायपुर
2. सी० एम० डी० पी० जी० कालेज, बिलासपुर
3. दुर्गा महाविद्यालय
4. सरकारी कला तथा विज्ञान कालेज, दुर्ग
5. सरकारी बालिका डिग्री कालेज, बिलासपुर
6. सरकारी बालिका डिग्री कालेज, रायपुर
7. सरकारी पी० जी० कालेज, बिलासपुर
8. सरकारी एल० सी० एस० कालेज, अम्बागढ़ चौकी
9. सरकारी डिग्री कालेज, रायपुर

सागर विश्वविद्यालय

1. कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दामोह
2. एम० जी० एम० कालेज, केराली
3. एस० जी० जे० ओ० महिला कालेज, बुरहानपुर
4. एस० एस० पी० कला तथा वाणिज्य कालेज, वारासियोनी
5. कला और वाणिज्य कालेज
6. एम० जी० एम० कालेज, इटारसी
7. सरकारी पी० जी० कालेज, छिन्दवाड़ा
8. सरकारी डिग्री कालेज, नरसिंहपुर
9. सरकारी डिग्री कालेज, सियोनी
10. सरकारी पी० जी० कालेज, दामोह
11. जे० एच० सरकारी कालेज, बेतुल
12. एम० सी० सरकारी बालिका डिग्री कालेज, खाण्डवा
13. रानी डी० सरकारी डिग्री कालेज, माण्डला
14. सरकारी पी० जी० कालेज, बालाघाट

विक्रम विश्वविद्यालय

1. माधव कालेज, उज्जैन

2. माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन
3. सरकारी कालेज, सेंधवा
4. सरकारी बालिका कालेज, रतलाम
5. बाल कृष्ण शर्मा नवीन सरकारी कालेज, शाजापुर
6. सरकारी कालेज, बरवानी
7. सरकारी कालेज, थार
8. सरकारी कालेज, जावड़ा
9. सरकारी कालेज, खरगोन
10. सरकारी कालेज, झाबुना
11. सरकारी कालेज, मन्दसौर
12. सरकारी कालेज, नीपच
13. सरकारी कालेज, रायगढ़
14. सरकारी कालेज, रतलाम
15. सरकारी कालेज, रामपुरा
16. सरकारी बालिका कालेज, उज्जैन
17. जवाहर लाल नेहरू सरकारी कालेज, बारवाहा
18. जे० एल० एन० समाराती सरकारी कालेज, शुजालपुर
19. सरकारी के० पी० कालेज, देवास
20. नेहरू सरकारी कालेज, अग्रमालवा ।

छत्तीसगड़ डिवीजन में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की कमी

7169. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या **कृषि श्रौर सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ डिवीजन में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां अधिक गोदाम बनाने की कोई योजना सरकार के विचराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो ये गोदाम कब तक बनाये जायेंगे ?

कृषि श्रौर सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिह) : **(क), (ख) श्रौर (ग)** :- मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ डिवीजन में भण्डारण क्षमता पर भार है लेकिन वर्तमान क्षमता में

वृद्धि करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अकेले ही 91,340 मीटरी टन की क्षमता के अतिरिक्त गोदाम बनाए जा रहे हैं। आशा है कि वर्तमान डिपो कम्पलेक्स के अन्दर की अतिरिक्त क्षमता 1979 में पूरी हो जाएगी और विश्वबैंक परियोजना के अधीन जो क्षमता है वह 1981-82 तक पूरी हो जाएगी।

कोणकन, महाराष्ट्र में पशुपालन

7170. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र राज्य में कोणकन क्षेत्र में किसी केन्द्रीय पशुपालन योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : सरकार महाराष्ट्र के कोणकन क्षेत्र के थाना जिले में एक केन्द्रीय योजना को कार्यरूप दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों को कुक्कुट पालन तथा सुअर उत्पादन एककों की स्थापना करने के लिये सहायता देने की व्यवस्था है। प्रत्येक कुक्कुट एकक में 50 या 100 कुक्कुट होंगे तथा सुअर एकक में 3 सुअरियां या 100 सुअर शावक होंगे। छोटे कृषकों को एकक की लागत के 25 प्रतिशत के लिए राजसहायता दी जाती है। तथा सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को 33,1/3 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है। जनजाति के लाभानुभोगियों को 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है।

वर्ष 1979-80 के दौरान उर्वरक की मांग, सप्लाई और आयात

7171. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—**

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान उर्वरकों का कितनी मात्रा में उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान उर्वरकों की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 1979-80 में सरकार द्वारा उर्वरकों का कितनी मात्रा में आयात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1979-80 में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (**श्री सुरजीत सिंह बरनाला**) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान उर्वरकों (नाइट्रोजन और फास्फेट) का अनुमानित उत्पादन 34.5 लाख मीटरी टन है।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान 56.1 लाख मीटरी टन उर्वरक तत्वों (नाइट्रोजन + फास्फेट + पोटाश) की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) इन आंकड़ों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(घ) अनेक चालू एककों में संशोधन कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं ताकि उनके कार्य निष्पादन में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1979-80 के दौरान लगभग 6-7 नयी उर्वरक परियोजनाएं उत्पादन शुरू कर देंगी। आशा है कि ये परियोजाएं पर्याप्त अतिरिक्त उत्पादन करेंगी।

नया बीज फार्म

7172. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा जिन नये बीज फार्मों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन नये बीज फार्मों में विभिन्न किस्मों के बीजों की सम्भावित उत्पादन क्षमता कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम का 1979-80 के दौरान नये बीज फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

वन काटने पर रोक लगाने के लिये कानून

7173. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पारित किये गये कानून की तरह, हमारे देश की नदियों में बार-बार आने वाली बाढ़ों, जिनसे विनाश और कष्ट हो रहें हैं, को देखते हुए लकड़ी के लिये वनों में पेड़ काटने पर रोक लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिणी राज्यों में उत्पादित आमों का विपणन

7174. **श्री के० टी० कौसलराम :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार आमों के उत्पादन में भारी आमद (ग्लट) और इसकी कमी को रोकने के लिए दक्षिणी राज्यों में उत्पादित आमों के बेहतर विपणन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम कार्यवाही अथवा कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) :— चूंकि आमों में एकान्तर उत्पादन की प्रवृत्ति है इसलिए किन्ही भी दो क्रमिक वर्षों के दौरान कुल उत्पादन में उतार-चढ़ाव होना निश्चित है । दक्षिणी राज्यों में आम का मौसम उत्तरी राज्यों के क्षेत्रों की तुलना में 4-6 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है । इस अन्तराल के दौरान देश के उत्तरी भागों में दक्षिणी राज्यों के आमों के लिए अच्छा विपणन है । इसलिए आमतौर पर अच्छे उत्पादन के वर्ष में भी ऐसी कोई भरमार नहीं होनी चाहिए जिससे देश के दक्षिणी भागों के स्थानीय मूल्यों पर प्रभाव पड़े । रेल द्वारा इनके आवागमन को कारगर बनाने हेतु रेलवे ने वेगनों आदि के आवंटन के लिए डिविजन स्तरों पर सलाहकार समितियों का गठन किया है । इन समितियों में अन्य के साथ-साथ व्यापारियों, उत्पादकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं । दक्षिणी राज्यों में आगामी मौसम में आमों के विपणन के बारे में दक्षिणी भारत के राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट समस्या नहीं लाई गई है ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार तिलहन की बिक्री और परिष्करण के लिए एजेंसी

7175. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 1964 में दिये गये सुझाव के अनुसार सरकारी क्षेत्र में एक तिलहन की बिक्री और परिष्करण के लिए एजेंसी स्थापित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये सरकारी क्षेत्र में ऐसी एजेंसी की स्थापना कब तक की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि मूल्य आयोग की स्थापना सन् 1965 में हुई थी और इसलिए इसने सन् 1964 में तिलहनों के विपणन और परि-संस्करण के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी के गठन का सुझाव नहीं दिया था ।

(ख) विभिन्न तिलहन फसलों के लिए मूल्य नीति सम्बन्धी अपनी विभिन्न रिपोर्टों में आयोग ने मंडी के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी द्वारा सीधे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है । तदनुसार विभिन्न तिलहनों के लिए समय समय पर साहाय्य मूल्य घोषित करते समय केन्द्रीय सरकार साहाय्य मूल्य सम्बन्धी कार्य को

भूतकाल में भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों को और अब राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को सौंपती रही है ।

प्रशासकीय कार्यालयों में ग्रुप 'डी' और 'सी' पदों के बनाए जाने पर प्रतिबंध

7176. **श्री सूरज भान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक-तार प्रशासकीय कार्यालयों में ग्रुप 'डी' और ग्रुप 'सी' पदों के बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है जबकि उन्हीं कार्यालयों में ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के पद बिना रोकटोक बनाए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंध लगाए जाने की तिथि को तथा 1 जनवरी, 1979 को प्रत्येक वर्ग में अधिकारियों की संख्या क्या थी ;

(ग) क्या सरकार इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं । प्रशासकीय कार्यालयों में गैर प्रचालन शाखाओं में पदों के सृजन पर प्रतिबंध है जोकि ए. बी. सी. और डी. ग्रुपों के पदों पर सामान रूप से लागू होता है । वास्तव में कुछ शाखाओं में पदों के सृजन पर प्रतिबंध है न कि पदों की श्रेणियों पर और इसलिए ग्रुप ए. तथा बी. पदों की तुलना में सी. और डी. ग्रुपों के पदों के सृजन के बारे में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है ।

(ख), (ग) और (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता है ।

परीक्षाओं में नकल

7177. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :**

श्री सरत कार :

श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को परीक्षा हाल में दिल्ली तथा अन्य राज्यों में छात्रों द्वारा नकल करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किन्ही केन्द्रों में निरीक्षकों तथा पुलिस कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके एक साथ बहुत से छात्रों को नकल करते हुये पाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर कथित नकल की रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इन रिपोर्टों की बोर्ड द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि बड़े पैमाने पर कोई नकल नहीं हुई। राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर किसी नकल की सरकार को जानकारी नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से सम्बन्धित संस्थाओं पर व्यय

7178. **प्रो० समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू से सम्बन्धित संस्थाओं पर तथा अन्य प्रयोजनों के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये व्यय सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) उसी अवधि में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सम्बन्ध में उन्हीं प्रयोजनों के लिये मंत्रालय द्वारा किये गये व्यय सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों और पुस्तकों आदि को प्रकाशित करने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन प्रकाशनों का सम्पादन करने का काम किन व्यक्तियों को सौंपा गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में संकट

7179. **प्रो० समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पश्चिम बंगाल में प्रकाशकों को कागज की कम सप्लाई किए जाने और मुद्रण प्रेसों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण सेकेन्डरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों और विश्वविद्यालय, कालेजों के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या उक्त पाठ्य पुस्तकों की बिक्री चोर बाजारी में हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या पाठ्यपुस्तकों के प्रकाश का संकट समाप्त करने के लिए मन्त्रालय उद्योग मंत्रालय से पश्चिम बंगाल में पाठ्यपुस्तक प्रकाशकों को कागज सप्लाई करने का अनुरोध करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल में पेपर मिलों और प्रिंटिंग प्रेसों में हड़ताल अथवा कागज की सप्लाई की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में पाठ्यपुस्तकों की तथाकथित अनुपलब्धता अथवा पाठ्यपुस्तकों की बिक्री में काले धन्धे की सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

वर्ष 1978-79 के लिए, केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के लिए 4000 टन कागज आंवटित किया था । राज्य को इस कार्य के लिए अप्रैल-जून, 1979 की तिमाही के लिए 400 टन और कागज आंवटित किया गया है । आशा है कि इस प्रकार आंवटित कागज से राज्य सरकार की पाठ्यपुस्तकों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी ।

चावल का स्टाक

7180. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में चावल की मांग कितनी है ;

(ख) वर्ष 1977 तथा 1978 में चावल का क्रमश: कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या वर्ष 1978 की खरीफ की फसल से पहले भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का 50 लाख टन से अधिक का स्टाक था ; और

(घ) इसके पश्चात चावल के स्टाक की मात्रा कितनी रह गई और क्या यह स्टाक इस की मांग से अधिक है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) फल और सब्जियों, दूध और दूध से बने पदार्थों, मांस, मछली, अण्डों आदि उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय-स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार आदि जैसे अन्य वैकल्पिक अनाजों और अनुपूरक खाद्यों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, जैसा कि करना पड़ता है, मानव उपभोग के लिए चावल की कुल आवश्यकताएं काफी हद तक लचीली होती हैं । इसकी दृष्टि में, देश की चावल सम्बन्धी समूची आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है ।

(ख) वर्ष 1977-78 के दारान चावल का उत्पादन 527 लाख मीटरी टन हुआ था । आशा है कि 1978-79 में चावल के उत्पादन से सम्बन्धित अनुमान वर्तमान कृषि वर्ष के अन्त के बाद अर्थात जुलाई-अगस्त, 1979 में किसी समय उपलब्ध होंगे । तथापि, प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, 1978-79 के दौरान देश में चावल का कुल उत्पादन (ग्रीष्म चावल सहित) गत वर्ष (1977-78) प्राप्त किए गए 527 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर के निकट हो सकता है ।

(ग) और (घ) :—1.11.78 अर्थात 1978-79 विपणन मौसम के प्रारम्भ में सभी सरकारा एजेंसियों के पास कुल लगभग 60.7 लाख मीटरी टन चावल का स्टाक था, जिसमें से

भारतीय खाद्य निगम के पास 52.9 लाख मीटरी टन का स्टाक था। 1-3.79 को सभी सरकारी एजेंसियों के पास चावल का कुल स्टाक बढ़कर 95.2 लाख मीटरी टन हो गया था, जिसमें से भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 86.9 लाख मीटरी टन का स्टाक था। देश की खाद्य अर्थ-व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने 120 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक बनाने और उसकी देख-रेख करने का निर्णय किया था। यह स्टाक पहली अप्रैल तक के 35 से 38 लाख मीटरी टन के बीच के रेंज में रखे परिचलान स्टाक, जोकि प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई को बढ़कर 88 लाख मीटरी टन हो जाता है, के अतिरिक्त था। पहली मार्च,1979 में सभी सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों(चावल सहित)का कुल प्राप्त स्टाक लगभग 169 लाख मीटरी टन था, जोकि कुल मिलाकर सरकार की स्टाक तैयार करने की नीति के अनुरूप है।

किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और फसल पद्धति के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना

7181, **श्री दुर्गा चन्द : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में खण्ड स्तर पर कृषि उत्पादन में किसानों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसान अपनी फसलों को बेतरवीयी से उगाते हैं जिसके कारण उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिलते हैं जैसा कि गन्ने के मामले में हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, फसल पद्धति और खाद्यान्न के विकल्प के रूप में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के बारे में किसानों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केवल खण्ड स्तर पर कृषि उत्पादन में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार के समक्ष कोई नया प्रस्ताव विचारा धीन नहीं है।

(ख) सुनियोजित कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ग्राम और खण्ड स्तर पर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में इस उद्देश्य के लिए अभी तक 150 कृषक प्रशिक्षण केन्द्र और 19 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है उन 9 राज्यों में जहां प्रशिक्षण और 'भ्रमण' की नई विस्तार प्रद्धति चालू है, वहां कृषि प्रौद्योगिकी की एक क्रमबद्ध प्रणाली विकसित की गई है जिससे कृषि उत्पादन में किसानों को प्रभावी प्रशिक्षण देना सुनिश्चित हुआ है।

(ग) किसान अपनी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, कृषि-जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के अनुसार अपनी फसलें उगाते हैं। वे फसलें अन्धाधुन्ध नहीं उगाते हैं। गन्ना जैसी वाणिज्यिक फसलों के मूल्य विभिन्न घटकों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं।

(घ) कृषि उत्पादन में किसानों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं :—

(1) कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा विषयक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से 150 चुनींदा जिलों में कृषक प्रशिक्षण का एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह प्रणाली किसानों को खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में प्रशिक्षण देने का अवसर प्रदान करती है।

(2) किसानों को विशिष्ट रूप से श्रम प्रधान प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 19 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(3) कृषक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत, किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए अन्य राज्यों में अपने कृषक भाईयों के खेतों पर जाने का अवसर मिलता है।

(4) अभी हाल में, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त "प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली" कार्यक्रम जिसे असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, के अन्तर्गत ग्राम सेवकों और सम्बद्ध विषय विशेषज्ञ नियमित आधार पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते है।

गेहूं, गन्ने, दालों और धान की खेती

7182. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कुल कितने हैक्टेयर भूमि में गेहूं, गन्ने, दालों और धान की खेती की जाती है ;

(ख) किसानों को उन फसलों को उगाने की सलाह देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और जिनकी गत तीन वर्षों के दौरान देश में कमी महसूस की जाती रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1977-78 के दौरान गेहूं, गन्ना, दलहन और धान के अन्तर्गत का राज्य-वार क्षेत्र अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दलहन और तिलहनों की कमी महसूस की गई है। भारत सरकार ने इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों/किसानों की मदद के लिए दलहनों और तिलहनों के विकास सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं :—

1. कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषकों के खेतों में उन्नत पद्धतियों का प्रदर्शन करना, ताकि वे उन्नत प्रौद्योगिकी को अपना सकें ।

2. उन उन्नत/अल्पावधि में तैयार होने वाली किस्मों के बीजों में वृद्धि करना, जिन्हें कि बहु-फसलीय खेती के कार्यक्रम के अन्तर्गत तुरन्त बाद बोई जाने वाली अंतर्वर्ती फसल तथा मिश्रित फसल के रूप में उगाया जा सकता है ।

3. कृषकों को सप्लाई करने के लिये राईजोबियम कल्चर का उत्पादन करना, ताकि बुवाई से पहले दालों के बीजों का उपचार किया जा सके ।

4. दालों में कीट कृमि और रोगों के नियंत्रण हेतु पौध-संरक्षण रसायनों और पौध-संरक्षण उपस्करों की लागत पर राज-सहायता देना । समस्त तिलहनों के पौध-संरक्षण कार्यों और केवल सरसों के सम्बन्ध में पौध-संरक्षण रसायनों के लिए भी राज सहायता दी जा रही है ।

5. समय पर और पर्याप्त मात्रा में आदानों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें अभियान आयोजित कर रही हैं, ताकि कृषक इन फसलों की खेती में सम्पूर्ण पैकेज प्रणालियों को अपना सकें । किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे चावल की परती भूमि या गेहूं की कटाई के बाद मूंग, उड़द और लोबिया के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाएं । इसी प्रकार किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे सोयाबीन और सूरजमुखी के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाएं ।

6. किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिये अधिक आदानों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दलहनों अर्थात् चना, अरहर और मूंग और तिलहनों अर्थात् मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और सरसों के समर्थन मूल्य निर्धारित किये गए हैं ।

विवरण

अनुबन्ध

1977-78 के दौरान गेहूं, गन्ना, दलहन और धान के अन्तर्गत लिया गया अनुमानित क्षेत्र (1000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	गन्ना	दलहन	धान/चावल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	31.2	169.3	1,266.1	3,553.9
असम	73.4	45.4	100.2	2,252.6
बिहार	1,983.8	138.5	1,508.8	5,592.2
गुजरात	684.2	61.8	451.5	483.6
हरियाणा	1,368.0	197.0	1,211.6	370.0
हिमाचल प्रदेश	317.7	4.0	75.7	88.3
जम्मू तथा कश्मीर	186.4	2.1	46.4	272.0
कर्नाटक	361.6	151.6	1,277.5	1,095.7
केरल	—	7.2	40.4	838.3
मध्य प्रदेश	3,228.6	79.7	4,813.2	4,686.9
महाराष्ट्र	1,214.6	246.0	2,842.3	1,499.4
मणिपुर	—	1.5	5.7	179.1
मेघालय	2.0	0.2	1.6	106.6
नागालैंड	—	3.1	4.6	69.5
उड़ीसा	67.2	43.0	1,314.0	4,404.6
पंजाब	2,617.0	116.0	391.3	831.0
राजस्थान	1,831.3	61.2	4,019.9	183.5
तमिलनाडु	1.8	164.1	588.2	2,670.0
त्रिपुरा	4.0	2.0	5.1	305.2
उत्तर प्रदेश	6,654.0	1,691.4	2,989.8	4,828.0
प० बंगाल	515.2	29.5	564.2	5,414.2

1	2	3	4	5
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	0.1	1.6	10.1
अरुणाचल प्रदेश	0.2	—	—	79.0
दादरा तथा नगर हवेली	0.3	—	5.5	9.8
दिल्ली	60.8	0.5	6.8	1.1
गोवा, दमन तथा दीव	—	1.4	—	53.4
मिजोरम	—	0.9	0.4	93.1
पांडिचेरी	—	2.0	3.9	30.3
अखिल भारत	21,203.3	3,219.5	23,536.3	40,001.4

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सरकारी आवास

7183. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की जनरल पूल की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत सरकारी आवास के आवंटन के लिये इस समय प्राथमिकता तारीख क्या है;

(ख) वर्ष 1978-79 में आवंटन के लिये आमंत्रित आवेदन पत्रों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में प्रतीक्षा सूचि में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) उन्हें सरकारी आवास का आवंटन कब तक किया जायेगा ; और

(घ) कर्मचारियों को सरकारी आवास के शीघ्र आवंटन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली के सामान्य पूल से सम्बन्धित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) 1978-79 के वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने दिल्ली में 15,300 मकान बनाने की स्वीकृति दी है। कुल मिलाकर दिल्ली में 21,000 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं/निर्माण के लिए मंजूर किए गए हैं तथा उनकी आगामी दो या तीन वर्षों में तैयार हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जनवरी-फरवरी 1980 में होने वाले यू० एन० आई० डी० ओ० सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए 800 सूटों वाले एक होस्टल का निर्माण किया जा रहा है। सम्मेलन के समाप्त होने के बाद इन सूटों को भी सामान्य पूल वास में मिला लिया जायेगा। तथापि ऐसी कोई तारीख बताना सम्भव नहीं है कि सभी कर्मचारियों को कब तक सरकारी मकान दे दिये जायेंगे।

विवरण

(क) दिल्ली नई दिल्ली के सामान्य पूल में 31-3-79 तक जिस अग्रता तारीख तक मकान दे दिए गए हैं

टाइप	सामान्य पूल	अनु० जाति कोटा	अनु० जन-जाति कोटा	महिला पूल अविवाहित	महिला पूल विवाहित	सांवधिक पूल
ए	26-6-58	30-6-58	1-10-61	5-12-57	12-8-54	—
बी	8-7-47	23-4-54	2-1-61	20-12-56	17-2-47	—
सी	20-12-47	29-5-51	23-1-54	* 9-11-49	* 14-10-47	—
डी	21-5-52	15-12-54	5-6-61	1-6-77	19-3-63	2-7-66
ई	15-5-71	—	—	—	1-1-73	30-6-71
ई-1	4-1-70	—	—	—	—	—
इ-2	31-3-70	(सचिव के पद के अधिकारियों के लिए)		—	—	—
ई-3	जुलाई 1969	(सचिव के पद के अधिकारियों के लिए)		—	—	—

* प्रतिक्षा सूचि में वरिष्ठतम कर्मचारी की अग्रता तारीखें ।

(ख) 31-3-79 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में आवंटन की प्रतिक्षा करने वाले

टाइप	सामान्य पूल	अनु० जाति प्रतीक्षा की सूचि	अनु० जन-जाति की प्रतिक्षा सूचि	महिलापूल		सांवधिक पूल	कुल
				अविवाहित	विवाहित		
ए	4,944	2,199	260	10	67	—	7,480
बी	17,582	3,212	253	1,112	3,707	—	25,866
सी	14,832	1,132	88	26	88	—	16,166
डी	3,430	145	28	17	13	42	3,675
ई	1,506	—	—	—	—	40	1,550
ई-1	765	—	—	—	—	—	765
ई-2	145	—	—	—	—	—	145
ई-3	95	—	—	—	—	—	95
कुल	43,299	6,688	629	1,165	3,879	82	55,742

विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू किया जाना

7184. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में इस समय कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं और उनकी राज्यवार स्थिति क्या है ;

(ख) कितने विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू हैं और ऐसे विश्वविद्यालयों में से मध्य प्रदेश में कितने हैं ; और

(ग) शेष सभी विश्वविद्यालयों में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1 जनवरी, 1979 की स्थिति के अनुसार, देश में 108 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली 10 संस्थायें कार्य कर रही हैं। प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है ।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1-1-1973 से सिफारिश किये गए संशोधित वेतनमान सातों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली आठ सस्थाओं में लागू कर दिए गए हैं। जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, संशोधित वेतनमानों को राज्य सरकारों ने स्वीकृत करना है और लागू करना है। केरल और मध्य प्रदेश सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों ने अब अपने-अपने विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान अपना लिए हैं। जबकि केरल सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को स्वीकार नहीं किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे इन वेतनमानों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं में से गांधीग्राम ग्राम्य संस्थान, गांधीग्राम के प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है जबकि एक दूसरे अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक घटक-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का नियन्त्रण परिषद् की वेतनमान योजना तथा सेवा शर्तों के अन्तर्गत होता है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालय समझे जाने वाले विश्व-विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8	1
2.	असम	3	कुछ नही
3.	बिहार	8	1
4.	गुजरात	8	1
5.	हरियाणा	3	कुछ नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	2	कुछ नहीं
7.	जम्मू और कश्मीर	2	कुछ नहीं
8.	कर्नाटक	4	1
9.	केरल	4	कुछ नहीं
10.	मध्य प्रदेश	10	कुछ नहीं
11.	महाराष्ट्र	10	1
12.	मेघालय	1	कुछ नहीं
13.	उड़ीसा	4	कुछ नहीं
14.	पंजाब	3	कुछ नहीं
15.	राजस्थान	3	1
16.	तमिलनाडु	5	1
17.	उत्तर प्रदेश	19	1
18.	पश्चिम बंगाल	8	कुछ नहीं
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	चण्डीगढ़	1	कुछ नहीं
2.	दिल्ली	2	2
		108	10

विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के मूल्य और व्यय

7185. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत पांच वर्षों में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के लिए किसानों को प्रति क्विंटल क्या मूल्य दिये गए ;

(ख) राशन व्यवस्था के अधीन सप्लाई किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के लिए उपभोक्ताओं से क्या औसत मूल्य लिये गये ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रति क्विंटल कितना व्यय किया गया और मदवार व्यय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण है। (विवरण)

(ख) बृहत्तर कलकत्ता और आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर, देश के अन्य किसी जगह सांविधिक राशन व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दिए जाने वाले खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जोकि सारे देश में समान है, नीचे दिया जाता है :—

विवरण

रुपये प्रति क्विंटल

जिन्स		1-11-73 से 31-12-74 तक	1-1-75 से
चावल			
कोर्स		125.00	135.00
मध्यम		140.00	150.00
बढ़िया		150.00	162.00
बहुत बढ़िया		160.00	172.00
गेहूं	90.00 (8-11-73 से 14-4-74 तक)	125.00 (15-4-74 से)	130.00 (1-12-78 से)
माइलों	80.00	86.00 (1-1-75 से)	70.00 (8-11-76 से)
मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी)	80.00	86.00 (1-1-75 से)	

देश भर में केन्द्रीय निर्गम मूल्य समान हैं। राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सप्लाई करने से पूर्व केन्द्रीय निर्गम मूल्य में अपने उपयुक्त प्रासंगिक खर्च को जोड़ती हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(अनुबन्ध 2, 3 और 4)

विवरण (एक)

खाद्यान्नों के वसूली मूल्य (विपणन वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
धान (मानक)	74.00*	74.00*	74.00*	77.00*	85.00*
ज्वार	74.00	74.00	74.00	74.00	85.00
बाजरा	74.00	74.00	74.00	74.00	85.00
मक्का	74.00	74.00	74.00	74.00	85 00
रागी	74.00	74.00	74.00	74.00	85.00
कोवो तथा कुटकी	एन० ए०	एन० ए०	एन० ए०	एन० ए०	एन० ए०
गेहूं	105.00	105.00	105.00	110.00	112.50
	(——————सभी किस्में——————)				

एन० ए०—घोषणा नहीं की।

*कोर्स किस्मों के लिए।

विवरण (दो)

1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79 (सं० अनु०) 1979-80 (मू० अनु०) के वर्षों के लिए गेहूं की वसूली प्रासंगिक खर्चों का ब्यौरा :

दर : रु०/क्विंटल

	1975-76 दर	1976-77 दर	1977-78 दर	1978-79 दर (सं० अनु०)	1979-80 दर (मू० अनु०)
1. अनिवार्य प्रभार (मंडी प्रभार बोरियों की कीमत और बिक्री कर)	11.81	11.40	11.76	12.98	13.00
2. भण्डारण और ब्याज प्रभार	3.47	1.96	2.07	1.19	1.16
3. हैन्डलिंग प्रभार (मन्डी मजदूरी और अग्रप्रेषण प्रभार और आन्तरिक संचलन आदि)	3.03	2.92	2.76	2.64	2.66
4. स्थापन प्रभार	1.10	1.06	0.96	0.95	0.92
5. अन्य विविध मदें (बैंक कमीशन आदि)	0.09	0.15	0.07	0.09	0.07
जोड़	19.50	17.49	17.62	17.85	17.81

विवरण (तीन)

1975-76, 1976-77, 1977-78 और 1978-79 (संशोधित अनुमान) और 1979-80 (मू० अनुमान) के वर्षों के लिए चावल की वसूली सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चों का ब्यौरा :

	1975-76 दर	1976-77 दर	1977-78 दर	1978-79 दर (सं० अनु०)	1979-80 दर (मू० अनु०)
1. अनिवार्य प्रभार (मण्डी प्रभार, बोरियों की कीमत और बिक्री कर)	6.78	6.78	5.91	8.78	8.84
2. भण्डारण और ब्याज प्रभार	0.02	0.43	1.54	1.57	1.56
3. हैण्डलिंग प्रभार (मण्डी मजदूरी और अग्रप्रेषण प्रभार और आंतरिक संचलन आदि)	0.77	0.91			
4. स्थापन प्रभार	0.43	0.56	0.40	0.37	0.36
5. अन्य विविध मदें (बैंक कमीशन आदि)	0.06	0.10	—	—	—
जोड़	8.06	8.76	7.85	10.72	10.76

विवरण (चार)

1975-76 से 1979-80 (मू० अ०) के दौरान भण्डारण, संचलन और वितरण पर लगे प्रासंगिक खर्चों को बताने वाला विवरण (सं० अ०)

भण्डारण, वितरण और संचलन आदि | रु०/बिक्री क्विंटल

	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79 (सं० अ०)	1979-80 (मू० अ०)
भाड़ा	6.11	4.51	4.17	4.50	4.80
ब्याज	3.08	4.61	4.65	4.15	4.44
मार्गस्थ और भण्डारण हानि	2.06	1.36	1.27	1.35	1.42
भण्डारण प्रभार	0.91	0.72	0.89	0.93	1.08
गोदामों पर हैण्डलिंग खर्च	1.21	1.35	1.31	1.59	1.53
प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	2.67	2.76	2.54	3.33	3.86
जोड़	16.54	15.31	14.83	15.85	17.13

मुर्गीपालन उद्योग में संकट

7186. **श्री दयाराम शाक्य :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि मुर्गीपालन उद्योग को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मुर्गी पालन उद्योग में निरन्तर प्रगति हो रही है और यह किसी संकट की स्थिति का सामना नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुनापुरी में बेचे गये प्लाट

7187. **श्री दयाराम शाक्य : निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1976 में यमुनापुरी में प्लाट बेचे थे ;

(ख) क्या इस कालोनी के निवासियों के लिए अभी तक बिजली और सीवर की सुविधायें नहीं दी गई जबकि आधे से अधिक प्लाटों पर मकान बन गए हैं ; और

(ग) इस कालोनी के निवासियों को सरकार उपरोक्त सुविधायें कब तक दे पायेगी ?.

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) तक :—सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई पर राजसहायता

7188. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई राजसहायता के आधार पर करती है ; और

(ख) यदि हां, तो 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष तक समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई पर कितनी राशि की राजसहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्यों द्वारा इस समय जो जल-शुल्क दरें ली जा रही है वे इतनी पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे प्रचालन और अनुरक्षण व्यय को और उसके साथ-साथ ब्याज-प्रभारों की पूर्ति हो सके। इस प्रकार, सिंचाई के लिए जल की सप्लाई करने के मामले में सब्सिडी दी जाती है।

(ख) सिंचाई राज्य-विषय है। जल-शुल्क दरें राज्यों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उनकी वसूली-राज्यों द्वारा की जाती है तथा उसका हिसाब-किताब भी राज्यों द्वारा रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वास्तविक सब्सिडी का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के लिए विदेशी सहायता

7189. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को कुल कितनी पूंजी उपलब्ध कराई गई और किन-किन देशों से तथा कितनी-कितनी सहायता प्राप्त हुई और बोर्ड ने अमूल को कितनी सहायता दी ; और

(ख) अमूल को अब तक देशवार कितनी सहायता प्राप्त हुई और उक्त सहायता किन आधारों पर प्राप्त की गई थी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

7190. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : अखिल भारतीय औषध अनुसंधान परिषद् के अनुसार प्रति व्यक्ति के दैनिक संतुलित शाकाहारी भोजन में 241 ग्राम और मांसाहारी भोजन में 154 ग्राम दूध होना चाहिए। जानकारी के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी प्रति व्यक्ति के लिए दूध की दैनिक उपलब्धि लगभग 107 ग्राम है।

दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं :—

1) कृत्रिम गर्भाधान के जरिए संकर-प्रजनन।
2) हिमित वीर्य बैंक की स्थापना।
3) बुल मदर फार्मों की स्थापना।
4) भैंस उत्पादकता कार्यक्रम
5) पशु स्वास्थ्य।
6) संतुलित पशु आहार की सप्लाई।

चावल की खेती के लिए नीली हरी काई का उर्वरक के रूप में प्रयोग

7191. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक नए बायो उर्वरक, नीली-हरी काई का विकास किया है जो कि चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है ;

(ख) इस नये उर्वरक के मुख्य लाभ क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इस नये उर्वरक के उपयोग को चावल की खेती करने वालों में कैसे लोकप्रिय बनाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) (1) नीली-हरी काई (एल्गी) लगाने का प्रमुख लाभ यह है कि यह चावल की फसल की नेत्रजन की आवश्यकता को पर्यावरण की नेत्रजन लेकर 25 से 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हैक्टेयर तक पूरा कर सकती है ।

(2) जहां पर यह नीली-हरी काई का प्रयोग किया जाता है वहां पर रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को 30 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है और परिणाम-स्वरूप व्यापारिक उर्वरक को बचाया जा सकता है ।

(ग) हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने राज्यों के कृषि विभागों के कर्मचारियों हेतु काई के जैविक उर्वरक के उत्पादन और उपयोग पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया था । किसानों में प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से इस संस्थान ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में क्षेत्र परीक्षण भी किये हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने "एलगल टैक्नालौजी फार राईस" शीर्षक से एक अनुसंधान विज्ञप्ति भी प्रकाशित की है और इस विज्ञप्ति की प्रतियां इस प्रौद्योगिकी को चावल उत्पादकों में अधिक उपयोगी और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार विभागों में भी भेजी जा रहीं हैं ।

सहकारी कृषि के अन्तर्गत भूमि

7192. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री एस० आर० रेड्डी : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तर्गत जमीन की तुलना में सहकारी कृषि के अन्तर्गत भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सारी जमीन को सहकारी कृषि के अधीन लाने के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) संयुक्त खेती सोसायटियों तथा सामुहिक खेती सोसायटियों के अन्तर्गत 0.55 हैक्टेयर भूमि का क्षेत्र आता है जो 30-6-76 को कुल मिलाकर जोते जाने योग्य क्षेत्र का 0.38 प्रतिशत बनता है । राज्यवार ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

विवरण

अनुबन्ध

संयुक्त खेती तथा सामूहिक खेती सोसायटियों के अन्तर्गत अखिल भारतीय वास्तविक जोता गया क्षेत्र, नियंत्रित तथा जोता गया क्षेत्र और दोनों के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण

(30-6-1976 की स्थिति)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वास्तविक जोता गया क्षेत्र (क्षेत्र '000' हैक्टेयर में)	संयुक्त खेती सोसायटियां कमाण्ड क्षेत्र	सामूहिक खेती सोसायटियां कमाण्ड क्षेत्र	कालम 4 तथा 5 का योग	6 : 3 का प्रतिशत	संयुक्त खेती सोसायटियां जोता गया क्षेत्र	सामूहिक खेती सोसायटियां जोता गया क्षेत्र	कालम 8 तथा 9 का योग	कालम (10 : 3) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	I1
1.	आंध्र प्रदेश	12,572	28,261	54,666	82,927	0.65	22,353	43,614	65,967	0.52
2.	असम	2,643	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	10,055	30,042	—	30,042	0.29	18,042	—	18,042	0.17
4.	गुजरात	9,716	3,190	22,811	26,001	0.26	2,140	16,741	18,881	0.19
5.	हरियाणा	3,384	12,131	1,261	13,392	0.39	11,385	1,177	12,562	0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	हिमाचल प्रदेश	559	395	10	415	0.07	300	10	400	0.07
7.	जम्मू तथा काश्मीर	787	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	10,860	39,822	6,814	46,636	0.42	31,914	4,727	36,641	0.33
9.	केरल	1,402	2,893	2,070	4,963	0.35	2,570	889	3,459	0.24
10.	मध्य प्रदेश	18,530	25,740	51,442	77,182	0.41	23,257	38,034	61,291	0.33
11.	महाराष्ट्र	18,074	8,603	34,502	43,105	0.23	5,604	23,384	28,988	0.16
12.	मणिपुर	—	1,200	1,820	3,020	—	818	1,356	2,174	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	5,689	2,350	86	2,436	0.04	839	—	839	0.01
16.	पंजाब	3,824	49,730	2,534	52,264	1.36	49,730	2,534	52,264	1.36
17.	राजस्थान	16,962	21,564	15,379	36,943	0.21	1,931	2,844	4,775	0.02
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	7,071	269	41	310	—	20	—	20	—
20.	त्रिपुरा	—	13	768	781	—	6	44	50	—
21.	उत्तर प्रदेश	17,258	1,06,199	15,023	1,21,222	0.70	88,883	11,540	1,00,423	0.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	पश्चिम बंगाल	4,484	3,505	609	4,114	0.09	2,191	338	2,529	0.05
23.	शेष राज्य/केन्द्र शासित राज्य	1,209	26	53	79	—	2,287	42	2,319	0.19
		1,45,079	3,35,933	2,09,889	5,45,822	0.38	2,64,350	1,47,274	4,11,624	0.28

(मिलियन)

ग्रामीण संसाधन कोर

7193. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने एक ग्रामीण संसाधन कोर बनाने का निर्णय किया है जैसी कि जैन समिति ने सिफारिश की है ;

(ख) यह योजना कब तक आरम्भ करने का विचार है और इसके वित्तीय आशय क्या हैं ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् । ग्रामीण स्रोत बल प्रस्तावित अनुसंधान के समन्वय और ग्रामीण प्रौद्योगिकी को पहुंचाने का एक समाकलित अंग होगा ।

(ख) यह प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है । इस योजना पर भारत सरकार के अनुमोदन के बाद अमल शुरू होगा । इस योजना में ग्रामीण स्रोत बल के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 1.74 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

(ग) उन युवा व्यवसायिओं में रुचि और उत्साह की सच्ची लग्न जागृत करने के लिए व्यवस्थित रूप से सुअवसरों के प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जो ग्रामीण विकास में विशेष योगदान देने में रुचि रखते हों । अतः ग्रामीण स्रोत बल को शुरू करने का प्रस्ताव है ।

ग्रामीण स्रोत बल का गठन उन युवा व्यवसायिओं से किया जायेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2 से 3 वर्ष तक कार्य करने को स्वेच्छा से तैयार हों । इन वालिंटियरों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलेगा किन्तु इसके बदले उनकी एक समाकलित शिक्षावृत्ति मिलेगी जो किसी विश्वविद्यालय की स्नातकोतर शिक्षावृत्ति के बराबर होगी । वे व्यवसायिक इंटर्नों के रूप में कार्य करेंगे और स्पष्ट रूप से सोंपे गये कार्यों को किसी की देख रेख में करेंगे । उनको अपने नियमित व्यावसायिक कैरियर शुरू करते समय ग्रामीण विकास के लिये बितायी इस अवधि का श्रेय मिलेगा । यह सोचा जा सकता है कि सेवा की यह अवधि उनको ग्रामीण समुदाय में जीवन की सच्चायियों को समझने में व्यवसायिक परिपक्वता और सक्षमता और अधिक दूर दृष्टि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

ग्रामीण स्रोत बल के वालिंटियरों को काम पर लगाने से पहले अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जायेगा । इन वालिंटियरों को नाम मात्र के 250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास के यातायात और आकस्मिक खर्चे के साथ-साथ 500 रुपये मासिक की शिक्षावृत्ति प्रदान की जायेगी ।

खाद्यान की भंडारण क्षमता में कमी होना

7194. **श्री श्याम सुन्दर लाल :**

श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में तथा विशेषकर फालतू खाद्यान्न वाले राज्यों में खाद्यान्न की भंडारण क्षमता बहुत कम है और आगामी रवी मौसम में यह स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी ;

(ख) खाद्यान्न के उत्पादन का कुल नवीनतम अनुमान क्या है तथा फालतू अनाज का भंडारण करने की उपलब्ध क्षमता क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है तो गत वर्षों की अपेक्षा इस स्थिति में सुधार करके खाद्यान्न को धूप तथा वर्षा आदि से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु तात्कालिक तथा ठोस उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ग) : सरकार द्वारा अधिप्राप्त खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। तथापि, विशेषकर वसूली मौसम के चरम काल के दौरान भण्डारण क्षमता पर पड़ने वाले भार को महसूस किया जाता है जिसके लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिए अतिरिक्त वैज्ञानिक क्षमता तैयार की जा रही है, कृषि पुर्नवित्त विकास निगम से सहायता प्राप्त योजना के अधीन गैर-सरकारी पार्टियों से भण्डारण स्थान किराए पर लिया जा रहा है, उपयुक्त परिरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) 1977-78 का खाद्यान्नों का अन्तिम अनुमानित उत्पादन 1256 लाख मीटरी टन हैं। 1978-79 की सूचना संकलित की जा रही है लेकिन आशा है कि 1978-79 का खाद्यान्न का कुल उत्पादन 1977-78 के स्तर से बढ़ जाएगा।

खाद्य निगम मूल्य समर्थन कार्य के रूप में खाद्यान्नों की वसूली करता है। अधिप्राप्त स्टाक का भण्डारण करने के लिए इसकी कुल 219.3 लाख मीटरी टन की क्षमता है। इसके अलावा, राज्य की एजेंसियों द्वारा भी वसूली की जाती है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टाक लेने तक उसके लिए भण्डारण की व्यवस्था की जाती है ।

'ड्राइंग टीचर्स'- के वेतनमान

7195. **श्री श्याम सुन्दर लाल :—**

श्री दाजीबा देसाई : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 'ड्राइंग टीचर्स' का वेतनमान ग्रेड-I, II से ग्रेड-III में पदोन्नति होने पर, दिनांक 27-7-1978 के पत्र संख्या ए-II०14/26/76 यू० टी०-I, एस० सी० एच० 6 के अनुसार 425-640 रुपये से बढ़ाकर 440—750 रुपये कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये आदेश क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजे गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस आसाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) आवश्यक कार्यवाही कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :— (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासी क्षेत्रों में डेरियों का विकास

7196. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषतया गुजरात राज्य में डेरियों का विकास संबन्धी सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गुजरात राज्य के उन जिलों के क्या नाम हैं जिन्हें डेरी-विकास के लिए चुना गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में डेरी विकास कार्यक्रम में मोटे रूप से नीचे लिखी बातें शामिल हैं :—

(1) दुधारू पशुओं की सप्लाई ।

(2) लघु अग्रणी दल ।

(3) दुग्ध सहकारी समितियों के लिये प्रबंध/सचिवालय संबंधी राजसहायता ।

(4) दुग्ध सहकारी समितियों के लिए उपकरणों की राजसहायता ।

(5) समिति के सचिवों का प्रशिक्षण ।

(6) पास्तुरीकरण संयंत्रों/प्रशीतन केन्द्रों/शीत केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राजसहायता ।

(7) परिवहन संबन्धी राज सहायता ।

(ख) आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम केअन्तर्गत डेरी विकास के लिए गुजरात राज्य में अमरेली, बानसकंठा, जामनगर, कच्छ, पंचमहल, राजकोट, सुरेन्द्र नगर, अहमदाबाद, भावनगर और मेहसाना जिले चुने गए हैं ।

गुजरात में बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजना के विकास के लिए निर्धारित राशि

7197. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गुजरात में बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) उस अवधि में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पूरा किये जाने वाले आरम्भ किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : 1978-79 में गुजरात की बृहद और मध्यम सिचाई परियोजनाओं के लिए 78.25 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था । बाद में इसे संशोधित करके 80.15 करोड़ रुपये कर दिया गया । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष 81 करोड़ रुपये का खर्च होगा और 85,000 हैक्टेयर को अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा ।

राज्य की लघु सिंचाई स्कीम के लिए 1978-79 के लिए अनुमोदित परिव्यय 11.93 करोड़ रुपये था । यह सूचित किया गया है कि इससे 32,000 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा और इस पर 11.95 करोड़ रुपये का खर्च होने की संभावना है ।

(ग) और (घ) : 1978-79 में 11 निर्माणाधीन बृहद और 28 निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई स्कीमों में से 2 बृहद सिंचाई स्कीमें अर्थात उकई और ककरापार तथा 4 मध्यम सिंचाई स्कीमें काफ़ी हद तक पूरी हो गई थी और शेष स्कीमों का क्रियान्वयन हो रहा है ।

लघु सिंचाई स्कीमों के सम्बन्ध में पिछले कार्यक्रम का बचा हुआ कार्य इस प्रकार है :

	संख्या	**बची हुई लागत**
(1) 3 वर्ष से अधिक पुरानी स्कीमें	151	432.87 लाख रुपए
(2) दो वर्ष से अधिक पुरानी स्कीमें	105	313.57 लाख रुपए
(3) शेष पुरानी स्कीमें	99	225.89 लाख रुपए
	355	972 33 लाख रुपए

डाक-तार कर्मचारियों को क्वार्टरों की सुविधायें देने की नीति

7198. **श्री मुकन्द मण्डल :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) डाक तार कर्मचारियों को क्वार्टर प्राप्त करने की सुविधायें देने की सरकार की क्या नीति है,

(ख) कितने प्रतिशत डाक-तार कर्मचारियों को आवास सुविधायें प्राप्त है,

(ग) क्या आवास समस्या से निपटने के लिए उनके मंत्रालय ने आवास मंत्रालय से सम्पर्क किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय स्वयं ही इस समस्या का समाधान कर सकता है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) सरकार की यह नीति है कि उपलब्ध सीमित साधनों के अन्तर्गत यथासम्भव अधिक से अधिक डाकतार कर्मचारियों को विभागीय स्टाफ क्वार्टरों को सुविधा प्रदान की जाती है।

अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह निर्माण और आवास मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत डाक तार कर्मचारियों को भी निजी मकानों के निर्माण के लिए ऋण दिया जाता है।

(ख) 31-3-1978 की स्थिति के अनुसार 6.25 प्रतिशत डाक तार कर्मचारियों को सरकार द्वारा विभागीय आवास प्रदान कर दिये गए हैं।

(ग) और (घ) जहाँ तक विभागीय मकानों के निर्माण का प्रश्न है इसे विभागीय पंच-वर्षीय योजनाओं द्वारा विनियमित किया जाता है। विभाग ने 1983 तक अपने 10 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए विभागीय आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित किया है जिसके लिए छठी योजना में 150 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव है लेकिन सीमित निधि उपलब्ध होने के कारण योजना आयोग केवल 52.5 करोड़ रुपये के लिए ही सहमत हुआ है लेकिन योजना आयोग के साथ इस बारे में आगे लिखापढ़ी चल रही है।

जहाँ तक डाक तार कर्मचारियों को आवासीय ऋण के लिए निधि का प्रश्न है, निर्माण और आवास मंत्रालय से आबंटन में वृद्धि करने के लिए सिफारिश की गई है। इस पर अभी बात चीत चल रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊगांडा परियोजना के लिए विदेशी सहायता

7199. **श्री चतुर्भुज :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले में ऊगांडा परियोजना की वर्तमान प्रगति क्या है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) इस परियोजना के लिए विदेशों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है ;

(घ) क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इस रिपोर्ट की जानकारी है कि इस परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्य प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ और विदेशी वित्तीय सहायता का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में इगादा परियोजना के अन्तर्गत 94 योजनायें क्रियान्वित की गई हैं और इसकी सहभागी निधि में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) अवस्थापना का सृजन, अर्थात गोदामों का विनिर्माण, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, तरल नाईट्रोजन सन्यन्त्रों, चारा नर्सरियों, इंजीनियरिंग कर्मशालाओं, बीज परि-संस्करण सन्यन्त्र, सांड़-स्टेशन एवं वीर्य प्रयोगशाला की स्थापना, करमी फार्म और जैनरेटर हाऊस का विकास, डेरी यूनिट और कृषि केन्द्र की स्थापना,

(2) उठाऊ सिंचाई योजनायें, पम्प सैटों की स्थापना,

(3) बागबानी कृषि और चरागाहों में प्रदर्शन,

(4) बागवानी वैज्ञानिकों, पेड़ पालकों और किसानों आदि का प्रशिक्षण,

(5) त्रिमुखी वन संवर्धन ।

(ख) परियोजना के शुरू होने से 84,35,481.67 रुपये खर्च किए गए हैं ।

(ग) परियोजना के शुरू होने से मार्च, 1979 तक उर्वरकों और उपस्करों की सप्लाई के रूप में पश्चिमी जर्मनी से 2,39,36,662 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी ।

(घ) सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, जिसमें कि उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां और विदेशी वित्तीय सहायता के अनुचित उपयोग के बारे में टिप्पणियां की गई हों ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा असिस्टेंट की नियुक्ति

7200. **श्री दाजीबा देसाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट के कितने पद खाली पड़े हैं और नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जाएगी ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह भी सुझाव दिया गया है कि शत-प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(घ) सरकार द्वारा 50 प्रतिशत पद बाहर से और 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि इस समय सहायकों के ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं है। इस सम्वर्ग में अब तक भर्ती 50% वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर उससे निचले सम्वर्ग अर्थात (लिपिक/टंकक) में से तथा शेष 50% खुली भर्ती द्वारा की गई है। विश्वविद्यालव में वरिष्ट सहायकों का भी सम्वर्ग है, जिसके लिए भर्ती अब तक सहायकों तथा आसु-टंककों के सम्वर्ग में से 100% पदोन्नति के आधार पर की गई है।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने,केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सिफारिशों पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के तीसरी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सम्बन्धित पदनाओं/वेतनमानों की भर्ती तथा पदोन्नति नियमों व अन्य सम्बन्धित मामलों को तर्कसंगत बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ सहायकों तथा वरिष्ठ सहायकों के पदों पर भर्ती से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें की हैं। इस समिति की रिपोर्ट को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस पर विचार करने से पहले 16 अप्रैल, 1979 को होने वाली केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समिति की बैठक में रखे जाने की आशा है।

(ग) इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली मार्गदर्शी रूप रेखाओं/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सहायकों के पदों के लिए आगामी भर्ती की नीति के सम्बन्ध में निर्णय करना दिल्ली विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगा।

जमशेदपुर में विद्यमान स्थिति के बारे में

श्री के० गोपाल करुर : महोदय, 400 व्यक्ति मारे गए हैं। स्थिति बहुत खराब है—— (व्यवधान)-I

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखें । मैं बोल रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैंने इस विषय पर पूरी चर्चा की अनुमति देने का निर्णय किया है। अभी मैं बुधवार को सांय 5 बजे से 7 बजे के बीच दो घंटे की चर्चा की अनुमति दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) मामला इतना गंभीर है———(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं पूरी चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री वयालार रवि : (चिरमिकील) महोदय, हम सरकार की भर्त्सना करना चाहते हैं— (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न करें।

X X X

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : इस सवाल ने केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व भर का ध्यान आकृष्ट किया है, क्योंकि बहुत अधिक मुसलमानों की हत्या की गई है। यदि इस मामले पर हम कोई चर्चा करने जा रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि भारत सरकार या सरकार की ओर से गृह मंत्री कोई वक्तव्य दें.........

श्री अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा।

श्री यशवंत राव चव्हाण : ....जिसके आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

श्री यशवंत राव चव्हाण : दो घंटे का समय पर्याप्त नही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि जरूरत पड़ी, तो हम समय बढ़ा देंगे।

श्री सी०एम० स्टीफन : (इडुक्की) इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो यह कि जब इस तरह की घटना हो चुकी है, तो उस पर लोक सभा किस तरह कार्यवाही करती है यह बात सारे देश के लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए बड़ा महत्व रखती है। हम उस तरह की उदासीनता नहीं अपना सकते तो घोर उदासीनता साबित हो। इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में आना चाहिए, केवल चर्चा के लिए रूप में नहीं। यदि आप यह न समझते हों कि इस मामले

XXX कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, तों कोई कारण नहीं है कि स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति न दी जा सके। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। इस पर केवल चर्चा ही पर्याप्त नहीं है। सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। उसके लिए किसी को अवश्य ही उत्तरदायी होना पड़ेगा। सदन को यह अवसर मिलना चाहिए कि जिम्मेवारी किसी पर डाली जा सके। आपको मामले के इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। सदन को यह मसला स्थगन-प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसका परिणाम कुछ नहीं भी हो सकता है। लेकिन उससे हमको इतना अवसर तो अवश्य मिलेगा कि हम उन व्यक्तियों के खिलाफ उंगली उठा सकें जो देश में घटी इस भीषण घटना के लिए जिम्मेवार हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है, तो चर्चा को बुधवार तक के लिए नहीं टाला जाना चाहिए। यह अविलंबनीय महत्व का विषय है। सदन को इस पर तुरन्त चर्चा करनी चाहिए। जमशेदपुर के लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि देश में सर्वोच्च, संसद को उनकी पीड़ा मालूम है, देश को यह महसूस करना चाहिए कि हम उनकी पीड़ा से अवगत हैं। यदि आप इस मामले को आकस्मिक समझते है, बुधवार को इस पर केवल चर्चा करके रह जाते हैं और अपना कार्य सामान्य ढंग से करते रहते हैं, तो उससे इस सदन को कोई श्रेय नहीं मिलेगा। यह तरीका सही नहीं हैं। यह मामला ऐसा है कि जिस पर या तो आज ही या अधिक से अधिक कल चर्चा होनी चाहिए। जैसी कि श्री वाई० बी० चव्हाण ने मांग की है, इस मामले पर सदन में एक वक्तव्य दिया जाए ताकि कल हम पूरी चर्चा कर सकें। यदि यह स्थगन-प्रस्ताव है, तो उसे 4 बजे लिया जा सकता है। अगर आप स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति न भी दें, तब भी समय इस ढंग से निर्धारित किया जा सकता है कि मामले पर चर्चा करने के लिए हमें पर्याप्त अवसर मिल जाए। कृपया इस पर स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति दें, और किसी भी हालत में, इसे बुधवार तक के लिए न रोकें। यदि गृह मंत्री यहां नहीं हैं, तो अन्य राज्य मंत्री मौजूद हैं, या गृह मंत्री महोदय को संसद में आना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है। इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई और मामला नहीं हो सकता। गृह मंत्री को यहां आकर उत्तर देना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन यह है कि सारी बात इकतरफा है। वह मुसलमानों का सामूहिक कब्रिस्तान बन गया है इस पर सारी दुनियां हंस रही है......... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आज फिर चर्चा नहीं कर सकते। मैं मामले पर विचार करूंगा। यदि आप अभी चर्चा कर रहे हैं, तो फिर दुबारा चर्चा करना व्यर्थ होगा। **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार हो, उसे दण्ड दिया जाना चाहिए। हमें इस मामले पर पूरी चर्चा करनी चाहिए——— **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मामले पर चर्चा करने के लिए मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं। अब आगे कोई चर्चा नहीं। मैं और कुछ करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। यह मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

(**व्यवधान**) आपको इन सब बातों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। कार्यवाही वृतान्त में शामिल न करें। (**व्यवधान**)* मैं मामले पर विचार करूंगा। हम अधिक समय ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ, तो समय बढ़ाया जा सकता है। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। सदन को पूरा अधिकार है। (**व्यवधान**)* कार्यवाही वृतांत में शामिल न करें। (**व्यवस्था**)*

कलकत्ता के उच्च न्यायालय के एक वकील और न्यायाधीश की कतिपय टिप्पणियों के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विनिर्णय

अध्यक्ष महोदय : अब हम लोक लेखा समिति के 176 वें प्रतिवेदन (पांचवी लोक सभा) के पैरा 9.1 से 9.16 तक में दी गई सिफारिशों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील और एक न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस पर चर्चा करेंगे।

श्री बसु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री तरुण कुमार बसु द्वारा **ग्रिण्डलेज बैंक लि०** बनाम **आय-कर अधिकारी** के मामले में 8 मार्च, 1978 को दिए गए निर्णय के संबंध में लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 222/223 के अधीन न्यायमूर्ति श्री तरुण कुमार बसु के खिलाफ विशेषाधिकार-प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उसमें, याचिकादाता ग्रिण्डलेज़ बैंक लि० ने कर निर्धारण वर्ष 1958-59, 1966-67 से 1970-71 तक के संबध में आयकर अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अधीन उन पर तामील किए गए नोटिसों की वैधता को चुनौती दी थी। यह एक अन्य मामले के साथ चलाया गया था जो इस उद्देश्य के लिए तत्संगत नहीं था। उसमें, न्यायाधीश आय-कर अधिनियम की धारा 147 (ख) में आए "सूचना" के अभिप्राय पर विचार कर रहा था। उस मामले में विभिन्न तर्क-वितर्क दिए गए थे। उनमें से अधिकांश इन कार्यवाहियों में सुसंगत नहीं हैं।

आय-कर अधिकारी की ओर से यह दावा किया गया मालूम होता है कि धारा 147 (ख) के अभिप्राय में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन एक "सूचना" है। ऐसा प्रतीत होता है कि

***कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।**

याचिका दाताओं के वकील ने उस दावे का खण्डन किया है। संगत टिप्पणियां **आय-कर प्रतिवेदन (1979) 116 आइ०टी०आर०** के पृष्ठ 727-728 पर दी गई हैं, जो इस प्रकार है :—

"अन्ततः, डा० पाल ने निवेदन किया कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को "सूचना" नहीं माना जा सकता क्योंकि समिति ने कम निर्धारण के आरोपों के बारे में कोई राय नहीं बनाई बल्कि उन आरोपों का मात्र उल्लेख किया था जो याचिकादाता बैंक के आर०पी० गुप्ता नामक एक भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा लगाए गए थे ; और जिसे बैंक ने 13 नवम्बर, 1971 में बरखास्त कर दिया था। यह उल्लेख किया गया था कि **आर०के० मल्होत्रा बनाम कस्तुर भाई (1977) आइ०टी०आर० 537 एम०सी०)** के मामले में, श्री बी०एम० पाल ने जिसका आधार लिया उसके विपरीत लोक लेखा समिति ने कोई राय अथवा विचार नहीं प्रकट किया।"

"जो कुछ बतलाया गया वह यह था कि श्री गुप्ता द्वारा आरोप लगाए गए थे और उनकी जाँच चल रही है। यह निवेदन किया गया कि मात्र जांच के कारण ही धारा 147 (क) या धारा 147 (ख) के अंतर्गत नोटिस जारी नही किया जा सका। (**छुग्गामल राजपाल बनाम एस०पी० छालिया (1971)** 79 आइ०टी०आर० 603 और **शिव नाथ सिंह बनाम ए०ए०सी० (1971) 82 आइ०टी०आर० 147) के** मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय देखें)।"

*   *   *

"अंतत : डा० पाल ने कहा कि अभिलिखित कारणों में, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का कोई उल्लेख नहीं है और इसके परिणामस्वरूप, यह बात हलफनामा दाखिल करने वाले श्री एच०पी० राय के कहने पर या श्री बी०एल० पाल, जिन्होंने मेरे समक्ष दलील पेश की, के कहने पर निर्भर नहीं करती कि लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन एक "सूचना" है जो मामले पर नए सिरे से कार्यवाही करने का औचित्य सिद्ध करती है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, डा० पाल के अनुसार लोक लेखा समिति ने कोई राय व्यक्त नहीं की। यदि यह मान भी लिया जाए कि लोक लेखा समिति ने ऐसी राय व्यक्त की थी जो अधिनियम की धारा 147 (ख) के अभिप्राय में "सूचना" मानी जा सकती है, तब भी वह राय या निर्णय जैसा कि **आर०के० मल्होत्रा बनाम कस्तूर भाई लालभाई (1977) 109 आइ०टी० आर० 537 (एस०सी०)** के मामले में माना गया था, किसी ऐसे व्यक्ति, निकाय, प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों का होना चाहिए जो कानून की व्याख्या करने के निर्णय के लिए सक्षम तथा प्राधिकृत हो। यह निवेदन किया गया कि लोक लेखा समिति इस तरह की राय व्यक्त करने के लिए समक्ष नहीं है।

मेरे विचार में, श्री पाल का तर्क स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत सामग्री और किए गए निवेदन के आधार पर, मैं पाता हूं कि कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 तथा

1970-71 के लिए भी, अधिनियम की धारा 147 (ख) के अभिप्राय में ऐसी कोई "सूचना" नहीं है जो नए सिरे से कार्यवाही का औचित्य सिद्ध कर सके।"

चूंकि यह कहा गया है कि कथित अवमानना लोक लेखा समिति के प्रति है, इसलिए मैंने अगला कदम उठाने के पहले लोक समिति की राय लेना वांछनीय समझा। तदनुसार, मामला मैंने लोक लेखा समिति को भेज दिया।

लोक लेखा समिति ने विचार व्यक्त किया कि चूंकि विद्वान न्यायाधीश ने उसके समक्ष पेश किए गए तीन तर्कों में से पहले दो तर्कों को स्वीकार कर लिया है अतः उसके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह आय कर.अधिनियम की धारा 147 (ख) के अभिप्राय में "सूचना" समझी जाने वाली राय प्रकट करने के लिए लोक लेखा समिति की सक्षमता का उल्लेख करता।" समिति ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा :

"न्यायाधीश को इस पहलु पर निर्णय देने के लिए नहीं कहा गया था और इस संबंध में डा० पाल के दावे को स्वीकार करने पर, उन्होंने ऐसी राय जाहिर की जिसे संसद की एक समिति की कार्याविधि की पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए टाला जा सकता था।"

लोक लेखा समिति की राय में यह ऐसा मत व्यक्त करने के लिए सक्षम है जिसे आय-कर अधिनियम की धार 147 (ख) के अधीन, तथ्य और कानून दोनों में 'सूचना' माना जाए। उसने महसूस किया कि इस प्रश्न पर न्यायाधीश का निर्णय आम तौर पर समिति की प्रभावशीलता और विशेश तौर पर संघ सरकार द्वारा कराधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र से संबंधित मामलों के विपरीत जाएगा।

परिणामस्वरूप, उसने महसूस किया कि उक्त घोषणा से उत्पन्न कानूनी स्थिति का सामना करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने जाने चाहिए। समिति ने इस सवाल पर कोई राय जाहिर नहीं की, क्या लोक लेखा समिति का कोई विशेषाधिकार भंग किया गया था। उसने यह मत व्यक्त किया कि इस प्रश्न को लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

यदि मैं यही मान लूं (बिना निर्णय किए ही) कि कानून के उपर्युक्त प्रश्न पर विद्वान न्यायाधीश का मत गलत है, तब क्या होगा। कानून के किसी प्रश्न पर या तथ्य के किसी प्रश्न पर किसी गलत निर्णय से सदन या इसके सदस्यों का विशेषाधिकार भंग नहीं होता। यह न्यायाधीश के प्रति दुर्भावना बताना नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। जब मैं अपना विनिर्णय दे दूं, उसके बाद आप उठा सकते हैं।

गलत निर्णय को कानून द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रक्रियाएं अपनाकर ठीक करना होगा, न कि संबंधित न्यायाधीश के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई करके। कृतसंकल्पित न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया मत हमारे न्यायशास्त्र के लिए अपरिचित है। कानून और व्यवस्था अभिन्न अंग है। हमारे संविधान का न्यायपालिका को राज्य के अन्य अंगों के अधीनस्थ रखने का कोई भी विचार हमारे संविधान के विपरीत है। राज्य का हर अंग संविधान द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं में कार्य करता है।

विभिन्न अंगों के बीच मुकाबले के बजाय सद्भावना और परस्पर आदरभाव ही हमारी शासन प्रणाली की पहली शर्त है। विचारों में मतभेद को अवभावना नहीं समझा जाना चाहिए। कानूनी अदालतों ने संसद द्वारा बनाए गए बहुत से कानूनों को यह कह कर रद्द कर दिया कि वे संसद सक्षमता के बाहर थे। उसका अर्थ इस सदन का अनादर नहीं है। यह भली भांति विदित है कि संसद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली अंग है। लेकिन हमारे संविधान के अन्तर्गत, संसद सर्वशक्तिमान नहीं है। अबाधित शक्ति स्वयं के लिए ही घातक होती है। नियंत्रण हमारे संविधान में अंतर्निहित है। इस नियन्त्रण का एक यह भी है कि विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों अथवा नियम बनाने वाले किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम या किसी पदाधिकारी द्वारा किए गए निर्णय की वैधता के बारे में निर्णय करने की शक्ति न्यायालयों को प्रदान की गई है।

इस सदन के विशेषाधिकारों और इसके सदस्यों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विशेषाधिकार-भंग करने वाले को दण्डित करने के लिए सदन को प्रदान की गई शक्ति बहुत व्यापक है। इसलिए, उस शक्ति का प्रयोग बहुत कम और केवल उपयुक्त मामलों में ही करना होता है। इस मामले में विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न नहीं है।

इस दृष्टि से, मेरे लिए इस प्रश्न की जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या वर्तमान कार्यवाही पर संविधान के अनुच्छेद 121 द्वारा रोक लगी हुई है क्योंकि इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य-निर्वाह में किए गए आचरण के बारे, संसद में कोई चर्चा नहीं होगी सिवाय उस प्रस्ताव के जो राष्ट्रपति को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित हो और जिसमें किसी न्यायाधीश को हटाने के बारे में निवेदन किया गया है। उपर्युक्त कारणों की वजह से, मैं इस प्रस्ताव पर, जो मेरे समक्ष है, अपनी सहमति देने में असमर्थ हूं।

(इति)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। ग्रिण्डलेज बैंक के वकील ने बड़ी मात्रा में कर-अपवंचन किया था और अवैध रूप से विदेशों में धन जमा किया था। कहा गया था कि लोक लेखा समिति को ऐसी कोई राय प्रकट करने का अधिकार नहीं है। महोदय, लोक लेखा समिति तो यथोचित रूप से गठित एक प्राधिकरण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोक लेखा समिति लोक सभा के प्रकिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के अधीन यथा-गठित एक प्राधिकरण है, जो अपना प्राधिकार भारत के संविधान से प्राप्त करता है। लोक लेखा समिति को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, मैं उसी आधार पर कह रहा हूं। मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, क्या मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता हूं,

"कि यह सदन कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को इस सम्बन्ध में अपनी गहरी चिन्ता और अप्रसन्नता प्रदर्शित करता है।"

अध्यक्ष महोदय : लोक लेखा समिति को अधिकार है। मैं वह स्वीकार करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, सदन को अपनी अप्रसन्नता प्रदर्शित करने दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्री बसु, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है; आप अप्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकते।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें। श्री बरनाला।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोग यह कह कर नहीं बच सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संविधान से बच सकते हैं? कृपया शांत रहे। अब पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री बरनाला।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन और उन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण।

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4285/79]

खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना।

(3) खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 270 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस में भारत में किसी मिल में खोपरा से वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण के लिए प्रयोग में लाये गये खोपरा पर उत्पाद शुल्क विनिर्दिष्ट की गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4286/79]

संगीत नाटक अकादमी का वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति।

(2) अकादमी के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4287/79]

केले तथा फल विकास निगम लिमिटेड मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत केले तथा फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4288/79]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैंने आपको शिक्षा नीति के मसौदे के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचार के बारे में लिखा है। संसद का सत्र चल रहा है परन्तु फिर भी हमने देखा है कि प्रायः प्रत्येक समाचार पत्र में शिक्षा नीति के मसौदे का विस्तृत पाठ छपा है। प्रेस ने इसे छाप कर अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है। परन्तु हम इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि मंत्री महोदय द्वारा उसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया है। यह उचित नहीं है। क्या आप मंत्री महोदय से स्थिति को स्पष्ट करने को कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि ऐसा हुआ है। इसका क्या कारण है ? जब सभा का सत्र चल रहा है तो मामला समाचार पत्रों में कैसे छप गया है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हम नहीं जानते कि यह किस प्रकार से प्रकाशित हुआ है। मसौदा तैयार करते समय हमें राज्य सरकारों, संघ शासित राज्यों के प्रशासनों, मंत्रियों तथा संसद की सलाहकार समिति के सदस्यों सहित विभिन्न व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों से परामर्श करना पड़ा। यह मसौदा है। यह सरकार का अन्तिम निर्णय नहीं है। यह तैयार किया जा रहा है। जब इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा, तो उसे सभा पटल पर रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी और तब उस पर अन्तिम निर्णय किया जायेगा। मैंने समाचार पत्रों को कुछ नहीं बताया है। मैंने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है। यह केवल मसौदा है, अन्तिम निर्णय नहीं है।

श्री के० गोपाल : माननीय मंत्री बता सकते हैं कि क्या यह सच है कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

डाक घर बचत बेंक (संशोधन) नियम, 1979, डाक घर बचत बेंक नियम, 1965 के नियम 9 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना और दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम 1979 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बेंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत बेंक (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की

एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 311 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4289/79]

(2) डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के नियम 9 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 312 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें डाकघर बचत बैंक में सार्वजनिक खातों पर ब्याज की दर अधिसूचित की गई है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4290/79]

(3) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 मार्च, 1979 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-4 (2)/78 फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4291/79]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) कारतूसों को समूचे मूल अतिरिक्त और सहायक सीमा शुल्क से छूट सम्बन्धी सा० सा० नि० 518 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) पौण्ड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौण्ड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित दर सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 240 (ङ), जो दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गए । देखिए संख्या एल० टी० 4292/79]

प्राक्कलन समिति को रक्षा सम्बन्धी उप-समिति के प्रतिवेदनों के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि प्राक्कलन समिति के सभापति श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 101क में खण्ड (viii) (क) के पर तुक के अधीन मुझे प्राक्कलन समिति की रक्षा विषयक उप-समिति के (एक) भारत की सुरक्षा को भावी खतरे के मूल्यांकन और (दो) रक्षा-नौसेना के आधुनिकीकरण पर प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति प्रस्तुत की गई है। उप-समिति ने 19 तथा 20 मार्च की अपनी बैठकों में इन प्रतिवेदनों को मंजूर किया था। चूंकि उप-समिति के विचार के अनुसार इन प्रतिवेदनों में वर्गीकृत प्रवृति की जानकारी है जिसका प्रकट किया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के विपरीत हो सकता है अतः सभापति की इच्छानुसार प्रतिवेदनों को गोपनीय समझा जाए और उन्होंने मुझे इन प्रतिवेदनों को सरकार को भेजने को कहा है। अतः तदनुरूप मैंने यह प्रतिवेदन उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री को इस अनुरोध के साथ भेज दिए हैं कि प्राक्कलन समिति के सभापति को उन पर की गई कार्यवाही से उचित समय पर सूचित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने 15 अप्रैल, को इस बारे में आपको लिखा था......।

अध्यक्ष महोदय : उन व्यक्तियों में आपका नाम नहीं है। आप नहीं......

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उसके गुणों में नहीं जा रहा। क्या आपने मेरा पत्र नहीं पढ़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे पढ़ लिया है, परन्तु.........

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब मामला सभा के समक्ष आ रहा है और जब मन्त्री महोदय द्वारा औपचारिक उत्तर दिया जाना है तो किस कारण से एक अन्य मन्त्री द्वारा नेशनल हैरल्ड के बारे में प्रेस को यह वक्तव्य किस कारण दिया गया है कि यह भ्रष्टाचार तथा दुराचारों का अड्डा रहा है। हम जानते हैं कि कर्मचारी भूखों मर रहे हैं हम इससे सहमत है कि ....।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री हरिकेश बहादुर.. ... ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नेशनल हैरल्ड प्रकाशन समूह में निरन्तर तालाबन्दी का समाचार

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"नेशनल हैरल्ड प्रकाशन समूह (नेशनल हैरल्ड, नई दिल्ली और लखनऊ तथा नवजीवन और कौमी आवाज, लखनऊ) में एक महीने से अधिक समय से चल रही तालाबन्दी तथा कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने, जिससे उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है, का समाचार"।

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय,

नेशनल हैरल्ड के दिल्ली तथा लखनऊ प्रतिष्ठानों में औद्योगिक विवाद वस्तुत: दिल्ली प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन तालाबन्दी से निपटने के लिए संबंधित सरकारें हैं।

2. उपलब्ध सूचना के अनुसार, नेशनल हैरल्ड, दिल्ली के कर्मचारियों ने मजदूरी के समय पर भुगतान, मुअत्तल किए गए कर्मचारियों और दो टेलीफोन आपरेटरों की बहाली से संबंधित अपनी मुख्य मांगों के समर्थन में 10 मार्च, 1979 से टूल डाउन हड़ताल शुरू कर दी। दिल्ली प्रशासन ने पक्षकारों को 12 और 13 मार्च, 1979 को समझौता बैठकों में विचार-विमर्श के लिए बुलाया, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। इसके पश्चात् प्रबन्धक ने 15 मार्च, 1979 से तालाबन्दी घोषित कर दी। प्रबन्धक द्वारा दिल्ली प्रशासन को तालाबन्दी के लिए बताए गए कारण ये हैं—वित्तीय कठिनाइयों, कर्मचारियों द्वारा कथित अनुशासनहीनता और तोड़फोड़। श्रमायुक्त, दिल्ली प्रशासन ने दोनों पक्षकारों को 20, 27 मार्च, तथा 3 अप्रैल, 1979 को समझौता बैठकों में फिर बुलाया ताकि विवादग्रस्त मामलों का समाधान किया जा सके और तालाबन्दी को उठाने की संभवना का पता लगाया जा सके। इन बैठकों में कोई भी समझौता नहीं हो सका। फिर भी दिल्ली प्रशासन इस मामले को सुलझाने और तालाबन्दी उठाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने पक्षकारों को 18 अप्रैल, 1979 को विचार-विमर्श के लिए बुलाया है। जहां तक मजदूरी का भुगतान न करने का प्रश्न है, हमें पता चला है कि कर्मचारियों को जनवरी, 1979 तक की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। दिल्ली प्रशासन ने फरवरी और मार्च,1979 के महीनों की मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए फरवरी की देय मजदूरी के बारे में कानूनी कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ कर दी है और मार्च, 1979 के महीने की देय मजदूरी के बारे में इसी प्रकार की कार्रवाई शुरू कर रही है।

3. नेशनल हैरल्ड ग्रुप के लखनऊ के यूनिटों में जनवरी, 1979 के दौरान लगभग 15 दिनों के लिए "जबरी छुट्टी" के पश्चात् 6 मार्च, 1979 से "तालाबन्दी" हुई। राज्य सरकार तालाबन्दी उठाने के लिए प्रयास कर रही है। जहां तक मजदूरी का भुगतान न करने का प्रश्न है, उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्मचारियों को कुल मिला कर 31 जनवरी, 1979 तक की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र ने फरवरी और मार्च, 1979 के महीनों की मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए फरवरी के महीने की देय मजदूरी के भुगतान हेतु कानूनी कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ कर दी है और मार्च, 1979 की देय मजदूरी के बारे में इसी प्रकार की कार्यवाही शुरू कर रहा है।

4. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि देय राशियों की वसूली के लिए मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (लखनऊ और दिल्ली यूनिट) के प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : 80 लाख रु० के काले धन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : नेशनल हैरल्ड प्रकाशन समूह भ्रष्टाचार और घोटाले का केन्द्र बन गया है। स्टेटमैंट में यह कहा गया है कि प्रबन्धकों द्वारा दिल्ली प्रशासन को तालाबन्दी के लिए बताए गये कारण ये हैं :

वित्तीय कठनाई, कर्मचारियों द्वारा कथित अनुशासनहीनता और तोड़-फोड़। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य से परे हैं। झूठ शब्द का मैं इस्तेमाल करता किन्तु उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह असंसदीय है, अन्यथा वही शब्द उसके लिए उचित होता।

कर्मचारियों और पत्रकारों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। स्वयं मंत्री जी ने बताया है कि जनवरी तक का वेतन दिया गया है फरवरी मार्च का नहीं। किन्तु वेतन की ही बात नहीं है। प्राविडेंट फंड, ई०एस० आई०, सैलेरी सेविंग स्कीम आर० एल० आई० सी० वगैरह का जो प्रीमियम डिपाजिट करना चाहिये था वह भी नहीं किया जा रहा है किन्तु इसे उनकी सैलेरी से डिडक्ट किया जा रहा है। चूंकि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है इस वास्ते तमाम वे कर्मचारी जो बीमार पड़े हैं उनकी दवा वगैरह का भी कोई साधन नहीं है। नतीजा यह है कि तीन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है जिस में एफ० आई० आर० भी वहां के प्रबन्धकों के खिलाफ लाज किया गया है और कार्रवाई हो रही है, जो कुछ भी लीगल कार्रवाई हो सकती है हो रही है लेकिन। स्थिति बिगड़ती चली जा रही है और आने वाले समय में और भी स्टार्वेशन डैथस की सम्भावना बढ़ती जा रही है। जिन तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उन में से दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी एल० आई० सी० पालिसीज लैप्स कर चुकी हैं क्योंकि प्रीमियम डिपाजिट नहीं किया गया। अब उन्हें कोई काम्पेसेशन भी एल० आई० सी० की तरफ से नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट

ने नेशनल हैरल्ड कोओप्रेटिव क्रैडिट एंड थ्रिफ्ट सौसाइटी के पैसे भी कर्मचारियों के वेतन से काट लिए थे लेकिन उनको भी जमा नहीं किया गया है। स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और बिगड़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए बहुत कठिन स्थिति पैदा होने जा रही है। नौ महीने में तीन गाड़ियां जिन में से एक डीजल गाड़ी भी है की मरम्मत के लिए 65 हजार रु० खर्च किए जाने की बात कहीं पर एक कागज में कही गई है जोकि बिल्कुल गलत है नौ महीनों में तीन गाड़ियों की मरम्मत और डीजल वगैरह के लिए इतना खर्च नहीं हो सकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सब की जांच होनी चाहिये। सी० बी० आई० जांच बिठाई जानी चाहिये और पता लगाया जाना चाहिये कि क्या हो रहा है और क्या मैनेजमेंट इसके लिए मुख्य रूप से दोषी है या नहीं ?

वर्तमान प्रबन्ध निदेशक पिछले चौदह महीने से काम कर रहे हैं और तब से किसी भी महीने में आज तक वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया गया है। इसका कारण क्या है ? चौदह महीने से हमेशा ही कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है और उनको वेतन नहीं दिया जाता है और जब कभी भी कोई इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर दबाव भी डाला जाता है।

इस प्रकार से कर्मचारियों को पूरी तरह से तवाह किया जा रहा है। कम्पनी अफेयर्स ने एक जांच की थी जिसमें बताया गया था कि अनअकाउन्टेड मनी करीब 35.15 लाख रु० के करीब है यह पता नहीं कि यह पैसा किस स्रोत से आया। इस प्रकार के तरह तरह के घोटाले इस संगठन में किये जा रहें हैं जिसका नतीजा यह है कि कर्मचारियों का संकट दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। एक श्री प्रेम प्रकाश शर्मा नाम का व्यक्ति है जो पहले कांग्रेस कम्पेन कमेटी के कार्यालय में एक साधारण क्लर्क था, लेकिन अब वह जनरल मैनेजर हैं। नेशनल हैरल्ड की गाड़ियां रात के 12 और 1 बजे तक होटलों में रहती हैं जहां पर यह लौग तरह तरह के मनोरंजन का कार्यक्रम करते होंगे। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री यशपाल कपूर हैं जो इसके लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार या तो सी० बी० आई० से इसकी जांच कराये अथवा संसदीय समिति का गठन करे जो इसमें हो रहे सारे घोटाले की जांच करे।

अन्त में मैं मन्त्री जी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं :

(ए) एल० आई० सी० की जो पौलिसीज लैप्स हो गई हैं उसका भुगतान कौन करेगा ?

(बी) क्या सरकार कोई व्यवस्था इसके लिये करेगी अथवा नही ?

(सी) क्या सरकार अपराधी प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और सी० बी० आई० या संसदीय समिति द्वारा जांच करायेगी ?

(डी) क्या सरकार लाक आउट समाप्त करेगी ?

(ई) क्या सरकार प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगी ?

(एफ) क्या सरकार पत्रकारों एवं कर्मचारियों की सहकारी समिति को प्रबन्ध सौंपेगी ?

(जी) क्या सरकार देखेगी कि किसी भी व्यक्ति को जो प्रबन्ध समिति के अत्याचार का विरोध कर रहा है, उसे दंडित न किया जा सके ?

(एच) क्या सरकार सभी प्रकार के बकायों, वेतन, अंतरिम सहायता आदि का तुरन्त भुगतान करायेगी ?

श्री अनन्त राम जायसवाल (फैजाबाद) : मान्यवर, इसमें एक सवाल और जोड़ दिया जाय.........

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं चलता है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अध्यक्ष महोदय सरकार नेशनल हैरल्ड के प्रबन्धकों द्वारा समय पर वेतनों की अदायगी करने में असफलता से उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता के प्रति पूरी तरह जागरूक है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री हरिकेश बहादुर ने स्वयं उल्लेख किया है कि श्रमिकों को 31 जनवरी 1979 तक के वेतन अदा किए गए हैं। अतः प्रश्न मुख्यरूप से फरवरी और मार्च के वेतनों से सम्बद्ध है। जहां तक लखनऊ एकक का सम्बन्ध है जनवरी के अन्त के वेतनों की अदायगी कर दी गई है, फरवरी के लिए 2,40,000 रु० के वेतन बिल में से 1,15,000 रु० का भुगतान किया जा चुका है और राज्य औद्योगिक सम्बन्ध संगठन जैसा कि मैंने पहले बताया था, वेतनों का भुगतान करने के लिए कदम उठा रहा है...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अन्यों के प्रश्नों के उत्तर देनें आरम्भ करेंगे तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री रविन्द्र वर्मा : मेरे माननीय मित्र श्री हरिकेश द्वारा पूछा गया यह एक प्रश्न था।

मेरे मित्र ने निदेशक मंडल के पुनर्गठन के प्रश्न की ओर निर्देश किया और कहा कि निदेशक मंडल और प्रबन्ध बहुत सी अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि सभा जानती है शिकायतें प्राप्त होने के कारण कम्पनी अधिनियम की धारा 209(क) के अन्तर्गत जांच के आदेश दिए गए और इस जाँच का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जांच के पश्चात् प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन के अनुसार यह पता चला कि प्रबन्धक गम्भीर अनियमितताओं एवं कम्पनी

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कानूनों के उल्लघंन के दोषी हैं। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने कार्रवाई की है। सबसे पहले, कुछ अनियमितताएं थी जिनके सम्बन्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूरी जांच अपेक्षित थी। अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इन गम्भीर अनियमितताओं के बारे में आगे जांच करने को कहा गया है। कुछ अनियमितताएं ऐसे मामलों के बारे में थीं जो कम्पनियों के पंजीयक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कुछ का सम्बन्ध बैंकिंग विभाग से तथा कुछ अन्य का आयकर विभाग से था। इन सभी अनियमितताओं को सम्बद्ध प्राधिकारियों के अर्थात् आयकर प्राधिकारी, बैंकिंग विभाग और कम्पनियों के पंजीयक निर्देशित किया गया है और प्रत्येक मामले में कार्रवाई की जा रही है। मैं इसके आगे यह बताना चाहता हूं कि चूंकि प्रतिवेदन से बहुत अधिक गम्भीर अनियमितताओं का पता चला था, मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आगे जांच के लिए निर्देशित करने के बाद अब धारा 237 के अन्तर्गत पूर्ण जांच करने का निर्णय किया गया है, जो जांच में तेजी लाने के विचार से सभी सम्बद्ध विभागों और मंत्रालयों की संयुक्त जांच होगी और इस बात को देखा जाएगा कि उपक्रम से सभी अनियमितताओं और कुप्रबन्ध का पता चल सके जिससे उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

भविष्य निधि तथा कर्मचारी भविष्य निधि के प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा कि बसूल की गई राशियां जमा नहीं की गई हैं। यह एक तथ्य है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि क्या मैं मासिक आंकड़े पढ़ दूं। वह जरूरी नहीं है, चूंकि असलियत यह है कि पैसा वसूल किया गया परन्तु जमा नहीं कराया गया **(व्यवधान)**। मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा परन्तु मैं सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ और एक ही वाक्य में नहीं दे सकता। यह मेरे बस के बाहर है।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल मुख्य प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ही उत्तर देना है।

श्री रविन्द्र वर्मा : भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस बात को देखने के लिए कार्रवाई की जा रही है कि वसूल की गई राशि जमा कराई जाए। तीन दृष्टिकोणों में कार्रवाई की गई है। एक तो है राशि को वसूल करना, दूसरा है भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन मुकदमा चलाना और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन गबन तथा अपराधिक दुर्विनियोग का मुकदमा चलाना। ऐसे सभी कदम लखनऊ तथा दिल्ली दोनों जगहों पर उठाए जा रहे हैं। **(व्यवधान)** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उत्तर सुनने के इच्छुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे उत्तर सुनने के इच्छुक नहीं हैं। वे केवल बातें करने के इच्छुक हैं।

श्री रविन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य की ओर निर्देश किया कि लखनऊ में नेशनल हैरल्ड के तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। हमने इस बात का पता लगाने के लिए इन तीन मामलों की पूरी जांच की है कि क्या हमारी ओर से कोई असावधानी हुई है अथवा गैर-हकदारी के कारण चिकित्सा में कोई कमी हुई है··· ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

x x x

श्री रवीन्द्र वर्मा : नेशनल हैरल्ड के पूर्व-गठित बोर्ड में श्री चरण जीत सिहं, चेयरमेन, श्री यशपाल कपूर प्रबन्ध निदेशक, श्री मल्लिकार्जुन, निदेशक (व्यवधान)

श्री बी० शकंरानन्द (चिकोडी) : इस सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा मंत्री महोदय के विरुद्ध एक गम्भीर आरोप लगाया गया है। आरोप को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया और मंत्री महोदय का उत्तर भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया। माननीय मंत्री ने आपके विनिर्णय से परे होकर श्री मल्लिकार्जुन के नाम का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय ; नहीं, नहीं, केवल निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में।

श्री बी० शकंरानन्द : श्री मल्लिकार्जुन निदेशक हैं और उनको अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बी० शकंरानन्द : श्री मल्लिकार्जुन को अवश्य अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार प्रक्रिया निर्धारित है। यदि किसी सदस्य के विरुद्ध कोई गलत बात कही जाती है तो वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये अध्यक्ष महोदय को आवेदन कर सकता है। उन्होंने निश्चित रूप से अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से देना चाहिये।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : उन्होंने एक निदेशक के रूप में मेरा नाम लिया है।

अध्यक्ष महोदय : उससे आपको कुछ भी कहने का अधिकार प्राप्त नहां हो जाता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 321 कहता है :—

"यदि सभा के किसी नियोजन में किसी सदस्य के मत का विनिश्चय किये जाने वाले विषय में उस सदस्य के वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित होने के आधार पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक समझे, आपत्ति करने वाले सदस्य से अपनी आपत्ति के......।"

xxx कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन एक निदेशक हैं। अतः उनको यहां पर आकर चिल्लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : बोर्ड के अन्य सदस्य हैं श्री विमल मेहरोत्रा तथा श्री एस. आर. बसावाराज।

श्री मल्लिकार्जुन : श्री ज्योतिर्मय बसु ने मेरे विरूद्ध गलत शब्दों का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अपने माननीय मित्र के इस प्रश्न के उत्तर में किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये हैं मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लखनऊ एकक में ये श्री एस० डी० पिल्लै, श्री मोहम्मद युनुस तथा बी० एच० जैडी एण्ड कम्पनी के विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये हैं।

दिल्ली में ये मामले श्री यशपाल कपूर और उनके सहयोगियों के विरुद्ध दर्ज किये गये हैं।

फिर कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम की धारा 14 के अधीन लखनऊ और दिल्ली में मुकदमें चलाये गये हैं। लखनऊ में अभियुक्तों के लिये समन जारी किये गये हैं। जहां तक दिल्ली का संबन्ध है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला निर्णयाधीन है।

जहां तक उन मौतों का सम्बन्ध है जिसके कारण दुर्भाग्यपूर्ण चीखो-चिल्लाहट हुई जो नहीं करनी पड़ती यदि मेरी पूरी बात सुनली जाती, इस बारे में मैं कह रहा था कि यद्यपि यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि श्रमिक मर गये, तथापि यह सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि उनकी मौत डाक्टरी देखभाल के अभाव के कारण हुई। यही बात मैं, कह रहा था। मैंने बड़ी सावधानी से यह जांच पड़ताल की थी कि क्या इन श्रमिकों को चिकित्सा सहायता नहीं मिली थी क्योंकि उन्हें "अपात्र" माना गया था क्योंकि उनकी देय राशि जमा नहीं कराई गई थी। पूरी जांच के पश्चात मुझे पता चला है कि एक मामले में ई. एस. आई. सी. ने मृत्यु-प्रमाण पत्र जारी किया था और ऐसा सिद्ध करने लिये कोई कारण नहीं है कि उन्हें वे चिकित्सा सुविधायें नहीं मिलीं जिन्हें वे ई० एस० आई० सी० के अंशदाता होने के नाते पाने के पात्र थे। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि श्रमिकों के वेतन से काटी जाने वाली राशि ई० एस० आई० सी० में जमा नहीं कराई गई थी इसलिए वे इस सुविधा के लिये "अपात्र" माने गए अथवा इस कारण उन्हें उक्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हुई।

उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार एसोसियेटेड जर्नलस को अधिगृहीत करना चाहती है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रबन्ध के स्वरूप तथा अखबारों के स्तम्भों में व्यक्त

किये जाने वाले विचारों से सरकार का रवैया किसी प्रकार भी नहीं बदलता जहां तक इस प्रश्न का प्रबंध है...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि सभी के पूछे गये प्रश्नों के उत्तर जानने में हाथ रखती है।

अध्यक्ष महोदय : वे लोग उत्तर सुनने में रुचि नहीं रखते हैं। वे तो केवल शोर मचाना चाहते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : पहले एक अवसर पर, दिल्ली में कर्मचारियों के संगठनों ने एक सुझाव दिया था कि इस उपक्रम का प्रबंध कर्मचारियों की सहकारिता के हाथ में दिया जाना चाहिये। उस समय प्रबंधक तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। परन्तु कर्मचारियों की सहकारिता को प्रबंध सौंपने के बारे में लिखित रूप से कोई समझौता नहीं हो सका था। इसी तरह लखनऊ में अब एक प्रस्ताव किया गया है, कि कर्मचारियों के संगठनों द्वारा एक मांग गई है कि सरकार कागज को अपने अधिकार में ले ले और इसे कर्मचारियों की सहकारिता को दे दें। लखनऊ में कर्मचारियों की एक सहकारिता पंजीकृत हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने बताया कि यदि हालत समय के भीतर तालाबन्दी नहीं उठाई गई तो सरकार इसे कर्मचारियों की सहकारिता को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। हमें तो बस इतना ही मालूम है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का कथन है जिसका संदर्भ मैं दे रहा हूं। इससे आपके उत्तर प्रदेश के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर पूछना चाहता हूं, मुझे नेशनल हैरल्ड आप की चिंता नहीं है। मुझे तो एक अन्य बात कहनी हैं। मैं तो एक सदस्य के अधिकार की रक्षा की बात कर रहा हूं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बसु साहिब, मैंने आपको अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी थी मैंने दूसरों को भी अनुमति दी थी।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं तो एक सदस्य के अधिकार की रक्षा चाहता हूं यह प्रश्न है एक सदस्य का अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के अधिकार का। उनके उत्तर के दौरान प्रबंध के बारे में कतिपय बातें कही गई थीं। चलो ठीक है। परन्तु जब उन्होंने यह कहा कि श्री मल्लिकार्जुन निदेशक बोर्ड के एक सदस्य हैं, तो फ़िर उक्त आरोप श्री मल्लिकार्जुन के विरुद्ध भी लगते हैं। इसलिए श्री मल्लिकार्जुन को स्पष्टीकरण देने तथा आरोपों का उत्तर देने का अधिकार है। इसके दो पहलू हैं। जब चर्चा के दौरान कोई सदस्य उठकर अपनी स्थिति स्पष्ट करता है—एक वक्तव्य दिया गया था वह निदेशक बोर्ड के एक सदस्य हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल साहिब, कृपया बैठ जाइये। मैं व्यवस्था का प्रश्न सुन रहा हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रक्रिया यह है कि यदि वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो वह आपको उक्त वक्तव्य के साथ लिखित रूप में आपको कहें और यह बात तभी लागू होती

है जबकि ऐसे स्पष्टीकरण के लिए सभा में वक्तव्य के तुरन्त बाद मांग नहीं की गई हो। दो तरह के अवसर आते हैं। यदि वक्तव्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यदि तुरन्त ही उसे चुनौती नहीं दी जाती है, जैसे कि डा० कर्ण सिंह ने उस दिन किया था, तो सदस्य उक्त वक्तव्य पेश करके व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का अधिकार मांग सकता है। परन्तु जब मामला सभा के विचाराधीन हो और सदस्य खड़ा हो जाता है और कहता है कि वह एक व्यक्तिगत स्पस्टीकरण देना चाहता है तो यह तयशुदा प्रक्रिया है कि सदस्य को तुरन्त ही अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जाती है किसी अन्य प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया जाता है। अत्यन्त गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अपराधिक मुकदमा चलाना पड़ेगा। मन्त्री महोदय ने सीमा से बाहर जाकर यह कहा है कि श्री मल्लिकार्जुन निदेशक बोर्ड के सदस्य है। श्री मल्लिकार्जुन को अपना अर्थात निदेशक बोर्ड के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण देने का अधिकार है जो कि कंपनी को नियंत्रित करता है जिसका अर्थ है कि श्री मल्लिकार्जुन के विरुद्ध भी आरोप लगाये गए हैं इसलिए, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें सभा में लगाए गए आरोपों के बारे में अपना स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मैं यहां एक और निवेदन करना चाहूंगा। आप जानते है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का प्रयोजन सीमित होता है मंत्री को एक संक्षिप्त वक्तव्य देना होता है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। परन्तु यहां तो यह प्रस्ताव एक तरह की चर्चा का रूप लेता जा रहा है। हम यहां पर बिल्कुल चुप बैठे हैं, बस एक तरफा बात की जा रही है।...............

अध्यक्ष महोदय : नहीं। नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह अत्यन्त खतरनाक बात है, यह बिल्कुल गलत है। हम चुप बैठे हैं और यदि इसका लाभ उठाया जाता है तो यह बिल्कुल गलत बात है।

मैं सदस्य के सभा में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के अधिकार की हिमायत कर रहा हूं क्योंकि मन्त्री ने चर्चा के दौरान उस सदस्य के विरूद्ध आरोप लगाये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।......

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुति नहीं दे रहा हूं पहले तो मैं उनसे व्यवस्था के प्रश्न को निपटाऊगां, मैं केवल मंत्री का भाषण सुन रहा हूं...... ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या मैं एक शब्द कहूं (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : अपना निर्णय देने से पहले मैं केवल मंत्री महोदय को सुन रहा हूं...

एक माननीय सदस्य : तब तो आप दूसरों को भी सुनें।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका प्रयोजन मंत्री का विचार जानना नहीं हैं। यदि उनकी बात सुननी हैं तो अन्य लोगों की बात भी सुनी जाये। या

तो आप मेरे द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दें या फिर अगर आप मंत्री महोदय को सुन रहें हैं तो आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूगां। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

मैं विपक्ष के नेता द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को सुना है। मैं विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त विचार से समहत नहीं हूं। यदि इस मामले में कोई आरोप दे तो वह कम्पनी के विरूद्ध है किसी एक निदेशन के विरुद्ध नहीं। इसलिये व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं पैदा होता। श्री रामधन।

श्री रामधन (लाल गंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय ......

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड मत कीजिये (**व्यवधान**)** आप बाधा उत्पन्न करने के इच्छुक मालूम पड़ते हैं।

श्री सी० एम स्टीफन : उन्होंने सदस्य का नाम क्यों लिया।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग मामला है। उन्होंने सभी निदेशकों का नाम लिया है। उन्होंने किसी के भी विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। श्री रामधन।

रिकार्ड़ मत कीजिये (**व्यवधान**)**

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री रामधन को बुलाया है कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

श्री रामधन (लाल गंज) : मै विरोधी दल के नेता से अपील करूगां कि वे अपने मेम्बर को चुप करें।

अध्यक्ष महोदय : रामधन जी आप अपना प्रश्न पूछिये। यह निदेशक के विरुद्ध नहीं है। इस बारे में कानून बिल्कुल स्पष्ट है। यह रिकार्ड पर नही ला रहा हूं (**व्यवधान**) ** एक भी शब्द रिकार्ड में नहीं आ रहा है वह आपके विरुद्ध आरोप नहीं था। प्रबंध के विरुद्ध आरोप का अर्थ निदेशक के विरुद्ध आरोप नहीं होता। श्री रामधन।

कृपया प्रश्न पूछिये (**व्यवधान**)**

श्री रामधन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत गंभीर है। इससे... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : स्टीफन साहिब, मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप मेरी सहायता करें। मुझे कठिनाई में मत डालिये। मैने निर्णय किया है कि उन्हें अधिकार नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का एक सदस्य को अधिकार होता है।

** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड मत किजिये

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई आरोप नहीं लगाया गया है। श्री रामधन कृपया जारी रहें।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपने अनुमति क्यों नहीं दी है। सदस्य को स्पष्टीकरण देने का हक है। उन्हें अपनी बात कहने दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आदेश नही दे सकता। **(व्यवधान)****

कुछ भी रिकार्ड पर नही जायेगा। कुछ रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। **(व्यवधान)****

श्री के० गोपाल (करूर) : मै एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : गोपाल जी यदि आप को अनुमति दूगां तो दूसरों को भी देनी पड़ेगी। कृपया व्यवस्था रखिये ।

कुछ रिकार्ड मत कीजिये

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बार बार कह चुका हूं कि यदि श्री मल्लिकार्जुन के विरुद्ध कोई आरोप होगा तो उन्हे स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु मैं सभी आरोपों को कार्यवाही से निकाल रहा हूं। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड मत कीजिये ।

श्री के० गोपाल : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर के दौरान मन्त्री महोदय ने कुछ कहा और कुछ बातें रिकार्ड पर गई हैं। यदि मन्त्री महोदय के किसी वक्तव्य से संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ती है तो कृपया उन्हें ऐसा करने दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चय ही अनुमति दूंगा मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री राम धन । **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड मत कीजिये। श्री रामधन।

श्री रामधन : मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूं.........

अध्यक्ष महोदय : आप विपक्ष के नेता से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। और आपकी मुसीबत मत पैदा कीजिए।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री रामधन : मैं विपक्ष के नेता से केवल यही अपील कर रहा हूं कि वह सहयोग दें। कृपया अनुवाद को सुनें, आपने अनुवाद नहीं सुना है इसलिए यह भ्रम है।

श्री रामधन : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हैरल्ड एक ऐसा अखबार है जिससे राष्ट्र की भावनायें सम्बद्ध हैं। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल हैरल्ड की स्थापना की थी और उसके बाद बहुत से ऐसे सम्पादकों ने इसमें काम किया जो केवल 10 रु० प्रति माह लेते थे, एक मिशनरी लाइफ थी वहां के पत्रकारों की और उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी दे दी इस पत्र को बचाने के लिये। लेकिन अब खेद की बात है कि इस पत्र को आज एक परिवार की सम्पत्ति बना करके उसे नष्ट किया जा रहा है......

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कायदे से किया है वह भी।

श्री रामधन : मेरे लिये आप रनिंग कमेंटरी न करें, क्योंकि मैं आपके लिये कभी नहीं करता हूं।

यह जो अखबार है मैसर्स ऐसोशियेटेड जर्नल्स लिमिटेड है उसमें कहा गया है कि जननिधि ट्रस्ट जो लखनऊ में रजिस्टर्ड है वह उसमें पैसा जमा करे। कौन ट्रस्टी है, क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नही दी जाती है। यह भी सही है कि बहुत दिनों से इस अखबार को व्यक्तिगत सम्पत्ति बना कर अपने प्रचार के लिये इस्तेमाल किया जाता रहा। बहुत से सम्मानित सम्पादक इसमें हुए हैं जिनमें से श्री चेलापति राव का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस समाचार पत्र के लिये अपनी जिंदगी दे दी। उन्हें मजबूर हो कर इस पत्र से अपना सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ा। और इसके बाद भी यह बारबार झगड़ा उठता रहा, 1977 में यह प्रश्न संसद के सामने उपस्थित हुआ, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स चेंज हुए। किस तरह से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बनाये, उसके बारे में कुछ इस सदन में कहा गया। यह बात भी मुझे सदन की जानकारी के लिये रखनी है, माननीय श्री रवीन्द्र वर्मा ने इसी लोक सभा में श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रश्न के उत्तर में बताया कि किस तरह से कर्मचारी भविष्य निधि में अशंदान जिनमें कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं का अंशदान भी शामिल है परिवार पेन्शन अंशदान, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन प्रशासनिक अधिकार जमा राशि में सम्बद्ध बीमा योजना अंशदान, क्या इस योजना के अधीन प्रशासनिक अधिकार इस तरह से बहुत काफी रुपये का गोलमाल किया गया।

यह भी सही है कि समाचार-पत्र को जो कागज का कोटा दिया जाता था, इन समूहों को, उसको ब्लैक मार्कीट में बेचा गया और यह भी है कि 80 लाख रुपये का न्यूजप्रिंट कंट्रोल रेट पर खरीदा गया था और सरकार को फिगर दी गई कि अखबार का सर्कुलेशन बहुत अधिक है और उसको ब्लैक मार्कीट में हर महीने बेचा गया।

20 लाख रुपये की वेस्टेज, रद्दी और मैटल की जो रद्दी होती है, इन सब को बेचा गया और उसका कोई भी एकाउन्ट नही दिखाया गया।

श्री यशपाल कपूर मैनेजिंग डायरेक्टर 1978 में हुए थे, लेकिन उनके एप्वाइन्टमेंट की पुष्टि बाद में की गई थी और 10 लाख रुपये का जो ब्लैक मनी आया, उसका भी कोई हिसाब नहीं दिया गया। यह सारे काफी हैं।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि राज्य-सभा में श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने कम्पनी-ला अफेयर्स मिनिस्टर श्री शांतिभूषण से इस सम्बन्ध में सवाल किये थे, वहां शार्ट नोटिस क्वेश्चन हुआ था, उस वक्त भी सरकार ने कोई स्थिति साफ नहीं की थी, कहा था कि इस सम्बन्ध में हम कार्यवाही करने जा रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि कुछ बकाया राज्य सरकारों पर नेशनल हैरल्ड का है, जिसके सम्बन्ध में श्री मल्लिकार्जुन कहते हैं ? वह बकाया मिलना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब इस तरह के समाचार-पत्रों में गड़बड़ियां हुई, गोलमाल और घोटाले हुए तो ऐसे अखबारों को सरकार ने स्वयं ले लिया और जब स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री रही, बंगाल का "बसुमति" डेली एक ऐसा अखबार था जिसे सरकार ने खुद ले लिया इसी तरह के ग्राउन्डज पर और बैनेट एण्ड कोलमन की भी गड़बड़ी हुई थी, उसे भी उसी सरकार ने लिया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो वर्तमान सरकार है, क्यों इस तरह की अभी तक देर कर रही है ?

यह हिचकिचाहट क्यों है ? जब भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने स्वयं इस तरह का कार्य किया था तो फिर यह सरकार किस तरह के मोह-जाल में फंसी हुई है, जिसकी वजह से इन सब अखबार-सूमहों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इस कम्पनी पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

ये अखबार वे हैं, जिन पर ब्रिटिश सरकार जब जब जुर्माना करती थी और जिनकी जमानत जब्त करने की कोशिश करती थी, तो जनता एक एक पैसा इकट्ठा कर के उनकी रक्षा करती थी। लेकिन आज इन अखबारों के लाखों लाख रुपयों का गोल-माल किया गया है, जिसकी वजह से मजदूरों को भूखों मरना पड़ रहा है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि दवा की कमी की वजह से उनकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन क्या यह भी सही नहीं है कि इस देश में कितने ही बेकार लोगों की आत्म-हत्या करने से मृत्यु हो जाती है ? बेकारी की वजह से लोगों को भूखों मरना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इस बात का समर्थन करे, क्योंकि इन अखबारों के साथ नेशनल सैन्टीमेंट्स जुड़े हुए हैं अगर सरकार इन सब अखबारों को अपने हाथ में ले लेती,है तो मैं समझता हूं कि इससे सारी समस्यायें हल हो जायेंगी।

मैं मन्त्री महोदय से साफ शब्दों में यह पूछना चाहता हूं कि क्या दैनिक बसुमती की तरह से सरकार इन अखबारों को अपने हाथ में लेना चाहती है, और अगर वह इन्हे अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है, तो क्या वह इन्हें मजदूरों की को-आपरेटिव यूनियन को देना चाहती है ? इन अखबारों को फिर से निकालने के लिए जो कुछ भी धन की आवश्यकता पड़ेगी, क्या सरकार वह धन देने के लिए तैयार है ? जो मुकदमे दायर किये गए है, यदि उनमें काफी देर हो, तो क्या ये मुकद्दमे स्पेशल कोर्ट्स में नहीं भेजे जा सकते हैं ? इन सब मामलों पर सरकार तुरन्त जवाब दे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे विचार से मुझे उन अनेक अनियमितताओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। कुछ एक का संदर्भ इस उत्तर मैं दिया गया है। जो मेरे सहयोगी विधि तथा कम्पनी कार्य मंत्री ने राज्य सभा में दिया था और शायद यहां भी दिया था। उन्होने मुख्य प्रश्न इस समाचार को अपने अधिकार में लेने के बारे में सरकार के रवैये के बारे में था। इसके उत्तर में मुझे मूलतः कहना चाहिये कि कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन सरकार को निदेशक बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्तियां प्राप्त हैं। परन्तु ऐसा तब किया जाता है। जब कि यह सिद्ध हो जाता है कि सार्वजनिक हित तथा उपक्रम के हितों के लिये सरकार के ऐसा करना जरूरी हैं। अतः यह सपष्ट है कि सरकार को जांच करानी चाहिये थी और इस बारे में स्वंय को संतुष्ट करना चाहिये था कि निदेशकों की नियुक्ति करना और ऐसी कार्यवाही करना, जरूरी है जिसके लिये माननीय सदस्य ने कहा है, ताकि यह उपक्रम सक्षम बन सके। इस मामले में, जैसा कि मैंने पहले कहा है। धारा 209क के अन्तर्गत, उन आरोपों तथा अनियमितताओं की जांच के लिये एक निरीक्षण किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद कार्यवाही की गई है। और धारा 237 के अधीन जांच करने के लिये आदेश जारी करके अग्रेतर कार्यवाही की गई है। यह जांच धारा 209क के अधीन किये गये निरीक्षण से कही अधिक व्यापक जांच होगी। और यदि जांच के बाद अथवा जांच के दौरान यह पता चलता है कि सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के बिना स्थिति को संभाला नहीं जा सकता तो सरकार निश्चय ही ऐसा करने पर विचार करेगी और मामले की गुणवता के आधार पर ही किया जायेगा किसी के प्रति वैमनस्य के भाव से नहीं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : माननीय श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में दिल्ली तथा लखनऊ दोनों ही स्थानों पर कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के बीच समझोतें की प्रक्रिया के बारे में एक टरकाउ उत्तर दिया है। माननीय श्रम मंत्री यह समझते हैं कि औधोगिक विवाद अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया में तो समय लगता है परन्तु त्रिपक्षी सम्मेलनों में जोकि प्रायः समझोता अधिकारी द्वारा बुलाये जाते हैं, प्रबन्ध के प्रतिनिधियों की उपस्थिति को अनिवार्य करने का कानून में प्रावधान नही हैं। इसलिये क्या में मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वह मुझ से इस बात पर सहमत हैं कि नहीं कि विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री ने राज्य सभा में गत 12 मार्च को अपने उत्तर के दौरान......

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः हम राज्य सभा की कार्यवाही का संदर्भ नहीं देते हैं। यह एक परम्परा है।

श्री चित्त बसु : अनियमितताओं की एक सूची मेरे पास है। मैं उद्धत नहीं करना चाहता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विरुद्ध शिकायत आई है। उद्योग मंत्रालय के विरुद्ध भी शिकायत है क्योंकि औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम का उलंघन हुआ है। आप जानते है कि आज के प्रातः के समाचार पत्रों में समाचार है जिसमें कहा गया है कि उद्योग मंत्री श्री जार्ज फरनाडीज़ ने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उक्त कंपनी की भरपूर जांच करने की जरूरत है। यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसे नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के बीच

सबंधों को नियमित करके निपटाया जा सके अर्थात यह मसला औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मजूरी अदायगी अधिनियम अथवा भविष्य निधि अधिनियम जैसे श्रमिक सबंधी कानूनों द्वारा निपटाया जा सके, वरन् इसका सबंध सरकार के चार विभागों यथा कम्पनी कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय से है क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वह समझौते की स्वाभाविक प्रकिया से सहमत हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन क्या वह नेशनल हैरल्ड की निरन्तर बनी रहने वाली समस्याओं को हल नहीं कर सकते। इस दृष्टि से क्या सरकार का विचार हम कंपनी के विरुद्ध एक समुचित तथा पूरी तरह सोची समझी गई कार्यवाही करने का है ताकि कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया जा सके जिससे की उक्त पत्र बचा रह सके और कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके। सरकार अधिग्रहण करने के प्रयोजन से इस प्रकार की व्यापक कार्यवाही करने का विचार कर रही है। उन्होंने कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के प्रावधानों का सहारा लिया हैं। जिसके द्वारा कम्पनी के प्रबन्ध में केवल एक निदेशक ही नियुक्त किया जा सकता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्योंकि यह एक व्यापक मामला हैं, प्रबंध हम कंपनी को देश के कानून के अनुसार नहीं चलाना चाहते हैं वे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि वह इस कंपनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले ले ? उसे केवल कंपनी अधिनियम अथवा औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों पर आश्रित नहीं रहना चाहिये।

श्री रविन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं :

1. एक उपक्रम में कथित कुप्रबंध के बारे में है। क्या सरकार उक्त उपक्रम को अधिगृहीत करने के लिए एक ऐसी योजना बनाना चाहती है। इस भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : शायद इस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी।

श्री चित्त बसु : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री रविन्द्र वर्मा : मैंने कहा था कि अधिग्रहण करने का यह प्रश्न धारा 408 के अधीन सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करने से संबन्धित हैं। किस उपक्रम अथवा उपक्रम के प्रबन्ध को अधिग्रहीत करने के कई तरीके हैं। मैंने धारा 209क, 237 तथा 408 का उल्लेख किया हैं।

अध्यक्ष महोदय : अधिग्रहण करना निदेशकों की नियुक्ति करने से भिन्न हैं। शायद अधिग्रहण के लिये एक विशेष कानून की जरूरत होगी। मुझे नहीं मालूम कि आप वर्तमान कानूनों के अधीन आप अधिग्रहण कर सकते हैं।

श्री रविन्द्र वर्मा : मुख्य प्रश्न, जो मैं समझा हूं, वह यह है कि कुप्रबन्ध से उत्पन्न स्थिति से कैसे निपटा जाये। ऐसी स्थिति से निपटने के कई तरीके हैं। एक अन्तिम उपाय, जैसा कि

माननीय सदस्य ने कहा है। पूरी तरह अधिगृहीत कर लेने का है। बहुत से ऐसे अन्य उपाय भी है जो कुप्रबन्ध की स्थिति से निपटने के लिये सरकार वर्तमान कानूनों के अधीन कर सकती है। मैं उनका जिक्र कर रहा था। जैसा आप ने कहा यदि यह मामला अधिग्रहण करने तथा प्रबन्ध को ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपने का है जो विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो अथवा किसी कर्मचारी सहकारिता आदि को सौंपने का है तो यह एक अलग बात है। इस समय तो, मैंने अपने पहले उत्तर में उत्तर प्रदेश के सम्बंध में मैंने वहां के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य का हवाला दिया था। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, हम इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं।

समझौते तथा उसमें लगने वाले समय के बारे में प्रश्न के पहले भाग का जहां तक संबंध है, मेरे विचार से यह ऐसा कोई संबंधित मामला नहीं है जिस के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करूं कि समझौता करने की कार्यवाहियों में समय लग जाता है। इस मामले में समझौता संबंधी कार्यवाही दो बातों से जुड़ी हुई है।

एक तो है मजदूरी का शीघ्र भुगतान, सुनिश्चित करना और दूसरे, तालाबन्दी समाप्त करना। यह सुनिश्चित करने का मूल प्रश्न कि वहां कोई कुप्रबन्ध न हो उनके प्रश्न का दूसरा भाग है। जिसका में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

श्री चित्त बसु : उन्होने पूरा उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा कि इसमें चार विभाग शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसका उल्लेख वह पहले कर चुके हैं।

श्री चित्त बसु : मैंने इस कंपनी का प्रबन्ध मौजूदा कानून अर्थात् (उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत अपने नियंत्रण में लेने के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति 37वाँ प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों संबधी समिति (पांचवीं लोक सभा) के 80वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 37वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(डा० सुशीला नय्यर पीठासीन हुई)

कार्य मंत्रणा समिति 32वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 32 वें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ये अनियत दिन वाले प्रस्ताव औपचारिकता मात्र के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। और मेरे विचार में, दसवीं सूची आ गई है। क्रम संख्या मुझे मालूम नहीं। मैं महसूस करता हूं कि इस पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बेकार का श्रम है जो सदस्यों से कराया जाता है। हम यहां 19 फरवरी से बैठे हुए हैं और इन दो महीनों में, एक भी सूची पर चर्चा नहीं की गई है। जब कागज की इतनी कमी है तो कागज, लेखन तथा मुद्रण सामग्री को इस तरह बरबाद क्यों किया जाए? वह दिन कभी नहीं आता है। मैं इसे प्रस्तावों की कब्रगाह कहता हूं।

जमशेदपुर घटना के बारे में, जिस पर सदन में आज काफी हंगामा हुआ, अध्यक्ष महोदय ने अपनी समझ से कहा कि चर्चा केवल दो घंटे होगी। जमशेदपुर में जो हुआ है, हाल के वर्षों में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता, यह अल्पसंख्यकों की सामूहिक हत्या और प्रशासनिक मंत्रालयों की पूरी विफलता है। अतः, चर्चा कम से कम छः घंटे चलनी चाहिए। हम इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। जो व्यक्ति मंत्री बन जाते हैं उनका लोगों से सम्पर्क टूट जाता है। इसलिए, वे लोगों की दुख-तकलीफ महसूस नहीं करते। लेकिन हमसे बराबर जवाबतलबी की जा रही है और निन्दा की जा रही है कि चार दिन बीत चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री से कृपया कहें कि जमशेदपुर पर बहस के लिए छः घंटे का समय नियत किया जाए।

श्री रविन्द्र वर्मा : यह निर्णय करना कार्य मंत्रणा समिति का काम है। यह सवाल वहां उठाया जा सकता है। मुझे इसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं देना है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदया, मुझे एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाना है जिसने यहां उपस्थित सदस्यों को उत्तेजित किया हुआ है। कार्य मंत्रणा समिति ने सदन की बैठक शाम 7.00 बजे तक जारी रखने की सिफारिश की है ताकि विभिन्न अनुदानों की मागों पर चर्चा के लिए अधिक समय मिल सके। मेरा सुझाव है कि जमशेदपुर में मुस्लिम-विरोधी साम्प्रदायिक हमले, जिसमें बमों और आग्नेयान्त्रों का भी प्रयोग किया गया, के बारे में चर्चा करने के लिए सदन सायं 7.00 बजे के बाद भी देर तक बैठ सकता है।

सभापति महोदया, हमें यह महसूस करना चाहिए कि मुसलमानों की हत्या पूर्व-नियोजित ढंग से और संगठित होकर की गई। वहां का प्रशासन और वहां की पुलिस पूरी तरह असफल रही। इस तथ्य से कि बमों और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया और इस सच्चाई से कि वहां गत एक सप्ताह से तनाव चल रहा था, आसूचना विभाग के उदासीन रुख का पता चलता हैं हमें इन सब पहलुओं पर विचार करना होगा। वहां हुई तबाही में प्रशासन और पुलिस की सांठ गांठ के बारे में भी हमें विचार करना होगा। अत: यह आवशयक है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिय सदन सायं 7-०० बजे के बाद तक बैठे।

सभापति महोदया, जमशेदपुर में जो स्थिति है उसे देखते हुए, बिहार सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिए। जब स्थिति ऐसी है तो वहां जो चर्चा होगी वह न केवल पूर्ण होनी चाहिए बल्कि महत्वपूर्ण भी होनी चाहिए। छ: घंटे की बहस के लिए सुझाव दिया गया है। जमशेदपुर में जो कुछ हुआ है वह लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर धब्बा है। और जो सरकार कुछ कर पाने में असफल रही है उसे बरखास्त किए जाने की आवश्यकता है जब इस तरह की स्थिति पर विचार किया जा रहा है, तो मेरा सुझाव है कि 12 घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए।

केन्द्रीय सरकार की भी बहुत भारी जिम्मेवारी है।

सभापति महोदया : कृपया मामले के गुण-दोषों पर न जाएं।

श्री जी० एम० बनातवाला : जिस सेना को बुलाया गया था यह तकनीकी कठनाइयों के कारण सिर्फ दो घंटे बाद ही वापस चली गई..............

सभापति महोदया : मैं आपको मामले के गुण दोषों में जाने की अनुमति नहीं दे सकती। आपका सुझाव मैंने नोट कर लिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : मुझे सदन के सामने अपना तर्क पेश करना है।

सभापति महोदया : आप कह चुके हैं कि चर्चा का समय बढ़ाया जाए, बस ठीक है।

श्री जी० एम० बनातवाला : वहाँ मैंने कहा है कि 12 घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभापति महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। नियम 289, जो कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के बारे में है, इस प्रकार है :—

"समिति की सिफारिशें सदन को एक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी।"

उसके बाद नियम 290 में यह व्यवस्था है :—

"प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद किसी भी समय इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कि सदन प्रतिवेदन से सहमत है, या संशोधनों के साथ सहमत हैं, या असहमत हैं।

मेरे माननीय मित्र, श्री बनातवाला ने इन में से कोई भी बात नहीं की है।

"बशर्ते कि यह संशोधन पेश किया जाए कि प्रतिवेदन वापस समिति को भेज दिया जाए।"

............वह नहीं किया गया है............

"या तो बिना किसी सीमा के अथवा, किसी विषय विशेष के संदर्भ सहित।"

इसमें से कुछ भी नहीं किया गया है मेरे माननीय मित्र का उत्तेजित होना उचित ही है। मुझे उनकी भावनाओं से इतफाक नहीं है। लेकिन यह सब कहने का यह समय नहीं है। जब प्रस्ताव चर्चा के लिए सदन में पेश हो तब वह जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं लेकिन अभी नहीं जबकि कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष है यह नियम 289 तथा 290 द्वारा हम पर लगाई गई सीमाओं को बिल्कुल बाहर है। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदया : श्री बनातवाला द्वारा दिया गया वक्तव्य व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता मैं श्री कामत के व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करती हूं। मैं श्री बनातवाला को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकती। वह सुझाव दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय हमको पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि इस मामले पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : जब यह प्रस्ताव हमारे समक्ष है तो मैं अपना असंतोष व्यक्त करूंगा ही.........

सभापति महोदया : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रही हूं। चर्चा के लिए समय बढ़ाने के प्रश्न पर उसी समय विचार किया जाएगा। अब प्रश्न यह है।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 32 वें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र के गौहाटी हवाई अड्डे तथा अन्य हवाई अड्डों पर अवतरण सुविधायें

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं।

इण्डियन एयर लाइंस सेवाएं ही कलकत्ता और उत्तर-पूर्व के अन्य भागों के बीच शीघ्र परिवहन का एकमात्र साधन है। मांग यह की जा रही है कि उन सभी विभाग यात्रियों को ले जाने के लिए, जो विमान यात्रा के लिए स्थान मांगते हैं, सीधे दिल्ली से, या कलकत्ता के रास्ते एक एयर बस की उड़ान शुरू की जाए। गौहाटी हवाई अड्डे के अवतरण क्षेत्र (लैंडिंग एरिया) का इतना भी विस्तार नहीं किया गया है कि कलकत्ता और उत्तर-पूर्व में अन्य स्टेशनों के बीच कई उड़ानों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे छोटे विमान उतर सकें तथा वहां से उड़ान भर सकें। उदाहरण के रूप में यह उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल 1979 को, जब प्रधान मन्त्री के विमान को गौहाटी हवाई अड्डे के बोर्डिंग एरिया पर रखा गया तो कलकत्ता से 09-00 बजे के पहले की सभी उड़ानों में बिलम्ब हो गया क्योंकि गौहाटी हवाई अड्डे ने अधिसूचित किया कि अवतरण क्षेत्र प्रधान मन्त्री के विमान से घिरा हुआ है। उड़ान में देरी के कारण, यात्रियों को अपने कारोबार में, तथा जिस सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य से वे इतनी ऊंची कीमत पर विमान द्वारा यात्रा करते हैं, उसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और जब हवाई अड्डे पर अवतरण क्षेत्र में सुविधाओं की कमी हो, तब तो यह और भी आपत्ति-जनक हो जाती है। उत्तर-पूर्व में विमानक्षेत्रों पर भारतीय वायु सेना द्वारा कब्जा किये जाने के कारण यात्रियों की कठिनाईयां और बढ़ाई जा रही हैं। तेजपुर, जोरहाट, छबुआ (डिब्रुगढ़) आदि वायु सेना के नियन्त्रण में हैं जिसके परिणामस्वरूप असैनिक यात्रियों के लिये बड़ी असुविधा हो रही है। लोगों की सुविधा के लिये पहले तो गौहाटी तथा अन्य हवाई अड्डों के अवतरण क्षेत्र (लैंडिंग क्षेत्र) का विस्तार किया जाना चाहिए और विमान-क्षेत्रों में प्रामाणिक यात्रियों के प्रवेश आदि पर से वायु सेना का नियन्त्रण हटाया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो, वहां उचित विश्राम-कक्ष खोले जाने चाहिये।

(दो) हैदराबाद हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने की आवश्यकता

श्री पी० राजगोपाल नायडू (त्रिचूर) : सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

हैदराबाद हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने की आवश्यकता

आंध्र प्रदेश से हर रोज ही वहुत से व्यक्ति मध्य-पूर्व के देशों तथा अन्य देशों को जा रहे हैं और वे हैदराबाद होकर जाते हैं। प्रतिदिन कम से कम 30 व्यक्ति जाते हैं।

हालांकि हैदराबाद हवाई अड्डे को कस्टम क्लीयरेंस हवाई अड्डा घोषित किया जा चुका है, फिर भी आंध्र प्रदेश के विनिर्माताओं को आयात सम्बन्धी जरूरतों के लिये अभी भी मद्रास तथा बम्बई पत्तनों पर निर्भर करना पड़ता है जिससे उन्हें बड़ी असुविधा होती है। यहां तक कि विमान से भेजे जाने वाली बारह वर्गों में आने वाली निर्यात वस्तुओं को या तो बम्बई हवाई अड्डे अथवा मद्रास हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों द्वारा भेजा जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में स्थान उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

यदि हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया जाये तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर न केवल भीड़-भाड़ कम हो सकेगी बल्कि पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ जायेगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में पर्यटकों को आकृष्ट करने वाले बहुत से ऐतिहासिक स्थान हैं और उच्च दर्जे के होटल हैं। इससे आंध्र प्रदेश का निर्यात तथा आयात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसीलिये, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य विभाग ने वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से निवेदन किया है कि हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया जाए।

अतः मैं सरकार से हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) फिल्म रीलों की कमी के कारण फोटोग्राफरों और फोटोग्राफी-सामग्री विक्रेताओं द्वारा दिल्ली में भूख-हड़ताल का समाचार

डा० बसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व का यह मामला उठाना चाहता हूं :—

दिल्ली में फोटोग्राफर और फोटोग्राफी के सामान के व्यापारी अनिश्चितकाल की भूख हड़ताल कर रहे हैं। यह भूख हड़ताल ब्लैक एण्ड व्हाइट स्टील फोटोग्राफिक रोल फिल्मों की अत्यधिक कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए की गई है। आल इण्डिया फेड्रेशन आफ फोटोग्राफिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने फिल्मों की अत्यधिक कमी और उसके परिणामस्वरूप फोटोग्राफी सामग्री की काला-बाजारी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। व्यवसायिक फोटोग्राफरों को जहां अत्यधिक कठिनाई हो रही है वहीं शौकिया फोटोग्राफरों को सामान के लिये वास्तव में तरसना पड़ रहा है।

ब्लैक एण्ड व्हाइट फिल्म-रीलों की कमी हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स में व्याप्त घोर कुप्रबंध और अकुशलता का सीधा परिणाम है। वे अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं कर सके हैं। हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स ने 1975 में जो सर्वेक्षण किया था वह गलत था और उसमें फिल्म-रीलों की वास्तविक मांग का अनुमान बहुत कम लगाया गया था। फिल्म-रोलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से स्थिति और भी बिगड़ गई है। फोटोग्राफरों ने मांग की है कि फोटोग्राफी के सामान का उत्पादन करने के लिये एक और कारखाना लगाया जाए। व्यावसायिक फोटोग्राफरों को हर माह

करीब 100 फिल्म-रीलों की जरूरत होती है जबकि हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस उन्हें प्रतिमास 25 फिल्म-रीलें भी नहीं दे पाता है। सरकार को हिन्दुस्तान फोटो-फिल्मस का पुनर्गठन करके इस समस्या को तुरन्त हल करना चाहिये और अस्थायी तौर पर फिल्म-रीलों का आयात करके इस विकट कमी को समाप्त करना चाहिए।

(चार) आगरा में बैंकों द्वारा छोटे करेन्सी नोट स्वीकार करने से इन्कार

श्री शंभु नाथ चतुर्वेदी (आगरा) : महोदया, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन, अविलम्बनीय लोक महत्व का यह मामला उठाना चाहता हूं :—

आगरा में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि वहां राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रोजाना के लेन-देन, अर्थात् बिलों के भुगतान, ड्राफ्ट जारी करने और राशि जमा करने में 50 रुपये से कम मूल्य के नोट लेने से निरन्तर इन्कार किये जाने के कारण व्यापार तथा उद्योग के ठप्प पड़ जाने का खतरा पैदा हो गया है।

यह संकट स्टेट बैंक द्वारा 50 रुपये से कम मूल्य के नोट लेने से इन्कार करने के कारण उत्पन्न हुई है क्योंकि उनका कहना है कि उनकी नकदी-तिजौरी में स्थान की कमी है।

यह मामला रिज़र्व बैंक, वित्तमंत्रालय और अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। अतः मैं सरकार से तुरन्त हस्तक्षेप करने और वर्तमान स्थिति को हल करने का अनुरोध करूंगा ताकि व्यापार तथा उद्योग के कार्य में बाधा न पड़े।

(पांच) संसद सदस्यों के होस्टल वैस्टर्न कोर्ट को गिराने की कथित योजना

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : आपकी अनुमती से, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व को इस मामले पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं :—

समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि वैस्टर्न कोर्ट होस्टल जिसमें संसद सदस्य रहते हैं, को निकट भविष्य में गिरा दिया जायेगा। इस संदर्भ में यह याद दिलाना अनुचित नहीं होगा कि 1964 में, तत्कालीन निर्माण तथा आवास मंत्री श्री मेहर चन्द खन्ना ने भी ऐसा ही प्रस्ताव किया था जिसका वेस्टर्न कोर्ट में उन दिनों रह रहे संसद सदस्यों ने, जिनमें प्रो० एन० जी० रंगा, श्री होमी दाजी और मैं भी शामिल था, डटकर विरोध किया था। मैंने पहले भी लोक सभा में जो कहा था उसी बात को फिर कहता हूं कि यदि होस्टल को गिराया गया तो मुझे और मेरे सहयोगियों को बल-प्रयोग से बाहर निकाल कर ही ऐसा किया जा सकेगा और यदि इस इमारत के गिराने की योजना कार्यान्वित की गई तो इतिहास में मन्त्री महोदय का नाम कला विध्वंसकों में गिना जायेगा।

वेस्टर्न कोर्ट होस्टल नई दिल्ली की बेहतरीन इमारतों में से है और इसकी वास्तुलना की तुलना बहुत से यूरोपीय दर्शकों ने एथेन्स के एक्रोपोलिस से की है। मुझे दुख के साथ कहना

पड़ता है कि कई वर्षों से उसका अनुरक्षण और उसकी मरम्मत ठीक ढंग से नहीं हो रही है। और यदि यह काम उचित ढंग से किया जाए तो यह इमारत संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों के लिए इस सदी के अन्त तक एक अच्छे होस्टल का काम देती रहेगी।

अनुदानों की मांगे, 1979-80 कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

सभापति महोदय : अब हम कृषि और सिंचाई मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों पर आगे चर्चा और मतदान को लेंगे।

श्री अन्नत राय जायसवाल अपना भाषण जारी रख सकते हैं। वह पहले ही 14 मिनट ले चुके हैं। वह दो या तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री हरि विषणु कामत (होशंगाबाद) : कितने घण्टे रहते हैं ?

सभापति महोदय : अब एक घण्टा और तीस मिनट का समय बचता है जिनमें से मन्त्री महोदय लगभग एक घण्टे का समय लेंगे।

श्री अनन्त राम जायसवाल (फैजाबाद) : सभापति महोदय, पिछले दिन मैं बोल रहा था कि सरकार की तरफ से हमेशा यह आंकड़े पेश किये जाते रहे कि अन्न की पैदावार बढ़ रही है। बढ़ी भी है। लेकिन उसके साथ-साथ जो दूसरी बात छोड़ दी गई वह यह कि जहाँ एक तरफ अन्न की पैदावार बढ़ी वहाँ दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ी है और जिसका नतीजा यह है कि प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धि जो है उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ। और उसी के साथ-साथ दाल की खपत घटी है, दूध का कहीं नाम नहीं है। तो इस तरह की कमियों का दुष्परिणाम यह है कि हमारा पोषण नीचे गिर गया है और जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनमें बायलाजिकल डिफौरमिटी शुरू हो गई है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जब कभी अन्न की पैदावार के बारे में बात की जाय तब दो, तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

(1) दो तिहाई हमारी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है, प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धि नहीं है, और कम से कम नीचे के जो 6,7 करोड़ लोग हैं उनको मुश्किल से चार छंटाक अन्न आज भी मिलता है। और जहाँ तक कैलोरीज का सवाल है करीब डेढ़ हजार कैलोरीज का हमारे यहां औसत होगा जब कि सम्पन्न देशों में ढाई से तीन हजार कैलोरीज लोगों को मिलती है। इसकी वजह से वायलाजिकल डिफौरमिटी शुरू हो गई है। जब यह चीजें आएं तो एक तड़प होनी चाहिए सरकार और उसके आदमियों में कि खाने पीने के मामले में कितने पीछे दुनिया में हम हैं।

एक दूसरी चीज मैं और जोर देकर कहना चाहता हूं कि पैदावार एक दफे बढ़ जाती है, फिर घट जाती है और इसी तरह फिर बढ़ और घट जाती है। अभी तक यह सिलसिला रहा है कि हम पिछली उपलब्धि को नहीं बचा पाते। इस पर जब गौर किया जाता है तो अन्त में एक ही चीज समझ में आती है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी तक हमारी पूरी खेती लायक जमीन को पानी नहीं मिल पाता है, मुश्किल से एक-चौथाई जमीन के सिंचाई के साधन हैं। 1 करोड़ 70 लाख का जो छठी योजना में लक्ष्य रखा है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह लक्ष्य बहुत कम है। इतना लक्ष्य तो एक साल के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, अगर इसको हासिल करना है। उसमें भी जो पुराने तरीके हैं उनको छोड़ दिया गया है कभी बड़ी सिंचाई, कभी मध्यम सिंचाई और कभी छोटी सिंचाई कर दिया जाता है। आजकल छोटी सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है। साधारण किसान को मतलब नहीं कि किस तरह से सिंचाई हो रही है, उसके खेत को तो पानी मिलना चाहिए। 30 साल का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक तीन-चौथाई जमीन सिंचाई के लिए बाकी है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

इधर एक और मुसीबत है। एक तरफ आप कहते है कि अनाज की पैदावार रिकार्ड है, दूसरी तरफ अन्न के भण्डार पहले से ही भरे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बढ़े हुए पैदावार को कहां रखा जायेगा? उसके लिए अगर सोच-विचार या इमैजीनेशन होता तो पहले से ही यह समझा जाता कि ज्यादा गोदामों की जरूरत है और इसके लिए नए बजट की शुरुआत के लिए नहीं बैठे रहना चाहिए था, बल्कि उसके निर्माण की कार्यवाही बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिये थी। इसमें भी गफलत हुई है कि समय रहते गोदाम बनाने की कोशिश नहीं की गई। 360 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से मिले हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उसका कितना उपयोग हुआ? उससे काम की शुरुआत हुई कि नहीं? मैं चाहूंगा कि जब मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य के लिए खड़े हों, तो इन चीजों की जानकारी दें। अभी तक जितने गोदाम बने हुए हैं वह शहर-अभिमुख हैं, किसान-अभिमुख नहीं रहे हैं। किसान के काम का जो क्षेत्र है, गोदाम उनके निकट बनने चाहिए। यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा किसान की जगह से गोदाम की जगह में 10 किलोमीटर से ज्यादा का अन्तर नहीं हो। खाली उसको डाइवर्ट करना है। बड़े बड़े गोदामों की जगह छोटे-छोटे गोदाम बनाये जाने चाहिए।

तो गोदाम भी नहीं बनाए गए और साथ ही साथ बोरे नहीं हैं ' यह चीज कितने जोरों से कहें कि घर नहीं, जगह नहीं, बोरे नहीं तो यह अनाज रखा कहा जायेगा? मैं जानना चाहता हूं कि यह किस की साजिश है कि इतने बड़े पैमाने पर अनाज को बर्बाद किया जा रहा है?

कुमारी मणिबेन बल्लभभाई पटेल : हमारे यहां 500 मन गेहूं तो सड़ गया है।

श्री अनन्त राम जायसवाल : इसमें आपके विभाग की तरफ से कमी रही है कि पहले से कोई सोच-विचार नहीं किया गया कि इसके लिए बोरे चाहिये तो कहां से आयेंगे। किसान अब त्राहि-त्राहि करता है कि न जगह है, न बोरे हैं, साथ ही साथ रेलवे में पूरा टोटल कौलैप्स है, वैगन नहीं मिलते, चाहे आलू की पैदावार हो, अन्न की पैदावार हो, कोयला पहुंचाना हो या खाद

पहुंचानी हो, किसी भी चीज के लिए आज बैंगन नहीं मिल रहे हैं। कम-से-कम 25, 30 फीसदी खाद अभी भी बाहर से मंगाना पड़ रहा है। हमारे यहां नामरूप का फर्टिलाइजर का कारखाना इसलिए बन्द हो गया कि उनकी पैदावार को रखने के लिए भी गोदाम की जगह नहीं है और खाद को दूसरी जगह ले जाने के लिए वैगन नहीं है। यह सब क्या हो रहा है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ? कोई कहेगा कि बहुगणा जी जिम्मेदार हैं, कोई किसी किस्म का को-आर्डिनेशन नहीं दिखाई पड़ता। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि स्टील का प्रोडक्शन घट गया, सीमेंट मिलेगा नहीं गोदाम बनाने के लिए, वैगन मिलेंगे नहीं, डाल्डा के दाम बढ़ रहे हैं और मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। मैं आने वाले समय की और मन्त्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं। सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा था कि मंहगाई सिर्फ एक परसेंट बढेगी। लेकिन पिछले एक महीने में मंहगाई तीन परसेन्ट बढ़ चुकी है, प्राइस इन्डेक्स में तीन पाइंट्स की वृद्धि हो गई है। इस तरह एक परसेंट के बजाये तीन परसेंट मंहगाई पहले से बढ़ गई है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकारी कर्मचारी महंगाई भते की मांग करेंगे, जनता में रोष होगा, जरूरत की चीजें उचित मूल्य पर बाजार में नहीं मिलेंगी। इससे असन्तोष पैदा होगा, जिसका सामना अगले चार छः महीनों में सरकार कौ करना पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि सरकार के विरोध में ऐसे लोग हैं, जो राजा लोग है जनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वर्ना अब तक विरोध खड़ा हो गया होता।

मैंने शुरू में एक तस्वीर रख कर कहा था कि खेती में बहुत पूंजी लगाने की जरूरत है। कुछ लोग यह उपाय बताते है कि किसान की उपज के दाम बढ़ा दिये जाएं। यह नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश की राष्ट्रीय आय का एक-तिहाई हिस्सा एक फीसदी बड़े लोगों के हिस्से में चला जाता है, और बाकी दो-तिहाई पूरे देश को मिलता है। खेती में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी आय पांच, साढ़े पांच रुपये के आस-पास है। जब देश की यह हालत है, तो खेती में लगाने के लिए पूंजी का निर्माण असम्भव है। किसान का सहारा लेने से यह नहीं हो सकता है।

सरकार एक उपाय जानती है कि टैक्सों को बढ़ा दिया जाए या डेफिसिट फिनांसिंग कर दिया जाए। 1976 से मनी सर्कुलेशन 60 परसेंट के आसपास और बढ़ा दिया गया। उसके अलावा अधिक निवेश के लिए सरकार के पास धन उपलब्ध नहीं है।

तीसरा उपाय मैं बताता हूं। हमारे किसान नेता चाहेंगे कि खेतिहर की उपज के दाम बढ़ाये जायें। जब उनके दाम बढ़ाये जाते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है। लेकिन इससे कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खेतिहर की उपज के दाम बढ़ाने के बजाये कारखानों की चोजों के दाम घटाए जाएं, उनपर से एक्साइज ड्यूटी और टैक्स हटा कर उनके दाम गिराए जायें और दामों के रिश्ते में एक संतुलन कायम किया जाये। अभी तक कपड़े, चीनी, मिट्टी के तेल और औजारों के दामों तथा खेती की उपज के दामों में इस तरह का कोई रिश्ता नहीं है। अगर एक चीज का दाम बढ़ेगा, तौ दूसरी का दाम भी बढ़ता चला जायेगा। सभी चीजों के दामों में अभी तक कोई सन्तुलन नहीं रहा है। इसलिए खेती के दामों को देखते हुए कारखाने की चीजों के दाम घटाने की कौशिश करनी चाहिए।

जहां तक बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने का सम्बन्ध है, मैंने पिछली दफा भी कहा था और मैं फिर पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि सरकार किफायत होशियारी करें और बड़े लोगों के खर्च पर पाबन्दी लगाये। यह अच्छी बात है कि माननीय वित्त मन्त्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जो सरकारी फिजूलखर्ची की जांच करेगी और उसको रोकेगी। लेकिन इस बारे में जल्दी होनी चाहिए। सरकार फिजूली और फिजूलखर्ची दोंनों को रोके। इससे सरकार को पूंजी-निवेश के लिए पैसा मिलेगा और शायद वह खेती का विकास कर सकेगी। सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास की योजना, ब्लाक स्तर पर सघन विकास की योजना और मरुस्थल, रेगिस्तान, के विकास की योजना आदि जो योजनायें बनाई गई हैं, वे बहुत सुन्दर हैं और उनके तहत काम होना चाहिए, लेकिन उनके लिए पूंजी नहीं है। इन योजनाओं को पीसमील ढंग से लागू किया जा रहा है। जैसे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जिले मिर्जापुर में और पूरे मिर्जापुर में भी नहीं, उसके एक-आध ब्लाक में समन्वित ग्रामीण विकास योजना चालू की गई है। इससे देहात का विकास नहीं हो सकता है। पढ़ने में ये योजनायें अच्छी हैं, उनमें लफ्फाजी अच्छी है, लेकिन उससे विकास नहीं हो पाता है। मन्त्री महोदय देश की असली तस्वीर को उपभोक्ता और किसान दोनों की तस्वीर को सामने रखकर इस बारे में विचार करें। लोगों को उनसे बहुत आशा है, क्योंकि वह खेती की समस्या से अच्छी तरह से अवगत हैं।

हमारे पुराने दोस्त इस वक्त हैं नहीं, उत्तर प्रदेश असैम्बली में वह हमारे साथ-साथ थे और जब बोलते थे तो जिस दर्द और जज़्बात के साथ बोलते थे। सरकार के काम में भी वह जज़्बात रहें तो अच्छा होगा।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापति महोदया, कृषि और सिंचाई हिन्दुस्तान के जीवन और संस्कृति का अंग है। मैं फिलहाल जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारी अनाज की पैदावार बढी है, इसके लिए देश आभारी है, हमारे देश में अनाज का अच्छा स्टाक है इस से देश में बहुत बड़ा संतोष है। सिंचाई के लिए भी सरकार प्रयत्न कर रही है, इस की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। लेकिन हमारी खेती का असल सवाल जो आजादी की लड़ाई से शुरू हुआ था, आज ऐसा मालूम पड़ता है।

कि उस सवाल को जानबूझ कर के समाप्त कर दिया गया है। वह सवाल यह था कि हम लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो उसमें एक यह लक्ष्य था कि हम ग्राम के गरीब को जमीन देंगे और जमीन केवल उनके पास रहेगी जिनका धन्धा खेती होगा। लेकिन आज तक पिछले सारे समय में कांग्रेस सरकार जमीन के सवाल को निरन्तर उठाती तो रही मगर उठाने के बाद हिन्दुस्तान के छोटे किसानों को और भूमिहीनों का कुछ मिला हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे उस समय हम ने एक योजना कमेटी का निर्माण किया था और हमें आशा थी कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तब भूमिसीमा निर्धारित कर कम से कम दस करोड़ एकड़ जमीन ऐसी ले लेंगे जिसको हम छोटे किसानों और भूमिहीनों में बाटेंगे। आजादी की लड़ाई के बाद पहली पंच वर्षीय योजना पर जब हम ने विचार किया उस समय हमने यह अनुमान लगाया था कि देश के अन्दर 5 से ले कर 8 करोड़ एकड़ जमीन

ऐसी होगी जो भूमिहीनों में बांटी जा सकेगी। लेकिन आज हालत यह है, मैं उस सारे प्रकरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन एमर्जेंसी के समय जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एमर्जेंसी लगाई और उस के बाद 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें यह वादा किया था कि हम देश के बड़े बड़े किसानों से 40 लाख एकड़ भूमि लेकर भूमिहीनों में बाटेंगे। मगर श्रीमती इन्दिरा गांधी एमर्जेंसी लगाने के बाद भी न कोई ज्यादा जमीन ले सकीं और न उसको भूमिहीनों में बांट सकीं।

कांग्रेस का जो इतिहास रहा हो, वह रहा हो, मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस जनता पार्टी का मैं भी सदस्य हूं, उस जनता पार्टी की सरकार ने भूमि के सवाल पर या तो बिलकुल चुप्पी साध ली है या बिलकुल उसकी अवहेलना कर दी है। माननीय कृषि मन्त्री जी ने कहा है कि हम ने 6 लाख हैक्टेयर से ज्यादा जमीन बांट दी है लेकिन मैं उन से साफ जानना चाहूंगा कि जनता सरकार बनने के बाद कितनी जमीन राज्यों में अधिग्रहण की गई है? ये जिस जमीन का हिसाब दे रहे हैं यह जमीन वह नहीं है जो जनता सरकार के जमाने में अधिग्रहण की गई है। असल बात यह है कि जानबूझ कर या अनजाने जो दूसरे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जनता पार्टी सामंतों की और पूजींपतियों की पार्टी है, यह सरकार उस आरोप को अपने आचरण से अपने आप सिद्ध करती चली जा रही है और आज मुझे अफसोस है कि खास तौर से जहां जहां जनता सरकार हैं चाहे हरियाणा ले लें, गुजरात ले लें या पंजाब ले लें, वहां लेश मात्र भी काम इस दिशा में नहीं हुआ है, बल्कि जो थोड़ा बहुत काम हुआ था उस को भी समाप्त कर दिया गया है। जिन किसानों को जमीन दी गई थी उस जमीन को छीना जा रहा है। तो माननीय कृषि मन्त्री जी सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाएंगे, खेती की पैदावार बढेगी लेकिन जिस वादे को लेकर हम यहां आए सामाजिक न्याय देने के लिए और गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने के लिए, मैं चाहता हूं कि या तो अपने घोषणा-पत्र से इस शब्द को हटा दें या कम से कम मेहरबानी करके जैसे कांग्रेस ने समाजवाद को बदनाम किया वैसे ही जनता पार्टी भी अपने आचरण से इस शब्द को बदनाम न करें जिस से आगे आने वाली पीढ़ियां इस का उपयोग करना चाहें तो कर लें

मैं समझता हूं इस मामले पर सरकार को खास तौर से जोर देना चाहिए।

आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या गांवों में गरीबों की है। दो करोड़ से ज्यादा भूमिहीन मजदूर हैं जिनकी जिन्दगी का सहारा नहीं है। इसी तरह से छोटे किसान भी हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल जिसका निराकरण आगामी सालों में हमारी जनता सरकार को करना है, वह है भूमि वितरण का सवाल। मैं जानना चाहता हूं क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई दृढ़ इरादा है? क्या आप राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रभावित कर सकेंगे?

दूसरा बड़ा सवाल देश में किसानों पर कर्जे का है। आज देश के छोटे किसान जिनके पास चार एकड़ से कम जमीन है और जो भूमिहीन मजदूर हैं उनपर 40-50 अरब का कर्जा है।

इतने पैसे की ही उन्हें हर साल जरूरत होती है। संगठित क्षेत्र में जो बैंकें अथवा कोआपरेटिव सोसायटीज हैं वे 10-11 परसेंट से ज्यादा नहीं देती हैं। पुरानी सरकार ने छोटे लोगों पर कर्जा माफ करने की बात कही थी लेकिन यह सरकार उस बात को भूल गई। इस भयंकर शोषण से गांवों के गरीब लोगों को बचाने की आवश्यकता है। जिन लोगों को वहां कर्जे की जरूरत है उनके लिए कर्जे का प्रबन्ध होना चाहिए। आज जिस प्रकार से ग्रामीण धनी किसान और साहूकार गरीबों को लूट रहे हैं उस तरफ जनता सरकार की नजर नहीं जा रही है। आर्थिक कार्यक्रम भी सफल हो सकते हैं जबकि राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम उनके साथ जुड़ जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारी जड़ें कमजोर हो जायेंगी और दस साल में गरीबी बेरोजगारी हम तभी मिटा पायेंगे जबकि दस साल तक हम शासन में रहेंगे। इसके लिए हमें आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के नारे देने होगें और कार्यक्रम बनाने होगें। इस मोर्चे पर मैं जनता पार्टी को उत्साहवर्द्धक नहीं मान सकता। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

आज मैं आंकड़ों के चक्कर में न जाते हुए कहना चाहता हूं कि इस समय सबसे बड़ा सवाल कीमतों का है। जैसा कि श्री अनन्तराम जी ने जिक्र किया, एमर्जेंसी लगाने के बाद दावा किया गया था कि कीमतें नीचे गई और कुछ दिनों के लिए नीचे गई भी लेकिन उस समय आप देखेंगे कि खेती से उत्पादित चीजों के दाम 28 परसेंट गिरे थे जबकि कारखानों की चीजों में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है कि खेती की पैदावार के दाम निरन्तर गिर रहे हैं और कारखानों की चीजों की कीमतें ऊंची जा रही हैं। इस सरकार में ऐसे लोग हैं जोकि डा० लोहिया की दाम नीति के प्रशंसक थे लेकिन आज वे चुप हैं। मैं नहीं समझता किस प्रकार से यह सरकार जनता को न्याय दे पायेगी। जबतक सरकार कीमतों तथा गरीब भूमिहीन मजदूरों का सवाल हल नहीं करेगी तबतक इस देश में खेती का विकास सम्भव नहीं है। आज हमारे पास अनाज का बहुत बड़ा भण्डार है लेकिन आज जो खपत है और जो जन्म दर है उसके हिसाब से अगले 25 साल में इस देश की जनसंख्या एक अरब हो जायेगी और उस समय इस आधार पर 25 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार को आज नहीं बल्कि अगले 15-20 साल में देश की क्या तस्वीर होगी उसपर ध्यान देना चाहिए।

मंत्री जी ने दावा किया है कि पिछली सरकार के मुकाबले में अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की है लेकिन आज भी 70 प्रतिशत भूमि कुदरत के भरोसे पर है। हमारे कुछ छोटे छोटे पड़ोसी देशों ने तो शत्प्रतिशत जमीन पर सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया गया है। यदि हम छोटे किसानों को थोड़ी जमीन देकर भी पानी की व्यवस्था कर दें तो वे अधिक पैदावार कर सकते हैं। मिसाल के लिए आप फार्मोसा को ही ले लें - मैं वहां पर राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा - आप कोरिया को ले लें, वहां 6-8 एकड़ का किसान जितनी पैदावार लेता है उतनी पैदावार हमारे देश में 50-60 एकड़ का किसान भी नहीं ले पाता। जिन प्रणालियों को अपना कर वहां पर हर एक खेत पर पानी की व्यवस्था कर दी गई है, हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। मेरी राय में बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के

स्थान पर छोटी योजनायें हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी खेतों में पानी का प्रबन्ध करना चाहिए ।

अगर ये चीजें हो जायेंगी, तब हम समझेंगे कि हमारी सरकार भूख और गरीबी के सवाल को मिटाने के लिए सही दिशा में चल रही है । मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन पिछले तीन सालों में मौसम भी हमारे इतना अनुकूल रहा है, जिस की वजह से हम सुखद स्थिति में हैं । लेकिन यदि एक आध साल मौसम ने झटका दे दिया, तो यह सरकार सम्भाल नहीं पायेगी । इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अल्प-कालीन और दीर्घ-कालीन उपाय करें । अल्प-कालीन उपायों के लिए सरकार थोड़ा-बहुत चिन्तन कर रही हैं, लेकिन दीर्घ-कालीन उपायों तथा समानतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में जाने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं । इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं - भूमि सुधार के मामले में जब तक आप तेजी से कदम नहीं बढ़ायेंगे, तब तक यह सरकार 10 सालों तक नहीं टिक सकेगी । यदि दस सालों तक टिकना है तो भूमि सुधार के कार्यक्रम को हाथ में लेना होगा ।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

चौधरी राम गोपाल सिंह (बिल्हौर) : सभापति महोदया, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कानपूर की कुछ गम्भीर समस्याओं की तरफ, जहां किसान का शोषण हो रहा है, आप का ध्यान खींचना चाहता हूं । इसमें सन्देह नहीं है कि बिजली, पानी, खाद तथा बीज की व्यवस्था करके सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया है और किसानों ने भी अधिक परिश्रम करके उत्पादन को बढ़ाया है, जिससे हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है । यह बड़ी प्रसन्नता और गौरव की बात है । साथ ही सरकार ने ग्राम-विकास और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये अधिक धन निर्धारित किया है, किन्तु हर जगह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भष्टाचार होने के कारण उस राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है और न किसानों की माली-हालत ही सुधर सकी है । इस के कुछ अन्य कारण भी हैं ।

जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो दाम घटता है और जब उत्पादन घटता है तब दाम बढ़ जाते हैं, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो पाता है । इससे उनका मनोबल और उत्साह गिरता है । पिछले साल गन्ने की यही हालत हुई और इस साल आलू की हालत भी यही हुई । हमारे पूर्व-वक्ताओं ने आलू का भाव 25 रुपये या 30 रुपये प्रति-क्विंटल बताया है, लेकिन यह भाव मण्डियों का है, जहां पर पहुंचने में 15 या 16 रुपये प्रति क्विंटल खर्चा पड़ जाता है । बहुत से लोग पैसे के अभाव में बारदाना भी नहीं खरीद सके हैं, उनका आलू खेत में ही पड़ा-पड़ा सड़ रहा है । भ्रष्टाचार होने के कारण साधारण किसान कोल्ड-स्टोरेज में भी आलू नहीं रख पा रहा है । यदि यही हालत चलती रही और सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकी, तो आलू 2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकेगा और उसका लाभ साधारण किसान को न हो कर बड़े लोगों को होगा ।

कृषि में अनेक दैवी-प्रकोप होते रहते हैं, खास तौर से तिलहन और दलहन में, जिस के कारण किसानों को बड़ी हानि उठानी पड़ती हैं। इसीलिये इन फसलों को बोने में किसान रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण दालें बाजार में 5 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है, जब कि किसानों को उनका लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। मेरा सुझाव है कि सरकार इन फसलों की रक्षा के लिये कोई उपाय निकाले ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

सरकार किसानों को टयूब-वेल आदि के लिये ऋण देती है, लेकिन वे ऋण सीधे किसानों को न दे कर किसी डीलर के नाम दिया जाता है, जिससे किसानों को अधिक कमीशन देनी पड़ती है। यही हालत गाय-भैंस के खरीदने में भी होती है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि किसानों को पूरे का पूरा ऋण या अनुदान मिल सके। एक समस्या मेरे कानपुर की है जोकि मेरे क्षेत्र में आता है। वहां पर कानपुर के निकट शहरी विकास हेतु जो भूमि सन् 1967-68 में अर्जित करने हेतु नोटिस दिये गये थे, उसका सरकार ने अभी तक न तो कब्जा लिया और न मुआविजा दिया और इस भूमि को नगर महापालिका अब कब्जे में ले रही है। इससे कुछ किसानों को पुराने रेट पर 1200 रुपये से 1800 रुपये तक प्रति एकड़ की दर से मुआविजा दे रही है और जो सम्पन्न किसान थे, जिन्होंने इसके खिलाफ कुछ आपत्ति प्रकट की थी और मुकदमे दायर किये थे, उन को 30 हजार प्रति एकड़ की दर से मुआविजा दिया जा रहा है और जो गरीब किसान हैं, उनके साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है क्योंकि उन को सिर्फ 25 रुपये प्रति गज के हिसाब से मुआविजा मिल रहा है जबकि नगर महापालिका 200 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन बेच रही है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह के अन्याय को समाप्त किया जाए। जो बेरोजगार किसान हो गये हैं, जिनकी जमीन छीनी जा रही है, वे अकेले घर में रह कर क्या करेंगे। इनको एक समान मुआविजा दिलाया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछा जाए कि यह असमानता क्यों बर्ती जा रही है। किसी को 1200 रुपये एकड़, किसी को 1800 रुपये एकड़ और किसी को 30 हजार रुपये एकड़ मुआविजा दिया जा रहा है। यह बड़ा गंभीर मामला है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए वे तुरन्त कार्यवाही करें। इसी क्षेत्र में जो भूमि कृषि योग्य हैं, उसमें एक अर्बन सीलिंग एकट लागू कर दी गई है जबकि इस एकट का उपयोग शहर के अन्दर बड़े बड़े बंगले व हातों में पड़ी हुई खाली भूमि को लेने हेतु था न कि कृषि योग्य भूमि। इस एक्ट के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि मुकदमें चला कर ली जा रही है और किसानों को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है और इस क्षेत्र में आबपाशी, सिंचाई का रेट भी दुगना कर दिया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ट्रेक्टरों से खेती करना संभव नहीं है, जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती जा रही है जिसके कारण बैलों द्वारा ही खेती करना संभव है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि गौहत्या पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए ताकि खेती का कार्य सुचारु रूप से चल सके और पौष्टिक पदार्थ भी समाज को मिल सकें।

अन्त में मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि कोई भी प्रतिनिधि अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी की सिफारिश करें, तो उस पर अमल न किया जाए क्योंकि मंत्री जी ने यह कहा था कि कुछ

प्रतिनिधिगण इस प्रकार की सिफारिश करते हैं । मेरा अनुरोध है कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करे ताकि भ्रष्टाचार दूर हो, तभी समाज का और किसानों का कुछ कल्याण हो सकता है वरना हमेशा इस प्रकार हम लोग चिल्लाते रहेंगे और न समाज का कोई लाभ होगा और न किसानों की गरीबी दूर हो सकेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय : आनरेबिल मिनिस्टर ।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : आपने इतने अधिक सदस्यों को 20 से 30 मिनट का समय दिया है । आपको क्षेत्र-वार समय का आवंटन करना होगा । मुझे इस विषय पर बोलने का मौका नहीं दिया गया है ।

सभापति महोदय : अब समय समाप्त हो चुका है, अब मिनिस्टर साहब बोलेंगे । मैं आपको समय देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : आप समय को बढ़ा सकते हैं ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि ऐसा नहीं किया जा सकता ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब, आप बोलिये । देखिये कृपा करके आप सब बैठ जाइए । यह मेरे हाथ की बात नहीं है । मैंने मन्त्री महोदय से बोलने के लिए कहा है और अब वह भाषण देंगे ।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : आप संसदीय मन्त्री जी को बुला कर बात कर लें । हमने लिख कर दिया है । आप एक घंटा और बढ़ा दीजिए और सबको पांच, पांच मिनट बोलने के लिए दीजिए । यह बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है, जिस पर हम बोलना चाहेंगे ।

सभापति महोदय : आप मिनिस्टर आफ पार्लियामेन्टरी एफेयर्स के पास जाकर बात कर लें ।

सभापति महोदय : मैं मन्त्री महोदय से बोलने के लिए कह चुका हूं । मैं अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार नहीं हूं । मन्त्री महोदय ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लिया है और सदैव की भाँति इस विषय में काफी रुचि दिखाई है । मैं अध्यक्षपीठ का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस मन्त्रालय की मांगों के लिए अधिकतम समय आवंटित किया । इसके साथ ही मुझे खेद है कि कुछ माननीय सदस्य बहस में भाग नहीं ले सके और अब वे इसके लिए अपना खेद प्रकट कर रहे हैं ।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : हम लोगों को भी सुन लेते थोड़ा सा, तो ज्यादा अच्छा होता। हम लोगों के भी कुछ अधिकार हैं.............(व्यवधान)

सभापति महोदय : जनता पार्टी के होकर आप मिनिस्टर को बोलने नहीं दे रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिए।

श्री उग्रसेन : हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात सुनकर जवाब दें।

सभापति महोदय : बारह घंटे डिबेट इस पर हो चुकी है। और समय नहीं बढ़ सकता है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : साठ से अधिक माननीय सदस्य बहस में भाग ले चुके हैं और उन्होंने बहस के दौरान विभिन्न मुद्दे उठाये हैं। समय की सीमा होने के कारण उन सभी मुद्दों का, जो यहां उठाये गये हैं, उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। मेरे साथी श्री भानु प्रताप सिंह, बहस में हस्तक्षेप करते समय अनेक मुद्दों का उत्तर दे चुके हैं और मैं कुछ अन्य उन मुद्दों का उत्तर दूंगा जिनका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

पहले के वर्षों के दौरान इस विषय पर बहस के दौरान उठाये जाने वाले मुद्दों का मैंने अध्ययन किया है और उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब बहस की प्रवृत्ति बदल गई है। दो साल पहले, बहस में जोर दिया जाता था उत्पादन में कमी, देश के कुछ भागों में खाद्यान्न की उपलब्धता का न होना और कृषि उत्पादों के लिए खुले बाजार में ऊंची कीमतें होना। कुछ क्षेत्रों में, विभिन्न कारणों से, खाद्यान्न की उपलब्धता की समस्यायें थीं। इसलिए, सदैव इन्हीं मसलों पर जोर दिया जाता रहा। लेकिन अब मैं देखता हूं कि बहस का प्रवाह पूर्णतः दूसरी ओर मुड़ चुका है। अब, मुख्यतः शिकायत किसानों को दिये जा रहे अपर्याप्त मूल्यों के बारे में हैं और शिकायत यह है कि अतिरिक्त मात्रा में ये खाद्यान्न होने की वजह से, कीमतें कम हो जाती हैं ; यह उस समय होता है जब कभी भी कुछ कृषि उत्पादों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। आलू के बारे में उल्लेख किया गया, गन्ना, रूई और अन्य उत्पादों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से यह सब हुआ है। यह बहुत ही हर्ष का और एक स्वस्थ संकेत है।

मुझे यह नोट करते हुए भी खुशी हुई है कि अनेक माननीय सदस्यों ने कृषि उत्पादों का लाभ प्रद मूल्य-निर्धारण करने के महत्व पर जोर दिया है और वस्तुतः, लाभ प्रद मुल्य-निर्धारण नीति ही वह आधार है जिस पर वैज्ञानिक कृषि की रचना की जा सकती है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कृषि मूल्य आयोग का उल्लेख किया है और उन्होंने आयोग की यह कहते हुए आलोचना की है कि उसके निर्देश पदों में परिवर्तन किया जाना चाहिए और इन्हें अधिक यर्थार्थवादी बनाया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग के निर्देश पदों में समुचित संशोधन करने के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। विभिन्न बदलती हुई परिस्थितियों में मुख्य कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत की

गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के उपबन्धों का अध्ययन करने के लिए डा० एस० आर० सेन की अध्यक्षता में हमने एक समिति का गठन किया है।

ओर एक एकीकृत आदान-उत्पाद मूल्य-निर्धारण नीति आवश्यक है। इसके साथ ही, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मुख्य कृषि उत्पादों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो जाय कि उनकी खपत पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जिस चीज की हमें अविलम्ब आवश्यकता है वह यह है कि उपभोक्ता आधार को व्यापक बनाया जाय जिससे जब कभी भी उत्पादनों में वृद्धि हो, तो हमें कृषि उत्पादों की असुविधाजनक भरमार का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मेरा निरन्तर यह प्रयास रहेगा कि एकमुश्त एक ऐसी सरकारी नीति का विकास किया जाय जो उत्पादन और खपत दोनों के एक साथ बढ़ावा देने में सहायक हो।

माननीय सदस्यों को पता ही है कि चीनी सम्बन्धी नीति के कारण, देश में चीनी की खपत में गत दो वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है और यह कोई छोटी मोटी वृद्धि नहीं है। वर्ष 1976-77 में जो खपत लगभग 37½ लाख टन थी, वह खपत लगभग 60 लाख टन हो जाने की आशा है ; और हमारा उत्पादन इस समय केवल 65 लाख टन है। हम लगभग 6.5 लाख टन चीनी का निर्यात करेंगे। इसके अलावा लगभग 5 लाख टन चीनी का वृहद भण्डार भी बनाया जाएगा। इसलिए, हमें पिछले वर्ष के भण्डार में से कुछ चीनी की खपत करनी होगी। सन्तुलन बनाये रखने के लिए यह जरूरी है। अभी अभी मेरे माननीय मित्र यह कह रहे थे कि अगर चीनी की कीमतों में वृद्धि होती है, तो क्या हालत होगी। सभापति महोदया, अब इससे फिर समस्या उठ खड़ी होती है। अगर चीनी की कीमतें किसी सुविधाजनक स्तर पर रखी जाती हैं, तो चीनी की कीमतें गिर सकती हैं। अगर चीनी की कीमतों को थोड़ा बढ़ावा दिया जाता है, तो चीनी की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यही वजह है कि हमने यह नीति अपनाई है और इसकी वजह यह है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने इसके लिए अनुरोध किया था।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं असफलता के बारे में नहीं कह रहा हूं, लाभकर मूल्यों के बारे में कह रहा हूं।

सभापति महोदया : पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पिछली बार जब वाद-विवाद चल रहा था तो दोनों पक्षों में बहुत से सदस्यों ने कहा कि चीनी पर से नियन्त्रण हटाया जाना चाहिये। अब उन्हें इस बारे में जरा भी शिकायत नहीं करनी चाहिये क्योंकि नियन्त्रण हटा दिया गया है। चीनी के मूल्य कम हो गये परन्तु वे इतने कम हो गये जो चीनी के उत्पादन के लिए उचित नहीं थे। अब यदि चीनी के मूल्य 2 रुपये, 2.70 रुपये, 2.80 रुपये या इसके आस-पास रखे जाते हैं तो चीनी मीलों को ठीक ढंग से चलाना संभव है और गन्ना उत्पादकों को भी उपयुक्त मूल्य दिया जा सकेगा। जैसे-जैसे हमारी कृषि का विकास होता जायेगा वैसे-वैसे हमारा आन्तरिक और विदेशी कृषि व्यापार

बढ़ाने का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जायेगा । मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि निर्यात के बारे में सुझाव देने के लिये विभाग में कृतिक बल बनाया गया है और उनकी रिपोर्ट, जो पूर्ण रिपोर्ट थी से यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय के 1,848 करोड़ रुपये के निर्यात के स्थान पर निकट भविष्य में 3,100 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना है। इस कृतिक बल की प्रमुख सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही आरंभ की गई है। मैं सदन को यह भी सूचना दे सकता हूं कि देश में होने वाली खपत् को प्रभावित करके निर्यात नहीं किया जायेगा अपितु लाभप्रद रोजगार के लिये अधिक अवसरों के माध्यम से खपत बढ़ाने के लिये उसे किया जायेगा ।

जनता सरकार हाल ही में सत्तारूढ़ हुई है । काफी मात्रा में मूंगफली निस्सारण ग्रांउडनट एक्सट्रेक्शन) का निर्यात किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में मूंगफली निस्सारण का मूल्य 2,000 रुपये प्रति टन था । मुर्गीपालन कर्ताओं, डेरी फर्मियों से बहुत सी शिकायतें मिली क्योंकि चारा बहुत महगा मिल रहा था । इसलिए हमने कुछ नियन्त्रण उपाय किये, और मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि मूंगफली निस्सारण के मूल्य कम हो गए और इसे 2,000 रुपये प्रति टन से कम करके 1,000 रुपये प्रति टन किया गया और तब से हमें मुर्गीपालन कर्ताओं, ड़ेरी फर्मियों और चारा उत्पादकों से अच्छे समाचार मिल रहे हैं । चारा आसानी से मिल रहा है। अत: हम आन्तरिक खपत को प्रभावित करके निर्यात नहीं करना चाहते हैं । परन्तु हम देश की आवश्यकता पर विचार करते हुए निर्यात करेंगे । मेरे माननीय मित्र श्री भानु प्रताप सिंह ने भी वर्ष 1977-78 के दौरान हुई उपलब्धियों के बारे में बताया है कि रिकार्ड फसल हुई थी । चावल के उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई जो 5 करोड़ 27 लाख टन की उच्चतम सीमा तक पहुंच गई जो पहले की उच्चतम सीमा से 40 लाख टन अधिक थी इससे हमें नई आशा मिलती है क्योंकि पहले गेहूं के उत्पादन में ही वृद्धि हुई है, चावल के उत्पादन में नहीं । ज्वार के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है जो 1 करोड़ 18 लाख टन थी और वह 1974-75 के उच्चतम स्तर से 14 लाख टन अधिक थी । वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में भी पिछले वर्षों की तुलना में 1977-78 महत्वपूर्ण था । 1977-78 में रूई का उत्पादन भी 21.6 प्रतिशत अधिक था, तिलहन जितकी अभी भी कमी है, के उत्पादन में 13.2 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, गन्ने के उत्पादन में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1977-78 में कृषि उत्पादन 132.7 के सूचकांक में कुल मिलाकर पिछले वर्षो की अपेक्षा 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

अब मैं 1978-79 के दौरान खाद्यान्न, रूई, पटसन, तिलहन आदि के उत्पादन स्तर के प्रारम्भिक निर्धारण के बारे में उपलब्ध जानकारी माननीय सदस्यों को बताता हूं । गत खरीफ मौसम के दौरान बाढ़, अत्यधिक वर्षा ओला वृष्टि के कारण लगभग तीस लाख टन खाद्यान्न के नुकसान के बावजूद चालू वर्ष के दौरान कुल उत्पादन लगभग एक करोड़ 27 लाख टन होने की आशा है ।

रूई के बारे में भी उत्पादन के 75-76 लाख गांठों तक के रिकार्ड स्तर तक पहुंचने की आशा है, पटसन और "मेस्टा" का उत्पादन 81 लाख गांठ तक होने की आशा है जो गत वर्ष के

उत्पादन से 13.4 प्रतिशत अधिक है, रिकार्ड में अधिकतम है। तिलहनों का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से लगभग 5 लाख टन अधिक हो सकता है। गन्ने का उत्पादन भी गत वर्ष के रिकार्ड स्तर के आसपास होने की आशा है। संक्षेप में वर्ष 1977-78 रिकार्ड में सर्वोतम था और फसल वर्ष 1978-79 के और भी अच्छी होने की सम्भावना है। इस प्रकार स्वस्थ सार्वजनिक नीतियों पर हमने जो बल दिया है, आगामी वर्षों में उसके अच्छे परिणाम निकलना अवश्यम्भावी है.

तथापि, मैं यह चेतावनी देने की जल्दी करूंगा कि बहुत अच्छी स्थिति का, भी कोई कारण नहीं है और नहीं हमें पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होना चाहिए। हम कृषि को ग्रामीण तथा कृषि समृद्धि का महत्वपूर्ण साधन बनाने के अपने प्रयासों में ढील नहीं दे सकते हैं।

मेरे कुछ मित्र दालों के बारे में जिक्र कर रहे थे। वे दालों के बारे में चिन्तित हैं। गत वर्ष वे सब्जियों के बारे में भी चिन्तित थे। इस बार उन्होंने सब्जियों की बात नहीं कही क्योंकि उनका अच्छा उत्पादन हुआ और मूल्य कम हो गए। कुछ माननीय सदस्यों ने अन्तरासस्य के असन्तुलन का उल्लेख किया, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि दालों और तिलहनों के उत्पादन में काफी बृद्धि नहीं हुई है। हमें इस समस्या की जानकारी है और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक उपज वाली किस्मों के लिए अनुसन्धान प्रयास गहन कर दिए गए हैं। अच्छी किस्म के 'ब्रीडर', 'फाउंडेशन' तथा प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए 150 रुपये प्रति क्विटल की दर से राज सहायता देती है और चना, अरहर और मसूर के लिए 'ब्रीडर' बीजों पर 300 रुपये प्रति क्विटल की दर से तथा 500 रुपये प्रति क्विटल की दर से तथा मूंग, उड़द और लौबिया के लिए 500 रुपये प्रति क्विटल की दर से राज सहायता देती है। फास्फेटिक उर्वरकों के प्रयोग जैसे उपाय जड़युक्त पौधों, पौधा संरक्षण उपायों, दालों के उत्पादन में सुधरी हुई प्रौद्योगिकी में किसानों का प्रशिक्षण, चावल की बिना जोती हुई भूमि में मूंग और उड़द की खेती तथा अलग-अलग पंक्तियों में दालें उगाने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में गत बर्ष कम समय वाली मूंग की 'जैड' फसल से उत्साह जनक परिणाम निकले। उस अनुभव के आधार पर चालू वर्ष में लगभग 3.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में मूंग की 'जैड' फसल की खेती की जा रही है। उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में भी इसे आरम्भ किया जा रहा है।

इसके बाद इस बात का उल्लेख किया गया कि समर्थन मूल्य बढ़ाये जाएं। मैं यह उल्लेख करता हूं कि चने का न्यूनतम मूल्य 95 रुपये प्रति क्विटल था। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वर्ष 1977-78 में चने का समर्थन मूल्य केवल 95 रुपये था। परन्तु इसे गत वर्ष बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया गया और चालू वर्ष की फसल के लिए पुनः इसे बढ़ाकर 140 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया है। इसके अलावा, अरहर और मूंग के लिए गत वर्ष पहली बार क्रमशः 155 रुपये और 165 रुपये निर्धारित किया गया। सभी सिंचित क्षेत्रों में दालों की खेती बढ़ाने के लिए विशेष व्यापक अभियान चलाया जायेगा।

इसी प्रकार तिलहन के मामले में भी अच्छे बीजों के उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और मूंगफली का समर्थन मूल्य जो 1976-77 में 140 रुपये प्रति क्विंटल था उसे 1978-79 में बढ़ा कर 175 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसी अवधि के दौरान सूरजमुखी के बीज का मूल्य 150 रुपये से बढ़ा कर 165 रुपये कर दिया गया। सोयाबीन के मामले में, जो इस देश में काफी लोकप्रिय हो रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1977-78 के 145 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1978-79 में 175 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। सोयाबीन का इस वर्ष का उत्पादन विशेषकर मध्य प्रदेश में काफी अच्छा रहा है और हमने समर्थन मूल्य पर खरीद आरम्भ कर दी है तथा हमने पहली बार लगभग 70,000 टन सोयाबीन खरीदा है।

इन फसलों की कम उपज का एक कारण यह है कि उनकी खेती अधिकतर असिंचित दशाओं में की गई है।

हम अब सभी सिंचित कृषि प्रणालियों में दालों तथा तिलहनों की उपयुक्त फसलें लागू करने की योजना बना रहे हैं। कई पहले लागू की जा चुकी हैं मूल्य समर्थन नीति के साथ इससे दालों एवं तिलहनों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि में सहायता मिलेगी।

मैं वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसी अनेक फसल किस्मों का विकास किया है जिन पर कीटों एवं बीमारियों का प्रभाव नहीं होता। हाल ही में सेन्ट्रल कमेटी आन लिलीज आफ वैराइटीज ने 17 नई गेहूं की किस्में रिलीज करने की मन्जूरी दी है जो देश के विभिन्न भागों में बुवाई के लिए उपयुक्त हैं। इसी प्रकार हमारे चावल वैज्ञानिकों ने ऐसी अनेक नई किस्मों का विकास किया है जिनमें से कुछ पानी जमा हो जाने वाले इलाके के लिए अच्छी हैं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि 1977-78 तथा 1978-79 दोनों वर्षों में मौसम गेहूं को सड़ने जैसे रोगों के लिए बहुत उपयुक्त था। तथापि हमारी फसलें हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित रोग नियन्त्रण नीति के कारण रोग ग्रस्त नहीं हुई। मुझे यह बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने गत वर्ष पाकिस्तान को गेहूं की जिस किस्म का बीज सप्लाई किया था वह बहुत सफल रहा है। पाकिस्तान के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है कि भारत द्वारा सप्लाई की गई एच. डी. 2,009, डब्ल्यू. एल. 711 और सोनालिकी जैसी किस्में रोग रहित हैं और उनसे अच्छी फसल मिलने की सम्भावना है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने, जो इस वर्ष कृषक समुदाय को उपयोगी सेवा के अपने 50 वर्ष पूरे कर रही है, अपने स्वर्ण जयन्ती वर्ष के लिए "प्रयोगशाला से खेत तक" (लबटू लैण्ड) को अपनी प्रमुख गतिविधि बनाने का निर्णय किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर-गत कृषि विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को प्रयोगशालाओं से सीमान्त तथा छोटे किसानों को किसी भी क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक कुशलता तथा जानकारी का अन्तरण करने के लिए व्यापक आधार पर प्रयास किए जायेंगे। "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम को हमारे गहन ग्रीमाण विकास के कार्यक्रम के साथ निकट से समेकित किया जायेगा जिससे हम संभाव्य एवं

वास्तविक कृषि पैदावार के बीच जो इसमें बड़ा भारी अन्तर है उसे दूर करने में तेजी से प्रगति कर सकें।

माननीय सदस्यों को उन विभिन्न कदमों की जानकारी है जो हमने खाद्यान्न का रक्षित भण्डार बनाने के लिये तथा अपनी भण्डारण क्षमता को बनाने के लिए उठाये हैं। मेरे सहयोगी श्री भानु प्रताप सिंह ने इस पहलू का उल्लेख किया है और मुझे इस बारे में और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। परंतु श्री जायसवाल ने आगे कहा कि हम पर्याप्त-भण्डारण क्षमता की स्थापना नहीं कर रहे जिसके कारण बहुत सा अनाज खराब हो जाता है। उनका यह कहना ठीक है कि देश में आवश्यकता के अनुरूप भण्डारण क्षमता की स्थापना नहीं की गई। परंतु अब कई और से उस कमी को पूरा करने तथा अधिक से अधिक भण्डारण क्षमता बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि गत दो बर्षों में हमने विभिन्न तरीकों से 40 लाख टन के लिए छतदार नई भण्डारण क्षमता बनाई है। श्री भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि हमारी 200 से 250 टन क्षमता वाले 2,000 ग्रामीण भण्डार बनाने की योजना है जो बहुत ही उपयोगी होंगे। खंड स्तर के इन भण्डारों का डिजाईन न केवल अनाज को रखने के लिये बनाया जायेगा अपितु बीज, उर्वरक तथा कीट नाशी जैसी वस्तुएं भी इन में रखी जायेंगी। इसके अतिरिक्त जहां भी आवश्यक होगा, जल्दी नष्ट होने वाली जिन्सों को रखने के लिये खंड स्तर के भण्डारों के साथ 'कोल्ड स्टोरेज विंग' भी स्थापित किये जायेंगे। अब तक सामुदायिक शुष्कीकरण सुविधाएं नहीं थीं। भण्डार समूह के भाग के रूप में सामुदायिक शुष्कीकरण सुविधाएं भी उपलब्ध की जायेंगी। यह इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है चूंकि ऐसी अनेक रिर्पोट प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चलता है कि खाद्यान्न में फुंगी लग जाने के कारण उसमें जीव-विष पनपत्त है जिसके कारण यकृत रोग होते हैं। यह संक्रमण रोग केवल उन खाद्यानों में होता है जिनमें नमी की मात्रा अधिक होती है जिसके परिणामस्वरूप शुष्कीकरण कम होता है। इस कारण से हम शुष्कीकरण सुविधाएं भी उपलब्ध करने के प्रयास करा रहे हैं।

जहां तक पारिस्थितिक सुरक्षा का संबंध है अनेक सदस्यों ने अच्छा उल्लेख किया है। पर्याप्त पारिस्थितिक सुरक्षा के बिना हम निरन्तर कृषि प्रगति को बनाये नहीं रख सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बनों के काटे जाने की शिकायतें हैं। स्वयं मुझे यह शिकायत है। मैं अपने सहयोगियों से यह उल्लेख करता रहा हूं कि हर बहाने पर बन काटे जा रहे हैं। जब भी किसी बांध अथवा जलाशय का निर्माण किया जाना होता है बन काटे जाते हैं। जब उन लोगों का पुनर्वास किया जाना होता है उनको बन भूमियों पर बसाया जाता है। अतः फिर वन भूमि से बनों को काटा जाता है। जब किसी सड़क का निर्माण किया जाना होता है विशेष रूप से पहाड़ी क्षैत्रों में जिनमें बन हैं, वह भी बन की भूमिमें होता है। जब भी किसी राज्य में कोई परियोजना प्रारम्भ की जाती है वह वन भूमि की लागत पर होता है जहां कहीं भी कोई काम किया गया बन काटे गये। अतः हर बात बनों की कीमत पर हो रही है। मुझे स्वयं इस बारे में बहुत चिंता है। हम ऐसी नीति बना रहे हैं जिसके द्वारा हम उस बन सम्पदा को बनाये रख सकें जो अब हमारे पास है और उपयुक्त ढंग से उस बन सम्पदा क्षेत्र में वृद्धि कर सकें।

एक माननीय सदस्य :—इस कार्य के लिये क्या कोई समय बद्ध कार्यक्रम है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम समय बद्ध कार्यक्रम बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं।

मैं अब उन प्रमुख बातों का उल्लेख करूंगा जिनके कारण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। एक सुधारी हुई प्रौद्योगिक का निरन्तर आगमद। हम इसके साथ बहुत सन्तुष्ट हैं। वास्तव में हमइसमें भीं सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं।हमारे कृषि वैज्ञानिक विश्व में सब से उत्तम हैं औरइस बात को विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है मुझे उनमें से बहुत के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उन्होंने हमारे कृषि वैज्ञानिकों की बहुत सी प्रशंसा की है। तब सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, उर्वरक खपत में पर्याप्त वृद्धि, अधिक फसल वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी का किसानों को द्रुत एवं प्रभावी अन्तरण, किसानों को अधिक मात्रा में व सुलभता से कृषि ऋण उपलब्ध कराना, लाभप्रद मूल्य तथा सुधारी विपणतनीतियां। ये प्रमुख कारण हैं।

जहां तक सिंचाई का संबंध है मेरे माननीय मित्र श्री भानु प्रताप सिंह ने पहले उल्लेख किया है कि गत वर्ष इस देश में सिंचाई सुविधा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1979-80 के दौरान, हम उससे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। इस वर्ष की 28 हैक्टेयर की उपलब्धता की तुलना में अगले वर्ष के लिये हमारा उद्देश्य 32 हैक्टेयर है। इस प्रकार बहुत अधिक सुधार होगा और हमें आशा है कि अगले पांच वर्षों में 170 लाख हैक्टेयर की सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

सिंचाई कार्यक्रमों में विशेष बल लघु सिंचाई योजनाओं पर दिया गया है जो शीघ्र पूरी होती हैं, जिन पर व्यय कम होता है और अधिक रोजगार पैदा करती हैं। इस संबंध में उठाये गये कदमों में लघु सिंचाई योजनाओं पर विशेष रूप से संस्थागत संसाधनों से निवेश में वृद्धि, रूकावटों का पता लगाना और उन्हें दूर करना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के साथ निकट से सामंजस्य स्थापित करना सम्मिलित है। 3,500 सार्वजनिक नलकूप लगाने; 2.25 लाख निजी नलकूप लगाने, 2.75 कुएं खोदने तथा 3.5 लाख बिजली के पम्प लगाने का कार्यक्रम 1978-79 के दौरान आरंभ किया गया है और हमें आशा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई कार्यों को पूरा करने में समय लगता है गत अनेक वर्षों से कार्यन्वित की जा रही अनेक सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को उच्च प्राथमिकता देना हमारी सिंचाई नीति है जिससे कि वे अधिक सिंचाई के रूप में लाभ देना आरंभ कर दें।

खेती को पानी देने के लिए नालियों, जिनकी पहले उपेक्षा की गई थी, की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। हम सावधानी के साथ इस पहलू की जांच कर रहे हैं और कृषि का आधुनिकरण करने के कार्यक्रम के भाग के रूप में खेतों को पानी देने के लिए नालियों की पर्याप्त सुविधाएं देने हेतु सभी नई परियोजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं भारत

सरकार के कहने पर कुछ राज्य सरकारों ने समस्या का पूरा अध्ययन करने और सिंचाई परियोनाओं का आधुनिकरण करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिए पहले ही विशेषज्ञ दलों की स्थापना कर दी है।

उपलब्ध सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए बनाये गये कंमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आगे और प्रगति हुई है। राज्यों में 38 कंमाड क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 सिंचाई परियोजनाएं आती हैं जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 1 लाख 30 हजार हैक्टेयर जमीन की है। चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम में कृषि 10 लाख हैक्टेयर जमीन पर कृषि जल मार्गों का निर्माण करने और 20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कृषि विकास कार्य पूरा करने की व्यवस्था है।

बाढ़ नियंत्रण के संबंध में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ों ने अनेक समस्याएं पैदा की जिन्हें हमने हल करने का प्रयन्त किया। इस मामले की जांच करने के लिए एक कर्मचारी दल का गठन किया गया था। उसने एक कार्यवाही योजना तैयार की जिसमें इंजीनियरिंग कार्य, भूमि रक्षण बनरोपण और जल विभाजन प्रबंध की ओर स्वीकृत कार्यवाही करने की व्यवस्था है। आगामी पांच छः वर्षों में इंजीनियरिंग कार्य पर 1,000 करोड़ रुपये, भूमि संरक्षण बनरोपण और जल विभाजन प्रबंध पर 700 करोड़ रुपये खर्च होगा।

हाल के वर्षों में उर्वरकों की खपत बहुत बढ़ी है। हम न केवल इन आग्रेनिक उर्वरक परन्तु कम्पोस्ट उर्वरकों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। देश में खाद संबंधी स्थानीय साधनों का विकास करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण तथा शहरी कम्पोस्ट, का उत्पादन, हरी खाद, मलमूल तथा गंदे पानी का उपयोग, यांत्रिक कम्पोस्ट संयन्त्र तथा गोबर गैस संयन्त्रों की स्थापना शामिल है। एक कम लागत का बायो गैस संयन्त्र का विकास किया गया है और ऐसे संयन्त्रों को बड़ी संख्या में स्थापित करने की तकनीकी व्यहार्यता की खोज की जा रही है। अधिक उपज देने वाली फसलों का कार्यक्रम अधिक से अधिक क्षेत्रों में ले जाया गया है। वर्ष 1977-78 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 लाख 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र था जिसमें वर्ष 1978-79 में 40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र और शामिल हो जायेगा। अगामी वर्ष इसमें और वृद्धि होगी।

विशेष विस्तार कार्यक्रम का प्रयास भी किया गया है ताकि सुधरी हुई सिंचाई, सुधरी हुई कृषि, सुधरे हुए बीज का टैक्नोलाजी को विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं से किसानों के खेतों में ले जाया जा सके। यह भी किया जा रहा है।

मैं कृषि विस्तार कार्यक्रम के "ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम" का भी विशेष उल्लेख करूंगा जो 9 राज्यों में पहले ही चलाया गया है तथा अन्य राज्यों में भी चलाया जाना है। यह बहुत सफल सिद्ध हुआ है।

मैं अब कृषि ऋण के बारे में कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा जिसका उल्लेख अनेक माननीय सदस्यों ने किया था। हम कृषि ऋण की उपलब्धता में सुधार ला रहे हैं। किसानों को

दिये गये ऋण की मात्रा 1976-77 में 2,000 करोड़ रुपये से वढ़कर 1977-78 में 2,400 करोड़ रुपये हो गई और इसके जून 1979 के अंत तक 2,750 करोड़ रुपये तक बढ़ने की संभावना है। वाणिज्यिक बैंकों में ऋण लेने वालों की संख्या 1976-77 में 32,74 लाख से बढ़कर 1977-78 में 52.74 लाख रुपये हो गई। इसमें 1978-79 में 63 लाख रुपये तक वृद्धि होने की संभावना है। जो कि लगभग दुगना है और यह बहुत अच्छा संकेत है।

कृषि के अनेक सम्बद्ध क्षेत्र हैं जैसे पशु पालन, डेयरी विभाग, मतस्य पालन तथा बनरोपण जिनकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं। समय कम होने के कारण मैं उनका सविस्तार वर्णन नहीं कर सकूंगा। पशु पालन क्षेत्र में पशुओं के संरक्षी खाद्य जैसे दूध अण्डा आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। संकर बहियों और छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए मुर्गी पालन, सुअर पालन और भेड़ पालन केन्द्रों के लिए विशेष पशु उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार और अधिक क्षेत्रों में किया गया है तथा देश के 183 जिलों में 268 परियोंजनाएं कार्यरत हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक परियोजना से संकर बहिया पालन कार्यक्रम से छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को कम से कम 5,000 परिवारों को, मुर्गी पालन तथा भेड़ "उत्पादन" कार्यक्रम से 3,000 परिवारों तथा सुअर पालन से 500 परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

बड़े पैमाने पर नस्ल सुधारने के कार्यक्रम और चुनीदां संकर करने के परिणामस्वरूप दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है। मेरे मित्र ने कहा है कि यह कभी नहीं बताया गया है कि देश में दूध का उत्पादन कितना है और इसका इसकी उपलब्धता पर क्या असर पड़ रहा है। दूध का उत्पादन 1973-74 में 2 करोड़ 32 लाख टन से बढ़कर 1977-78 में 2 करोड़ 75 लाख हो गया है। प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता 1973-74 में 111 ग्राम से बढ़कर 1977-78 में 120 ग्राम हो गयी है। हम जानते हैं। कि यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इसको और बढ़ाना चाहते हैं। इसी प्रकार अंडो का उत्पादन 770 करोड़ से बढ़कर 1978 के अंत तक 1,100 करोड़ हो गया।

पशुओं और मुर्गीयों के लिए चारा उचित मूल्य पर उपलब्ध करने का आश्वासन दिया गया है। मूंगफली की खली जैसे पोसर तत्वों की निर्यात नीति को सुसंगत बनाकर और चावल पालिश, गेहूं की भूसी आदि जैसे पोषक तत्वों की मांग और सप्लाई को नियंत्रित करके इस उद्देश्य को प्राप्त किया गया है।

डेयरी विकास के बारे में मैं आपरेशन पत्ताड द्वितीय कार्यक्रम का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा जिससे देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के भारी प्रयास का पता चलता है। यह एक काफी बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सात वर्ष की अवधि तक 485 करोड़ रुपया कम किया जायेगा। इससे 1 करोड़ किसान परिवारों को लाभ पहुंचेगा और इसके अन्तर्गत देश में 1 करोड़ 50 लाख संकर गाय तथा भैंसे आयेंगी।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य पालन उद्योग के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिससे पोषक आहार मिले और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। वर्ष 1978-83 की

पांच वर्षीय अवधि में समुद्र में 22 लाख टन मछली और देश की नदियों से 12 लाख टन मछलियों का उत्पादन बढ़ाने का विचार है।

समुद्रतट से 200 मील तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की घोषणा से हमारे पास विशाल संसाधन आ गए हैं जिसका उपयोग गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के भारी प्रयासों से किया जा सकता है। गत वर्ष के आरम्भ में 52 जहाजों की तुलना में इनकी संख्या इस वर्ष बढ़कर 130 हो जाएगी।

(श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुई) इसके अतिरिक्त 1,202 अतिरिक्त छोटी यंत्रीकृत नावें चलाई गई हैं। कुल मिलाकर लगभग 15,432 छोटी यंत्रीकृत नावें 1978-79 तक चलाये जाने की संभावना है। देशी नौकाओं, यंत्रीकृत नौकाओं और गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाली नौकाओं के बीच गलत प्रतिस्पर्दा रोकने के लिए हमारा प्रयास यह होगा कि देशी नौकाओं, यंत्रीकृत नौकाओं और गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाली नौकाओं का समान आधार पर विकास करके समुद्र में मछलियों के किस्म में सुधार किया जाये।

अन्तर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए गहन मत्स्य पालन के लिए 16 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र में टैंकों और तालाबों का उपयोग करने हेतु 50 मत्स्य किसान विकास एजेंसियों की स्थापना की गई हैं।

खारे पानी में मछली पकड़ने की केन्द्रीय क्षेत्र योजना भी समुद्र वाले राज्यों में लागू की जा रही है ताकि मुख्यत: 14 लाख 20 हजार हैक्टेयर में खारे जल में मत्स्य पालन का उपयोग किया जा सकें।

वनरोपण के संबंध में सरकार ने बाढ़ों को रोकने, भूक्षरण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए बन संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। सामाजिक बन, तेजी से उगने वाली पेड़ों की जातियां और उनगिणतक तथा औद्योगिक महत्व की अन्य महत्वपूर्ण प्रगतियों के लिए कार्यक्रम में इस वर्ष तेजी लाई गई है। इसके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक बन में वर्ष 1976-77 के दौरान केवल 1 करोड़ 63 लाख लगाया गया था। वर्ष 1977-78 में, 7.37 करोड़ रु० का पूंजीनिवेश किया गया था और वर्ष 1978-79 में माजिक बन रोपण के कार्य में 9.20 करोड़ रु० की पूंजी लगाई गई है और इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1977-78 में बेकार पड़ी भूमि के 17,600 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया और मिश्रित तथा खराब जमीन के 43,600 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया और 54,00 किलोमीटर की लम्बाई में अर्थात् सकड़ों और नहरों आदि के किनारों पर भी वृक्षारोपण किया गया। वर्ष 1978-79 में काफी सुधार हुआ है अर्थात् बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण का क्षेत्र 36,630 हैक्टेयर हो गया है, मिश्रित वृक्षारोपण के लिए 83,700 हैक्टेयर और गैर-वर्गीकृत वनों, नहरों के किनारों, सड़कों आदि पर 37,000 किलोमीटर तक वृक्षारोपण किया गया है। यह एक उपलब्धि थी, जो मेरे विचार में एक अच्छी उपलब्धि है।

यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से 34 लाख हैक्टेयर के कुल क्षेत्र को मानव-निर्मित वन क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जायगा।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप भारत सरकार के विचाराधीन है और हम अनेक प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। एक प्रश्न यह है कि वन भूमि का गैर वन-भूमि के रूप में उपयोग करने की अनुमति केवल राज्यों के विधान मण्डलों की अनुमति से ही होना चाहिए। दूसरे, देश के पहाड़ी क्षेत्रों में वन क्षेत्र की सीमा, क्षेत्र की कुल भूमि का कम से कम 60 प्रतिशत होनी चाहिए और तीसरे, उन सभी परियोजनाओं की जिनमें वनों को समाप्त करने का प्रश्न अन्तर्निहित हो, योजना आयोग और पर्यावरण आयोजना एंव समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और ऋतु विज्ञान सम्बन्धी दृष्टिकोणों से जांच की जानी चाहिए और जब तक इन संगठनों द्वारा मंजूरी न दे दी जाय, किसी भी परियोजना को शुरू न किया जाय। इसलिए, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास करते हैं।

महोदया, भूमि सुधारों के बारे में अनेक सदस्यों ने यह कहा है कि इस बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। में यह कहना चाहूंगा और पुनः यह दुहराकर कह रहा हूं कि भूमि सुधारों के द्रुत क्रियान्वयन के लिए सरकार वचनबद्ध है। एक माननीय सदस्य अभी अभी कह रहे थे कि "हमें यह बताया जाय कि गत दो वर्षों के दौरान क्या उपलब्धि हुई है।" जनता सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद, मैं यह कह सकता हूं कि मार्च, 1977 से दो वर्ष से कम अवधि के दौरान 3.03 लाख के अधिक व्यक्तियों को 5 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है। इसलिए, मैं यह कह सकता हूं कि हम भूमि सुधारों का द्रुत गति से क्रियान्वयन करने के लिए बचनवद्ध हैं और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रिकार्ड पिछले रिकार्ड से बेहतर है।

भूमि सुधारों के कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग के सदस्य, प्रो० राज कृष्ण की अध्यक्षता में समिति का गठन करके एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है और उन्होंने अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है उस प्रतिवेदन की एक सिफारिश को स्वीकर भी कर लिया गया है।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची को संशोधित करने का निर्णय किया है। जिससे उन सभी भूमि सुधार कानूनों को उसमें शामिल किया जा सके, जिन्हें अब तक उसमें शामिल नहीं किया गया है अथवा उन कानूनों को भी शामिल किया जाय, जो भविष्य में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाँय, जिससे न्यायालयों में तंग करने वाले मुकदमों में कारण होने वाली परिहार्य देरी से बचा जा सके, क्योंकि यह मुख्य समस्या है। न्यायालय में काफी संख्या में मुकदमे अनिर्णित पड़े हैं। हालांकि राज्य सरकारों ने कुछ भूमि का कब्जा ले लिया है, परन्तु न्यायालय निषेधाज्ञा और रोक आदेश जारी कर देते हैं। इसकी वजह से भूमि के वितरण पर रोक लग जाती है और राज्य सरकारों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम संविधान की नोवीं अनुसूची के अधीन इन सभी कानूनों को ला रहे हैं।

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : केरल के बिल के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : क्या उसका यहां उल्लेख करना मेरे लिए उचित होगा ?

मूल्यों के निर्धारण के बारे में अनेक सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है और यह कहा गया था कि गेहूं, चावल आदि के लिए जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं, वे लाभप्रद नहीं हैं। अनेक किस्मों की आपत्तियां उठाई गई थीं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उल्लेख करना चाहता हूँ—मैंने पिछले दस वर्ष के लिए आंकड़े लिए हैं—कि वर्ष 1968-69 में (पंजाब और हरियाणा में) स्टेण्डर्ड धान का मूल्य 52.50 रु० प्रति क्विटल था और स्टेण्डर्ड गेहूं का मूल्य 76 रु० था। वर्ष 1972-73 में धान के मूल्यों में संशोधन करके उनका मूल्य 53 रु० कर दिया गया। तब से पांच वर्ष तक ये लगभग उतने ही बने रहे। वर्ष 1968-69 से 1973-74 तक गेहूं का मूल्य 76 रु० बना रहा। किसी ने भी मूल्य में परिवर्तन नहीं किया। परन्तु अब कुछ सदस्य प्रत्येक वर्ष परिवर्तन चाहते हैं। इसके बाद, विश्व-मूल्यों में वृद्धि होने के बाद, क्योंकि उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि हो गई थी, यूरिया का मूल्य 2,000 रु० टन तक हो गथा था, इसलिए मूल्यों में संशोधन किया गया। वर्ष 1974-75 में धान का मूल्य बढ़ाकर 76 रु० कर दिया गया और गेहूं का मूल्य बढ़ाकर 105 रु० कर दिया गया और उसके बाद तीन वर्ष तक यह इतना ही बना रहा। वर्ष 1976-77 तक, आपात स्थिति के समाप्त होने तक, कीमतें उतनी ही बनी रहीं, परन्तु वर्ष 1977-78 में हमने धान का मूल्य 76 रु० से बढ़ाकर 79 रु० कर दिया और गेहूं का मूल्य 105 रु० से बढ़ाकर 110 रु० कर दिया। इसके बाद, पिछले वर्ष धान के मूल्यों में 8 रु० का इजाफा करके उसे 87 रु० कर दिया गया और गेहूं के मूल्य में 2.50 रु० की वृद्धि करके उसे 112.50 रु० कर दिया गया। अब इसमें 2.50 रु० की और वृद्धि की गई है और अब गेहूं का मूल्य 115 रु० प्रति क्विटल है।

श्री० बी० के० नायर : धान के मूल्य में संशोधन क्यों नहीं किया गया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस पर बाद में बोलूंगा।

यह स्थिति है। मूल्य अनेक वर्षो तक स्थिर बने रहे, 76 रु० छह वर्ष तक और 105 रु० तीन वर्ष तक बने रहे। मुझे याद है कि जब हम आन्दोलन किया करते थे कि इन कीमतों में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए क्योंकि आदानों की लागत में वृद्धि हो गई थी, परन्तु इसमें लगातार तीन वर्ष तक वृद्धि नहीं की गई थी। इसमें वृद्धि 1977-78 में ही की गई।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि धान की अपेक्षा गेहूं की कीमतों में अधिक तेजी से वृद्धि की गई यह भी सही नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1969-70 और 1978-79 के बीच, विपणन मौसम में गेहूं के वसूली मूल्य 76 रु० से बढ़ाकर 115 रु० कर दिये गये हैं अर्थात् उनमें 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके बिरूद्ध धान के वसूली मूल्य में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसलिए यह तर्क सही नहीं है कि धान के मूल्यों की तुलना मे गेहूं के मूल्यों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की गई है। जैसा कि मैं अपने उत्तर में उल्लेख कर

चुका हूं कि लगभग अन्य सभी उत्पादों की कीमतों में समय समय पर वृद्धि की गई है। इसलिए अब किस चीज की जरूरत है और माननीय सदस्यों को जो चिन्ता है वह विपणन के बारे में है। हम कुछ ऐसे उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जिनके लिए हमारे पास पर्याप्त बाजार नहीं है, हमारे पास परिस्करण सुविधायें और भण्डारण सुविधायें नहीं हैं और यही वजह है कि आलू के मामले में हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इस वर्ष सब्जियों के मामले में भी यही समस्या है। परन्तु अब हम भण्डारण के लिए और निर्यात के लिए भी कुछ नीतियां अपनाने जा रहे और हम कुछ ऐसी नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे अन्ततः उन किसानों को लाभ होगा जो आलू और प्याज जैसी मदों का उत्पादन कर रहे हैं। ये दो मदें ऐसी है, जिनके निर्यात पर उस समय रोक लगाई गई थी जबकि देश में उनके मूल्य बहुत ज्यादा हो गये थे। फिर जब उत्पादन अच्छा रहा, तो उस रोक को हटा दिया गया और हम उन्हें ओ० जी० एल० के अन्तर्गत ले आये हैं। परन्तु फिर भी बाजार में पर्याप्त माँग नहीं है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में निर्यात नहीं हो सका है हम अब तक केवल 23,000 टन आलू का ही निर्यात कर सके हैं। काफी मात्रा में, निर्यात किया जाना चाहिए था, क्योंकि नाफेड ने काफी मात्रा में खरीद की है, परन्तु वे निर्यात नहीं कर सके हैं। कुछ मदों का निर्यात करने के लिए हमें काफी समय तक निर्यात बाजार में रहना होता है और इसके लिए हम ऐसी नीति बना रहे हैं कि निर्यात प्रयोजनों के लिए इन मदों का काफी मात्रा में उत्पादन करें जिससे उनका केवल निर्यात ही किया जा सके। इसी प्रकार सब्जियों के लिए भी, ताजी सब्जियों का बाजार मध्यपूर्व में निकट ही उपलब्ध है। हम कुछ सब्जियों का निर्यात करने की स्थिति में हैं। ऐसा करना पिछले वर्ष सम्भव नहीं था, क्योंकि कमी की वजह से सब्जियों की कीमतें बहुत अधिक हो गई थीं। परन्तु इस वर्ष सब्जियों की कीमतें काफी कम हो गई हैं। अब हम पड़ोसी देशों को हरी सब्जियों का निर्यात करने की सोच रहे हैं और लम्बे समय तक बाजार में बने रहना चाहते हैं। इसके लिए हम राज्य सरकारों से मूलाधार ढांचे का निर्माण करने के लिए कह रहे हैं; जिससे सब्जियों का विशेष रूप से विशिष्ट किस्मों की सब्जियों का लम्बे समय तक उत्पादन किया जा सके। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसी कुछ सरकारें अधिक मात्रा में सब्जियों का उत्पादन करने के लिए उत्सुक हैं जिससे उनमें से कुछ भाग का निर्यात किया जा सके।

सभापति महोदया : विशेष किस्म की कौन सी सब्जियां हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : भिण्डी और बेगन सब्जियों की ऐसी दो किस्में हैं, जिनकी मध्यपूर्व के देशों में माँग है। पंजाब सरकार ने हमें अभी हाल में बताया है कि वे निर्यात प्रयोजनों के लिए प्रति दिन इन दोनों प्रकार की सब्जियों में से प्रत्येक प्रकार की बीस टन सब्जी की सप्लाई करने की स्थिति में हैं और यह कि वे एक विशेष विमान प्रतिदिन भेज सकते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र भी इन दोनों सब्जियों में से प्रत्येक सब्जी की दस टन मात्रा का उत्पादन करने के इच्छुक हैं।

हम इस प्रकार सब्जियों का निर्यात करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आलू के लिए देश में अधिक मात्रा में शीत भण्डारण सुविधा की जरूरत है। गत पांच वर्षों के दौरान आलू

का उत्पादन लगभग दुगना हो गया है, लेकिन शीत भण्डारण क्षमता में केवल लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शीत भण्डारण की लगभग 80 प्रतिशत या अधिक क्षमता का उपयोग आलू के भण्डारण के लिए किये जाने का अनुमान है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : कोल्ड स्टोरेज की जो तादाद आपने कही है कि 50 परसेंट बढ़ी है, यह ज्यादा बता दी आपने।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 50 परसेंट बढ़ी है थोड़े दिनों में।

(व्यवधान)

मैं बात करता हूं। पहले हम कोशिश यह कर रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाया जाय, जैसे शूगर के बारे में मैंने कहा था डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना है। अपनी तो आबादी इतनी बढ़ी हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हो सकता है। अब आलू की पैदावार 90, 91 लाख टन के दर्मियान है। लेकिन इतनी आबादी के लिये काफी नही है।

एक माननीय सदस्य : आलू तो सड़ गया।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सड़ तो इसलिये गया कि लोग खाने के आदी नहीं हुए हैं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा): लोगों की परचेजिंग कैपेसीटि नहीं है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : परचेजिंग कैपेसिटी है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : आलू तो मिल रहा है 40 पैसे का एक किलो और चावल व गेहूं मिल रहा है सवा रुपये और डेढ़ रुपये का किलो। हरेक आदमी गरीब से गरीब भी चावल और गेहूं खरीदना चाहेगा लेकिन 40,50 पैसे किलो का आलू नहीं खरीदेगा हालांकि उसकी फूड वैल्यू ज्यादा है।

मुझे पता है, आपको शायद पता नहीं हो कि सरदार इकबाल सिंह आलू बहुत तादाद में पैदा करते हैं और उनको पटैटो किंग कहा जाता है। उनके पास जमीन ज्यादा नहीं है, जमीन की वजह से पटैटो ज्यादा नहीं होता है वह देश में आलू के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसलिए उन्हें इस सब्जी की जानकारी है।

इसलिये उनको कोल्ड-स्टोरेज का काफी पता है, कहां कैसे दिक्कत आई है यह भी पता है। आलू रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा।

सभापति महोदय : जब आपने पुटैटो किंग कहा, तो मैंने समझा कि वह सबसे अधिक आलू खाते हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे तो इसके लिए उनसे शिकायत है कि वह न तो अधिक मात्रा में चीनी खाते हैं और न आलू ही। मैं माननीय सदस्यों से

अनुरोध करूंगा कि वस्तुतः, उन्हें अन्न खाने की आदत को बढ़ावा देना चाहिए। आलू का सब्जी की तरह ही उपयोग नहीं करना चाहिए — ऐसा नहीं कि दालन की तरह चावल के साथ या रोटी के साथ थोड़ा खा लें। आलू के खाये जाने को एक खाद्य-आदत बनाया जाना चाहिए।

अब, हमने देश के सभी भागों में आलू का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है। दो दिन पहले, मैं कलकत्ता में था। वे काफी मात्रा में आलू का उत्पादन कर रहे हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में ही 21 लाख टन आलू का उत्पादन किया जा चुका है। पहले, उत्तर प्रदेश से और देश के अन्य भागों से पश्चिम बंगाल और असम को आलू भेजा जाता था। अब वे अपनी जरूरत के आलू का खुद ही उत्पादन कर रहे हैं।

श्री अनन्त राम जायसवाल : आप अपने मास मीडिया का इस्तेमाल करिये।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मास मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिये, मास मीडिया का सबसे बढ़िया काम तो हमारे मेम्बर्स कर सकते हैं वह 50, 60 हजार की गैदरिंग में जाकर जब बोलते हैं तो उनको लोगों से कहना चाहिए कि आलू खाना अच्छा है। तो थोड़ा आलू का प्रचार होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : चीनी के बारे में

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : चीनी तो कुछ समय के बाद आपको मिलेगी नहीं। मुझे तो यह मालूम हुआ है कि जो एक चम्मच चीनी खाता था, वह अब दो चम्मच खाने लगा है। पहले चीनी गांव में जाती नहीं थी, अब जाने लगी है इसलिए 37 के बजाय 60 लाख टन चीनी की कंजम्पशन होने लगी है। पहले यही था कि उनके पास गांव में पहुंचती नहीं थी, शहर के लोग ही खा जाते थे, राशन में भी ले ली और वैसे भी ले ली। किसी न किसी तरह से शहर में ही इस्तेमाल हो जाती थी इसलिए दिक्कत रहती थी। अब गांव में जाने लगी है, गरीबों के पास पहुंची है। अभी तक लोग समझते थे कि शायद यह अमीरों के लिए ही बनी है हमें तो गुड़ ही खाने के लिए मिलता है। अब गांव में लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। इसीलिए चीनी की कंजम्पशन बढ़ी है। कंजम्पशन हर बात की बढ़नी चाहिए।

अनाज के बारे में कहा गया कि हमारे पास बहुत हो गया, लोग कहते हैं कि सड़ गया है। सड़ने की बात नहीं है। अनाज आमतौर पर कहीं रखा जायेगा, कोई भी रखेगा, आप घर में भी रखेंगे, मैं भी थोड़ा बहुत अनाज घर में रखता हूं तो जानता हूं कि जरूर थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। कभी सैलाब में नुकसान हो जाता है, चूहे खा जाते हैं, काबू नहीं कर सकते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो ही जाता है। देश में बहुत से भंडार ऐसे थे जिनके ऊपर छत्त नहीं थी तो उन पर पोलीथीन कैप्स रखनी पड़ीं। साइक्लोन आया, उससे वह नीचे गिर गई, इसी तरह आंधी, वारिश आई तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान होता रहा है। कई जगह लीकेज शुरू हो जाता है, अपने घरों में भी कोशिश करने के बावजूद लीकेज हो जाता है। इसलिए हमारा लास इतना नहीं है, जितना कि कहा

जाता है कि बहुत सड़ गया। जहां इतनी बड़ी मात्रा में अनाज रहता, है, 15 मिलियन टन, 17 मिलियन टन तो कहीं-कहीं उसमें थोड़ा बहुत लास होता रहता है लेकिन इससे फायदा यह हुआ है कि देश के किसी भी हिस्से में आज ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमारे यहां अनाज नहीं मिल रहा है या ठीक दाम पर नहीं मिल रहा है। सारे देश में एक ही दाम पर इश्यू प्राइस पर अनाज मिल रहा है, और रिमोटेस्ट पार्ट में भी मिल रहा है और यह हैल्दी साइन है।

केरल में जब मैं गया तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा-बहुत कानून मौडिफिकेशन करना चाहिये। उन्होंने कानून बना रखा है, जिसके नीचे —

"कोई विशेष भूमि, जो धान की खेती के अधीन आ गई है, वह धान की खेती के अधीन ही रहेगी।" इसलिए मैंने राज्य सरकार को यह बताया कि अब वे कानून में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध है। चावल आन्ध्र-प्रदेश से वहां भेजा जा सकता है, तमिलनाडु से भेजा जा सकता है। मैंने उन्हें बताया कि "जिस किस्म के भी चावल की उन्हें जरूरत होगी, वह उन्हें उपलब्ध किया जायेगा। किसी अन्य बेहतर कार्य के लिए इस भूमि का उपयोग क्यों नहीं किया जाता?" यही कारण है कि मैंने उन्हें सुझाव दिया था। अन्य राज्यों के बारे में भी, मैं यह सुझाव देता रहा हूं कि हमें खेती करने के वे ही तरीके और उन कृषि फसलों को ही अपनाना चाहिए, जिनसे किसान को अधिकतम उत्पादन और अधिक फसल प्राप्त हो सके।

अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैंने काफी समय ले लिया है। अन्त में मैं भारतीय किसानों के प्रति आधार प्रकट करता हूं, जो देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक रहे हैं, कृषि वैज्ञानिकों का भी मैं आभारी हूं और मौसम एवं भगवान भी काफी सहायक सिद्ध हुए हैं, हालांकि सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं बल्कि फिर भी खाद्य उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायक रहे हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस बहस में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि अनुदानों की इन मांगों पर कृपया मतदान किया जाए।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए — :

सभापति महोदया : एक बार में एक सदस्य ही बोलें। (श्री बी० के० नायर)।

श्री बी० के० नायर (मावेलीकरा) : निर्यात पर उप-कर लगाकर पशुओं के लिए एक कल्याण-निधि बनाने के बारे में केरल के बारे में मैंने एक निश्चित प्रश्न पूछा था। उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने केरल को पर्याप्त मात्रा में चावल की समुचित सप्लाई करने के लिए भी अनुरोध किया था, क्योंकि इसमें से काफी चावल को अस्वीकार कर दिया जाता है। यह लोगों की क्रय शक्ति से परे है और यह गोदामों में रुका पड़ा रहता है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : कृषि मन्त्री समता-मूल्यों की वकालत कर रहे हैं। उसका क्या हुआ ? मैं कृषकों के लिए लाभप्रद मूल्य और गरीब उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य चाहता था।

श्री ऐ० के० राय (धनबाद) : मन्त्री महोदय ने हमें यह जानकारी दी है कि पांच लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है। मेरे विचार में जमीन की इतनी मात्रा पुराने कानून के आधार पर वितरित की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नये भूमि कानून बनाने के लिए राज्यों को नये निर्देश देने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है जिससे भू-स्वामी वर्ग से अधिक जमीन प्राप्त की जा सके ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : राज्य नया गेहूं खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य अनुभव कर रहे हैं कि कई जगह बोरे नहीं हैं। क्या मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है? इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि पछले दो सालों में 3.5 लाख परिवारों को 5 लाख एकड़ भूमि बांटी गई है। क्या वह इससे संतुष्ट हैं ? इस तरह लगभग डेढ़ एकड़ भूमि एक आदमी को मिली है। इस देश में डेढ़ करोड़ परिवार भूमिहीन हैं। केवल 5 लाख परिवारों को भूमि देना समुद्र में जल-कण के बराबर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश में भूमिहीन परिवारों को जमीन दिलवाने के लिए क्या वह राज्य सरकारों को भूमि-सुधार कानूनों में इस प्रकार के संशोधन करने का निर्देश देंगे ताकि हजारों एकड़ जमीन का स्वामित्व रखने वाले किसानों से भूमि सीमा से अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीनों को पर्याप्त भूमि खेती के लिए दी जा सके ?

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों (जालन्धर) : सरकार ने इस आशय की कई घोषणायें की हैं कि दालों और तिलहनों के वसूली मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है और सरकार को इस बात का गर्व है। परन्तु दालों और तिलहनों के बाजार मूल्य को जिन वसूली मूल्यों से काफी अधिक हैं। इसलिए, इससे उत्पादन में और किसानों को कैसे सहायता मिल सकती है ?

श्री चंदन सिंह (कैराना) : सभी संसद सदस्यों ने यह जिक्र किया कि क्राप की और कैटल की इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस चीज के लिए भी कुछ आश्वासन देंगे ? जैसे गेहूं है या तिलहन है, ओला वृष्टि से यह फसल खराब हो जाती है तो क्या उसके लिए क्राप इंश्योरेंस करने का आश्वासन वह देंगे और कैटल का भी इंश्योरेंस करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री छबिराम अर्गल (मुरैना) : माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि भूमि कटाव रोकने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं चम्बल डिवीजन के मुरैना क्षेत्र से चुनकर आता हूं। चम्बल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश तीन स्टेट्स से होकर जाती है और उसके द्वारा हर साल करीब 5 लाख एकड़ काबिले काश्त जमीन कट जाती है और बहुत सी जमीन बीहड़ बन जाती है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस कटाव को रोकने के लिए फ्लड कंट्रोल स्कीम के तहत कोई योजना बनाएंगे और जो बीहड़ जमीन है उसका समतलीकरण करके उस भूमि को हरिजन आदिवासी और भूमिहीन लोगों में बंटवाएंगे ? **(इति)**

श्री राघव जी (विदिशा) : खाद्यान्नों की जो सपोर्ट प्राइस घोषित होती है वह आमतौर पर फसल के मार्केट में आने के बाद घोषित होती है, क्या माननीय मन्त्री जी इस की घोषणा फसल आने के पूर्व कराने की व्यवस्था करेंगे और ओला वृष्टि से जो नुकसान होता है उसे रोकने के लिए कोई वैज्ञानिक उपाय खोजने की कोशिश करेंगे ?

सभापति महोदया : मैं उनके नाम पुकार रही हूं, जिन्होंने शुरू में अपने हाथ खड़े किये थे। लेकिन आप अन्य सदस्यों के प्रश्नों से प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकते । इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। (श्री भगत राम) :

श्री भगत राम (फिल्लौर) : खेती में मशीनरी के इस्तेमाल से हमारे देश में जो हजारों खेत मजदूर हैं उनके हाथ कट जाते हैं और वे ऐक्सीडेंट से मर जाते हैं तो उन को कम्पेन्सेशन देने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं और दूसरा मेरा क्वेश्चन है

सभापति महोदया : केवल एक ही प्रश्न पूछने की अनुमति है। मैं श्री कोडियन का नाम पुकार चुकी हूं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : सभापति महोदया, माननीय मन्त्री महोदय ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जिसे बहस के दौरान पूछा गया था कि बड़े चीनी व्यापारियों की हेरा फेरी की वजह से चीनी की कीमतों में अभी हाल में वृद्धि हुई है।

सभापति महोदया : आपका क्या प्रश्न है ? आप दोबारा प्रश्न पूछिए।

श्री पी० के० कोडियन : चीनी की जो कीमत 2.60 रु० थी, अब बढ़कर 3.20 रु० हो गई है। इस बारे में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री वयालार रवि : उन्होंने पैसा लिया है।

सभापति महोदया : रवि जी, आप उन्हें अपना प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री पी० के० कोडियन : प्राइवेट क्षेत्र के और सहकारी क्षेत्र के दोनों ही क्षेत्रों के उन बड़े बड़े चीनी मिल मालिकों के खिलाफ सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने बाजार में चीनी का पर्याप्त कोटा जारी न करके चीनी के मूल्य में कृत्रिम रूप से वृद्धिकर दी है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदया, मैं श्री नायर का प्रश्न समझ नहीं सका क्या आप उस प्रश्न को फिर से दोहरायेंगे ?

सभापति महोदया : आप श्री नायर से अपना प्रश्न दोहराने के लिए कह रहे हैं इस का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रश्न को दुबारा पूछे।

श्री बी० के० नायर : मेरा प्रश्न मछुओं के लिए कल्याण निधि की स्थापना करने के बारे में है, जो 180 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात पर उप-कर लगाकर स्थापित किया जा सकता है।

सभापति महोदया : श्री नायर यह आपको भाषण देने के लिए बहाना नहीं है।

श्री बी० के० नायर : निर्यात पर एक उप-कर लगाया जा सकता है। उस निधि का उपयोग पशुओं के कल्याण के लिए और केरल के लिए अच्छी किस्म के चावल हेतु किया जा सकता है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : निर्यात पर उप-कर लगाने और पछुओं के कल्याण के लिए उस धनराशी का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव मेरे विचाराधीन नहीं है। अन्य ऐसी योजनायें हैं, जिनसे मछुओं को लाभ हो सकता है।

सभापति महोदया, अनेक प्रश्न पूछे गये हैं और मैं उन सभी का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदया : और उनका यथा सम्भव संक्षिप्त उत्तर दें।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं उनका यथासम्भव संक्षिप्त और शीघ्र उत्तर दूंगा।

कृषि मूल्य आयोग के बारे में उल्लेख किया गया। प्रश्न यह था कि क्या हम कृषि मूल्य आयोग के निर्देशपदों में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगें। मैं अपने भाषण में पहले ही बता चुका हूं कि यह प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है। भूमि सुधारों के बारे में भी शास्त्री जी ने यह उल्लेख किया गया कि इस समय देश में ढ़ेड़ करोड़ भूमिहीन परिवार हैं, उनको जमीन कब देंगे ? अब मेरे हाथ में कोई जादू तो हैं नही कि मैं खींचकर जमीन को बढ़ा दूं। और उसको थोड़ा थोड़ा करके बांट दूं यह तो जो जमीन अबेलेबल होती है, उसी को बांटना है उसमें से मैंने बता दिया है... (व्यवदान)

सभापति महोदया : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

आप अपनी जानकारी से कह रहे हैं। मंत्री महोदय अपनी जानकारी से कह रहे हैं। आप बराबर चिल्लाते नहीं रह सकते।

श्री सुजीरत सिंह बरनाला : जो कानून बने हैं सभी प्रान्तों में हैं, उनके नीचे जितनी जमनी मोहैया हो रही है, जितनी सरप्लस ज़मीन बनती जा रही है उसको बांटते चले जा रहे हैं। इसमें किसी प्रान्त में आधा एकड़ ज़मीन दी गई है, कहीं एक एकड़ दी गई है और कहीं पर डेढ़ एकड़ दी गई है। कहीं पर यह ठीक हो सकती हैं और कहीं पर गलत हो सकती है, किसी प्रान्त में एक एकड़ जमीन बहुत होती; और कहीं पर कुछ भी नहीं होती है मैं यह नहीं कहता कि बहुत जमीन दे दी गई है लेकिन इससे ज़्यादा ज़मीन दी नहीं जा सकती थी। (व्यवधान)

सभापति महोदया : वह शास्त्री जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आपके प्रश्न का नहीं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : दूसरी बात यह कही गई है कि पलसेज़ की मार्केट प्राइस एक रीज़नेबल प्राइस मुक़र्रर की जाती है जिसके नीचे अगर प्राइसेज़ जाती है तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। अगर मार्केट में किसान को सर्पोट प्राइस से ज्यादा दाम मिलते हैं तो बहुत

अच्छी बात है। (**व्यवधान**) जैसे गेहूं के लिए 115 रुपए क्विंटल सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है... (**व्यवधान**)

श्री उग्रसेन (देवरिया) : एग्रीकल्चर की डिमाण्ड्स पर हम लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया हमको बोलने का हक है, जनता ने इसीलिए यहां पर हमको भेजा है। हम तो सवाल करेंगे। **

सभापति महोदया : अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध ऐसी टिप्पणीयां रिकार्ड में शामिल नहीं की जायेंगी। अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध कोई टिप्पणी ना करें। पार्टी द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार सदस्यों के नाम पुकारे जाते हैं।

श्री वयालार रवि : उग्रसेन जी, आप सभापति महोदया के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त न करें।

सभापति महोदया : मेरे विचार में इसकी वह कोई परवाह नहीं करते कि कोई स्त्री हो या पुरुष। वह ऐसी धमकियां देते हैं; यह उनके जीवन का एक अंग है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ढ़िल्लों साहब ने कहा कि पलसेज़ की प्राइसेज़ मार्केट में ज्यादा है लेकिन सरकार ने सपोर्ट प्राइस कम मुर्करर की है फिर इसमें क्या क्रेडिट है। तो हम इसका क्रेडिट नहीं ले रहे है। अगर मार्केट में प्राइसेज़ ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर सर्पोट प्राइस से नीचे मार्केट में प्राइसेज़ जाती है तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। जैसे गेहूं के लिए सर्पोट प्राइस 115 रु० है, अगर बाजार में 120 रु० मिलते हैं तो किसान वहां पर बेचें, कोई कोअर्सिव प्रोक्योरमेंट नहीं है। जितने पर भी बिकता है, बेचें लेकिन अगर मण्डीं में 115 रु० पर बेचने के लिए आयेंगे तो सरकार खरीदेगी। इसलिए मैंने कहा कि सपोर्ट प्राइस इसीलिए मुर्करर की जाती है जिस पर खरीदना ही पड़ेगा।

माननीय सदस्य ने चम्बल के कटाव का जिक्र किया और कहा कि वह उनकी कांस्टीट्एन्सी है। मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो उनका जिक्र कर देता। मैंने फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का जिक्र किया था लेकिन यह रिक्लेमेशन की बात है। चम्बल जहां जहां से होकर जाती है हम कोशिश में है कि जहां रिक्लेमेशन हो सकता है वह कर लिया जाये लेकिन कहीं कहीं पर चम्बल का कटाव बहुत गहरा है जहां पर रिक्लेम करना मुमकिन नहीं है। इसलिए जहां कटाव बहुत गहरा है वहां पर जंगल लगा दिये जायें और जहां पर आसानी से थोड़े पैसे में रिक्लेमेशन किया जा सकता है उसको रिक्लेम करके काबले काश्त बना दिया जाये। (**व्यवधान**)

फसल बीमा और पशु बीमा के बारे में, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं इस बारे में बोलना भूल गया। फसल बीमा के बारे में, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि भारतीय सामान्य बीमा निगम ने क्षेत्र के दृष्टिकोण पर मार्गदर्शी फसल बीमा योजना को अन्तिम रूप दिया है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

योजना एक जैसी कृषि जलवायु खण्डों के लिए होगी और इसके प्रीमियम दर तथा मुआबजा दरें भी एक जैसी होंगी। जलवायु सम्बन्धी समस्त जोखिम इसके अन्तर्गत आयेगी तथा कीट और पौधों के अन्य रोगों का जोखिम भी इसके अन्तर्गत आयेगी। राज्य सरकार भी बीमाकर्त्ता के रूप में भागीदार बनेगी और दावों तथा प्रीमियम में 25 प्रतिशत की उसकी भागीदारी होगी। इस योजना में फसल की कटाई के परीक्षणों पर पर्याप्त आंकडे एकत्र करवा तथा मुआवजे की सीमा और दिए जाने वाले प्रीमियम के लिए गहन अध्ययन भी अन्तर्गस्त हैं। प्रीमियम तथा मुआवजे की तालिकायें 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए तैयार कर ली गई हैं। सामान्य बीमा निगम ने महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के कुछ भागों के लिए जलवायु सम्बन्धी सभी जोखिमों (सूखा के अतिरिक्त) तथा कीट और पौधों में लगने वाले रोगों के लिए एच-4 कपास के लिए फसल बीमा योजना लागू की है।

पशुओं के बीमे के बारे में, भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायक कम्पनियां स्वदेशी, शंकरनस्ल तथा विदेशों से मंगाये गए दूध देने वाले पशुओं के लिए पशु बीमा वर्ष 1974 से कर रही है। बाजार मूल्य अथवा बैंक अग्रिम की 80-100 प्रतिशत राशि के भिन्न-भिन्न आश्वसान दिए जाते हैं। कुछ विशिष्ट कारणों को छोड़कर दुर्घटना अथवा रोग से होने वाली मृत्यु के लिए बीमा किया जाता है। यह योजना देश पर्यन्त चल रही है। 1 अप्रैल 1977 से एस. एफ. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले दुधारू पशु और भारत के सांड तथा तीन से आठ वर्ष के शंकर नस्लों के सांडों के लिए प्रीमियम की विशेष रियायती दर ली जाती है। कुछ कारणों के अधीन दुर्घटना अथवा रोग से मृत्यु होने के लिए बीमा किया जाता है। शंकरनस्ल के झोटों/बछड़ों के लिए, विशेष परियोजना क्षेत्रों में, बीमा-योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

एक अनरेबिल मेम्बर ने जिक्र किया कि काम करते हुए थ्रेशर से हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है—उसका भी बीमा होना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी एक स्कीम चलाई है, जिसको "जनता इंशोरेन्स" कहते हैं। इसके अन्दर 12 रुपया प्रीमियम दे कर बीमा कराया जा सकता है और खुदानख्वास्ता दोनों हाथ कट जाते हैं या एक हाथ और एक पैर कट जाता हैं तो 12 हजार रुपये तक मिल जाता है। एक हाथ कट जाए तो 6 हजार तक मिल जाता हैं। यह बहुत अच्छी स्कीम है और कुछ एरियाज में बहुत अच्छा काम कर रही है।

कहा गया है कि आजकल दिल्ली में चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है। दिल्ली में चीनी का मूल्य 10 पैसे सदैव ही अधिक रहता है क्योंकि यहां प्रति किलो चीनी पर 10 पैसे शुल्क लगता है।

श्री वयालार रवि (चिरचिकील) : क्या मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। (व्यवधान)*

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे विचार से दिल्ली में चीनी का प्रति किलो मूल्य 3 रुपये से कम है। मूल्य 2.90 पैसे अथवा 3 रुपये भी हो सकता है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जी नहीं। यह गलत हैं। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जनता सरकार के सत्ता में आने से पूर्व चीनी का मूल्य 6 रुपये, 5.50 रुपये प्रति किलो चलता था। हमें इसी दर पर चीनी मिल रही थी। परन्तु मूल्य अब बहुत कम है और पहले मूल्य नहीं रह सके हैं अन्यथा तब गन्ना उत्पादकों को कुछ भी नहीं दे पाते। अतः हमारे प्रयास ये है कि मूल्य 2.80 अथवा 2.85 प्रति किलो के लगभग रहे और हम अधिक चीनी बाजार में उपलब्ध करा रहे है ताकि मूल्य नीचे रहें। इसके साथ मैं लगभग सभी मुद्दों का जवाब दे चुका हूं।

सभापति महोदया : मांगों को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 7 से 64, 67 से 90, 93 से 104, 107 से 111 तथा 114 से 117 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति दी जाये।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए

सभापति महोदय : जब तक कोई माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव पृथक रखने के लिए नहीं कहता मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ रखूंगी।

श्री ए. के. राय : मैं चाहता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 406, 408 तथा 410 सदन में मतदान के लिए पृथक रूप में रखे जाएं।

सभापति महोदय : इन तीन कटौती प्रस्तावों को छोड़कर में अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखती हूं। सभापति द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री ए. के. राय द्वारा पेश किया गया कटौती प्रस्ताव संख्या 406 सभा में मतदान के लिए रखती हूं। प्रश्न यह है कि

"ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए।

406. "समेकित सरकारी खेती के साथ कृषि में सरकारी क्षेत्र की स्थापना करने की आवश्यकता"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदया : अब मैं श्री राय का कटौती प्रस्ताव संख्या 408 सभा में मतदान के लिए रखती हूं। प्रश्न यह है :—

"कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए।"

408. विकास खण्डों में भूमि सेना की स्थापना करने की आवश्यकता।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या—15

पक्ष में

(1) डामोर, श्री सोम जी भाई
(2) भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह
(3) राम, श्री ए. के.

विपक्ष में

उग्रसेन, श्री
कुन्डू, श्री समरेन्द्र
कुरील श्री आर० एल०
कैलाश प्रकाश, श्री
कौशिक, श्री पुरुषोतम
खां, कुंवर मुहमूद अली
खां, श्री गुलाम मोहम्मद
गोदरा, चौ० हरी राम मक्कासर
घोषाल, श्री सुधीर
चतुर्वेदी, श्री शम्भू नाथ
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चौधरी, श्री मोती भाई आर०
चौहान, श्री बेगाराम
चौहान, श्री भारत सिंह
जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह
जैन, श्री कचरुलाल हेमराज
जायसवाल श्री अनन्तराम
जोशी, डा० मुरली मनोहर
ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह
तिवारी, श्री बृजभूषण
देशमुख, श्री राम प्रसाद
धुर्वे, श्री श्यामलाल

नेगी, श्री टी० एस०

परमार, श्री नटवर लाल

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पाटिल, श्री एस० डी०

पिपिल, श्री मोहन लाल

प्रधान, श्री गणनाथ

बरनाला, श्री सुरजित सिंह

बालकराम, श्री

बेरवा, श्री रामकंवर

मछण्ड, श्री रघुबीर सिंह

मयती, श्रीमती आभा

महाला, श्री के० एल०

महिषि, डा० सरोजिनी

मिश्र, श्री जनेश्वर

मुन्डा, श्री कड़ियां

महालगी, श्री आर० के०

यादव, श्री रामजी लाल

राघवजी, श्री

राजदा, श्री रत्न सिंह

राठौर, डा० भगवान दास

रामकिशन, श्री

राम गोपाल सिंह, श्री

रामचन्द्रन, श्री पी०

रामजी सिंह, डा०

राम दास सिंह, श्री

राय, श्री गौरी शंकर

रेड्रिक्स, श्री रूडोलन

लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर०

लियमे, श्री मधु

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्री रवीन्द्र

शाह, श्री सुरत बहादुर

सैयद, श्री लियाकत हुसैन,

सरकार, श्री शक्ति कुमार

सारण, श्री दौलतराम

सामन्त सिंहेरा, श्री पदयाचरण

सिन्हा, श्री सी० एम०

सुखेन्द्र सिंह, श्री

सूरजभान श्री

सोमानी, श्री रूप लाल

सोमानी, श्री एस० एस०

हरिकेश बहादुर, श्री

हीरा भाई, श्री

हुकमराम, श्री

क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 3

विपक्ष में : 68

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 410 मतदान के लिये रखती हूं।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी विपक्ष मे अपना मत रिकार्ड कराया।

(1) अग्रवाल, श्री सतीश चन्द्र
(2) अर्गल, श्री छवि राम
(3) भदोरिया, श्री अर्जुन सिंह
(4) भारत भूषण, श्री
(5) वर्मा, श्री ब्रज लाल
(6) वशिष्ट, श्री धर्मवीर
(7) रामदेव सिंह, श्री

"ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायें"

410. खेती करने वालों को भूमि का स्वामित्व दिलाने में असफलता।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मतविभाजन संख्या 16

पक्ष में

(1) किस्कु, श्री जदुनाथ
(2) कोडियन, श्री पी. के.
(3) गवई, श्री डी. जी.
(4) जोरडर, श्री दिनेश
(5) टिर्की, श्री पीयूष
(6) पाई, श्री टी. ए.
(7) भगतराम, श्री
(8) मंडल, श्री मुकन्द
(9) मताबा, श्री सी. आर.
(10) मोदक, श्री विजय
(11) राय, श्री ए. के.
(12) राय, डा. सरदीश
(13) लक्ष्मी नाराणयन, श्री एम. आर.
(14) साही, श्री ए. के.
(15) साही, श्री गडाधर
(16) शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी.
(17) शिवशंकर, श्री पी.
(18) हाल्डर, श्री कृष्ण चन्द्र

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
कुन्डू, श्री समरेन्द्र
कुरील, श्री आर. एल.
कैलाश प्रकाश, श्री

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम

खां, कुंवर मुहमूद अली

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

गोदरा, चौ० हरी राम मक्कासर

घोषाल, श्री सुधीर

चतुर्वेदी, श्री शंभूनाथ

चन्दन सिंह, श्री

चन्द्रावती, श्रीमती

चौधरी, श्री त्रिदिव

चौधरी, श्री मोतीभाई आर.

चौहान, श्री वेगाराम

चौहान, श्री नवाबसिंह

चौहान, श्री भारत सिंह

जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह

जैन, श्री कचरुलाल हेमराज

जायसवाल, श्री अनन्तराम

जोशी, डा० मुरली मनोहर

ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह

तिवारी, श्री बृजभूषण

देशमुख, श्री राम प्रसाद

धुर्वे, श्री श्यामलाल

नायक, श्री लक्ष्मीनारायण

नेगी, श्री टी. एस.

परमार, श्री नटवरलाल

परस्ते, श्री दलपतसिंह

पाटिल, श्री एस. डी.

पिपिल, श्री मोहन लाल

प्रधान, श्री गणनाथ

बरनाला, श्री सुरजीत सिंह

बालकराम, श्री

बेरवा, श्री रामकंवर

भारत भूषण, श्री

मछण्ड, श्री रघुवीर सिंह

मयती, श्रीमती आभा

महाला, श्री के० एल०

महिषि, डा० सरोजिनी

मिश्र, श्री जनेश्वर

मुण्डा, श्री गोविन्द

महालगी, श्री आर० के०

यादव, श्री रामजी लाल

राघवजी, श्री

राजदा, श्री रत्न सिंह

राठौर, डा० भगवान दास

रामकिशन, श्री

रामचन्द्रन, श्री पी०

रामदास सिंह, श्री

रामदेव सिंह, श्री

राय, श्री गौरी शंकर

लिमये, श्री मधु

वर्मा, श्री बृजलाल

वर्मा श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वशिष्ट, श्री धर्मवीर

शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद

साह, श्री सुरत बहादुर

सैयद श्री लियाकत हुसैन

सरकार, श्री शक्ति कुमार

सारण, श्री दौलतराम

सामन्त सिंहेरा, श्री पदयाचरण

सिन्हा, श्री सी० एम०

सुखेन्द्र सिंह, श्री

सूरजभान, श्री

सोमानी, श्री रूप लाल

सोमानी, श्री एस० एस०

हरिकेश वहादुर, श्री

हीराभाई, श्री

हुकमराम, श्री

क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है

पक्ष : 18

विपक्ष : 70

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब में अनुदानों की मांगे सभा में मतदान के लिये रखूंगी। प्रश्न मत है :

कि कार्य सूचि के स्तम्भ 2 में दिखाई गई कृषि और सिचाई मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 1 से 10 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

मांग संख्या	शीर्षक	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
1.	कृषि विभाग	42,01,000	
2.	कृषि	23,94,61,000	107,67,99,000
3.	मीन उद्योम	4,80,20,000	5,13,94,000

निम्नलिखित सदस्यों ने भी विपक्ष में अपना मत रिकार्ड कराया

(1) अर्गल, श्री छविराम

(2) भदोरिया, श्री अर्जुन सिंह

(3) चौधरी, श्री राम गोपाल

(4) डा० राम जीत सिंह

1	2	3	4
4.	पशु पालन और डेरी विकास	15,34,36,000	3,94,32,000
5.	वन	6,23,63,000	79,00,000
6.	खाद्य विभाग	95,45,72,000	7,90,48,000
7.	ग्रामीण विकास विभाग	59,95,21,000	4,39,11,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1,70,000	...
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां	14,63,50,000	...
10.	सिंचाई विभाग	5,45,85,000	1,27,09,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की मांगे, 1979-80

ऊर्जा मन्त्रालय

सभापति महोदय : अब सदन में ऊर्जा मन्त्रालय की मांग संख्या 28 से 30 पर चर्चा और मतदान होगा जिसके लिये 5 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है। यह मांगे इस प्रकार हैं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
28.	ऊर्जा मन्त्रालय	14,39,000	...
29.	विद्युत विकास	9,24,86,000	63,55,01,000
30.	कोयला और लिग्नाइट	3,95,57,000	96,56,11,000

अनुदानों की मांगों पर जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, यदि वे अपने प्रस्ताव पेश करना चाहें, वे 15 मिनट में अपनी पर्चियां अपने कटौती प्रस्तावों

की संख्या दर्शाते हुये अध्यक्षपीठ को भेज सकते हैं । केवल वही कटौती प्रस्ताव पेश हुए समझे जायेगें । श्री संजीवी राव ।

श्री एम० एस० संजीवी राव (कानाड़ा) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं । सर्व प्रथम मैं यह चाहूंगा कि हमारे विनम्र मंत्री महोदय, इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण पाने के लिये सशक्त और प्रभावी बनें । आर्थिक प्रगति के लिये बिजली आधारभूत महत्व रखती है । यह देश के भावी विकास के लिये बहुत ही महत्व रखती है । इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं है कि औद्योगिक विकास के लिये बिजली पानी की आवश्यकता है । दूसरे शब्दों में हमारे देश के समग्र आर्थिक विकास के लिये विद्युत अनिवार्य और देश में बेरोजगारी की समस्या का भी इसी से समाधान हो सकता है । ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार उन्होंने बहुत बड़े-बड़े आयोजन किया है बड़े पूंजीनिवेश की योजना बनाई है । आगामी छटी पंचवर्षीय योजना में उनका विचार 44,600 मेगावाट विद्युत क्षमता अधिनिमित कर सकते । योजना आयोग 17,500 करोड़ रुपये की राशि, जो सरकारी उद्यमों को उपलब्ध कराई गई राशि का लगभग 23 प्रतिशत है, ठीक ही उपलब्ध कराई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस राशि को उपलब्ध कराने से हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं । प्रशासन को सक्रिय होकर इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि 18,600 करोड़ रुपये की राशि की प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता को सम्बन्धित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम दिया जाये ।

परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमारे पास व्यवस्था सिकेनिज्म तथा तरीके नहीं है । आधुनिक तकनीकों की क्रियानिति, उचित मानिटरिंग तथा निर्माण कार्य में मार्गदर्शन के लिये इस व्यवस्था का पुनर्गठन तथा संगठनात्मक समन्वय किया जाना चाहिये । वे यह सुनिश्चय करके सबंधित राज्य पाईप लाईन परियोजनाओं के लिये पर्याप्त निधि प्रदान करें यह देखें कि कुछ बचकर तो नहीं चला जाता है । अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संक्रिया कार्यकुशलता अधिष्ठापित क्षमता का कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिये । यदि हम अपनी आधिष्ठापित क्षमता का 75 प्रतिशत भी तापीय विद्युत केन्द्रों पर परिचालित कर पाते तो बिजली की यह भारी कमी पैदा न होती । परन्तु दुर्भाग्य से इस वर्ष हम गत दो वर्षों के 57 प्रतिशत की तुलना में अपनी आधिष्ठापित क्षमता का केवल 48 प्रतिशत ही परिचालित कर पाए कितनी गिरावट आई है वह अपने मंत्रालय में उस मूल दोष को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

प्रजनन तथा वितरण का आधिकांश कार्य राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है ।

क्षमता के कम उपयोग की यह स्थिति पूरी तरह से कुप्रबंध तथा ट्रांस्मीशन में होने वाली हानि के कारण पैदा हुई है । इसीलिये बिजली बोर्डों का ठीक ढंग से पुनर्गठन होना चाहिये कि उनकी परिचालन कार्यकुशलता और आगे बढ़े । वर्ष भर में, किसी भी समय किसी भी दिन आप अपनी आधिष्ठापित क्षमता के केवल तीन चौथाई भाग ही उपयोग में ला रहे हैं, एक चौथाई निष्क्रिय रह जाता है । समस्या का मूल यह है कि बोर्ड अपने बोर्ड के पुराने पद चुने

सदस्यों के स्थान पर रचनात्मक तथा तकनीकी दृष्टिकोण वाले सदस्य लायें। बिजली बोर्ड में नौकरशाहों के थोपे जाने से भी उनकी परिचालन कार्यकुशलता में और अधिक कमी आ जाती है। तकनीकी कार्यक्षमतायुक्त प्रबंध को लेकर बिजली बोर्ड प्रणाली बद्ध तथा सोधोय कार्य करके एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। विजली बोर्ड मानिटर करने तथा यह सुनिश्चय करने की स्थिति में होने चाहिये कि तापीय विद्युत जेनेरेटरो की परिचालन कार्यकुशलता को उचित ढंग से मानिटर किया जाये तथा उसका रखरखाव किया जाये और उनकी खराबियों को समय पर ठीक कर लिया जाये। जिस ढंग से जनता सरकार तथा उर्जा मंत्री महोदय मंत्रालय को चला रहे हैं उसमें मुझे कोई अच्छा भविष्य दिखाई नहीं देता है और मुझे कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती है। आने वाले वर्षों में हमें विद्युत की अभूतपूर्व कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें और बोर्डों के प्रबंध के बारे में कोई स्पष्ट रवैया बनायें। किसको बिजली मिलनी चाहिये ? कौन बिजली के लिये प्रतीक्षा करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वह यह सुनिश्चय करते हुए सारे देश के लिये स्पष्ट मार्गदर्शी निर्देश जारी करें कि कृषि, अनिवार्य सेवाओं तथा उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलें। इस समय तो उपयोग की 30 प्रतिशत आधिष्ठापित क्षमता निष्क्रिय पड़ी हुई है। आवश्यकतापूर्ति के लिये मांग इस आधार पर आयात कर लेने से औद्योगिक उत्पादन की कमी स्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता कि हमारे पर काफी विदेशी मुद्रा है और आपने आयात को उदार बना दिया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस स्थिति को तुरन्त ठीक करें। क्या आप श्रमिकों को निकाल फेकना चाहते हैं ? अब इन उद्योगों की स्थापना क्यों करते हैं ? उस दिन बंगाल के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गत पांच दिन 6 लाख व्यक्ति बेकार हैं। बंगाल तथा बिहार राज्यों में विद्युत का संकट सुनकर ही मुझे तो कंपकंपी आ जाती है। बंगाल में बिजली की सप्लाई पूरी तरह बन्द हो गई है और उसके अतिरिक्त कलकत्ता पत्तन तो समूचे पूर्वी भारत तथा नेपाल के लिये गतिविधियों का केन्द्र है। इस महानगर तथा इसके आस पास पटसन तथा इंजीनियरी उद्योगों के समूह हैं। 9 अप्रैल के वे सब एक दम जाम होकर रह गये और यदि आप सामूहिक रूप से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करते हैं तो फिर इस राज्य को तो भगवान ही बचा सकता है। दुर्भाग्य से सहायता पहुंचाने के लिये पश्चिम बंगाल में पन-बिजली की व्यवस्था नहीं है और क्योंकि तापीय बिजली कोई गड़बड़ा गये हैं हालांकि उनका आधिष्ठापित क्षमता 1,500 मैगावाट है, वे केवल 400 मैगावाट बिजली ही पैदा कर सकते हैं। निस्सन्देह मुख्य मंत्री इस स्थिति को ठीक करने के लिये प्रभावी प्रयास कर रहे हैं परन्तु मैं मंत्री महोदय को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वह अपने अयुमित आयोजन में निहित त्रुटियों और खामियों से और राज्य में विद्युत के प्रजनन को बढ़ाने हेतु पर्याप्त संसाधन न जुटाने के दोष से बच नहीं सकते।

बंगाल-बिहार संकट की इस भयावह पृष्ठ भूमि के साथ आपने तापीय विद्युत प्रजनन का एक विशाल कार्यक्रम हाथ में लिया है। आपने उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कोरबा आध्र प्रदेश में रामागुंडम तथा पाटमने बंगाल में फरक्का के स्थान पर एक सुपर तापीय

विद्युत केन्द्र का काम हाथ में लेकर एक प्रकार से सही कार्यवाही की है जिनकी निर्धारित क्षमता में क्रमशः 2,000 मैगावाट, 2,100 मैगावाट, 1,100 मैगावाट तथा 1,100 मैगावाट है। आप यह सुनिश्चय करने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं कि इंजीनियर, तकनीशियन, प्रशासन तथा डिज़ाइनर लोग अपने अपने दायित्व अधिक गंभीरता के साथ निभायें ? मैं चाहता हूं कि वे संस्थापन कार्य तथा विद्युत के निर्धारित प्रजनन हेतु समन्वय तथा सहयोग के साथ प्रभावी रूप से कार्य करें।

आप सभी जानते हैं कि बिजली को विशेष रूप से कोयला तेल अथवा लिगनाइट से बनी बिजली की खपत-दर में वृद्धि होती जा रही है और यदि इसे कोयले के मीटरी टनों में परिवर्तित कर दिया जाये तो वह 400 वर्ष तक उपलब्ध होती रहेगी। परन्तु अब जीवन-स्तर ऊंचा उठने से और जनसंख्या में वृद्धि हो जाने से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संसाधन 40 वर्ष से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं रहेगा। अतः हम एक संकटपूर्ण स्थिति में हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय ऊर्जा-विकास के अन्य संसाधनों चाहे वह अणुशक्ति हो, पनबिजली हो अथवा सौर ऊर्जा आदि हो, के बारे में गम्भीरता से ध्यान केन्द्रित करें। परन्तु दुर्भाग्य से, जनता पार्टी ने तकनीकी तथा वैज्ञानिक संवर्ग के लोगों को नियोजित ढंग से धीरे धीरे दूसरे वर्ग के नागरिक बनाकर उनका दर्जा घटा दिया है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया है कि हम वैज्ञानिकों से अपील करें कि वे हमारी रक्षा को आयें और हमें इस डावांडोल स्थिति से उबारें। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि वे 7,62,000 लाख किलोवाट पनबिजली की परिकल्पना कर सकते हैं। वस्तुतः सरकार 7,600 मैगावाट पनबिजली का प्रजनन कर रही है और 5,200 मैगावाट विद्युत पैदा करने की परियोजनायें बन रही हैं। यदि हम नेपाल तथा चीन के तिब्बत के साथ सहयोग करें तो हमें और अधिक मात्रा में पनबिजली प्राप्त हो सकती है। नेपाल तथा भारत के बीच काली करनाली गण्डक, कोसी रापती तथा बागमती जैसी अनेक साझी नदियां हैं। यदि केवल हम ही अपनी परियोजनाओं को भली प्रकार क्रियान्वित करें तो हमें भारी मात्रा में पन-बिजली प्राप्त हो सकती है। मैं चाहता हूं कि ऊर्जा मन्त्री पूरे उत्साह के साथ योजना बनायें और प्रयास करें कि भारत-नेपाल उपाय सफल हों ताकि समूचे पूर्वी क्षेत्र के लिए यह हमारे ही पावर हाउस बन जाये। मैं यह भी चाहता हूं कि चीन के साथ बात-चीत आरम्भ की जाये ताकि हम विशाल ब्रह्मपुत्र नदी को एक सुरंग से गुज़ार कर उसको नियंत्रित तथा अनुशासित कर सकें जिससे कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में बिजली का प्रजनन हो सके और वह दोनों देशों में बंट सके।

मेरी यह भी इच्छा है कि ऊर्जा मन्त्री आन्ध्र प्रदेश में पन बिजली के विकास में भी बराबर रुचि लें। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में तेजी के साथ प्रगति हो रही है। आप उसका अनुसरण कीजिए। मुश्किल से पांच वर्ष बीते होंगे जबकि हम 530 मैगावाट बिजली का उत्पादन करते थे। अब हम 1,658 मैगावट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। समूचे दक्षिण भारत हेतु कोयले के संसाधन होने के अलावा हमारे पास विशाल पन-बिजली स्रोत भी हैं। हम नागार्जुन सागर में चार प्रतिवर्ती टर्बाइन लगाने का विचार कर रहे हैं। हम श्री सेलाम

परियोजना भी पूरी करने वाले हैं जिससे 770 मैगावट बिजली मिलेगी। साथ ही, हमारी सरकार ने 1,000 मैगावट बिजली के उत्पादन के लिए पम्प-स्टोरेज प्रणाली हेतु कई प्रतिवर्ती टर्बाइन लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया है। इस पृष्ट भूमि के साथ मैं अपने राज्य के चेयरमैन श्री टाटा राव को उनकी दूरदर्शिता के लिए बधाई देना चाहूँगा और मैं चाहता हूं कि ऊर्जा मन्त्री उक्त पद्धति का अनुकरण करे। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा के माध्यम से विद्युत-संकट से ग्रस्त पश्चिम बंगाल को 50 मैगावाट बिजली दे रहा है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : क्या उन्होंने ऐसा किया है।

श्री एम. एस. संजीवी राव : वे देने को तैयार हैं।

मैं दूसरे विषय पर आता हूं। यह परमाणु ऊर्जा के बारे में है। वर्ष 1969 में, हमने अमरीका के जनरल इलैक्ट्रिक की सहायता से तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित किया था। परन्तु इसके लिए ईंधन के रूप में शोधित युरेनियम की आवश्यकता होती है। विवाद के कारण पूर्ववर्ती सरकार को राजस्थान, कलपक्कम तथा नरोड़ा में प्राकृतिक युरेनियम का उपयोग करते हुए तीन अन्य विद्युत केन्द्र स्थापित करने पड़े थे। उस सरकार ने वर्ष 1990 में कुल स्थापित क्षमता के 10 प्रतिशत के लिए परमाणु जेनेरेटर लगाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था। पश्चिम जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य उन्नत देश वर्ष 1990 तक कुल स्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत के लिए परमाणु जेनेरेटर लगाने की आशा करते हैं। परन्तु मुझे आशा नहीं कि हम वर्ष 1990 तक स्थापित क्षमता के 5 प्रतिशत तक भी पहूंच पायेंगे।

इसके अलावा, मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय कलपक्कम में प्रायोगिक फास्ट ब्रीडर रियक्टर को पूरा करने के लिए प्रधान मन्त्री से पर्याप्त धन करें जिससे कि युरेनियम के स्थान प्लूटोनियम तथा थोरियम का उपयोग कर सकें, हमारे पास केवल 30,000 टन युरेनियम है। पर सौभाग्य से हमारे पास 6 लाख टन थोरियम है। इस दृष्टि से यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त जर्मनी तथा फ्रांस में पहले ही फास्ट ब्रीडर परमाणु शक्ति केन्द्रों का निर्माण कर चुके हैं। हमें भी तुरन्त ही एक ऐसी ही फास्ट ब्रीडर परमाणु विद्युत केन्द्र की जरूरत है जिसे तुरन्त ही शुरू किया जाना चाहिए।

अब मैं देश के सम्मुख अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा ज्वलंत विषय पर आता हूं। आप सभी जानते हैं कि संचार मन्त्रालय के अधीन भारतीय टेलीफोन उद्योग है जो बंगलौर नेनीताल पाल-घाट समूचे देश में फैला हुआ है। रक्षा मन्त्रालय के अधीन भारत इलैक्ट्रोनिक्स, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स तथा कई अन्य करखाने हैं। इसी तरह रेलवे के अधीन इंटेगरल कोल फैक्टरी, वाराणसी डीजल ईंजन फैक्टरी तथा चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस हैं। मैं प्रधान मन्त्री से अपील करता हूं कि वह यह देखें कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल, हैदाराबाद, हरिद्वार तथा

तिरुमिरापहिल इन सभी चार कारखानों को ऊर्जा मन्त्रालय के अधीन स्थानान्तरण कर दिया जाए देश को उद्योग मन्त्री श्री जार्ज फर्नाडीस के क्षेत्रों से बचाया जाए जो इन कारखानों को जर्मनी के मैसर्ज सीमेन्स की सहायक कम्पनियां बनाना चाहते है। मैं श्री रामचन्द्रन को चेतावनी देता हूं कि वह तटस्थ न रहें तथा आगे बढ़ कर सक्रिय रूप से साथ दें। क्योंकि आप भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के उत्पादों के मुख्य उपभोक्ता हैं तो आप देखें कि यह अनैतिक सौदा भंग हो जाए।

श्री रामदास सिंह (गिरिडीह) : सभापति महोदया, आज देश में ऊर्जा विभाग की दोनों वस्तुयें कोयला और बिजली-प्रातः 80 प्रतिशत लोगों की जबान पर हैं। इस बात की चर्चा हो रही है कि इनकी बहुत कमी है। इस कमी के लिए कौन विभाग जिम्मेदार है—इस पर मैं चर्चा करूंगा। जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने देश में बहुत सी जगहों पर ड्रिलिंग करके कोयले का पता लगाया है। कोयले की थिकनेस 0.5 मीटर से लेकर 1,200 मीटर तक का पता लगा है। हमारे देश में कोयले का टोटल भण्डार 1,11,600 मिलियन टन है जिसमें 89,000 मिलियन नान-कोकिंग और 22,000 मिलियन टन कोकिंग कोल का भण्डार है। मैं यह फीगर्स इसलिए दे रहा हूं कि जब कोयले के इम्पोर्ट करने की बात स्टील एण्ड माइन्स मिनिस्ट्री की तरफ से हुई तो हमने प्रश्न पूछा कि कोयला आयात करने का क्या कारण है, उस पर स्टील एण्ड माईन्स मिनिस्ट्री से जवाब मिला कि हमारे देश में कोकिंग कोल रिजर्व 5,475 मिलियन टन है।...............

जो कोल-इण्डिया की रिर्पोट है उसमें 22 हजार मिलयिन टन लिखा है यानी इतना कोकिंग-कोल रिजर्व हैं। एक तरफ मिनिस्ट्री की रिर्पोट में 5 हजार टन और दूसरी तरफ 22 हजार मिलियन टन यह सब क्या है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर तत्परता से विचार करने की जरूरत है कि हमारे देश में कोयले की जो मांग है, उसको कैसे पूरा करे?

सभापति महोदया, मैं अधिकांश कोलियरीज में स्वयं घूमा हूं, मैंने अपने जीवन का 33 वर्ष कोयला-खानों में बिताया है और मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, वही आपके सामने रखता हूं। इस समय हर जगह कोकिंग-कोल और नान-कोकिंग-कोल का स्टाक पड़ा हुआ है। 12 मिलियन टन का स्टाक कोल-इण्डिया में पड़ा हुआ है और जहां उसकी जरूरत है, उसको पहुंचाने का साधन नहीं है, रेलवे इस काम में फेल कर गई है। सी० सी० एल० की बात की जाती हैं जहां 1978-79 में 23 मिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, वहां 23 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन हुआ है, 4 परसेन्ट ज्यादा उत्पादन हुआ है और 5 मिलियन टन कोयले का स्टाक वहां पर पड़ा हुआ है। मैं साउथ-करनपुरा और नार्थ-करनपुरा दोनों कोल-फील्ड्स को स्वयं देखकर आया हूं वहां 5 मिलियन टन कोयले का मिडलिंग पड़ा हुआ है, जो पावर हाऊस में काम आता है, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ कोयले की कमी महसूस की जा रही है। 1978-79 के लिए कितना लक्ष्य रखा गया था 102 मिलियन टन का, लेकिन कितना प्रोडक्शन हुआ फरवरी तक 90 मिलियन टन से अधिक का प्रोडक्शन हो चुका है और इधर जितना प्रोडक्शन हुआ है, सब

स्टाक के रूप में पड़ा हुआ हैं। यह बात जरूर है कि 102 मिलियन टन में दो-चार मिलयन टन कम हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो कोयला वहां पर पड़ा हुआ है—उसको भेजने की व्यवस्था की जाए।

आज जो आयात की बात की जाती है यह सब बनावटी बात है-एक तरह का बिजनेस चल रहा है। सीमेन्ट के आयात की बात करते हैं-जबकि हमारे यहां पर्याप्त लाइम स्टोन पड़ा हुआ है। स्टील के आयात की बात करते हैं, जबकि हमारे यहां पर्याप्त आयरन ओर पड़ा हुआ है और जिसकी क्वालिटी सबसे उत्तम मानी जाती है। एक तरह का फैशन बन गया है जब भी चीज की कमी की बात आती है तो कहा जाता है कि कोयले की कमी की वजह से हम को यह काम करना पड़ा है, जब कि उत्पादन में इतनी कमी नहीं हुई है, जितनी उसको रेलवे के द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था में कमी है।

कोल इण्डिया को जितने वैगन्ज एलाट करने की बात हुई है मैं आप को बतलाऊंगा कि उसमें क्या हुआ है। मैंने इसको सरसरी निगाह से देखा है, कोल-इण्डिया की रिर्पोट को भी देखा है और ईस्टर्न रेलवे की रिर्पोट को भी देखा है जितने वैगन्ज एलाट करने की बात थी, उस के मुकाबले केवल 65 परसेन्ट वैगन्ज दिए गए हैं। पिछले साल कितना कोयला उठाया गया और पिछले दो वर्षों में कितना उठाया गया, यदि आप इनकी फिगर्स को देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि जितना दोष कोयले को दिया जाता है, उसका उतना दोष नहीं है। बिजली को लेकर भी कोयले के उत्पादन पर असर पड़ता है, बिजली की कमी के कारण कोल-इण्डिया को 17 मिलियन टन का लास उठाना पड़ा है, उत्पादन कम हुआ है। कोयले के उत्पादन में 18 परसेन्ट की कमी केवल बिजली की गड़बड़ी के कारण हुई है। यहां पर यदि 5 मिनट के लिए बिजली चली जाय तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन जो लोग कोयला खदान में काम करते हैं, यदि 2 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो वे लोग 1 हजार फुट नीचे धरती में होते हैं, सारी मशीनें बन्द हो जाती हैं और उनको काफी देर तक बेकार बैठे रहना पड़ता है।

यह जो फ्रिक्वेन्ट ट्रिपिंग्स होती हैं, इनसे मशीनें बहुत खराब होती हैं। व्यवस्था में कमी के कारण ऐसा होता है। कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए जो गोल का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसके उत्पादन पर जब विचार करते हैं, तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोल इण्ड़िया ने अपने लक्ष्य के मुताविक उत्पादन किया है।

स्टील प्लान्ट्स के लिए जो कोयला इम्पोर्ट करने की बात है और उनके लिए कोयला इम्पोर्ट किया जा रहा है 1978-79 के लिए ता फ्यूअल पालिसी कमेटी ने 1974 में ही 10 लाख टन लोहे के उत्पादन के लिए 16 मिलियन टन कोयला उनको भेजने के लिए कहा था। इतना स्टील बनाने के लिए उनको इतने कोयले की जरूरत है, जिसमें से दिसम्बर तक 10 मिलियन टन कोयला कोल इण्डिया लिमिटेड ने स्टील प्लान्ट्स को भेजा है।

एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आज स्टील प्लान्ट्स में क्या हो रहा है। हमारे यहां प्राइम कोकिंग कोल और मीडियम कोकिंग कोल है और हम वाशरी

में वाश करके कोयला स्टील प्लान्ट्स को देते हैं ताकि वे काम ठीक से कर सके लेकिन मैं अभी दुर्गापुर से आया हूं। मैंने देखा है कि जो क्लीन कोल है, जो वाशरी में धोकर दिया गया है, उस का मिसयूज हो रहा है। वह स्टील प्लान्ट्स के लिए है लेकिन वह बायलर में झोंका जा रहा है और स्टील प्लान्ट्स की सब आथेरिटीज इसको जानती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वायलर में सबसे निम्न श्रेणी का कोयला लिया जाता है। वह कूड़ा-करकट की तरह उसमें जलाया जाता है लेकिन उसकी जगह में कोकिंग और वाश्ड कोल स्टील प्लान्ट्स जला रहे हैं और मैं इस के लिए आग्रह करता हूं कि इसकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि किस तरह से इसके साथ दुरव्यवहार क्यों हो रहा है। एक तरफ तो कोयले को कूड़ा-करकट की तरह फेंक रहे हैं और दूसरी तरफ उसी कोयले को दूसरे देशों से 600 रुपये टन पर यहां पर ला रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री रामदास सिंह : यदि आप अपनी मर्जी से मुझे पांच मिनट दें दें।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि इस में मेरी मर्जी की बात नहीं है। मेरे पास आपके दल की ओर से एक सूची आई हुई है।

श्री रामदास सिंह : मैंने वह सूची देखी है।

सभापति महोदय : मुझे खेद है, दो मिनट बाद मुझे अगले वक्ता को बोलने के लिए कहना है।

श्री रामदास सिंह : मैंने संसदी कार्य मंत्री से बात की और मुझे पूरी तरह मालूम है कि हमारे दल को कितना समय दिया गया है।

सभापति महोदय : दो मिनट पश्चात् मुझे अगले वक्ता को बुलाना होगा। आप व्यर्थ में ही समय लेते जा रहे हैं। आपके पास केवल दो मिनट और हैं—(व्यवधान) मुझे तो सभा की कार्यवाही चलाना ही है।

श्री रामदास सिंह : मुझे एक चीज कहनी है कि सिंगरौली में जो कोयले का उत्पादन हो रहा है यह रूस के काले बोरेशन से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगायी जा रही हैं और मशीने लगाने से वहां पर काम करने वाले लोगों को काम नहीं मिलता है। रूस ने तो अपना प्लानिंग और डिजायन किया रूस की परिस्थितियों को जानकर। वहां पर इतनी आवादी नहीं है और उन्हीं मशीनों और उसी तरीके पर हम भारत में जो अपना कर काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं वहां यहां पर कभी भी सफल नहीं होगा क्योंकि हमारे मुल्क में बेकारी की बहुत बड़ी समस्या है। उसी योजना के अन्तर्गत इसको चला रहे हैं। जिस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आपने कहा है।

श्री बयालार रवि : किसने कहा ? क्या आप किसी प्रतिवेदन से उद्धत कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : रवि साहब कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिये। वह चर्चा के बाद उत्तर दे सकते हैं।

श्री बयालार रवि : मैं तो एक मंत्री नहीं हूं।

सभापति महोदय : इस कारण आपको व्यवधान तो नहीं डालना है।

श्री रामदास सिंह : तो मैं यह कह रहा हूं कि जो कोयले पर पत्थर और मिट्टी है, वे बड़ी मशीनों के द्वारा जरूर हटाई जा सकती हैं लेकिन जहां तक कोयले की कटिंग का सवाल है, हम मैनुअली वर्क करेंगें क्योंकि आप जिस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम शुरू करेगें, उस योजना में तीन चीज़ों का आपने वायदा किया है आप ने कहा है कि बेरोजगारी और गरीबी को हम समाप्त करेंगे। यह नहीं कहा है कि उस में कमी करेगें। आप ने कहा है कि आर्थिक मामलों में असमानता को कम करेंगे।

तो आपने काम के लिए क्या किया ? कोल इंडिया लिमिटेड में एक साल के अन्दर पांच हजार से अधिक मजदूरों को हटा दिया। 1 जनवरी, 1978 को उसमें टोटल स्टेंग्थ 5,85,743 कर्मचारियों की थी। अब 1-1-1979 को वहां स्ट्रेंग्थ रह गयी 5,80,826 कर्मचारियों की। आपने 4,914 कर्मचारियों का स्ट्रेंग्थ एक साल के अन्दर घटाया है। दूसरी ओर आपने सिंगरौली कोलियरी में कर्मचारियों की स्ट्रेंग्थ को बढ़ाया है वहां 1-1-1978 को 55,534 कुल कर्मचारी थे जबकि 1-1-1979 को 60,938 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यानी एक साल में आपने वहां 5,404 नये कर्मचारी बहाल किये हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि एक तरफ तो आप स्ट्रेंग्थ बढ़ा रहे हैं वहां दूसरी तरफ पूर्वी क्षेत्र में आप कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है ? पूर्वी क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी का क्या कारण है ? कृपया यह बतायें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये। मैं अगले वक्ता को बुला रही हूं। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रामदास सिंह : सभापति महोदया, आपने उधर 40 मिनट का समय दिया है, हमें पांच मिनट और दे दीजिए।

सभापति महोदय : नहीं मुझे इसका खेद है।

ऊर्जा मन्त्रालय की मांगो के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
29	28	श्री पी० राजगोपाल नायडू	बहुत से राज्यों में बार बार बिजली का बन्द होना।	राशि में 100 रु० की कटौती की जाये
,,	29	,,	सीमेंट और इस्पात के कारखानों को बिजली सप्लाई करने के लिए बिजली के पर्याप्त मात्रा में होने की आवश्यकता।	,,
,,	30	,,	कृषि के लिये बिजली सप्लाई करने के लिये बिजली की दरों को कम करने हेतु राज्य सरकारों को राज सहायता देने की आवश्यकता।	,,
,,	31	,,	आंध्र प्रदेश में निलंबित पड़ी योजनाओं को चालू करने के लिये पर्याप्त बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता।	,,
,,	32	,,	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं पर लगने वाली राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता।	,,
,,	33	,,	भू तापीय विद्युत का विकास करने की आवश्यकता।	,,
,,	34	,,	देश में विद्युत के विकास के लिये गहराई से जांच करने और एक मास्टर योजना बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	35	,,	ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये 'बायो-गैस' का विकास करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
29	36	श्री पी० राजगोपाल नायडू	ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये वायु-ऊर्जा का विकास करने की आवश्यकता।	राशि में 100 रु० की कटौती की जाए
,,	37	,,	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों' के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	,,
,,	38	,,	किसानों को अपने पम्प सेटों के साथ कैपेसीटर लगाने को कहने के बजाय ट्रांसमीटरों में कैपेसीटर लगाने के लिये विद्युत बोर्डों को राजी करने में असफलता।	,,
30	52	,,	उद्योगों को कोयला सप्लाई करने में असफलता।	,,
,,	53.	,,	कोल इण्डिया लिमिटेड में कुशलता का अभाव।	,,
,,	54.	,,	कोयले का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	55.	,,	नेवेली में लिगनाइट के उत्पाद में कमी।	,,
,,	56.	,,	कोयले में गोलमाल को रोकने में असफलता।	,,
,,	57.	,,	नेवेली लिगनाइट निगम लिमिटेड की कुशलता बढ़ाने में असफलता।	,,
,,	76.	श्री रोबिन सेन	बावेजा समिति के प्रतिवेदन को रद्द करने में असफलता।	राशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाये
,,	77.	,,	इस्पात और विद्युत उद्योगों को कोयला सप्लाई करने में असफलता।	,,
,,	78.	,,	कोल इंडिया लिमिटेड की श्रमिक विरोधी नीति और सरकारी उद्यम ब्यूरो के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वेतन सम्बन्धी किसी समझौते पर पहुंचने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
30	79.	श्री रोबिन सेन	कोल इंडिया लिमिटेड का लोकतंत्रीकरण करने और मंत्रालय के नौकरशाहों पर अत्यधिक निर्भर रहने को रोकने में असफलता ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाए
,,	80.	,,	रोजगार के और अधिक अवसर बनाने के लिए नई खाने खोलने के लिये ई०सी०एल० में अधिक पूंजी लगाने में असफलता ।	,,
,,	81.	,,	ई०सी०एल० के कतिपय उच्च अधिकारियों में व्याप्त कदाचार को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	82.	,,	मिट्टी की भराई के लिये मिट्टी और लकड़ी की सप्लाई के ठेकों में कदाचार को रोकने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० कम किये जायें
,,	83.	,,	भली प्रकार से मिट्टी की भराई करने तथा अन्य कदम उठाने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप आसनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र में मिट्टी गंभीर रूप से नीचे बैठ गई ।	,,
,,	84.	,,	कोयला के वितरण में कदाचार को रोकने में असफलता, जिसके कारण पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में कोयले का गंभीर अभाव हो गया है ।	,,
,,	85.	,,	उद्योगों को कोयला सप्लाई करने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में अत्यधिक कमी आ गई है ।	,,
28	86.	श्री विजय मोदक	विद्युत केन्द्रों और इस्पात उद्योगों को वरीयता के आधार पर कोयले का वितरण करने के लिये उचित नीति का निर्माण करने में असफलता ।	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये
,,	87.	,,	कोयले के वितरण को केन्द्रीय सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी बनाकर उचित कदम उठाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
28	88.	श्री विजय मोदक	तापीय बिजली केन्द्रों को कम राख वाले अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० कम किये जायें
,,	89.	,,	कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में रेल तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के बीच प्रभावकारी सहयोग स्थापित करने में असफलता ।	,,
..	90.	,,	देश भर में बारबार बिजली के बन्द होने को रोकने में असफलता ।	,,
30	91.	,,	पश्चिम बंगाल में तापीय बिजली केन्द्रों को आवश्यक मात्रा में कोयला सप्लाई करने में असफलता ।	,,
,,	92.	,,	तापीय बिजली केन्द्रों को सामान्य रूप से वरीयता के आधार पर आवश्यक कोयला सप्लाई करने में असफलता ।	,,
,,	93.	,,	कोयला खान कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत करके उनकी वेतन बढ़ाने की मांग पर समझौता करने में तेजी लाने में असफलता, जिससे उनकी किसी संभावित हड़ताल को टाला जा सके ।	,,
..	94.	,,	कोयला खानों की मिट्टी की भराई के संबंध में ठेकेदारों की मिली भगत से होने वाले कदाचार को रोकने में असफलता ।	,,
28	99.	श्री ए० के० राय	देश के पूर्वी भाग में बिजली के लगातार फेल होने से अर्थव्यवस्था और जनजीवन में व्यवधान ।	,,
,,	100.	,,	वर्तमान विद्युत संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में गिरावट ।	,,
,,	101.	,,	कोयला, रेल और विद्युत विभागों के बीच समन्वय की कमी ।	,,
,,	102.	,,	विद्युत के प्रेषण और वितरण में ऊर्जा का बेकार जाना ।	,,

1	2	3	4	5
28	103.	श्री ए० के० राय	विद्युत उद्योग की विदेशों पर निर्भरता का बढ़ना ।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
,,	104.	,,	देश में राष्ट्रीय ग्रिड की आवश्यकता ।	,,
,,	105.	,,	इस्पात और विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये रेलवे पर नियंत्रण रखने में असफलता ।	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये
,,	106.	,,	धनबाद कोयला क्षेत्रों में खनकों को पीने का पानी और क्वार्टर उपलब्ध कराने में विफलता ।	,,
,,	107.	,,	कर्मकारों के लिये नये मजूरी बोर्ड को अन्तिम रूप देने में विलम्ब ।	,,
,,	108.	,,	बवेजा कमेटी प्रतिवेदन को पूर्णरूपेण अस्वीकृत करने की आवश्यकता ।	,,
,,	109.	,,	कोयला क्षेत्रों में बारह मासी प्रकार के कार्य करने वाले ठेका और नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० कम किये जायें
,,	110.	,,	धनबाद में जिन ग्रामीणों की भूमि आपात के दौरान मोनिधि परियोजना के अन्तर्गत ले ली गई थी उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।	,,
,,	111.	,,	रोजगार के कीमत पर विदेशी मशीनें आयात करके, जिनसे विदेशों पर निर्भरता बढ़ रही है, यंत्रीकरण की गलत नीति ।	,,
,,	112.	,,	ई० सी० एल० के निसरा-मुगमा क्षेत्र में कदाचारों की जांच करने की आवश्यकता ।	,,
,,	113.	,,	खानों में नौकरी से निकाले गये हरिजन और आदिवासी कर्मचारियों को बहाल किये जाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
30	114.	श्री ए० के० राय	अध्यक्ष के पद को समाप्त कर सी० आई० एल० में व्यय को कम करने की आवश्कता।	राशि में से 100 रु० कम किये जायें
,,	115.	,,	गांवों में पंचायतों के द्वारा कोलले का सार्वजनिक वितरण करने की आवश्यकता।	,,
,,	116.	,	कोयला खानों के अधिकारियों में अनुशासनहीनता, राननीति और हड़तालों को रोकने की आवश्यकता।	,,
,,	117.	,,	धनदाद कोयला खानों में खुदाई के कारण जमीनों से वंचित किये गये लोगों की समस्या को सुलझाने की आवश्यकता।	,,
.	118.	,,	धनबाद कोयला खानों में ठेका पद्यति, साहूकारी और गुंडागर्दी को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	119.	,:	कोयला पट्टी और ई० सी० एल० में कुप्रथाओं को रोकने की आवश्यकता।	,,
,,	120.	,,	ई० सी० एल० में कटरा के ग्रामीणों की माँगे पूरी करने की आवश्यकता।	,,
,,	121.	,,	कोयला खानों से महिला कर्मकारों को सुनिश्चित ढंग से नौकरी से निकाला जाना।	,,
,,	122.	,,	कोयला पट्टी में गलत ढंग से खनन कार्य करने के कारण बोहरा स्थित आदिवासी ग्राम का अचानक धस जाना।	,,
,,	123.	,,	बिहार के धनबाद और हजारी बाग जिलों में बड़े पैमाने पर कोयले के गैर-कानूनी खनन कार्य की समस्या को हल करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
30	124.	श्री ए० के० राय	दामोदर घाटी निगम द्वारा चन्द्रपुरा में आदिवासियों को रोजगार और मुआवजा दिए बिना बलपूर्वक उनकी जमीनों से हटाया जाना ।	राशि में से 100 रु० कम किये जायें
,,	171.	,,	कथरा कोयला खान (सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड) के महाप्रबन्धक द्वारा भारतीय कोयला कर्मचारी संघ को चर्चा का वृतान्त देने से मना करना और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना ।	,,
28	125.	श्री के० ए० राजन	इंजीनियरों की एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने में असफलता ।	
,,	126.	,,	बिजली के बढ़ते हुए संकट को दूर करने के लिये राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने में असफलता ।	,,
,,	127.	,,	राज्य विद्युत बोर्डों के लिए अनुसंधान, जनशक्ति आयोजना और प्रशिक्षण का समेकित कार्यक्रम चालू करने में असफलता ।	,,
,,	128.	,,	बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में होने वाली हानि को प्रभावकारी रूप में रोकने में असफलता ।	,,
,,	129.	,,	देश भर में बार-बार बिजली को बन्द करना रोकने में असफलता ।	,,
,,	130.	,,	विद्युत और इस्पात संयंत्रों को कोयले का वितरण करने के लिए एक नीति का निर्धारण करने में असफलता ।	,,
,,	131.	,,	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में बिजली की कमी को पूरा करने में असफलता ।	,,
,,	132.	,,	विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान क्षमता का उपयोग करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
29	133.	श्री के० ए० राजन	पंजाब से विद्युत कर्मचारियों के लिए समान वेतन नीति का निर्धारण करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
,,	134.	,,	विद्युत बोर्डों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का सहयोग लेने में असफलता ।	,,
,,	135.	,,	विद्युत कर्मचारियों के लिए एक अखिल भारतीय वेतन मार्गदर्शी समिति का गठन करने में असफलता ।	,,
30	136.	,,	इस्पात और विद्युत उद्योग को कोयला सप्लाई करने में असफलता ।	राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए
,,	137.	,,	कोयला उद्योग में कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में किसी समझौते पर पहुंचने में असफलता ।	,,
,,	138.	,,	कोयला उद्योग में ठेका श्रमिकों को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	139.	,,	विभिन्न उद्योगों को कोयले का वितरण करने के लिए एक समुचित नीति का निर्धारण करने में असफलता ।	,,
28	142.	श्री के० राममूर्ति	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष सरकार के सचिव को बनाने की प्रथा समाप्त करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रु० कम किये जाएं
,,	143.	,,	राज्य विद्युत प्राधिकरणों को बिजली की आवश्यकताएं पूरी करने और क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	144.	,,	देश में बिजली के वितरण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सीमन्स जैसी विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश रोकने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
28	145.	श्री के० राममूर्ति	उपलब्ध बिजली का किफायती वितरण सुनिश्चित करने के लिये औद्योगिक एककों और तापीय बिजलीघरों को कोयला भेजने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० कम किये जायें
29	146.	,,	एक विद्युत विकास वित्त निगम बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	147.	,,	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को वास्तविक रूप में स्वतन्त्र निकाय बनाकर और राज्य विद्युत प्राधिकरणों के अध्यक्षों को इसके सदस्य बनाकर इसके कार्य में नया जीवन फूंकने की आवश्यकता ।	,,
,,	148.	,,	विद्युत उत्पादन के आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताना ।	
	149.	,,	संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन करना शुरू करने का दावा करना जबकि उन्हें केवल "टर्निंग गियर" पर रखा गया है, जिसके बाद बिजली उत्पादन शुरू होने में लगभग छः मास लग जाते हैं ।	,,
,,	150.	,,	मेट्टूर तापीय संयंत्र के निर्माण में धीमी प्रगति ।	,,
,,	151.	,,	होजेनाकल तापीय संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू करने में असफलता ।	,,
,,	152.	,,	विद्युत संयंत्रों का उचित रखरखाव करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में भयंकर बिजली संकट पैदा हो गया है ।	,,
	153.	,,	राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अधीनस्थ कार्यालय समझे जाने वाले क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों का सदस्य बना कर राज्य विद्युत बोर्डों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप ।	,,
,,	154.	,,	उपलब्ध विद्युत का किफायत के साथ उपयोग न कर सकने के कारण क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों को समाप्त करने में असफलता ।	,,

29	155.	श्री के० राममूर्ति	क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों की सलाह को स्वीकार करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
,,	156.	,,	उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के विद्युत पारेषण केन्द्रों को उपकरण सप्लाई करने के सबसे कम मूल्य वाले टेंडर स्वीकार करने में असफलता ।	,,
,,	157.	,,	विद्युत पारेषण केन्द्रों को उपकरण सप्लाई करने के लिये टेंडर स्वीकार करते समय राजकोष के हितों की रक्षा करने में असफलता ।	,,
,,	158.	,,	विद्युत पारेषण केन्द्रों को उपकरण सप्लाई करने के मामले में मैसर्स सीमैन्स लिमिटेड के तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त क्रयादेश को स्वीकार करना जिसके कारण राष्ट्र को 90 लाख रुपये अधिक भुगतान करना पड़ा ।	,,
,,	159.	,,	उत्तरी क्षेत्र में तापीय संयंत्रों द्वारा बिजली के उत्पादन में 40 प्रतिशत की कमी करने का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का निर्णय और उसे कोयले के स्थान पर, जो उपलब्ध नहीं है, भट्टी तेल का उपयोग करने का आदेश देना ।	,,
,,	160.	,,	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के आदेश के अनुसार तापीय संयंत्रों में भट्टी तेल के उपयोग से मशीनों को होने वाली हानि ।	,,
,,	161.	,,	मंत्रालय द्वारा नौकरशाहों के मैसर्स सीमेन्स के बीच सांठगांठ की ओर ध्यान दिलाने पर संसद सदस्यों को उत्तर देने में असफलता ।	,,
,,	162.	,,	विद्युत पारेषण केन्द्रों को उपकरण सप्लाई करने के सम्बन्ध में सीमेन्स से हुये समझौते की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने में असफलता ।	,,
,,	163.	,,	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय परामर्श बोर्डों के दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप को रोकने की आवश्यकता ।	

1	2	3	4	5
29	164.	श्री के० राममूर्ति	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्मचारियों में इंजीनियरों को रखे जाने की पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता तथा इन लोगों को क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के कर्मचारियों में दिखाये जाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० कम किये जायें
30	165.	,,	नेवेली लिगनाइट निगम में श्रम कानूनों को लागू करने में असफलता।	,,
,,	166.	,,	खानों के मुहानों पर पड़े लाखों टन कोयले को उठाने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप कोल इण्डिया लिमिटेड को भारी हानि हो रही है।	,,
,,	167.	,,	गुजरात में लिगनाइट की खुदाई करने का निर्णय।	,,
,,	168.	,,	कोयला खानों में उत्पादन का उचित कार्यक्रम बनाए रखने में असफलता।	,,
,,	169.	,,	लगातार होने वाली हानि की दृष्टि से कोल इण्डिया लिमिटेड के कार्यकरण का पुनर्निधारण करने की आवश्यकता।	,,
,,	170.	,,	कोयला खान मशीनी उपकरणों को आधुनिक बनाने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप खानों में अकसर दुर्घटनाएं होती हैं।	,,

श्री डी. डी. देसाई (कैरा) : 7 अप्रैल को मन्त्रीमण्डल के एक महत्वपूर्ण मन्त्री की उपस्थिति में श्री दाटा राव, केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के प्रेसीडेन्ट तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के चेयरमैन ने यह कहा :—

"यदि स्वदेशी स्रोतों से लिए गए उपकरणों के साथ हाल ही में स्थापित किए गए यंत्रों का कार्य निष्पादन चाहें आंशिक रूप से हो, अच्छा हुआ होता तो मुझे विश्वास है कि देश को उन कमियों का सामना न करना पड़ा होता जिनका सामना करना पड़ा है और कुछ क्षेत्रों में करना पड़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा :

यह सच है कि बहुत बड़े विद्युत सन्यत्रों तथा उपकरणों के डिजाइन तैयार करने उनकी सरंचना, उनको स्थापित करने एवं चालू करने का काम जानने के लिए बहुत प्रतिफल चुकाना पड़ता है परन्तु यह बहुत दुःख की बात है कि उन लोगों द्वारा जो सीखने से इन्कार करते हैं और उससे आगे भी अपनी गलतियों का खामियाजा अदा करने से भी इन्कार करते हैं। निर्मित सन्यन्त्र एवं उपकरणों के कार्य निष्पादन का सारा दोष उन उपकरणों को प्राप्त करने वाले विद्युत बोर्डों पर डाला जाता है और विद्युत बोर्डों को न केवल समीक्षा का बिन्दु बनाया जाता है अपितु उनको निर्माताओं की सभी गलतियों के लिए खामियाजा भुगतने को भी कहा जाता है।"

सामान्य रूप से उपभोक्ता अथवा खरीदार राजा होता है। गैर सरकारी क्षेत्र में खरीदार महाराजा है। परन्तु इस क्षेत्र में उसकी क्या स्थिति है ? क्या खरीदे गए उपकरणों का कार्य-निष्पादन अन्तराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदन्डों के अनुरूप होता है।

सदस्यों ने पश्चिम बंगाल, बिहार आदि की विद्युत सम्बन्धी समस्याएं उठाई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत पहले, 1961 में जब डा० विक्रम सारा भाई परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, मैंने अनुरोध किया था कि हमें अधिक बड़ी क्षमताओं और उच्चत्तर वोल्टेज की स्थापना करनी चाहिए। मैं वास्तव में विकास परिषद का चेयरमैन था जिसके साथ मैं 1955 से सम्बद्ध था और मैंने उनको "3/4 विद्युत कानून" का ब्यौरा दिया जिसके द्वारा (के० डब्ल्यू० रेटिंग में प्रत्येक 100 प्रतिशत बृद्धि के लिए भार अथवा अतिरिक्त कच्चे माल में केवल 68 प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में 400 के.डब्ल्यू. 200 से 500 मेगावाट तथा इसी प्रकार आगे के एककों का आधार तैयार किया गया था।

आज हमें किस बात का सामना करना पड़ रहा है ? हमने, 1956 में ही ए.ई.भाई की मैट्रोपोलिटन वाईकर्स ईम्पल्स टरवाईनें खरीदी परन्तु अचानक इन्हीं से कोई प्रकट हुआ और कहा गया कि उनके स्थान पर हमें रिएक्शन टरबाईने लगानी चाहिए। उसको इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं कि वह क्या बात कर रहा है। विश्व भर में कोई भी इस प्रकार से अचानक अथवा बिना सोचे समझे एक डिजाइन के उपकरणों के स्थान पर दूसरे डिजाइन के लिए सहमत

नहीं होगा चूंकि हमारे कर्मचारियों का सारे का सारा डिजाइन कार्य, प्रशिक्षण तथा अनुभव लगभग व्यर्थ हो जायेगा। हमको उस सबको भूलकर भी कीमत पर फिर से नया ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। हमारे माननीय मन्त्री इसको नहीं समझते। दुर्भाग्य से, श्री जार्ज फर्नांडिस, जिन पर इन कुछ बातों का प्रभाव हुआ है, भी इस बात को नहीं समझते। मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1946 में मर्सीडीज कारों के बनाने वालों के भारत में एजेन्ट डायमलेर बैंने से कारों के ईंजनों में छोटे-छोटे परिवर्तन करने को कहा तो वह मेरे पास हंसने लगे तथा कहा, "तुम्हारी आयु क्या है? मैंने कहा "33 वर्ष"। उन्होंने कहा, "65 वर्ष के हो जाओ और फिर हमारे पास आना।" मर्सीडीज को परिपक्वता तथा दक्षता प्राप्त करने में उनसे 30 से 40 वर्ष लगे थे। और अब यह ईंजन एक उत्तम हो गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने छठी योजना में विद्युत के लिए 15.750 करोड़ रु० का उपबन्ध किया है। दुर्भाग्य से आप केवल ढांचे ही बना पायेगे। जो उपकरण आप खरीद रहे हैं व स्थापित कर रहे हैं वह ठीक काम नहीं करते हैं। स्वयं अपने हमारे देश में ही आयातित उपकरणों वाले संयन्त्र हैं। जिनकी निष्पादन भिन्न है। रेणुसागर एक इसी प्रकार का सन्यन्त्र है जिसमें जी. ई. द्वारा निर्मित इम्पल्स टरबाईने लगी हैं और प्रति किलो वाट पर 8,300 के. डब्ल्यू. एम. बिजली पैदा करता है और दूसरा टाटा का ट्राम्बे सयत्र हैं जिसमें ए. ई. जी के टर्बो सेट प्रति किलो वाट पर 7,000 के. डब्ल्यू. एम. देते हैं। अन्य सयत्र धुवारन और अहमदाबाद में हैं। इनका कार्य निष्पादन अच्छा है। यदि आप के पास पूरे आकड़े हैं और आपने यह देखा होता कि टरबाईन ईंजनों का कार्य निष्पादन इस देश में कैसा रहा है तो आपने स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल लिए होते और सहयोगकर्त्ताओं की हां, में हां न मिलाते जोकि अधिकारियों को रिश्वत देते हैं उनका मनोरंजन करते हैं और जो राजनैतिक दलों को भी पैंसा देते हैं......

श्री पी. रामचन्द्रन : क्या अब हम ऐसा कर रहे हैं ?

श्री डी. डी. देसाई : यह हो सकता है कि यह पिछली सरकार ने अथवा इस सरकार ने किया हो। परन्तु उससे कोई अन्तर नहीं आता। यदि इनमें से किसी ने भी हमें जो कुछ दिया है यदि वह ठीक नहीं है तो हमें उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। अभी-अभी हमारे मित्र बिजली की समस्याओं का उल्लेख कर रहे थे। बिजली सप्लाई में अवरोध हुआ है। आप भाग्यशाली हैं कि आप इस देश में है। अन्य देशों में, आप पर मुकदमा चलाया गया होता और मुआवजा करोड़ों रुपये हो गया होता। जब हमें आंकड़े इकट्ठे करने हो तो हम सहयोगकर्त्ताओं के पास नहीं जाते। हम अमरीका के एडीसन इलैक्ट्रिक इन्स्टीट्यूट जैसे संगठनों के पास जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन है और इंजीनियारों के संगठन भी हैं। इनके पास पर्याप्त शुद्ध आंकड़े तथा निष्पक्ष आंकड़े हैं और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा उपकरण ठीक कार्य कर रहा है और हमें कौन सा खरीदना चाहिए और किस पर हमें करदाताओं की मेहनत से कमाई गई राशि का व्यय नहीं करना चाहिए।

मेरी स्वयं की जांच से मुझे पता चला है कि टरबो सेट उद्योग में पहले स्थान के नेता तथा दूसरे स्थान के नेता में बहुत बड़ा अन्तर है। इस उद्योग में पहला स्थान अमरीका की

जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी को प्राप्त है जिनकी सेवा तथा उष्मा दरें सबसे उत्तम हैं, प्रणोदित अनुपर्याग काल की प्रतिशतता सबसे कम है, विश्वसनीयता अधिकतम है लम्बी अवधि तक कार्यरत एककों एवं के. डब्ल्यू. की संख्या सबसे अधिक है और उनको अधिकतम अनुभव प्राप्त हो आदि, आदि। परन्तु हमारे साथियों ने उनको बुरी तरह से परे झटक कर रख दिया है। वे पुन: यहां पर आए और हमें बताया कि अमरीका की जरनल इलैक्ट्रिक कम्पनी हमें प्रौद्योगिकी देने को तैयार नहीं है। परन्तु तथ्य इसके विपरीत है। मेरी जानकारी यह है कि क्राफ्ट वर्क यूनियन की तुलना में, जिसके पास विश्वसनीय टरबाईने बनाने की क्षमता नहीं है, उनकी दरें तथा लागत कम थी।

सभापति महोदय : मेरे विचार से यह सब कल की मांगों के सम्बन्ध में है।

श्री डी. डी. देसाई : उन्हें ऐसी एक भी टरबाईन नहीं खरीदना चाहिए जिसको वह पसन्द नहीं करते तथा उन्हें अपनी बात पर बल देना चाहिए। अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। यदि वह दुर्बल हैं तो सारे देश का विनाश होगा और उसका पूरा उतरदायित्व उनके कन्धों पर होगा इस बात को देखना उनका उतरदायित्व है कि धन का व्यय किस प्रकार से हो। इसी कारण मैंने आरम्भ में कहा था कि खरीदार को राजा नहीं होना चाहिए अपितु महाराजा होना चाहिए और उसे यह देखना चाहिए कि प्रत्येक खरीदा जाने वाला उपकरण उत्तम हो। इन विशेष बाटों के बारे में·········

सभापति महोदय : उस सौदे के बयौरों का वर्णन मत करें।

श्री डी. डी. देसाई : दुर्भाग्य से वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय : आप अपने आप को खरीदार के रूप में ही सीमित रखें।

श्री डी. डी. देसाई : मेरा विद्युत उद्योग से 1937 से सम्बन्ध रहा है। मैंने अपना व्यवसायिक जीवन 1937 में टरबाईनों के परिचारक के रूप में प्रारम्भ किया था।

सभापति महोदय : मैं आपकी जानकारी से इनकार नहीं कर रहा।

श्री डी. डी. देसाई : मैं उनको कुछ बताना चाहता हूं। मैं जो कुछ बता रहा हूं इसका उनको पता होना चाहिए। वे एक सामान्य व्यक्ति हैं और उनसे आशा नहीं की जा सकती कि उनको सब जानकारी होगी।

एक डिजाईन में परिपक्वता प्राप्त करने के लिये 10 वर्ष से अधिक समय लगता है। और उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिये 20 वर्ष का समय लगता है। क्राफ्टवर्क यूनियन जो ए. ई. जी तथा सीमेन्स को मिला कर बनी है, दोनों पहले अमरीकी फर्मों की लाइसेंस धारी कम्पनियां थीं अर्थात ए. ई. जी. जरनल इलैक्ट्रिकल्स की तथा सीमेन्स वेस्टिगं हाऊस की लाइसेंस धारी कम्पनयिां थी। दोनों के लाइसेंस 1960-70 के दशक अन्तिम वर्षों में समाप्त कर दिये गये क्राफ्टवर्क यूनियन

के पास डिजाइन तैयार करने वाले अनुभवी व्यक्ति नहीं हैं। 20 वर्ष से कम समय में कार्यकर्ताओं का अच्छादल तैयार नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि क्राफ्टवर्क यूनियन द्वारा इस समय टरबाइनें किस को बेची जा रही हैं। वे ब्राजील, ईरान तथा अन्य देशों जैसे विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों को बेची जा रही हैं जहाँ पर तानाशाही शासन है जो कुछ भी खरीद लेते हैं बशर्ते कि उनको व्यक्तिगत लाभ पहुंचा दिया जाये। ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी इसी प्रकार की स्थिति आ रही है। पश्चिम जर्मनी में सीमेंन्स द्वारा बहुत अधिक टरबो सैट नही बेचे जाते। मैं ब्राउन बीवेरी एककों का भारत में चेयरमैन रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह सब क्या है। 100 मेगावाट तक क्राफ्टवर्क का काम सन्तोषजनक है। हमें 500 मेगावाट से 2,000 मैगावाट क्षमता के बड़े टरबो सैटों की आवश्यकता है। अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

एक से दूसरों के अचानक परिवर्तन का हमें बहुत नुकसान होगा चूंकि एक के डिजाईन तैयार करने, निर्माण करने, स्थापित करने, चलाने, रखरखाव तथा सुधारने आदि के कार्यों को भूल कर हमें पूरी तरह से भिन्न तरीके दूसरे के लिए सीखने पड़ेंगे। जब जनरल मोटर्स को सीवरलैट कार के ईंजन बदलने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि ईंजन का डिजाईन 1920 के अन्तिम वर्षों में तैयार किया गया था और गत 50 वर्षों में बहुत छोटे छोटे परिवर्तन करके एक विश्वासनीय ईंजन तैयार हो पाया है। जनरल मोटर्स को सीवरलैट नाम के ईंजन को विश्वासनीय बनाने में 50 वर्ष का समय लगा। आज, आप एक अचानक परिवर्तन का निर्णय कर रहे हैं। जिसका हमें नुकसान होगा। इम्पल्स और रिएक्शन टरबाईन, दोनों के डिजाईनों में भौतिक अन्तर है। दोनों के डिजाईन में अन्तर है, दोनों के निर्माण में अन्तर है और दोनों को चलाने के सिद्धान्त भिन्न हैं। रिएक्शन टरबाईन में चरण अधिक हैं और दाव घूमने वाले भागों में और खड़े रहने वाले भागों में बंट जाता है। इम्पल्स टरबाईन में चरण कम है और दाब केवल खड़े रहने वाले भागों में पड़ता है। यह सबसे बड़ा अन्तर है जो दोनों के डिजाईन और निर्माण में भिन्नता का कारण है। मैं नहीं जानता कि आप इन सब बातों को किस प्रकार से ठीक कर लेगें। यदि इसका केवल आप पर प्रभाव पड़ता तो कोई चिंता न होती परंतु इसका प्रभाव तो सारे देश को सहन करना पड़ेगा।

मेरे पास बहुत से ब्यौरे हैं। यदि आप चाहें तो मैं आप के लिये सारे ब्यौरे पढ़ सकता हूं और आप को बता सकता हूं कि दोनों में कितना अन्तर है। फिर भी मैं एक अलग पत्र में आपको सभी ब्यौरे दे सकता हूं।

सभापति महोदया : और वह आप को अलग से पत्र द्वारा उत्तर दे सकते हैं।

श्री डी० डी० देसाई : अभी हाल ही में "सोवितत रूसी प्रौद्योगिकी-सहयोग की लागत"। (सोवियत टैकनोलाजी दी कास्ट आफ कोलेबोरेशन) शीर्षक से एक लेख अखबारों में प्रकाशित हुआ। यह एक लिखवाया गया लेख है जिसमें बताया गया है कि सोवियत प्रौद्योगिकी नितान्त बेकार रही है और यह महंगी भी अधिक रही है। यह सच है कि सोवियत प्रौद्योगिकी

कुछ पुरानी है परंतु एक उन्नत प्रौद्योगिकी का चुनाव करना तो हमारा काम है। वे स्वयं बहुत होशियार खरीददार हैं और बहुत पक्के हैं। वे मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने अन्तराष्ट्रीय सहयोग के लिए हिताशी टरबाईनों का चुनाव किया है। जापान की हिताशी और टोशिबा अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिकल्स की लाइसेंस धारी कम्पनीयां हैं और वे इम्पल्स टरबाईन बनाती हैं। यह लिखवाया गया लेख है। आखिर आप ऐसे नहीं कि आप पर ऐसे लेखों का प्रभाव पड़े। आप सभी देशों में बनाए गए व परिचालन किये जा रहे टरबो सैटों के इन आंकड़ों की ओर ध्यान दें।

दुर्भाग्य से हमारे देश में, हमारे पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा दिन-प्रतिदिन की असफलताओं, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी में घट-बढ़ आदि के बारे में शुद्ध आंकड़े प्राप्त हो सकें। वोल्टेज की स्थिरता कहां पर है ? फ्रिक्वेन्सी पर निर्भरता कहां है ? उपलब्धता कहां है, अर्थ तो अनेक निकलते हैं। यह सब ऐसी बातें हैं हम यह नहीं कह सकते कि हम बिजली पैदा कर रहे हैं और उपभोगताओं को सन्तोषजनक रूप से सप्लाई कर रहे हैं। किसी भी अन्य देश में, इस प्रकार की बातें सहन न की गई होतीं। वे मुकदमा और न केवल कुछ करोड़ों की क्षतिपूर्ति की मांग करें अपितु अनेक सैंकड़ों करोड़ रु० की मांग करें। दुर्भाग्य से हमारे विद्युत बोर्ड इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे। दुर्भाग्य से हमारे भारतीय लोग भी ढीले हैं और वह नहीं जानते कि दूसरे देशों में लोग क्या करते हैं, कानून के अनुसार उनके अधिकार क्या हैं और वे नहीं जानते कि उनको क्या कार्रवाई करनी है तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी है।

'भेल' के उपकरणों की असफलता के बारे में अनेक बातें हैं। हमने विश्व का सबसे उत्तम संयंत्र लगाया है। 'भेल' का भोपाल संयंत्र विश्व का सबसे उत्तम संयंत्र है। इसकी स्थापना इंगलैंड की एसोसेटिड इलैक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज के सहयोग से की गई। वे बहुत ही अच्छी मशीनें बना सकते हैं। लोग बहुत प्रशिक्षण प्राप्त हैं परंतु दुर्भाग्य यह है कि उच्च प्रबन्धनीय पदों पर परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि इस समय उच्च प्रबन्धनीय पदों पर आसीन व्यक्ति नहीं जानते कि वे क्या बातें कर रहे हैं। मैंने अभी अभी स्विटजरलैंड की एक छोटी सी कम्पनी, जिसका नाम सुल्जेर है और जो कि बहुत बड़ी कम्पनी नहीं है, के एक कर्मचारी डा० शरण के बारे में एक पुस्तक में पढ़ा है। स्विटजरलैंड में सबसे बड़ी कम्पनी है ब्राउन ब्रेवरींज जिसके साथ बहुत समय से मेरा संबंध है। मैं उस कम्पनी की भारतीय उपकम्पनी का चैयरमैन रहा हूं। सुल्जेर तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी कम्पनी है। वहां से कोई व्यक्ति भारत आता है वह अपने आप को उक्त कम्पनी का महत्वपूर्ण व्यक्ति बताता है इधर उधर घूमता है और हमारे लिये प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहां तक कि उसने जनरल इलैक्ट्रिक पर भी प्रहार किया और इस प्रकार की स्थिति पैदा की कि जनरल इलैक्ट्रिक की हमारे प्रति रुचि समाप्त हो गई। इस प्रकार यह समाप्त हुआ। दुर्भाग्य से हमने लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है।

श्री पी० रामचन्द्रन : मैंने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया।

सभापति महोदय : आप अपने उत्तर में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मैं किसी व्यक्ति-विशेष की बात नहीं कर रहा। यह देसाई अथवा किसी अन्य की बात नहीं है। यह हमारे देश का प्रश्न है। जब हम प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहे हैं तो हमें किसी की सलाह अथवा मत के अनुसार नहीं खरीदनी हमने आंकड़ों पर विचार करना है। तब आंकड़ों की विश्वासनीयता व अन्य अनेक बातें हैं। जब तक आंकड़े अभुतपूर्व न हों हमें किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिये। यदि आंकड़े अच्छे भी हों, हमें पूर्ण उन्नत प्रौद्योगिकी की पेशकश हो, तब हमें देखना है कि यह पूर्ण है और क्या यह बेकार तो नहीं। अन्यथा हम व्यर्थ में देश के हितों और देश के भविष्य के विकास के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। हमारा भविष्य है। हम व्यर्थ की बातों के पीछे अपने जीवन को बेकार नहीं करना चाहते और अपने देश के बहुत अधिक लोगों को बेकार तथा गरीबी के हालत में नही छोड़ना चाहते। पहिले ही हमारे अनेक श्रमिकों की जबरी छुटी हो चुकी है। कारखाने बन्द हो रहे हैं। मूल्यवान संयंत्र और पूंजी फालतू हो रही है। इस सब का कारण हमारे बेवकूफी से भरे निर्णय हैं जो बिना किसी बात को समझे हुए किसी ने कहीं बैठ कर ले लिये। मुझे विश्वास है आप इस का समर्थन नहीं करने वाले। यदि मन्त्रालय में कोई इस ढंग से सोचता है तो हमें हिम्मत के साथ उसे समाप्त करना है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आप अब समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री डी० डी० देसाई : तब हमने बायलरों के निर्माण के लिये कम्बयूशन इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सहयोग किया। यह तो ठीक है। इसके लिये श्री कृष्ण मूर्ति जिम्मेदार थे। परन्तु में समझता हूं कि इसका लाभ अमरीकीयों को भी नहीं मिला है। आपको पूरी बात देखनी है कि क्या खरीदना है और आपको उसका पूरा उपयोग भी करना है अन्यथा वे आप को आंशिक रूप से अथवा कुछ भी नहीं देगें। वे डरते हैं कि भारत भी जापान बन जायेगा। वे भारत को उस प्रकार का प्रतियोगी नही बनने देना चाहते। अतः यदि आप अमरिकी उपकरण अथवा अमरिकी प्रौद्योगिकी प्राप्त करें तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी और आपको निश्चित होना होगा कि आप जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वह वास्तव में उनके पास जो कुछ है उसमें से सब से उत्तम हैं अन्यथा वे आपको एक गंभीर परिस्थिति में फंसा देंगे।

मैं यह चेतावनी के रूप में कह रहा हूं। अमरीकीयों के साथ सहयोग करने के बाद मैं जानता हूं कि वे हमारे मित्र नहीं हैं (**व्यवधान**) इन से दूरी पर रहें। हम यहां किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे।

सभापति महोदय : श्री देसाई, मेरा विचार है कि अब आपको समाप्त करना चाहिए।

श्री डी० डी० देसाई : बहुत सी बातें हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास कहने को बहुत सी बातें हैं कृपया मुझे कुछ समय दें।

सभापति महोदय : समय की सीमा तो कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा दिये गये समय के अनुसार है। अतः यह मेरे हाथ में नहीं है। यदि मेरे हाथों में होता तो मैं तुम्हें और समय दे देती।

श्री डी० डी० देसाई : सभापति महोदया: यह जानकारी बहुत उपयोगी है और देश को इससे लाभ होगा ।

सभापति महोदय : परन्तु आपने वचन दिया था कि आप उससंबंध में उनको पत्र लिखेंगे ।

श्री डी० डी० देसाई : मैं लिखूंगा । परन्तु दुर्भाग्य से वह नौकर शाही के हाथों में चला जायेगा ।

सभापति महोदय : अब समाचार पत्रों में पत्र छपवाने की प्रथा चल पड़ी है ।

श्री बयालर रवि : वे उत्तर नहीं देंगे ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की प्रथा है ।

श्री डी० डी० देसाई : मैं एक सीधी सी बात आपको बताता हूं । यहां विद्वंण का क्या लाभ । जब 1969 में आयात को बन्द करने का निर्णय लिया गया था तो मैंने विकास परिषद् के चेयरमैन के सामने ही दृढता से उसका विरोध किया था और मैंने कहा कि हमें कम से कम 50 प्रतिशत जेनरेटरों का आयात करना चाहिये । परन्तु उसके द्वारा एक भी प्रस्ताव नहीं दिया गया । आयात बन्द करके आप अपने देश को बराबर करेंगे और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा । दुर्भाग्य से वे लोग सहमत नहीं हुए । एक आयात जिसके लिये अनुमति दी जा चुकी थी उसकों करने की भी अनुमति नहीं दी गई । अब आप उसके परिणाम देख रहे हैं । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री देसाई, मैं आपसे फिर कहती हूं कि आप अपना भाषाण समाप्त करें चूंकि अभी बहुत से लोगों को बोलना है ।

श्री डी० डी० देसाई : मुझे अभी बहुत बातें और कहनी हैं ।

सभापति महोदय : आपको पहले सोचना चाहिये था । वे तो रह ही जायेंगी । उनका उल्लेख कोई अन्य कर देगा मुझे दुख है, श्री देसाई, आप अब समाप्त करें ।

श्री डी० डी० देसाई : बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ।

सभापति महोदय : श्री देसाई, आपने लगभग आधा घंटे का समय ले लिया है ।

श्री डी० डी० देसाई : दुर्भाग्य से बात यह है । आपको यह अनुभव करना चाहिये कि वैगनों में कोयले के स्थान पर पत्थर भरे जा रहे हैं ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपको कोयलें का महत्व पहले समझना चाहिये था । आप मुझे बाध्य कर रहे हैं कि मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूं । क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे । श्री देसाई मुझे दुख है ।

श्री डी॰ डी॰ देसाई : आपने जितना समय मुझे दिया उसके लिये सभापति महोदया आपका धन्यवाद ।

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : मैं ऊर्जा मंत्रालय की बजट की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं । आज देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें ऊर्जा की कमी बड़ी क्षोभकारी है । यह समस्या न हमारे देश की है अपितु सारे विश्व की है । इसलिए मैं अपने देश के बारे में ही बोलूंगा ।

(श्री एम॰ सत्यनारायण राव पीठासीन हुए)

ऊर्जा की आवश्यकता न केवल हमारे उद्योगों के लिए है अपितु कृषि के लिए भी है जो हमारे देश का आर्थिक ढांचा है । देश में ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं, धूप, जिससे प्रतिदिन फासिल ईंधन के बराबर ऊर्जा मिलती है, जल प्रपात, ज्वार भाटा, हवा-संपूर्ण परिमंडल में ऊर्जा है फिर भी हमारे पास ऊर्जा की कमी है । इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ? मेरे विचार में केवल एक कठिनाई है । वह ऊर्जा के समुचित संचयन की है । इसको और अधिक सही शब्दों में कहने के लिए मुझे कहना चाहिए कि हमें ऊर्जा की बेहतर संचयन तकनीकी के लिए कुछ करना चाहिए जिससे मांग को पूरा किया जा सके और ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सके । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस समस्या को देखें क्योंकि यदि कोई जनरेटर खराब हो जाता है तो रोशनी और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए हमें इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हम सब के लाभार्थ ऊर्जा के संचयन और वितरण अथवा प्रयोग करने के लिए हमारे पास उचित, प्रभावी तथा सस्ते तरीके हों । बिजली के समुचित और प्रभावी संचयन हो, हमारे पास प्रभावी और सस्ते ऊर्जा के स्रोत होने चाहिए । यदि हम बेहतर 'ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोतों' का निर्माण कर सकें तो समूचा विश्व हमारे पास आएगा ।

मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि जल आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार जम्मू और काश्मीर में चनाव नदी पन-बिजली के लिए अधिक सक्षम हैं ।

कुछ समय पूर्व केन्द्र ने जम्मू और काश्मीर में सलाल परियोजना का कार्य अपने हाथ में लिया था । यह वर्ष 1970 की बात है और आरम्भ में इसमें 55 करोड़ रुपया लगाने का अनुमान लगाया गया था इसको वर्ष 1978-79 में चालू होना था । परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आज इस परियोजना पर लगभग 222 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी परियोजना का कार्य-क्रमानुसार चालू होने की संभावना नहीं है ।

मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व इस सदन में कहा था कि यह परियोजना वर्ष 1982 तक चालू हो जाएगी । अभी हाल में मुझे वहां जाने का मौका मिला मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यदि सब कुछ वैसे ही चलता रहा, यह परियोजना वर्ष 1986 से पूर्व पूरी नहीं हो सकती है । ऐसा मैं समझता हूं । इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? करोड़ों रुपये की लागत वाली मशीनरी को एक

वर्ष में 2,000 घंटे काम करना चाहिए था। परन्तु यहां क्या हुआ ? इस मशीन ने एक वर्ष में मुश्किल से लगभग 12 से 13 घंटे काम दिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन त्रुटियों के लिए स्थल पर काम कर रहे अधिकारी और यहाँ तक की मंत्रालय जिम्मेदार है क्योंकि इस ओर कोई प्रभावी पर्यवेक्षण अथवा जांच नहीं की गई। हमें राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों पर समुचित निगरानी रखनी चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है। यदि यह चालू होता है तो इससे 690 मेगावाट विद्दुत मिलेगा परन्तु इसे चालू नहीं किया जा रहा है और यह एक गंभीर मामला है।

कुछ समय पूर्व मैंने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया था कि सलाल परियोजना और उसे गलत तरीके से क्रियान्वित किये जाने के बारे में जांच की जानी चाहिए। मुझे अब तब कोई उत्तर नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि मन्त्री महोदय यदि इस दिशा में कोई कार्यवाही करेंगे तो वह क्या है।

मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि मनीपुर में लोकटक परियोजना और हिमाचल प्रदेश में बैरा सिउल परियोजना ठीक ढ़ंग से काम नहीं कर रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार यह विभाग उन दोनों परियोजनाओं को भी देख रहा है। जब केन्द्र ने स्वयं इन परियोजनाओं का विकास करने की जिम्मेदारी उठा ली है तो मैं पूछ सकता हूं कि अब समय वही आ गया है कि मंत्री महोदय इन परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए इस दिशा में भरपूर प्रयास करें ?

मैं समझता हूं कि सरकार का विचार जम्मू क्षेत्र में किश्तवाड़ के निकट चनाब नदी पर गुलहास्टी नामक परियोजना का निर्माण करने का है। परन्तु उसके लिए अभी तक पहुंच सड़क का निर्माण नहीं किया गया है चनाब नदी पर परियोजना के विभिन्न मार्गों का निर्माण किया जा सकता है और यदि ऐसा किया गया तो इससे संपूर्ण उत्तर भारत रोशनी से जगमगा उठेगा।

मुझे ऐसा कारण नजर नहीं आता कि केन्द्र में मन्त्रालय को आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाने चाहिए। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे ऐसे समय आगे आयें ताकि इस मामले में आवश्यक कार्य को किया जा सके। संपूर्ण राष्ट्र के हित में कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि हम हर रोज सुनते हैं कि देश के किसी न किसी भाग में विद्युत की कमी है विद्युत का आधुनिक सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मन्त्री महोदय को यह देखना चाहिए कि विद्धुत की सप्लाई में अविलम्ब बढ़ाई जाये।

अब मैं विद्धुत के विकास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जो आधुनिक मशीनरी चलाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा लगभग सभी उद्योगों को चलाने के लिये बहुत आवश्यक है। जहाँ तक हमारे देश का संबंध हैं, प्रकृति हम पर कृपालु रही है और हमें सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें समुद्र से भी ऊर्जा लेनी चाहिए अब समय आ गया है कि हमें देश में उपलब्ध सभी प्रकार की ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त

करता हूँ और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे सभी मुद्दों पर विचार करेंगे। में मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री विजय मोडक (हुगली) मन्त्रालय ने कोयले और बिजली की स्थिति के बारे में अपने कार्य कलाप की लुभावनी तस्वीर प्रस्तुत की है। परन्तु जैसा दिखाई देता है इस देश में कोयले और बिजली की स्थिति बहुत खराब है। कोयला उद्योग गहरे संकट से गुजर रहा है और कोयले का उत्पादन लक्ष्य से कम हो रहा है। दूसरी ओर हम खदानों के मुहानों पर कोयले का भारी स्टाक देख रहे हैं और हमारे पास 1 लाख 40 हजार टन कोयला जमा हो गया है। लेकिन विरोधाभास स्थिति यह है कि कोयले का बहुतायत होते हुए भी हमें इसका भारी अभाव का सामना करना पड़ रहा है मैं भारत में कोयले की कमी के कुछ तथ्यों को रखना चाहूंगा।

हमने संसद में ऐसे समाचार देखे हैं कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोयले की भारी कमी है। दूसरी ओर संपूर्ण भारत में सभी तापीय बिजली घरों में वास्तव में जो स्टाक है वह बहुत ही कम है मेरे राज्य में सभी बिजली घरों में जिससे कलकत्ता और निकट वर्ती औद्योगिक क्षेत्र को बिजली की सप्लाई होती है, कोयले का एक या दो दिन का साथ है, पश्चिम बंगाल में पिछले बिजली संकट के दौरान कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी कोयले की कमी के कारण 70 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सकी। चन्द्रपुर बिजली घर में, जो दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत है, कोयले का एक दिन का स्टाक है उन्होंने यह शिकायत की है कि उन्हें रद्दी कोयला सप्लाई किया गया है जिसमें 47% से 48% तक नमी है। इसके परिणामस्वरूप 150 मेगावाट बिजली के उत्पादन में कमी है। गुजरात को बिजली की तंगी हो रही है। वे समुद्र से कोयला लाने की कोशिश कर रहे हैं।

बदरपुर बिजली संयत्र के बारे में मन्त्री महोदय ने अगले दिन सदन में पर्याप्त आश्वासन दिया परन्तु इसके बावजूद इस महीने की 11 ता० को यह समाचार आया था कि बदरपुर में तीन एककों में से एक एकक पिछले चार महीनों से बन्द है। इसके कारण बिजली उत्पादन 33 प्रतिशत कम हुआ है। जब इस संयत्र को कोयले की सप्लाई के बारे में रेल मन्त्रालय से पूछा गया था तब उन्होंने बताया कि जहां तक इस संयंत्र का संबंध है ऊर्जा मन्त्रालय ने उनसे कोई मांग नहीं की है।

फिर ऐसा समाचार मिला है कि पंजाब में भटिंडा में तापीय बिजली संयंत्र कोयले की कमी के कारण 1 महीने से बन्द है और यह स्थिति अब भी जारी है। इसकी 440 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता है। उत्तर प्रदेश में भी कोयले की कमी के कारण विद्युत संयंत्र बंद हैं।

मैं अब इस्पात कारखानों में कोयले के स्टाक की स्थिति के बारे में कहूंगा। साधारणतया इस्पात कारखानों में कोयले का 15 दिन का स्टाक होता है परन्तु ऐसे समाचार मिले हैं उनके पास केवल 2 या 3 दिन का स्टाक है। इस्पात मन्त्री ने यह भी कहा है कि संयत्रों में कोयले की कमी के कारण इस्पात का उत्पादन कम हो गया है। बोकारी इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र में है, फिर

भी यहां कोयले की कमी है। भिलाई इस्पात कारखाने में कोयले की कमी के कारण स्थिति विकट है। इसलिए वे आस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं। सरकार ने 10 लाख कोकिंग कोयले का आयात किया है। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आस्ट्रेलिया में रक्षित खान रखने पर विचार कर रही है।

उद्योग मन्त्री ने अगले दिन कहा था कि अनेक उद्योगों में कोयले की कमी है और 11 अप्रैल को समाचार पत्रों में भी यह समाचार छपा था कि कोयले की कमी के कारण 10 सीमेंट कारखाने बन्द हो गये हैं। नंगल और भंटिडा स्थित उर्वरक संयत्र फरवरी में बंद हो गये थे और अब वे पुनः चालू हो गए हैं परन्तु गोरखपुर संयत्र अभी भी बड़ी विकटस्थिति में है। ईंटें बनाने वाले तथा अन्य लघु उद्योगों की स्थिति भी बहुत खराब है। कोयले की कमी के कारण उनमें उत्पादन बहुत प्रभावित हुआ है। हजारों श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई है और करोड़ों रुपयों के उत्पादन का नुकसान हुआ है। गुजरात में भी कपड़ा मिलें भी कोयले की कमी के कारण प्रभावित हुई हैं। कोयले की कमी के कारण 140 रेलगाड़ियों का चलना रद्द किया गया है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कोयले की कमी के कारण पंजाब में अनेक महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों सहित लगभग 73 रेलगाड़ियां नहीं चल रही है।

कोयले की कमी के कारण समूचे भारत में यह निराशाजनक तस्वीर है और विद्युत उत्पादन के सहित सभी कुछ प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर हम हाल के महीनों में पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु आदि में बिजली का बन्द होना देख रहे हैं। इससे करोड़ों रुपये का राष्ट्रीय उत्पादन का नुकसान होता है। हम जानते हैं कि इन संयत्रों की देख रेख के लिए राज्य बिजली बोर्ड जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें खराबी न आए। ये बोर्ड मामले को देख रहे हैं। वे अपना काम कर रहे हैं। ऊर्जा मन्त्री से यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि यह उनका काम है। इसका मतलब है कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब समय आ गया है कि ऐसा दृष्टिकोण बदला जाये। उनको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राज्य बिजली बोर्डों के सहयोग से उन्हें हर मामले में सहयोग देना चाहिए तथा संयन्त्रों के प्रभावी संचालन हेतु उन्हें सहायता देने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी देने चाहिए और उन्हें कम राख वाले कोयले की अच्छी किस्म की सप्लाई भी करनी चाहिए। उनसे ऐसा करने की अपेक्षा है।

कोयला तथा विद्युत संकट इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़ा कारण बन गया है। हाल में पश्चिम बंगाल में जब, उद्योग वस्तुतः 6 दिन के लिए बंद हुआ था तब 80 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये का प्रतिदिन नुकसान होता था परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि मंत्री जी ने इससे इंकार किया है और कहा है कि उत्पादन में हानि बिजली की कमी से न होकर अन्य कारणों से है। अब समय आ गया है कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और ईंधन व विद्युत की कमी तथा रेल यातायात की समस्या को साथ-साथ हल करे। कोई भी मंत्रालय उन्हें अलग-अलग से हल नहीं कर सकता है, उनको सब काम अपने हाथ में लेने चाहिए। मेरा सुझाव है कि सरकार को एक उच्च आफिसर प्राप्त समिति का गठन करना चाहिए ताकि वह विद्युत तथा कोयले के उत्पादन की सभी पहलुओं की गहराई से

जांच कर सके। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अन्तर्गत एक समन्वय समिति का भी गठन किया जाना चाहिए ताकि वे इस समिति के निर्णयों को क्रियान्वित कर सकें और यह शुद्ध स्तर पर किया जाना है।

ऐसी संभावना है कि कोयला उद्योग को वस्तुतः एक और बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। यह कोयला खानों में लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वर्ष पूर्व कोयला खनिकों और उद्योग के बीच हुआ समझौता समाप्त हो गया है। एक नया समझौता होने जा रहा है परन्तु बातचीत एक वर्ष से चल रही है। सरकार के हठवादी रवैये के कारण ट्रेड यूनियनों के साथ त्रिपक्षीय बातचीत में कोई प्रगति नहीं हो रही है। 6 लाख कोयला खनिकों ने एक दिन की हड़ताल की, परन्तु ऊर्जा मंत्रालय को इससे समझ नहीं आई हैं। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने एक पत्र लिखा है जिसमें सरकार को धमकी दी गई है। इसमें 'सीटू' के मंत्री श्री एम० के० पांडे, इंटक' के श्री एम० एस० दास गुप्ता, 'एटक' के श्री कल्याण राय, बी० एम० एस० के श्री बी० एम० आजाद और एस० एम० ए० के श्री एस० कुमार ने हस्ताक्षर किए हैं इसमें लिखा है :—

'हम प्रबन्धकों और मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वे समूचे प्रश्न पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करें और 19 और 20 अप्रैल, 1979 को होने वाली जे० बी० सी० सी० आई० की अगली बैठक में श्रमिकों को स्वीकार्य निश्चित प्रस्ताओं को रखें।

यदि प्रबन्धक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के अपने पूर्ण निर्णय को दोहराते हैं।

इसलिए हम प्रबन्धकों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे० जे० बी० सी० सी० आई० की आगामी बैठक में स्वीकार्य प्रस्ताओं को नहीं रखते हैं तो केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के पास श्रमिकों की उचित मांगों को स्वीकार कराने हेतु प्रबन्धकों पर दबाव डालने के लिए हड़ताल करने की तिथि नियुक्त करने के अलवा कोई अन्य विकल्प न रह जायेगा।

यदि सरकार अपना दृष्टिकोण नहीं बदलती है तो कोयला खान श्रमिकों द्वारा अनिश्चित-कालीन हड़ताल करने की संभवाना है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर आयेगी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे समूचे प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें, और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए कार्यवाही करें।

सरकार द्वारा नियुक्त बावेजा समिति ने अपने सुझाव दिए हैं जिससे श्रभिकों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा 50,000 श्रमिकों की छंटनी की जायेगी जिनमें से अधिकांश महिला श्रमिक हैं·········मंत्री महोदय ने ट्रेड यूनियन के नेताओं को आश्वासन दिया है कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने से पूर्व उनसे विचार विमर्श किया जायेगा। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि उनसे परामर्श नहीं किया गया है और सिफारिशों को एकतरफा लागू किया जा रहा है मुझे आशा है कि श्रमिकों के लाभ के लिए बावेजा समिति की सिफारिशों को रद्द किया जायेगा।

सरकार ने कोयला खानों में बड़े स्तर पर उनका यंत्रीकरण किया है जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हुए हैं। उनमें कार्य कर रहे लाखों श्रमिकों की छंटनी की गई है। यह जनता पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान की गई प्रतिज्ञा और 10 वर्ष में बेरोजगारी की समस्या समाप्त करने के उनके वचन के अनुरूप नहीं है।

दूसरी ओर सरकार खनिकों के लिए सुरक्षा नियमों के बारे में सुरक्षा सम्मेलन और दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर रही है। दुर्घटनाएं रोज बढ़ रही हैं और परिणामत: बड़ी संख्या में खनिकों को जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है।

ठेकेदार कोयला खनिकों का शोषण कर रहे हैं। इसके कारण वे मनचाहा पैसा कमा रहे हैं। एक एकक यथा ई० सी० एल० में अधिकारी ठेकेदारों से मिले हुए हैं और बल्कि भरने के लिए बालू और इमारती लकड़ी की सप्लाई में पैसा कमा रहें हैं। इस कदाचार के कारण आसनसोल रानीगंज क्षेत्र में जमीन धसने का खतरा हो गया है।

इन दिनों कोयला खानों में ऐसे गुंडे भर गए हैं जो सूदखोर का भी काम करते हैं। यहां हत्याएं आम बात हो गई है। धनबाद में हीं सैकड़ों हत्याएं हुई हैं। पुलिस लूट के माल में अपना हिस्सा लेने के लिए खुले आम गुन्डों का साथ दे रही हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को बिजली की कटौती की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह एक आम और बार-बार होने वाली बात हो गई है। इन्हें अपना दृष्टकोण बदलना चाहिए और बिजली बोर्डों को पूरी पूरी सहायता देनी चाहिए। मेरा ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि वे इस तथ्य को देखें और दोषयुक्त संयन्त्रों को बदलने और संयन्त्रों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी देने के मामले में राज्य बिजली बोडों की हर प्रकार की सहायता करें। उन्हें कम राख वाले अच्छे किस्म की कोयले की सप्लाई भी करनी चाहिए। ऐसा अनेक विशेषज्ञ तापीय बिजली घरों के प्रभावी रखरखाव हेतु सिफारिश कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना वकतव्य समाप्त करता हूं।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : ऊर्जा राष्ट्र की आर्थिक संरचना की प्राण वायु है और आर्थिक प्रगति का भी यह मेरुदंड है। जो राष्ट्र ऊर्जा का संरक्षण नहीं कर सकता है वह प्रगति की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसीलिए एस्टीमेट्स कमेटी ने भी कहा था कि प्रतिरक्षा के पश्चात ऊर्जा विभाग पर ही राष्ट्र को सबसे अधिक खर्च करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिमेंट या कुछ दूसरी चीजों को तो विदेशों से मंगाया जा सकता है लेकिन बिजली का आयात विदेशों से नहीं किया जा सकता है। इस वास्ते इस पर हमारा जीवन और मरण निर्भर करता है। इसको इस वास्ते हमें यहीं पैदा करना होगा। जो राष्ट्र बिजली के उत्पादन में आत्म निर्भर नहीं होगा वह आर्थिक प्रगति के द्वार को बन्द कर देगा।

अभी हमारे मित्रों ने जनता सरकार की बड़ी आलोचना की है। होनी भी चाहिए। जनतंत्र का यही शृंगार है। अभी पश्चिमी बंगाल, बिहार और दिल्ली तक में भी ऊर्जा का

संकट आया है। आलोचना का इस वास्ते यह सब से उपयुक्त अवसर है। लेकिन पिछले 31 साल में ऊर्जा पर जितना खर्च हुआ है, टोटल खर्च हुआ है, छठी योजना में उस पर हमने उससे भी ज्यादा खर्च करने का प्रावधान किया। पहली योजना में 149 करोड़, दूसरी में 452 करोड़, तीसरी में 1.252 करोड़, चौथी में 2,932 करोड़ और पांचवी में 7,016 करोड़ खर्च हुआ था और इस तरह से कुल 11800 खर्च किया गया था। इसके मुकाबले में जनता सरकार ने छठी योजना में 16,750 करोड़ खर्च का प्रावधान किया। इस वास्ते यह कहना कि हम ऊर्जा संकट को गम्भीरता से नहीं लेते हैं ठीक नहीं है।

दूसरा प्रश्न ऊर्जा के कुप्रबन्ध का है। क्या दो वर्ष में हमने सारी चीज को अस्तव्यस्त कर दिया है। क्या स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड केन्द्र द्वारा संचालित होते हैं? अभी पश्चिम बंगाल में एका-एक ऊर्जा का संकट पैदा हो गया तो क्या वह केन्द्र ने पैदा किया? क्या ऊर्जा मंत्री श्री रामचन्द्रन ने कुछ ऐसा कर दिया जिस के कारण वह पैदा हुआ? इलैक्ट्रिसिटी बोर्डज को राज्य सरकारें संचालित करती हैं। उनका प्रबन्ध गलत रहा, उनकी कार्य कुशलता का अभाव रहा है और यही कारणा है कि यह संकट आज देश में फैला है। पिछली सरकार ने मैं समझता हूं हिन्दुस्तान की औद्योगिक आवश्यकताओं का ठीक से आकलन नहीं किया था और ऊर्जा की योजना नहीं बनाई थी और यही कारण है कि ऊर्जा का संकट हम भोग रहे हैं। कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। यह मैं पिछले प्रशासन की आलोचना करने की दृष्टि से नहीं कहता। लेकिन पिछले प्रशासन के दुष्कर्मों का फल आज हम को भोगना पड़ रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। राजन साहब मुसकरा रहे हैं। लेकिन क्या वह कह सकते हैं कि रामगुंडम का सुपर थर्मल पावर स्टेशन दो साल में बनाया जा सकता है। अगर पिछले दस वर्ष तक इस संकट को दूर करने की गम्भीरता रहती तो सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमने कदम रखा है और 31 साल में जितना खर्च किया गया है उससे डेढ़ गुना से ज्यादा खर्च करने का प्रावधान छठी योजना में किया है यह है हमारी नीति और ऊर्जा के प्रति हमारे प्रेम का द्योतक।

जो शार्टफाल है वह आज का नहीं है। पहले प्लान में एनर्जी का पंद्रह परसेंट शार्टफाल था, दूसरे में 35.7 परसेंट और तीसरे प्लान में यह 54 परसेंट हुआ। इसका सारा दोष रामचन्द्रन साहब के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता है। यह 31 साल की गलत ऊर्जा नीति का परिणाम है। इसीलिये हमें सोचना है कि इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए। सचमुच जब ऊर्जा संकट के विषय में विचार करते हैं तो हमें इसके उपायों के सम्बन्ध में भी विचार करना होगा। और यह विषय ऐसा नहीं है जिसको पार्टी का विषय बनाया जाय। इसके लिये तो एक नेशनल एनर्जी पौलिसी होनी चाहिए। जो रिपोर्ट हैं, बावेजा कमेटी या फ्यूल इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, मैं कहना चाहता हूं कि कोल जो हमारा ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत था वह क्षीण हो रहा है, 50 साल से ज्यादा वह खजाना नहीं चलने का है पैट्रोलियम की भी वही हालत है। इसीलिये आज हमें बैकल्पिक साधन ढूंढना होगा, हमें हाइडल प्रोजेक्ट की ओर देखना होगा। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है आज जो ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम उनको छोड़ कर हमें नान-कंवेशनल सीरीज़ की ओर देखना होगा :

ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा वायु भूतापीय और ज्वार ऊर्जा अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और वे व्यवसायिक उपयोग के लिए निकट भविष्य में बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे।

मैं ऊर्जा मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो परम्परागत ऊर्जा उपयोग की प्रणाली है उसको छोड़ कर या विराम दे कर के नई प्रणाली की ओर देखना होगा। नहीं तो आने वाली दशाब्दी अंधकार का समय हो जाएगा और हम अस्तव्यस्त हो जायेंगे। पश्चिम बंगाल में अंधकार का प्रलय आ गया था और यही बिहार में भी होता है। इसलिये आवश्यक है कि हमारे ऊर्जा मन्त्रालय को इसके सम्बन्ध में सोचना होगा।

जहां तक ऊर्जा के संकट को दूर करने का प्रश्न है बहुत से मित्रों ने इसके सम्बन्ध में कहा है, और एक चीज और है कि ऊर्जा के केन्द्रीयकरण का हमें विरोध करना है। और जब हम राष्ट्रीय ऊर्जा नीति की चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात जहां यह है कि नान-क्वेशनल सोर्सेज को अडाप्ट करना होगा तो दूसरी बात यह है कि ऊर्जा का ही ज्यादा से ज्यादा डीसेन्ट्रेलाइज़ करना होगा। और विकेन्द्रित रूप से विचार नहीं करेंगे तो ऊर्जा का संकट ज्यादा आयेगा। मान लिजिये 5,000 मैगावाट का सुपर थर्मल पावर है और उसमें सैबोटाज की बात सून कर आपको दुख होगा कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में एक वर्ष के अन्दर 396 सैबोटाज किये गये। इसलिये जितना केन्द्रीकरण होगा उतना ही ऊर्जा का संकट बढ़ने वाला है। इसलिये विकेन्द्रीकरण की दिशा में हमें सहयोग देना चाहिये। लेकिन एक बात है कि सारा ऊर्जा का मंत्रालय काम नहीं करता हैं। उसमें काम करने वाले होते हैं वहां के मजदूर, और इसीलिये समूचे देश की ऊर्जा में काम करने वाले मजदूरें की एक राष्ट्रीय वेतन नीति होनी चाहिए।

चौथी बात यह है कि आज कहीं अगर बंगाल में अंधेरा है तो छोड़ दीजिये उसे अंधेरे में, बिहार में अंधेरा है तो उसे अंधेरे में छोड़ दीजिये। नेशनल ग्रिड होनी चाहिये क्योंकि समूचा देश एक है। और इसीलिये आज यह कहा जाता है, मन्त्री जी भी कभी कभी कह देते हैं कि जो प्रदेश ज्यादा सक्षम है, कुशल है तो क्यों आप उसे दंड देंगे। लेकिन समूचा देश एक ही है इसीलिये नेशनल ग्रिड होना चाहिये, और जब ऐसा कर सकेंगे तो काफी राहत हो सकेगी। जिस तरह से आज गेहूं और अनाज के मामले में हमने एक नेशनल जोन स्थापित किया है उसी तरह से बिजली के मामले में भी हमें एक राष्ट्रीय क्षेत्र की नीति घोषित करनी होगी।

लेकिन एक चीज़ हैं चूंकि कोयला, पेट्रोलियम के साधन धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं इसीलिये आज हमें अटामिक ऐनर्जी की ओर और उसके शांतिपूर्ण उपयोग की और उससे ऊर्जा प्रकट करने के लिए हमें ज्यादा जोर देना होगा। और अगर हम इस पर जोर नहीं देते हैं तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया, आने वाली दशाब्दी में वह अन्धकार का समय होगा।

जब पिछली बहस हो रही थी तो हमारे माननीय सदस्य श्री वैंकटरमण, जो योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने बहुत वेदना के साथ यह दिखलाया था कि हम नीति तो निर्धारित करते हैं, लेकिन उसमें वेस्टेज बहुत होता है। अगर समय रहता तो मैं सारी बातें

आपके सामने रखता, खर्च हमने 1 हजार करोड़ रुपये रखा और हो जाता है 1,300 करोड़ रुपये यह वेस्टेज है। इसका मतलब है कि कार्य क्षमता का घोर अभाव है और वहां गड़बड़ी और घोटाले होते हैं। हमारे वेंकटरमण जी ने दर्द के साथ कहा है कि इस प्रकार हमारे शार्टफाल होते हैं। हमारे जो पर फार्मेन्स होते हैं, इम्पलीमेंटेशन होते हैं वह बहुत पूअर होते हैं। हमारी पालिसी ग्लेमरस होती है, मगर इम्पलीमेन्टेशन बहुत पूअर होती है। यही कारण है कि जहां हमारे शार्टफाल होते हैं, वहां देश का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यू० एस० ए० का 418 मिलियन किलोवाट है, यू० एस० एस० आर० का 186 है और युगोस्लाविया का 85 मिलियन किलोवाट है। और हमारा, इतने बड़े 65 करोड़ के देश का, 150 है, यह कुछ और थोड़ा बढ़ा होगा। ऐसी स्थिति में कौनसी खेती होगी।

केवल बिहार में 500 स्टेट ट्यूबवैल और 40 हजार स्माल और मध्यम इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं और यह दोष विजली की गलत नीति का है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि अगर हिन्दुस्तान से वेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो सबसे अधिक ज्यादा जोर हमें इस ऊर्जा नीति को ठीक करने में लगाना होगा। उसमें ग्लैमबर आफ साइज़ भी होता हैं, हम चाहते हैं कि 3 हजार मेगावाट का बना दें और उसमें होता क्या है कि खर्च भी ज्यादा होता है। आवश्यकता इस बात की है कि इकनामी आफ साइज़ और इकनामी आफ स्केल करना चाहिए। सरकार को स्टैंडराइज़ेशन करना चाहिए। हम समझते हैं कि 500, 500 मेगावाट का जब एक एक थर्मल स्टेशन बन जाता है तो सब बन्द हो जाता है। इसलिये ऊर्जा मंत्रालय इस बात पर विचार करे कि हम बड़े-बड़े मेगावाट के नहीं, बल्कि स्टैंडराइजेशन कर दें कि 200 मेगावाट से ज्यादा नहीं होगा, अलग अलग बनायें जिससे एक अगर बैठ जाये तो दूसरा चलता रहे। यह स्टैंडराइजेशन करने की जरूरत है।

खासतौर पर एनर्जी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो चित्र उपस्थित किया गया है, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इसलिये जो हमारा हाइडल प्रोजेक्ट का विकल्प है, हालांकि हम जानते हैं कि कितना हाईली कैपिटल इटेंसिव प्रोग्राम वह है, लेकिन हमें उसको भी डैवलप करने की जरूरत है।

ऊर्जा मंत्रालय का सबसे बड़ा कलंक और दोष स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के कारण है। हमारे बिहार में भी स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड है, आपको सुनकर दुःख होगा कि वहां 11 हजार वर्कर्स सरप्लस हैं और बिहार का आधा पैसा यह व्हाइट एलीफेंट स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड खत्म कर देता है। हम ब्रिगेडियर कोछड़ को ले गये, एक तरफ 11 हजार सरप्लस वर्कर हैं और दूसरी तरफ एक साल में थर्मल स्टेशन में 396 सेबोटाज होते हैं। किस तरह से बिजली का उत्पादन होगा और उद्योगों की प्रगति इससे होगी? इसलिए स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के रि-ओरिएन्टेशन के लिये हमको फिर से विचार करना होगा।

अगर इस अवसर पर हम ऊर्जा मंत्रालय के साथ केवल राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में विचार करें तो यह बहुत अच्छी बात है। उनके गुणगान भी मैंने गाये हैं, लेकिन एक चीज कहना

चाहता हूं कि मैं भागलपुर क्षेत्र से आता हूं और केवल उदाहरण के द्वारा यह साबित करना चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्रालय के कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, उससे राष्ट्र पर कितना बोझ पड़ता है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बहुत बड़ा है, वहां इसके लिये कोयला चाहिये, पानी चाहिये, जमीन चाहिये, इसके बारे में जियोलौजिकल सर्वे की यह रिपोर्ट है।

"भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने 1975 में कुल कोयला भंडारों का अनुमान 2,682 मिलियन टन लगाया था जिसमें 318 मिलियन टन के प्रमाणिक भंडार, 1,215 मिलियन टन के निर्दिष्ट भंडार और 1,149 मिलियन टन के अनुमानित भंडार शामिल थे।"

कहलगांव में 4,000 मिलियन टन कोयला जमा है, गंगा में अपरंपार पानी जमा है, वहां जमीन है, रेलवे स्टेशन है, रोड्ज़ हैं। लेकिन वहां पर सुपर-थर्मल पावर स्टेशन नहीं बनेगा। कहां बनेगा ? फरक्का में बनेगा। यह प्रदेश और क्षेत्रीयता का प्रश्न नहीं है। फरक्का में कोयला कहाँ से जायेगा ? अगर कहलगांव में यह पावर स्टेशन बनता, तो दो से आठ मील दूर से कोयला आता, मगर फरक्का में कोयला 80 मील दूर कहलगांव से जायेगा। कहलगांव में जो बिजली जैनीरेट होती, वह 12 पैसे प्रति-यूनिट पड़ती, जबकि फरक्का में वह 14½ पैसे प्रति-यूनिट पड़ेगी। राष्ट्र का करोड़ों अरबों रुपया पीढ़ियों तक बर्बाद करने का जो काम मंत्रालय ने किया है, वह सोचने की बात है। अगर बिजली कहीं भी सस्ती बनती, तो पश्चिमी बंगाल को भी सस्ती मिलती। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मंत्रालय ने यह जो गलत काम किया है, मैं उसके बारे में प्लानिंग कमीशन के वाइस-चेयरमैन, श्री लकड़ावाला, के विचार आपके सामने रखता। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमें इस बारे में आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से नहीं। लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका क्या कारण था ? क्या जब सिद्धार्थ शंकर राय की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो इन्दिरा जी ने इसको बचन दिया था ? मंत्रालय को यह क्या विभ्रम हो गया, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस प्रकार से राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल काम करना गलत है। जो कुछ हुआ, सो हुआ, लेकिन राष्ट्रीय हित में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए।

इस सुझाव और इस विनम्र प्रार्थना के साथ माननीय ऊर्जा मन्त्री द्वारा रखी गई अनुदानों की मांगों का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदया, यह एक विचित्र घटना है कि बिजली का संकट इसी अवधि में उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यह संकट थोड़ी अवधि का है या लम्बी अवधि का, मैं इस मुद्दे पर बहस करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन, दुर्भाग्य से, देश को एक बड़े गम्भीर संकट में डाल दिया गया है। सारी की सारी अर्थ व्यवस्था संकट में है। करोड़ो रु० मूल्य के उत्पादन की हानि हो रही है। कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। देश में व्यापक संकट है। विद्युत उत्पादन के बारे में हमें दावे और प्रतिदावे सुनने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री द्वारा किए गए दावे का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 1978-79 के दौरान देश की विद्युत व्यवस्था में 3,022 मे० वा० अतिरिक्त

विद्यु त क्षमता जोड़ दी गई है। उसके बजाय एक दूसरे दावे के अनुसार यह क्षमता केवल 1,522 मे० वा० ही है। यह भी बतलाया गया है कि किस तरह उन आठ संयंत्रों की क्षमता जिनसे बिजली अभी उपलब्ध होनी है, को गत वित्तीय वर्ष के दौरान कुल जोड़ कर 3,022 मे० वा० की उपलब्धि दर्शाई गई। इन्हें दो वर्गों में समूहबद्ध किया जाता है — 'रोल्ड' और 'बारिंग गीथर पर रखे गए'।

महोदय, मुझे यह चिन्ता नहीं है कि ऊर्जा नीति का क्या होगा। मैं वित्तीय संसाधनों के बारे में भी बिल्कुल चिन्तित नहीं हूं। हमें तो उद्योग की असली बीमारी की जांच करनी है। जैसा डा० राम जी सिंह ने कहा, यह कार्यान्वियन का सवाल है और उसी की कमी है। विद्यु त कार्यक्रम के लिए हर वर्ष बड़ी धनराशि निर्धारित की जाती रही है। जहाँ तक उपकरण की सप्लाई का संबन्ध है, हमारे पास उनका आधिक्य रहा है और हमने कुछ मामलों में पर्याप्ततः उच्च कार्यकुशलता और निर्धारित क्षमता के आधार पर देशी उपकरण के बजाय अधिक मंहगे आयातित सेटों को चुना है। खराबी यह हुई है कि विद्यु त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली स्थापना और वर्तमान क्षमता के संचालित करने की व्यवस्था काम ही नहीं करती है। अतः समस्या वित्तीय संसाधन प्रदान करने की नहीं बल्कि प्रबन्ध और संगठन के कार्यक्षमता का कोई उचित स्तर प्राप्त करने की है। जहां तक कृषि उत्पादन में, अथवा सभी कर्मचारियों की मजदूरी और रोजगार में हानि का सवाल है, इसका हिसाब लगाना वास्तव में कठिन है विद्यु त संकट से बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है जबकि हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या बहुत व्यापक पैमाने की राष्ट्रीय समस्या है।

बिजली का संकट पुराना भी है और विकट भी, क्योंकि हर वर्ष बिजली की खपत में जहां 15 प्रतिशत की वृद्धि होती है, वहीं इसकी उत्पादन-क्षमता में प्रति वर्ष औसतन 10 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। सभी पंचवर्षीय योजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी हैं और यह कभी 40 से 50 प्रतिशत रही है। इसके अलावा, राज्य विद्यु त बोर्डों का घटिया प्रबन्ध हमारी ताप-विद्यु त क्षमता के अकुशल उपयोग, पारेषण हानि और बिजली की प्रत्यक्ष चोरी के लिए जिम्मेवार है। परिणामस्वरूप, राज्यों को बिजली की विकट कमी का सामना करना पड़ रहा है। केरल को छोड़ कर, अधिकांश राज्यों में बिजली की कमी है। भाग्यवश, हम इस स्थिति में हैं कि बिजली की सप्लाई कर सकें और अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था में मदद कर सकें।

मैं कुछ अन्य कारणों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिनकी वजह से बिजली के अभाव को समाप्त करने के प्रयासों में केवल विलम्ब होता है। उदाहरणार्थ, बहुत सी-महत्वपूर्ण जल विद्यु त परियोजनाएं आज अंतर्राज्यीय विवादों के कारण रुकी पड़ी हैं। इससे राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचती है और स्वयं राज्यों का भी कुछ भला नहीं होता। परियोजनाओं की तकनीकी जांच और केन्द्रीय मंजूरी में अविलम्बता की कोई भावना नहीं है। वास्तविक निर्माण की प्रक्रिया में, हर स्तर पर विलम्ब होता है और काम रुक जाता है। अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों और छोटे-छोटे ठेकेदारों की

मिली भगत के कारण, संपर्क प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार भी निर्माण-कार्य में विलम्ब और निर्माण की लागतों में वृद्धि के लिए जिम्मेवार हैं।

छटी योजना के प्रारूप में पाँच वर्ष के अन्दर, अर्थात 1978-83 के दौरान 18,500 मे० वा० अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। यह करीब-करीब उसके बराबर है जो क्षमता हमने पिछले 15 वर्षों में प्राप्त की है। योजना में और 400 कि० वा० लाइनों का प्रस्ताव है तथा सभी राज्यों में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों को बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है। अनुमान लगाया गया है कि कुल निवेश 15,750 करोड़ रु० होगा जबकि पांचवीं योजना में 7,016 करोड़ रु० का निवेश किया गया था। यह राशि कुल सरकारी क्षेत्र परिव्यय की 23 प्रतिशत बैठती है जबकि पांचवीं योजना में 18 प्रतिशत थी। इस कार्य की वृहदता को तभी समझा जा सकता है जब यह महसूस किया जाए कि गत तीन या चार वर्षों के दौरान, उत्पादन क्षमता में 1,700 मे० वा० की जो अतिरिक्त औसत वृद्धि हुई है, उसे 1978-83 के दौरान बढ़ाकर 3,700 मे० वा० प्रति वर्ष करना होगा। मैं समस्त परिप्रेक्ष्य के बारे में इन्हीं समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं।

मैं मानता हूं कि हमारी योजना बड़ी शानदार है। लेकिन इसका कार्यान्वियन उचित रूप से करना होगा। यहां मैं आपको नीति सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराना चाहूंगा। आज जिन लोगों को अधिकार प्राप्त है, वे झट से इस निरन्तर विद्युत संकट की दलील पेश कर देते हैं और महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत नीतियों में उलट-फेर कराने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह यह तर्क पेश किया जा रहा है। कि सरकारी क्षेत्र द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते, और इस तर्क के सहारे सरकारी क्षेत्र को शनैः शनैः ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है कि आप सरकारी क्षेत्र में अप्रत्यक्ष से बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकारी कम्पनियों को प्रवेश दे रहे हैं।

मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० और सीमेंस समझौते से संबंधित सारे प्रश्न में जाना नहीं चाहता।

श्री पी० रामचन्द्रन : यह कब हुआ ?

श्री के० ए० राजन : ये समझौते आपके समय में ही हुए थे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० और सीमेंस समझौता आपके समय में हुआ। इस पर संसद में और संसद के बाहर बड़ा शोर शराबा हुआ कि जो कुछ किया गया, उस सबके लिए पिछली सरकार जिम्मेवार है। इस तरह की दलील देना उचित नहीं है। एक जिम्मेवार मंत्री तथा उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार के रूप में आपको अपना कर्त्तव्य निभाना है। इन सब समस्याओं के बारे में मेरा तर्क यही है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय और एकाधिकारी कम्पनियों को लाने की यह प्रतिकूल तथा राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। विद्युत उद्योग तो उद्योगों की जान है और बहुराष्ट्रीय तथा एकाधिकारी कम्पनियों के साथ इस सहयोग से अर्थव्यवस्था के समस्त कार्य-संचालन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

मुझे मिले सीमित समय के कारण, मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूं। मैं आबंटित समय का अतिक्रमण कभी नहीं करता हूं, इसीलिए मैं बहुत गति से बोल रहा हूं। उस विशेष मुद्दे पर मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि बहुराष्ट्रीय और एकाधिकारी कंपनियों को विद्युत जैसे महत्व पूर्ण क्षेत्र में पीछे के द्वार से लाने की यह प्रवृत्ति समस्त राष्ट्रीय की स्वीकृत नीति नहीं है।

इसके साथ-साथ, मैं आपको दो और महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराना चाहूंगा, यद्यपि उनका आपके मंत्रालय से सीधा संबंध नहीं है। वे बिजली कर्मचारियों की कुछ समस्याओं से संबंधित हैं। अधिकांश कर्मचारी विद्युत बोर्डों के अधीन आते हैं। वे केन्द्रीय मंत्रालय से सम्बद्ध नहीं हैं, इतना मैं जानता हूं। लेकिन एक ऐसे उद्योग के लिए जिसमें छः लाख से ज्यादा कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में और करीब एक लाख कर्मचारी निजी क्षेत्र में लगे हुए हैं—कर्मचारियों की समस्या होती ही हैं। लेकिन महोदय, विद्युत तो उद्योग का स्त्रोत है। जो कर्मचारी अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थलों को संचालन और वहां कार्य करते हैं— ऐसे स्थलों पर जिनका सामजिक महत्व भी है—उन्हें राष्ट्रीय मजूरी नहीं मिलती है। विभिन्न विद्युत बोर्डों के बीच वेतन और सेवा शर्तों में जो असमानता है, आपको मालूम है। उदाहरण के लिए आप महाराष्ट्र को ही लें। महाराष्ट्र का वेतन-ढांचा हिमाचल प्रदेश के वेतन-ढांचे से सर्वथा भिन्न है। वेतनों में इस असमानता को दूर करने के लिए, अखिल भारतीय स्वरूप के विभिन्न उद्योगों में एक राष्ट्रीय वेतन मार्गदर्शी सिद्धान्त होना चाहिए, क्योंकि हमने अन्य विभिन्न उद्योगों में राष्ट्रीय मजूरी नीति बना ली है।

मैं कोयला उद्योग के विभिन्न पहलुओं के ब्यौरों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि कोयला उद्योग में हड़ताल चल रही है और सारी बातचीत और कार्यवाही लोक उद्यम ब्यूरो के अत्याधिक हस्तक्षेप के कारण निष्फल जा रही है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राष्ट्र के व्यापक हित में इन मामलों को तय किया जाए। कोयला उद्योग में जो विवाद चल रहा है उसे सद्भाव के साथ तय किया जाना है और एक राष्ट्रीय मजदूरी ढांचा तैयार किया जाना है।

मुझे आशा है कि आप इन सभी पहलूओं पर बिचार करेंगे और मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री नटवरलाल बो० परमार (धंधूका) : माननीय चेअरमैन जी, मैं आप के माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। किसी देश की प्रगति का मापदण्ड बिजली के उत्पादन पर है। बिजली के बगैर किसी भी उद्योग का विकास नहीं हो सकता, न कोई दवाखाना चल सकता है और न खेती का काम चल सकता है, क्योंकि आज देश की आबादी का मापदण्ड ऊर्जा पर आधारित है। लेकिन आज ऊर्जा की कमी का प्रश्न देशव्यापी प्रश्न बन गया है। मानव-मात्र का कोई भी काम ऊर्जा के बिना नहीं चल सकता, जैसे रसोई पकाना, रूग्णालय में मरीजों का आपरेशन करना, बहु-मंज़िल मकानों में लिफ्ट का चलना सब कुछ उर्जा पर निर्भर करता है, यदि बिजली बंद हो जाय तो सब काम ठप्प पड़ जाता है।

आज कहा जाता है—"वर्ल्ड स्टग्ल्स फार पावर एण्ड वेल्थ"। बिजली होने से उत्पादन बढ़ता है। जिससे धन पैदा होता है, समाज का आर्थिक विकास होता है। यदि हमारे ऊर्जा मंत्रालत्र की कार्य शक्ति अच्छी होगी तो उससे पैदावार बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, ज्यादा पैसा बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। ऊर्जा का उत्पादन तीन चीजों से होता है—कोयले से, क्रूड से और टाइडल-वेव्ज, से। जहां तक टाइडल-वेव्ज से ऊर्जा पैदा करने की बात है, मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय तथा इस पर ज्यादा पैसा लगाया जाय।

एक सब से बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि हमारे यहां सारे देश के लिये एक "राष्ट्रीय-ग्रिड" प्रणाणी नहीं है, जिस की वजह से बहुत से राज्यों में जहां बिजली की कमी हो जाती है बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती है। यदि सारे देश के लिये एक नेशनल-ग्रिड बन जाय तो इसका यह लाभ होगा कि जहां पर भी बिजली की कमी होगी, दूसरे राज्यों से जहां बिजली उपलब्ध है, वहां से बिजली पहुंचाई जा सकती है। आज कल ज्यादातर बिजली शहरों के विकास और उद्योगों के लिये दी जाती है, लेकिन अब हमारी भारत सरकार ने गांवों के विकास के लिये रूरल-इलैक्ट्रिफिकेशन की स्कीम बनाई है। मैं आप से अपील करता हूं कि देहातों के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऊर्जा मंत्रालय को ऊर्जा-शक्ति का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक धनराशि की व्यवस्था करे, क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिये, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये ऊर्जा पहुंचाना सब से ज्यादा जरूरी है। इन शब्दों के साथ में ऊर्जा मंत्रालय का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और आप ने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : इस बर्ष मार्च में, "झरिया कोयला क्षेत्र : चुनौतियां तथा पूर्वेक्षण" पर धनबाद में एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उस विचारगोष्ठी में, हमें वर्तमान कोयला तथा ऊर्जा संकट पर कोयला विभाग के सचिव को बोलते हुए सुनने का अवसर मिला। उन्होंने जो कुछ कहा यदि उसे आप पढ़े तो मालूम होगा।

> "यह खेद की बात है कि उत्पादन क्षमता में राष्ट्रीयकरण के समय से लेकर अब तक के वर्षो में किए गए निवेशों के अनुकूल वृद्धि नहीं हुई है। अब तक करीब 900 करोड़ रु० का निवेश किया जा चुका है, लेकिन उत्पादन वहीं का वहीं है।"

यह इस वर्ष मार्च में, धनबाद में सचिव, कोयला विभाग द्वारा कबूल किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार कोयले पर अधिकाधिक निवेश करने के लिए तैयार थी और यह खान प्रबंधकों पर निर्भर करता है कि वे उद्योग का नेतृत्व करें और 1978-79 तक कम से कम 1,120 लाख टन और 1980-81 तक 1,520 लाख टन कोयले का उत्पादन करें।

लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है ?

"श्री वर्मा ने बताया कि अब तक लगाए गए धन का ज्यादा हिस्सा या तो आयतित अथवा देशी उपकरण खरीदने में इस्तेमाल किया गया। किन्तु, उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि उत्पादन करने वाली कुछ कंपनियां उपकरण का उपयोग उचित ढंग से नहीं कर सकती और कुछ ने तो विकास के लिए स्वीकृत निवेश की राशि भी वापस कर दी।"

उन्होंने आगे कहा है :

"भारतीय खनन-कार्य विशेषज्ञ इस अवधि को 6-7 वर्ष से घटाकर 3 या 4 वर्ष क्यों नहीं कर सकते, जैसा कि उन्होंने विदेशों में किया है।"

यह बात उन्होंने विवृत्त (ओपन कास्ट) परियोजनाओं के बारे में कही है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीयकरण के आठ वर्ष बाद, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कोयला विभाग के सचिव को खुली सभा में इस तरह खेद व्यक्त करना पड़ता है। हमें इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। मैं सारी आयोजना की बात करके यह दिखाना नहीं चाहता कि ऊर्जा के प्रश्न की किस तरह उपेक्षा की गई, प्रथम योजना में किस तरह अन्तराल उत्पन्न किया गया और किस तरह उस अन्तराल को दूसरी तीसरी तीसरी योजनाओं में बढ़ने दिया गया और चौथी योजना में उसका कितना भयंकर परिणाण हुआ है।

भारत बहुत ही भाग्यशाली देश है। हमारे पास अच्छी ऊर्जा क्षमता है। हमारे यहां एक स्थान पर कोयला है तो दूसरी जगह पेट्रोलियम, जल-विद्युत संभावित तीसरी जगह है तो भू-तापीय और भू-विज्ञानी तथा नैसर्गिक ऊर्जा संभाविता अन्य स्थलों पर। यह दुख और शर्म की बात है कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां कोयले की कमी के कारण गाड़ियां रद्द की जा रही हैं। ऐसा क्यों है कि बोकारो इस्पात संयंत्र भी संकट का सामना कर रहा है? चन्द्रपुर थर्मल प्लांट, जो कोल-बेल्ट में पड़ता है, से सूचना मिल रही है कि कोयले की अनुपलब्धता के कारण उसे विद्युत उत्पादन रोकना या कम करना पड़ता है।

मैं अपने विद्युत संयंत्र की क्षमता के कम उपयोग किए जाने की बात तो समझ सकता हूं। हम अपने राज्य विद्युत बोर्डों को दोष दे सकते हैं कि वे ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, लोग तोड़-फोड़ कर रहे हैं और यह कि कर्मचारी खराब हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो विद्युत संयंत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू किए गए हैं उनकी क्षमता उपयोगिता में गिरावट आ रही है? वहां धीरे-धीरे गिरावट क्यों आ रही है? यह तो मैं समझ सकता हूं कि इस समय क्षमता का उपयोग कम हो रहा है। लेकिन क्षमता उपयोगिता पिछले वर्ष के मुकाबले घट क्यों रही है? हमारे पास वह मशीनी सुविधा नहीं है। हमारा 'पर मैन शाप' कोयला उत्पादन (ओ०एम०एल०) इंगलैंड या अमरिका की तुलना में कम हो सकता है। लेकिन यह गत वर्ष के मुकाबले कम क्यों होना चाहिए? यह हमारी समझ में नहीं आता। उन्होंने बवेजा समिति नियुक्त की है। वह कोयला उद्योग से किस तरह सम्बद्ध था? क्या उन्होंने किसी उद्योग को जाकर देखा है? उन्होंने किसके साथ परामर्श किया? उन्होंने लागत में वृद्धि और कोयला उद्योग में हानि का सारा दोष

मजदूरों पर डाला है। गरीब मजदूर लोगों का कहना है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा मजदूर हैं और यही कारण है कि हम नुकसान उठा रहे हैं। 75 प्रतिशत लागत प्रत्यक्ष लागत, श्रम लागत है। श्रम लागत बढ़ गई है और इसीलिए हमें भारी क्षति होती है उन्होंने एक परोक्ष समाधान बतलाया है, जो घातक है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि ऐसा न होने दिया जाए। वे कहते हैं कि कोयले का मूल्य बढ़ा दिया जाना चाहिए और अब ऊर्जा मंत्री महोदय मजदूर संघ नेताओं के साथ लाजवाब सौदेबाजी कर रहे हैं और वे कहते हैं, "हमें कोयले के मूल्य में वृद्धि करने दो। हम मजदूरों की मजदूरी बढ़ा देगें।" हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि मजदूरों की मजूरी बढ़ाई जाए लेकिन देश भर के लोगों की कीमत पर नहीं। स्थिति क्या है ? देश भर में अधिकतर ग्रामवासियों द्वारा गैर-वाणिज्यिक ईधन का इस्तेमाल किया जाता है। हमें कोयले को लोकप्रिय बनाना है। हमें अपने बनों की रक्षा करनी है। हम कोयले का मूल्य नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ऐसा करने से गरीब देहातियों के लिए कोयला मंहगा हो जाएगा और हम कोयले का प्रचार नहीं कर सकेंगे।

हम केवल 1,000 लाख टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। हमारा पड़ौसी देश चीन-जहां ज्यादा मशीनीकरण नहीं है—उन्होंने मशीनीकरण हाल ही में शुरू किया है—500 मि०ट० कोयले का उत्पादन कर रहा है। वे उसका उपयोग कर रहे हैं। वहां वितरण में किसी तरह की अड़चन का कोई सवाल नहीं है। वहां स्टाक जमा होते जाने का भी प्रश्न नहीं है।

लेकिन वहां उन्होंने प्रेस वक्तव्य दिया है कि 95 'लाख टन' कोयला रेलवे यार्डों में पड़ा हुआ है और 120-140 लाख टन कोयला स्टाक में पड़ा है। गर्मी के मौसम में उस स्टाक में किसी दिन आग लग जाएगी और फिर अधिकारियों द्वारा अपने अपराध को छुपाने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जाएगी।

आंकड़ों के अनुसार आपको मालूम होगा कि 1975-76 में कोयले का उत्पादन 899.8 लाख टन था, अधिकारियों की संख्या 6,693 और मजदूरों की संख्या 6,05,000 थी। 1976-77 में, कोयले का उत्पादन पहले से कम यानी 884.8 लाख टन हुआ और अधिकारियों की संख्या बढ़ कर 7,371 हो गई लेकिन मजदूरों की संख्या घट कर 5,86,000 रह गई। 1977-78 में कोयले का उत्पादन 889.6 लाख टन पर स्थिर रहा और अधिकारियों की संख्या बढ़ कर 8,094 हो गई लेकिन—मजदूरों की संख्या और भी घट कर 5,84,000 रह गई। इस वर्ष, यह और भी कम हो जाएगी।

राष्ट्रीयकरण से श्रमिकों की छटनी की गई है। लगभग 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं परन्तु उस से कोयले की लागत कम नहीं हुई है, उससे हानियों का परिमाण भी कम नहीं हुआ है।

समूचा दृष्टिकोण गलत है, कोयले की उत्पादन लागत किस तरह कम की जाये और हमारे भिन्न-भिन्न संयन्त्रों को कोयला किस प्रकार सप्लाई किया जाए। मैंने यह मुद्दा उठाया है और मन्त्रालय को आश्वस्त करने की कोशिश भी की है बवेजा समिति से परामर्श करने के बजाय उन्हें कुछ ऐसे लोगों से परामर्श करना चाहिए था जिन्हें कोयला क्षेत्रों में सीधे उत्पादन सम्बन्धों

के बारे में कुछ जानकारी हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ई०सी०सी०एल० में केवल 40,000 खनिक हैं जो कोयला काट रहे हैं,जो कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, जो कोयला निकाल रहे हैं और 1,50,000 व्यक्ति अप्रत्यक्ष काम कर रहे है, कोयला खानों के धरातल पर इधर-उधर घूम रहे हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, कालदर के काम कर रहे हैं। भारत कोकिंग कोल लि० में भी यही स्थिति है। आपको श्रम विभाजन की वितरण पद्धति में परीवर्तन करना है। आपको लोगों की छटनी करने की आवश्यकता नहीं है आपको मशीनों का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अधिकाधिक मशीनें आयात कर रहे हैं आपको अधिकाधिक हानियां हो रही हैं। आपको केवल श्रम विभाजन की वितरण पद्धति में परिवर्तन करना है। अप्रत्यक्ष श्रमिक की तुलना में प्रत्यक्ष श्रमिक के अनुपात में परिवर्तन करना है, आपने पर्यवेक्षी आधिकारियों सहित अन्य लोगों की तुलना में खनिकों के अनुपात में परिवर्तन कर दिया है। मेरा सुझाव है कि भारत में यह 1:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास एक लाख खनिक हैं तो आप अप्रत्यक्ष काम करने वाले पर्यवेक्षी आधिकारियों सहित एक लाख ही अन्य लोग रख सकते हैं। यह अनुपात 1:1 का होना चाहिए परन्तु आज यह 1:4 है। कोयला उत्पादित करने वाले और निकालने वाले एक व्यक्ति की तुलना में अप्रत्यक्ष काम करने वाले चार व्यक्ति हैं। आपकी अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर नहीं कर सकती है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में समूचा विद्युत संकट संथालदीह है के कारण हुआ है। यह ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इसे कोयला नहीं मिल रहा है, आदि। चन्द्रपुरा में, समूचे बिहार क्षेत्र में धनबाद में भी हम प्रायः विद्युत में कटोती का सामना करते रहते हैं। कोयला निकालने में बाधा पड़ रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोयला निकालने में बाधा श्रमिक अशांति के कारण नहीं अपितु विद्युत में कटौती के कारण पड़ रही है। ये विद्युत संयंत्र कोयला खानों के निकट हैं। मैं समझता हूं कि यह आंशिक रूप से सच है कि ऐसा परिवहन सुविधा के कारण हो रहा है। रेलवे का कहना है कि वे अपने रक्षित विद्युत संयंत्र रखेंगे। मुझे यह पता नहीं है कि मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है या नहीं। मुझे रेल मन्त्रालय से उत्तर प्राप्त हुआ है कि रेलवे के लिए उनको रक्षित विद्युत संयंत्र रखने का विचार है। इस्पात का भी अपना रक्षित विद्युत संयंत्र है। उर्वरक का भी है। जैसा कि मैं कह रहा था कि रेलवे का भी यह परियोजना रखने का विचार है, यह मन्त्रालय के विचाराधीन है, मुझे यह जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या निर्णय किया है। मेरा सुझाव है कि हमारे प्रधान मन्त्री को साहस पूर्वक आगे जाना चाहिए। ऊर्जा मन्त्रालय के साथ कठिनाई यह है कि इसके पास न तो ऊर्जा है और न ही विद्युत। इसे कुछ शक्ति प्राप्त करनी होगी। मैं चाहता हूं कि ऊर्जा मन्त्री रक्षित रेलवे का प्रस्ताव लेकर आगे आयें। संथालदीह परियोजना राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से केवल तीन मील दूर है। चन्द्रपुरा परियोजना भारत कोकिंग कोल लि. से केवल 2-2½ मील दूर है। इसी प्रकार पतरातू परियोजना सी०सी०एल०. से केवल 1-1½ मील दूर है। आपकी अपनी छोटी सी रेल व्यवस्था होनी चाहिये। आपको रज्जुपथ परिवहन विकसित करना होगा। इस बात का कोई कारण नहीं है कि आपके बोकारो को हानि हो रही है। दामोदर के पार बोकारो मुश्किल से तीन मील हैं

कोकिंग कोयला खान से तीन मील से अधिक दूर नहीं है । रज्जुपथों के माध्यम से ऐसा आसानी से किया जा सकता हैं। ऐसा क्यों न किया जाये ।

परीक्षण और वितरण में हानि 29 प्रतिशत क्यों होनी चाहिये ? मैं ऊर्जा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह पहले वाले रिकार्ड देखें । यह सर्वत्र 14 या 15 या 16 प्रतिशत थी । अब यह बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई है । आप क्या करेंगे ? यदि आप 0.1 प्रतिशत तक कुशालता बढ़ायें तो आप कोयले की लागत 7 रुपये तक कम कर सकते हैं । आपको इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । यह बहुत आसानी से किया जा सकता है ।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपके ओ०एम०एस० में कमी हुई है । बढ़ने के बजाय यह कम हुआ है । यह 0.1 प्रतिशत से ज्यादा तक कम हो गया है । इसका मतलब हुआ कि आपका कोयला केवल इसी कारण महंगा हो गया है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपकी उत्पादिता शक्ति किस प्रकार कम हो रही है और गैर-उत्पादिता शक्ति बढ़ रही है । आपको समूर्चा वस्तु का पुर्नवितरण करना है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मुझे खेद है कि ऊर्जा मंत्रालय रोग की जड़ का पता लगाने के बजाय अलग तरीके से काम कर रहा है । उदाहरण के लिए उन्होंने गांव वालों के साथ झगड़ना शुरू कर दिया है । वे भूमि अर्जित कर रहे हैं । खानों के प्ररिरक्षण का प्रश्न निन्दाजनक स्थिति ग्रहण कर रहा है किसानों की जमीनें खराब, नष्ट की जा रही हैं,जमीन पर बड़े पैमाने पर निर्वाह किया जा रहा है । अब वे गांव वालों के साथ झगड़ रहे हैं । वे उन्हें बहुत ही मामूली और अलाभकर मुआवजा दे रहे हैं इतना ही नहीं, वे उन्हें काम भी नहीं देगें वे एक मानदंड रख रहे हैं कि यदि तीन एकड़ भूमि है तो वे उन्हें काम देगें । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि कोई किसान अपने परिवार का डेढ़ एकड़ जमीन से भरण-पोषण कर रहा है और यदि आप उसकी जमीन नष्ट कर रहे हैं तो आपको उसे उसके परिवार का निर्वाह करने के लिए काम से वंचित करने का क्या अधिकार है ? यदि आप यह कहते हैं कि आप और अधिक भूमि नष्ट कर रहे हैं तो आप अपने खनन इंजीनियरों, अपने ठेकेदारों पर निमन्त्रण रखिए जो खाली जगह को रेत से भरते हैं । आपके ठेकेदार गड़बड़ कर रहे हैं । आपके अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं । आप गरीब किसानों की जमीनें नष्ट कर रहे हैं । छोटा नागपुर में वे अधिकतर हरिजन और आदिवासी हैं तथा अधिकांश दलित वर्ग के लोग हैं । आज आप ठेकेदारों के साथ न झगड़ कर उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं । आप गरीब किसानों के साथ झगड़ा कर रहे हैं ।

मैं कहता हूं कि यह बहुत गलत नीति है । पहले वाले मालिक एक समय कोयला खानें संचालित किया करते थे और जब वे गांव वालों की जमीनों का प्रयोग करते थे तो उनके साथ मैत्री भाव रखा करते थे । ये लोग, ये गरीब लोग उत्पादन करने वाले लोग हैं । यदि आप उन्हें काम देगे तो वे इसे तेजी से करेंगे और कुछ कमायेंगे । महोदया, मैं बवेजा समिति और मजूरी सम्बन्धी में बातचीत के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । आप इस बारे में टकराव क्यों करते हैं ? आप गांव वालों के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हैं ? आप श्रमिकों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, आप

हरेक के साथ झगड़ रहे हैं। आप अधिकारियों से नहीं झगड़ रहे हैं, आप साहूकारों या लुटेरों जो कोयला क्षेत्रों को लूट रहे हैं, के साथ झगड़ा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है कि आप के कोयला क्षेत्रों को 400 करोड़ रुपये की हानि हुई है? आपके ठेकेदारों को कोई हानि नहीं हुई, आपके अधिकारियों को कोई हानि नहीं हुई। किसी को कोई हानि नहीं होती है। आप धन-बाद जायेंगे, तो वहां आपको एक फाइवस्टार होटल मिलेगा। वहां सैकड़ों हत्ताएं हो रही हैं। लोग एक दूसरे को क्यों गोली मारते हैं। काला धन इसकी जड़ है। आपके कोयला क्षेत्र में कितने शराबी काम कर रहें हैं? उनके पास इस सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं है। वे उत्तर नहीं दे सकेंगे। वे कहते है कि हमें इन बातों की जानकारी नहीं है। आप केवल कोयला तो कम उत्पादित कर रहे हैं और काला धन बढ़ा रहे हैं। यही कहना है। काले धन पर कोई संस्था जीवित नहीं रह सकती है। इसने चरित्र को पूर्णतया भ्रष्ट कर दिया है। मैं यही कह रहा हूं आपका पूंजी निवेश 900 करोड़ रुपये या इसके आसपास है जिसमें से 300 करोड़ रुपये काले धन से बना है। यह सारा काला धन ठेकेदारों, लुटेरों, गुंडों, साहूकारों और जमाखोरों के लिए उत्तरदायी है। आपने इन हत्याओं को पनपाया है और किसी को नहीं। यह सब काले धन के कारण है। आपको इस पर नियन्त्रण करना होगा। ठेकेदार रखने का क्या उपयोग है? आप लोगों का एक समूह बनाइये और ये ठेके गांव वालों तथा काम गरों को दीजिए। ये ठेकेदार अनावश्यक व्यय के रूप में हैं। आखिर काम तो गरीब लोगों द्वारा किया जाता है। आप सहकारिता बनाकर सीधा उन्हें काम दीजिए और इन बिचौलियों को हटा दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कितना उत्पादन होता है। आप मशीनीकरण की बात करते हैं। आपके कुछ अधिकारी, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, मशीनीकरण की बात करते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या है। यहां यह सबसे बड़ी समस्या हैं। मैं नहीं जानता कि इसका समाधान कैसे किया जाये। आप इन बिचौलियों को क्यों नहीं हटाते हैं? आप मशीनें आयात करके इन लोगों के लिए रोजगार के अवसर क्यों सीमित कर रहे हैं? यह एक अपराध है लोगों को मारते हुए मशीनों का आयात करना पाप हैं। एक समय था जब गांधी जी आयातित कपड़े को जलाया करते थे। मैं मशीनी-करण का विरोधी नहीं हूं परन्तु आपको कुछ बुनियादी बातें तैयार करनी होंगी। आपको मशीनें आयात करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अद्भुत ढंग है जिसमें जनता सरकार चल रही है। कोई कोयला आयात कर रहा है, कोई सीमेंट आयात कर रहा हैं और कोई मशीन आयात कर रहा है और एक दिन आप मन्त्री आयात करेंगे।

हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब मन्त्री आयात किए जायेंगे। **(व्यवधान)** मैं आपको एक चुनौती देता हूं कि आप एक मशीन लगाइये और केवल एक आदमी लगाइये और कामगरों को हाथ से काम करने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उत्पादन लागत कितनी आती है। आप बुनियादी बातें तैयार किए बिना खनन में मशीनें आयात करने की बातें करते रहते हैं, आयातित मशीनें असफल हो जायेंगी और ठेका श्रम पद्धतियां बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

एक बात और है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मन्त्री महोदय ने न केवल गांव वालों, कामगरों के साथ भी झगड़ना शुरू किया है अपितु उन्होंने औरतों के साथ भी झगड़ना

शुरू कर दिया है, उन्होंने इन माताओं के साथ झगड़ना शुरू कर दिया है। समूचे मन्त्रिमण्डल में वह सबसे बड़े महिला विरोधी मन्त्री हैं। हम श्री मोरार जी देसाई के बारे में तो वैसे ही कह रहे हैं परन्तु वह मन्त्रिमण्डल में सबसे बड़े महिला-विरोधी मन्त्री हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं ? क्योंकि इसका कारण है। उनका कहना है कि कामगरों के रूप में केवल पुरुषों को लिया जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह संविधान के उपबन्धों के विरूद्ध है।

श्री ए० के० राय : निश्चित रूप से। अब आप कहते हैं कि महिलायें अपने स्थान पर किसी पुरुष-या तो पति या पुत्र या दामाद-को लगाकर सेवा-निवृत हो सकती हैं। मैं कहता हूं कि यह अपराध है। यह असंवैधानिक भी है। वह कहते हैं वह यह सब कुछ मितब्ययिता के लिए कर रहे हैं परन्तु, महोदय, मितव्ययिता का प्रश्न कहां है। गत वर्ष लगभग 80 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। इस वर्ष यह हानि 140 करोड़ रुपये की है। ईश्वर ही जानता है कि अगले वर्ष कितनी हानि होगी। अतः हमें इन मामलों पर यथार्थवादी दृष्टि कोण अपनाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हू कि हम जितने भी व्यवहारिक सुझाव दे रहे हैं उन सब की जांच करें। मैं महसूस करता हूं कि एक महीने के भीतर कोयले का मूल्य कम से कम 15 रुपये प्रति टन तक कम करना जरा भी मुश्किल नहीं है। यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना जरा भी मुश्किल नहीं है कि आपके विद्युत संयंत्र और इस्पात संयंत्र सुचारु रूप से चलें। 54 प्रतिशत विद्युत संयंत्र कोयला-क्षेत्र के क्षेत्रों में ही है। अतः आपको कोयला-क्षेत्र जोनों में अपनी रक्षित रेलवे विकसित करनी होगी। दस मील की परिधि के भीतर आपको अपना रेलवे और अपना रज्जुपथ बनाना होगा। यदि आपने यह सब कुछ कर लिया तो मुझे विश्वास है कि आपकी लगभग पचास प्रतिशत समस्याएं हल हो जायेंगी।

वोकारो, पतरातू, संथालदीह ओर चन्द्रपुरा स्टेशन कोयला-क्षेत्र क्षेत्रों के निकट है और यदि इन चारों स्टेशनों को समुचित ढ़ंग से चलाया जाये तो आप हमारी अधिकांश समस्याएं हल कर सकेंगे।

जहां तक पारेषण हानि का सम्बन्ध है, यदि आप 200 के० वी० ए० के बजाय 400 के० वी० ए० पारेषण लाइनें बनायें तो मुझे विश्वास है कि आप हमारी बहुत सी समस्याएं सुलझा सकेंगे। उसके द्वारा आप इन परियोजनाओं के प्रजनन-उपयोग में वृद्धि कर सकते हैं।

महोदय, यह बताया गया है कि 38 प्रतिशत एश वाली मध्यम श्रेणी की वस्तुएं तापीय विद्युत संयंत्रों को सप्लाई की जा रही हैं और यह कहा गया है कि सारे झगड़े की जड़ यही है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। हमारे सभी विद्युत संयंत्र लगभग 40 प्रतिशत 'एश' वाली मध्यम श्रेणी की वस्तुओं से चलने लायक बनाये गये हैं।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि ऊर्जा और विद्युत में जो संकट है वह पूर्णतया मानव-निर्मित है। यह संगठन की समस्या है। इसमें अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता है, इसमें

दूरदर्शिता की आवश्यकता है, इसमें योजना और संगठन की आवश्यकता है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में आवश्यक ध्यान देंगे और अगले वर्ष तक हम यह संकट सदा के लिए समाप्त कर लेंगे और जहां तक ऊर्जा का सम्बन्ध है, बहुतायत के युग में प्रवेश करेंगे । धन्यवाद ।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आरंभ में मैं, यह बताना चाहूंगा कि इस मंत्रालय को राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिये बुनियादी संरचना सम्बन्धी दो आवश्यकताओं, अर्थात विद्युत शक्ति और कोयला, की निरंतर सप्लाई करते रहने का संभार उत्तरदायित्व सौंपा गया है राष्ट्रीय महत्व का यह कार्य करने में ऊर्जा मंत्री भी इस सभा में वधाई के पात्र नहीं हैं, वस्तुतः इस सभा द्वारा उनकी निन्दा की जानी चाहिये क्योंकि वह अपना कार्य भलीभांति करने में बुरी तरह असफल रहे हैं ।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री ऐ० के० राजन ने बताया है कि मंत्री महोदय दावा करते हैं कि जनता शासन के दूसरे वर्ष में विद्युत उत्पादन 3,022 मेघावाट तक बढ़ा है । परन्तु औल इंडिया पावर इंजिनियरर्स फेडरेशन ने यह उद्धारण देकर मंत्री महोदय के तर्क का खंडन किया है कि केवल 1,522 मेगावाट वास्तविक रूप में चालू किया गया है और शेष 1,500 मेघावाट केवल उन यूनिटों से पूरा किया गया है जिन्हें, 'टर्निंग गियर' पर रखा गया है । फेडरेशन के चेयरमैन श्री हरबंस सिंह जो एक सेवा-निवृत मुख्य इंजीनियर हैं, ने कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय ने उपलब्धि आंकड़ों को पूर्ण तथा अनुचित रूप से बढ़ा कर बताया है । उसके अनुसार गत दो वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि केवल 16 प्रतिशत थी जब कि मंत्री महोदय ने दावा किया है कि यह वृद्धि लगभग 23 प्रतिशत थी ।

माननीय मंत्री कह सकते हैं कि श्री हरबंस सिंह ने गलत आंकड़े दिए हैं आपकी अनुमति से मैं वह समाचार उद्धृत करना चाहूंगा जो 12 अप्रैल' 79 के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित हुआ है ।

> देश की एक चौथाई से अधिक ताप-बिजली उत्पादन क्षमता का उपयोग नियोजित काम-बन्दी और बलात् अनुपयोग-काल के कारण नहीं हो पाता है । पिछले सोमवार को हुए उत्पादन से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि एक ही दिन में 169 में से 41 यूनिट बेकार पड़े रहे । सरकारी आंकड़े स्पष्ट हैं । "आउट आफ कमीशन" यूनिटों में से, केवल 15 यूनिटों का काम वार्षिक अनुरक्षण के लिए बंद रहा । शेष 26 यूनिटों ने उपकरण की खराबी के कारण उत्पादन बन्द कर दिया । दोनों तरह के निष्क्रिय यूनिटों की निर्धारित क्षमता 3,862 मे०वा० है जबकि देश की कुल-ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 13,235 मे० वा० है ।

माननीय ऊर्जा मंत्री इस मसले का संबंध आल इण्डिया पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के तर्कों और हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार से भी जोड़ सकते हैं । क्या मंत्री महोदय अनेक राज्यों में बिजली की 40 प्रतिशत कटौती से इंकार कर सकते हैं ?

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है ?

श्री के० राममूर्ति : पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि उनके अपने राज्य तमिलनाडु में भी स्थिति बहुत खराब है। तमिलनाडु में 50 प्रतिशत कटौती है।

माननीय ऊर्जा मन्त्री ने खुले रूप से घोषणा की है कि 140 लाख टन कोयला खदानों के मुहानों पर पड़ा हुआ है जिसे उठाया नहीं गया है क्योंकि वैंगन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। श्री मधु दण्डवते ने वैंगन नहीं दिये होंगे। क्या सारी सरकार इस तथ्य की आड़ ले सकती है कि चूंकि श्री मधु दण्डवते ने वैंगन नहीं दिये हैं, इसलिए औद्योगिक केन्द्रों को कोयला नहीं पहुंचाया गया है ? जैसा कि मेरे मित्र, श्री ए० के० राय बता चुके हैं, प्रगति चक्र एकदम से जाम हो गया है। श्री मधु दण्डवते किसी दूसरे देश के रेल मन्त्री नहीं हैं। माननीय ऊर्जा मन्त्री को चाहिए था कि वह देश के विभिन्न भागों में कोयला पहुंचाने के लिए रेल मन्त्री के साथ उचित समन्वय स्थापित करते। यह सुनिश्चित करना इन्हीं दो मन्त्रियों की जिम्मेवारी है कि कोयला उन स्थानों को भेजा जाए जहाँ इसकी जरूरत है और खदानों के मुहाने उसका ढेर न लगने दिया जाए।

कोयले की कमी के कारण, देश में बहुत से ताप-बिजली केन्द्र लगभग काम बन्द होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र, बदरपुर, भटिण्डा, पाटनी, अहमदाबाद, मुकई, गांधी नगर, नासिक और पारस में रात्रि के दौरान बिजली का उत्पादन 40 प्रतिशत तक नीचे लाया जा चुका है। वर्तमान संकट को समाप्त करने के लिए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एक अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने इन विद्युत केन्द्रों को भट्ठी-तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी है जैसे कि देश में भट्ठी-तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि वित्त मन्त्री ने अपनी ओर से यह मनाही कर दी है कि औद्योगिक यूनिटों द्वारा रक्षित जैनरेटरों के लिए हाइ स्पीड डीजल का उपयोग न किया जाए। एक ओर तो, भरपूर मात्रा में उपलब्ध कोयला ताप-विद्युत केन्द्रों को नहीं पहुंचाया जा रहा है और ताप विद्युत केन्द्रों से कहा गया है कि वे भट्ठी-तेल का प्रयोग करें जो पूरी मात्रा में नहीं मिलता है। और दूसरी ओर, वित्त मन्त्री ने रक्षित जैनरेटरों के लिए हाई स्पीड डीजल तेल का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। विवादों और प्रतिवादों के इस वातावरण में, माननीय ऊर्जा मन्त्री कैसे यह कह सकते हैं कि उन्होंने देश में बिजली के उत्पादन में वृद्धि कर दी है।

20 मार्च 1979 को, मेरे अतारांकित प्रश्न में क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भूमिका का उल्लेख किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकते हैं। यह खेदजनक है कि हमारे सी. पी. आई. (एम) मित्र उपस्थित नहीं हैं। उनके मुख्य मन्त्री, श्री ज्योति बसु ने अभी कुछ ही दिन पहले मद्रास में राज्य स्वायत्तता के बारे में कहा था। जब समूचा पश्चिम बंगाल अंधकार ग्रस्त था, वह राज्य स्वायत्तता की बात कर रहे थे। मेरे अतारांकित प्रश्न का जो उत्तर दिया गया उसे जानने के लिए मेरे सी. पी. आई. (एम) मित्रों को यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों में राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का यह

उत्तर दिया है कि क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालय हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जिन राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्ष क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के सदस्य होते हैं उनकी स्वायत्तता कहां है ?

मुझे मालूम हुआ है, कि हाल ही में, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मन्त्री के इस उत्तर पर आपत्ति की।

क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों का गठन उपलब्ध विद्युत शक्ति का किफायती तथा उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत प्रेषण केन्द्रों (लोड डिस्पैच सेन्टर) की स्थापना की गई है। इन विद्युत प्रेषण केन्द्रों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी मशीनरी से लैस किया जायगा ताकि किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को बिजली की कमी वाले इलाकों में सप्लाई किया जा सके, जैसा कि इस समय उत्तरी क्षेत्र से उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत शक्ति के मामले में किया जा रहा है जो दामोदर घाटी निगम के माध्यम से बिहार और पश्चिम बंगाल को भेजी जा रही है। विद्युत प्रेषण केन्द्रों के लिए इस उपकरण की खरीद के मामले में, आपकी अनुमति से मैं कुछ दस्तावेज सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

श्री के० गोपाल (करुर) : आपके पास पर्याप्त समय है। आप इन दस्तावेजों को पढ़ कर सुना सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, दो मन्त्रियों के अलावा उस तरफ एक भी जनता सदस्य नहीं है।

श्री वयालार रवि : अध्यक्ष महोदय, जनता सदस्यों की अनुपस्थिति पर आपको कुछ कहना चाहिए।

श्री के० राममूर्ति : उपलब्ध विद्युत शक्ति के मितव्ययी वितरण के लिए विद्युत प्रेषण केन्द्र स्थापित किया गया है। इस विद्युत प्रेषण केन्द्र के लिए उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड ने उस फर्म से वैज्ञानिक उपकरण खरीदने की सिफारिश की जिसकी निविदा में सबसे कम मूल्य दिया गया था और जिसका उपकरण तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया था। लेकिन उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड ने कुछ निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसमें 3 कम्पनियां मैदान में हैं। पहली है वेस्टिंग हाउस जो कि एक बहु-राष्ट्रीय कम्पनी है। दूसरी सीमेंस नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध बहु-राष्ट्रीय कम्पनी है। तीसरी है मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बॉवेरी।

महोदय, आप भली-भांति जानते हैं कि अधिकांशतः उन्हीं निविदाओं को मंजूर किया जाता है जो सबसे कम मूल्य अंकित करते हैं। लेकिन यहां, इस मन्त्रालय में उच्चतम मूल्य वाले निविदा को स्वीकार किया जा रहा है। ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया है जानते हैं ? उन्होंने 3 निविदाएं आमंत्रित की है। तीन कम्पनियों में मुकाबला था। और उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड ने एक निविदा का अनुमोदन कर दिया है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजे जाने के लिए क्योंकि तकनीकी रूप से यह उपयुक्त है और इसमें निम्नतम मूल्य सूचित किया गया है। लेकिन जब इसे उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा

गया, तो एक निविदा बड़े रहस्यमय ढंग से न जाने कहां लापता हो गया। मुझे नहीं मालूम कि किस प्रयोजन से इस निविदा को शामिल नहीं किया गया। मुझे शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमेंस की निविदा मंजूर कराने के उद्देश्य से इस निविदा को शामिल न किया गया हो। मुझे नहीं मालूम कि यह डाक में खो गई या तार विभाग में।

श्री बयालार रवि : माननीय सदस्य ने बड़ा ही गम्भीर आरोप लगाया है। मैं चाहूंगा कि इससे सम्बन्धित दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखा जाए।

सभापति महोदय : यह सदन के कार्यवाही वृतान्त में जा रहा है।

श्री के० राममूर्ति : मैं आपकी सूचना के लिए यह सब पेश कर रहा हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री के० राममूर्ति : लेकिन केन्द्रीय विद्युत बोर्ड ने इस सिफारिस को अस्वीकृत कर दिया है और उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड को निदेश दिया है कि यह उपकरण मै० सीमेंस से खरीदा जाए जिसका निविदा उच्चतम था। इससे राजकोष को 90 लाख रु० की हानि होगी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के साथ हुए सीमेंस के समझौते की जांच मंत्रालयीन समिति द्वारा की जा रही है, और माननीय मन्त्री ने मांग की है कि उक्त समिति में उन्हें भी स्थान दिया जाए। (व्यवधान) मंत्रालय ने इसकी सिफारिश कर दी है। इस पर राजकोष से 90 लाख रु० अधिक व्यय करने पड़ेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत अनुचित है———

सभापति महोदय : और कोई वक्ता नहीं है।

श्री के० गोपाल : यहां जनता पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है, सिवाय मन्त्री महोदय के जिन्हें यहाँ उपस्थित होना ही है चाहे वह पसन्द करें या नहीं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं जानता हूं कि यह सदन की एक स्वीकृत प्रथा है कि सामान्यतः दोपहर के भोजन के समय में और शाम 6 बजे के बाद जब सदन की बैठक चलती है, तो गणपूर्ति की मांग कोई नहीं करता है, और इसीलिए मैं उस प्रथा का पालन करना चाहूंगा। अत:, मैं गणपूर्ति की मांग नहीं कर रहा हूं। यदि सदन ने कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, इस सप्ताह में हर रोज सदन की कार्यवाही का समय एक घंटा बढ़ाने का निर्णय पहले ही कर लिया है जिससे कि लगभग सभी सदस्यों को विभिन्न मांगों पर बोलने का पर्याप्त समय मिल सके, तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा करने से लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे बशर्ते कि बहस में भाग लेने वाले वक्ताओं की पर्याप्त संख्या सदन में मौजूद हो; लेकिन मुझे यह देख कर खेद

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी का एक भी सदस्य यहां उपस्थित नहीं है। मैं उस पार्टी के बारे में कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह अवश्य ही बहुत अपत्तिजनक है कि जब सदन का समय विशिष्ट रूप से इसीलिए बढ़ाया गया है कि सदस्य बहस में भाग ले सकें, तब सत्तारूढ़ पार्टी का एक भी सदस्य उपस्थित न हो। जनता पार्टी के सदस्यों के लिए यह बड़ी निन्दाजनक बात है। मैं चाहता हूं कि इसे सदन के कार्ययाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाए। इसीलिए, मैं इस विषय पर आपके मार्गदर्शन की मांग कर रहा हूं। जब जनता पार्टी के सदस्य यहां बैठने और सुनने तथा बोलने के लिए तैयार ही नहीं हैं तो हमें यहां क्यों बैठे रहना चाहिए और लोक-सभा सचिवालय, सुरक्षा कर्मचारी, अन्य लोगों तथा दूसरे अधिकारियों पर अतिरिक्त भार क्यों डालना चाहिए। जब वे बोलना ही नहीं चाहते, तो समय कम ही रखा जाए और बिपक्षी दलों के सदस्यों को भी कम समय दिया जाए। (**व्यवधान**)

उन जनता पार्टी सदस्यों को न बोलने दिया जाए। हमें इस बारे में उचित कार्यवाही करनी चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल : जब आपने जनता पार्टी के सदस्यों के नाम भी पुकारे, तब बहुत से सदस्य अनुपस्थित थे। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी अनुपस्थिति में विपक्षी दलों के सदस्यों को अतिरिक्त समय दिया जाए जो यहाँ पूरी निष्टा के साथ बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : मैं समय दे रहा हूं।

श्री के० गोपाल : यह नहीं कि मैं बोलने जा रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि : मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको एक अवसर दूंगा। (**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि : मैं भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न भिन्न है। यहां किसी भी दल का हर सदस्य आबंटित समय के अनुसार बोलता है। और यह आबंटित समय कभी-कभी पाँच या दस मिन्ट से अधिक समय हो सकता है। और तब सभापति महोदय, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप घंटी बजाएं और अगले वक्ता का नाम पुकारें। अगर अगला वक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो स्वभावतया तब बहस अवश्य ही समाप्त हो जायेगी और आप समय का बचाव कर रहे हैं, सदन में कोई वक्ता न होने पर, बहस तो समाप्त हो ही जाएगी। यदि बहस समाप्त हो जाती है तो इसका कारण वे सदस्य होंगे जिनके नाम सूचि में हैं लेकिन जो सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप घंटी बजाएं औरअ नुग्रह के रूप में पांच या दस मिनट का समय और दें; उसके बाद अन्य सदस्यों को बुलाएं। यदि बहस समाप्त होने की संभावना है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उस पार्टी के सदस्यों को बुलाएं जिन्होंने अपने नाम दिए हैं। नियमों में यह व्यवस्था नहीं है कि आप आबंटित समय और अनुग्रह समय से अधिक समय न दें। कृपया इस पर अपना विनिर्णय दें।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : प्रो० मावलंकर का यह कहना ठीक है कि इस तरह से सदस्यों का अनुपस्थित होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मैं निरूपाय हूं, वास्तव में, मुझे श्री ए० के० राय को सिर्फ 10 मिनट का समय देना चाहिए था। जब मेरे पास सारी सूची समाप्त हो गई और जब वह बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, क्योंकि विषय की उनको बहुत अच्छी जानकारी है' तब मैंने उन्हें 20 मिनट दे दिए। वास्तव में, उन्हें 10 मिनट ही मिलने चाहिए थे। वह अच्छा भाषण दे रहे थे, और अच्छे प्रश्न उठा रहे थे। बाद में, मैंने अन्य सदस्यों को बुलाया जो सदन में उपस्थित नहीं थे। लेकिन उनके भी नाम पुकारना मेरा कर्तव्य है। मैंने उन सभी को पुकारा था और उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं था। तब मैंने श्री राममूर्ति को अवसर दिया। उनका नाम वहां है। **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हमें सदन का समय क्यों बढ़ाना चाहिए। हमें कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, अन्य अधिकरियों तथा अपने जैसे व्यक्तियों पर अतिरिक्त भार क्यों डालना चाहिए ? यदि बोलने के लिए कोई नहीं है, तो मंत्री महोदय उत्तर दें। **(व्यवधान)** । यह बहुत ही आपत्तिजनक है। सचिवालय पर अनावश्यक भार क्यों डाला जाए ? **(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल : वे नहीं बोलेंगे। वे अत्यंत गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : श्री गोपाल, कार्यवाही-वृतांत में यह सब आ चुका है। आप अपना रोष प्रकट कर चुके हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रो० मावलंकार का कहना ठीक है कि इससे उन अधिकारियों, रिपोर्टरों तथा अन्य लोगों पर बहुत बोझ पड़ता है जो सुबह 11 बजे से यहां बैठे हुए है, हमें उनकी कठिनाइयों को महसूस करना चाहिए, क्योंकि सदस्यों की सुविधा के लिए ही समय बढ़ाया गया था ताकि वह बहस में भाग ले सकें। लेकिन वे अनुपस्थित हैं। ठीक है, यह मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। मैं अपनी राय जाहिर नहीं कर सकता। श्री राममूर्ति, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ए० के० राय : हम चाहते हैं कि मांगों पर अब मतदान किया जाए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दो।

श्री के० राममूर्ति : उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के लिए किसी उपकरण की खरीद के बारे में, मुझे लगता है कि गड़बड़-घोटाला किया जा रहा है। मैंने मंत्री महोदय को लिखा था लेकिन उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर देने तक की सौजन्यता नही दिखाई। एक माह से ऊपर हो चुका है। उस पत्र की एक प्रतिलिपि मेरे पास है और उसे मैंने सभा-पटक पर रख दिया है। वे परोक्ष रूप के काम कर रहे हैं; सत्तारूढ़ दल में चोटी के व्यक्ति, श्री राज नारायण का सह-भाई केन्द्रीय विद्युत बोर्ड का सचिव है हमारे उद्योग मंत्री श्री जार्ज फ़र्नांडीस, हालांकि जनता पार्टी से सम्बद्ध है, फिर भी वह अन्तराष्ट्रीय रूप से सोशलिस्ट इंटरनेशनल में है जिसका मुख्यालय जर्मनी में है सीमेन्स का मुख्यालय पश्चिम-जर्मनी में है।

**कार्यवाही वृतान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० गोपाल : अब हम बहस से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मंत्री महोदय को अब उत्तर देने की भी जरूरत नहीं है। कृपया मांगों पर मतदान कराएं।

श्री पी० रामचन्दन : जवाब देना मेरा कर्तव्य है।

श्री के० गोपाल : आवश्यक नहीं; हम संतुष्ट हैं।

सभापति महोदय : यह बात न केवल मंत्री महोदय के लिए बल्कि उन सदस्यों के प्रति भी बहुत अनुचित होगी जिन्होंने बहस में भाग लिया है; उन्हें उत्तर अवश्य देना है।

श्री के० राममूर्ति : जैसा कि मैं कह चुका हूं, सीमेन्स का प्रधान कार्यालय, और सोशलिस्ट इंटरनेशनल, जिससे हमारे उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नाडीस संबंध रखते है, का मुख्यालय पश्चिम जर्मनी में है। ऊर्जा मन्त्री तामिलनाडु से जनता पार्टी के अकेले प्रतिनिधि है मंत्रिमण्डल में। ये ही लोग हैं जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और ऊर्जा मंत्रालय के चारों ओर मंडरा रहे हैं। जबकि जनता पार्टी अमरीका के भूतपूर्व राजदूत, जो भारत में केवल 8 महीने ही रहे, द्वारा श्रीमती गांधी को कथित धन की अदायगी के संबंध में दिए गए वक्तव्य का राजनीतिक लाभ उठा रही है, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह 90 लाख रु० कहां गया है ! क्या सोशलिस्ट इंटरनेशनल ने यह 90 लाख रु० जनता पार्टी को दिया है अथवा यह धन कहीं दूसरी जगह गया है ? मैं जानना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्री चक्कर कैसे लगा रहे हैं, सीमेन्स को ऊर्जा मंत्रालय पर किस तरह थोपा गया है, क्या यह बाहरी दबावों के कारण या आंतरिक दबावों के कारण ? इसके साथ ही, श्री दण्डवते हमारे माननीय मंत्री श्री रामचन्द्रन को वैगन नहीं देते हैं जिससे कि ताप-विद्युत केन्द्रों को कोयला सप्लाई किया जा सके। हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सह-भाई विद्युत उत्पादन के बारे में गलत आंकड़े देकर मंत्री महोदय को बहका रहे है जैसा कि श्री ए० के० राय ने कहा, श्री बीजू पटनयाक दस लाख टन कोयले का आयात कर रहे हैं यह कह कर कि हमारा कोयला अच्छी किस्म का नहीं है। यह स्थिति है। इन शब्दों के साथ, मैं भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री वयालार रवि : मैं कुछेक मिनट का ही समय लूंगा; मैं कोई लम्बा भाषण देना नहीं चाहता।

***श्री के० राममूर्ति :** सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैंने कुछ कागज़ात सभा-पटल पर रखे जाने के लिए भेज दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनकी जांच करनी होगी।

श्री वयालार रवि : विद्युत बोर्डों के कर्मचारियों के वेतन अलग-अलग हैं। असमानताएं सम्पूर्ण भारत में हैं। भिन्न-भिन्न विद्युत बोर्डों में वेतन भी भिन्न-भिन्न हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री

---

*बाद में अध्यक्ष द्वारा आवश्यक अनुमति न दिए जाने पर इन कागज़ात को सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

महोदय पहल करें और सुनिश्चित करें कि इनमें एकरूपता लाई जाए और हर काम उचित ढंग से हो।

दूसरी बात यह है कि आपने एक वक्तव्य दिया था कि आप बोर्डों के गठन में कुछ ग्रेड बनाने जा रहे हैं। यह सर्वथा राज्य का विषय है। आप राज्य विद्युत बोर्डों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि रिपोर्ट सही है। यदि यह सही है, तो आप अनावश्यक ही इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

यही दो बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता था। मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चितूर) : ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा कार्य-निष्पादन ठीक नहीं हैं। हमें ऊर्जा की जरूरत है। अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत का पता लगाया जाना चाहिए। मैं लुधियाना, पंजाब कृषि विश्यविद्यालयों में देखा है कि वे ऐसे पंप सेटों का पता लगाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं जिन्हें सौर ऊर्जा से चलाया जा सकें। सरकार इन्हें अधिक धन प्रदान करे ताकि इसका विकास किया जा सके। धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब, मुझे मंत्री महोदय को आमंत्रित करना होगा।

माननीय सदस्यगण : मंत्री महोदय।

श्री पी० रामचन्द्रन : बस जरा प्रतीक्षा करें,

सभापति महोदय : श्री जनेश्वर मिश्र।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह मध्यस्थता कैसी है।

श्री के० गोपाल : वह मध्यस्थता कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं ?

सभापति महोदय : मध्यस्थता

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : सभापति जी, मैं मुख्य रूप से, माननीय सदस्यों ने कोयला उद्योग के बारे में जो कई आलोचनाएं की है, उनकी चर्चा करूंगा।

वैसे मैं देख रहा था कि विरोधी पक्ष के लोग थोड़ी देर के लिए बहुत खुश दिखायी दे रहे थे कि सत्तापक्ष के सदस्य आज शायद उनके मुकाबले में यहां कम दिखायी दे रहे हैं या नहीं दिखायी दे रहे हैं। वे मन ही मन यह भी सोच रहे थे कि इस नकली बहुमत के बल पर ऊर्जा मंत्रालय ये मांग स्वीकार नहीं करा पायेगा और इसीलिए वे इसके लिए दबाब डाल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि जितनी भी आपत्तियां यहां उठायी गयी हैं, उन सभी का जवाब दिया जाएगा तो वे एक-एक करके सदन से बाहर जाने लगे। हम समझते हैं कि जनतंत्र की भूख उनके मन में जो थी वह अपने आप में खोखली थी क्योंकि जब वे लोग सत्ता पक्ष में थे तब भी जनतंत्र का मजाक उड़ाया करते थे और आज जब वे विरोध पक्ष में हैं तब भी जनतंत्र का मजाक उड़ाने की आदत उनकी गयी नहीं है जो कि आज की उनकी इस बात से जाहिर हो गयी है।

मुख्य रूप से कोयला उद्योग के बारे में यह कहा जाता है कि ऊर्जा मंत्रालय बारबार यह दावा करता है कि हमारी खानों पर कोयला बहुत ज्यादा है फिर भी उपभोक्ताओं को आज कोयला नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से बहुत से कारखाने, खास तौर से पश्चिम बंगाल के कारखाने बंद पड़े है। मजदूरों की हालत बिगड़ी है। लेकिन कोयला विभाग अपने इस दावे से नहीं हटता। इस के साथ साथ यह भी चर्चा की गयी है कि कोयला विभाग रेलवे विभाग पर यह डाल देता है कि वह हम को वेगन नहीं देता और रेलवे महकमा कोयला विभाग पर डाल देता है कि कभी कभी उसके वेगन खाली लौट आते हैं एक-दो सदस्यों ने यह भी कहा कि कोयला विभाग और रेलवे महकमा दोनों ही भारतीय सरकार के महकमे हैं और इस तरह से ये विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल कर भारतीय उद्योग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम लोगों का, सदन का और देश का भी दिमाग साफ हो जाना चाहिये कि कोयला उद्योग में जो खामियां है वे क्या जनता पार्टी के जमाने में पैदा हुई हैं या पहले से थीं अगर पहले से थीं और जनता पार्टी को विरासत में मिली हैं तो क्या उन्हें साल दो साल के अन्दर दूर किया जा सकता था या नहीं ? राय साहब की हिम्मत की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने कहा कि पंद्रह दिन के अन्दर वह सारी खराबियों को दूर कर सकते हैं। बोलने के लिए पंद्रह दिन के बजाय एक क्षण भी कहा जा सकता है। लेकिन बोलने की भी एक हिम्मत होती है आदमी में और मैं समझता हूं कि यह हिम्मत भी अपने आप में एक ऐसी चीज है जिस की तारीफ होनी चाहिये। खराबियां कितनी बड़ी थी और स्थिति कितनी बिगड़ी हुई थी अगर उसके बारे में हम गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तो यह कह देने से कि एक क्षण में या पंद्रह दिन या पद्रह महीने या पंद्रद हफ्ते में इन खराबियों को दूर कर देगें मैं समझता हूं कि हकीकत से आँख मूंदना होगा।

कोयला उद्योग श्री मोहन कुमार मंगलम साहब के सामने में सरकार द्वारा हाथ में लिया गया था। उस समय कई तरह के दवाब आए। जो खान मालिक थे उनकी तरफ से, उस समय के मजदूर नेता जो थे, उनकी सांठगांठ से, उस समय के जो वहां अधिकारी थे उनकी साँठगांठ से एक साथ में एक लाख से ऊपर कर्मचारियों की तादाद बढ़ गई। वे कर्मचारी अगर पसीना बहाने वाले होते, कोयला उत्पादन करने वाले होते तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों को भी खुशी होती कि उन से उत्पादन में मदद मिलती है लेकिन उन में से ज्यादा का चरित्र यह था कि वे मैनेजीरियल टाइप के सुपरवाइजरी टाइप के लोग थे, देखभाल करने वाले थे जिन से श्रमिकों के उत्पादन का कोई रिश्ता नही था। उससे पहले जिन लोगों के हाथ में कोयला उद्योग था वे कोयला मजदूरों को जिस हालत में रखे हुए थे, भेड़ बकरियों की हालत में रखें हुए थे, और बड़े बड़े मसलमैन और पहलवान किस्म के लोग रखे हुए थे, जो उनको हांक कर और डंडे के बल पर···

सभापति महोदया : मिश्र जी, आप अगली बात जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 अप्रैल, 1979/27 चैत, 1901 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

1979 लोक सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार में प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महा प्रबन्धक, भारत सरकार के मुद्रणालय, द्वारा मुद्रित।